बुधवार, 27 भाद्रपद, शक संवत् 1935
(18 सितम्बर, 2013 ई0)

खण्ड-486
अंक-02

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11.00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष द्वारा आसन ग्रहण करते ही नेता विरोधी दल ने दिनांक 16-9-2013 को नियम-311 के अन्तर्गत जनपद मुजफ्फरनगर में दिनांक 27 अगस्त, 2013 को घटित घटना सम्बन्धित सूचना पर प्रश्नकाल स्थगित करके चर्चा कराने की मांग की। श्री हुकुम सिंह, नेता विरोधी दल की मांग पर बल देते हुए मुजफ्फरनगर की घटना पर शासन को आरोपित करने लगे तब श्री अध्यक्ष ने कहा कि नियम-56 में यह विषय आया है उस समय चर्चा करियेगा। श्री प्रदीप माथुर ने भी इस पर चर्चा कराये जाने की मांग की। श्री प्रमोद तिवारी ने साम्प्रदायिक ताकतों को बेनकाब करने हेतु चर्चा की मांग करते हुए कटाक्ष किया कि कुछ लोग सी0डी0 बंटवाकर दंगा करवाते हैं इस पर भाजपा के सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे।

श्री अध्यक्ष द्वारा लगातार अनुरोध किये जाने के बावजूद भी भाजपा के सदस्य सदन के फ्लोर पर नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा। घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित कर दी।

11 बजकर 40 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 19 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है।

12 बजकर 19 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

मुख्य मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2013-2014 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत किया।

(प्रतियां बांटी गईं)

आज नियम-300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्नों की कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुईं जो अग्राह्य हुईं।

श्री प्रमोद तिवारी ने अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देश एवं जारी शासनादेशों के बावजूद अधिकारियों द्वारा मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार एवं प्रोटोकाल का पालन न करने एवं पालनीय नियमों का उल्लंघन किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक औचित्य का प्रश्न उठाते हुए कहा कि मा0 सदस्यों द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में अधिकारियों द्वारा यथोचित सम्मान का उल्लंघन हो रहा है जबकि समय-समय पर शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि विधायकों को यथोचित सम्मान मिलना चाहिये। उन्होंने बहराइच के विधायक श्री मुकेश श्रीवास्तव द्वारा संस्तुत विधायक निधि के अन्तर्गत शहीदों के नाम पर निर्मित द्वारों को एक अधिकारी द्वारा गिरवा कर उक्त विधायक ही नहीं बल्कि पूरी विधायिका के लिये असम्मानजनक भाषा का प्रयोग किये जाने की घटना का उल्लेख करते हुए उक्त अधिकारी को सदन में हाजिर कराने की मांग की। श्री मुकेश श्रीवास्तव ने भी विचार व्यक्त किया। श्री अध्यक्ष ने शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि जहां तक विशेषाधिकार का मामला है उसके लिये नियम-63 में देंगे तो विचार किया जा सकता है। सूचना अग्राह्य हुई।

श्री सुरेश कुमार खन्ना ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-14 के अनुसार प्रत्येक वर्ष में विधान सभा के 3 अधिवेशन अर्थात् आय-व्ययक, वर्षाकालीन व शीतकालीन अधिवेशन एवं 90 दिन के उपवेशन बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाते हुए कहा कि इस वर्ष बजट सत्र 23 दिन चला और यह सत्र 4 दिन का है इस तरह एक वर्ष में 27 दिन का सत्र बुलाना नियमावली का खुला उल्लंघन है इससे सरकार की मंशा जाहिर होती है कि सरकार सदन बिल्कुल नहीं चलाना चाहती। उन्होंने दो महीने के बाद 10 दिन का सत्र बुलाये जाने की बाध्यता का शासन द्वारा पालन कराये जाने की मांग की। श्री अध्यक्ष ने कहा कि सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दूंगा कि वह प्रयास करें कि अधिक से अधिक दिन सदन चले। सूचना अग्राह्य हुई।

श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज दिनांक 18-09-2013 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की उनके सम्मुख अंकित सूचनायें स्वीकार की गईं :-

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
1	श्री संजय कपूर	जनपद रामपुर की तहसील मिलक में 132 के0वी0ए0 उपकेन्द्र की स्थापना एवं अन्य विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी समस्यायें दूर किये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री मनीष असीजा	जनपद फिरोजाबाद की बहुमूल्य धरोहरों को संरक्षित किये जाने हेतु राजकीय पुरातत्व संग्रहालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
3	श्री सुरेश बंसल	जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के वार्ड संख्या-3 की गली नं0 3, 4 व 5 की सड़कें नीचे होने के कारण हो रही जलभराव की समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री त्रिलोकी राम	जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास में हररामपुर से खैर तक सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)	वाराणसी नगर की विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में।
6	श्री कमाल युसुफ मलिक	जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी में विद्युत आपूर्ति शहरी मानकों के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में।
7	श्रीमती अनुप्रिया पटेल	जनपद वाराणसी में वरूणा नदी पर स्थित भरथरा पिसौरा पुल सराय मोहाना पुल, कोरौत पुल तथा इसरवार पुल के अधूरे कार्य को पूरा कराके तत्काल पुल चालू कराने के सम्बन्ध में।
8	श्री राम हेत भारती	जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री मनोज कुमार	जनपद चन्दौली के किसानों की सिंचाई सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में।
10	डा0 अरूण कुमार	बरेली तथा आस-पास के क्षेत्रों में संक्रमित खून बेचे जाने के सम्बन्ध में।
11	श्री छोटे लाल वर्मा	जनपद आगरा की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
12	श्री सुदेश शर्मा	जनपद गाजियाबाद के कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
13	श्री विजय बहादुर यादव	गोरखपुर महानगर के नालों से समुचित जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।

श्री मुकेश श्रीवास्तव की नियम-301 की स्वीकृत सूचना नियम-300 के अन्तर्गत उठाये जाने के कारण अस्वीकार की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन 2012 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने अधिसूचना संख्या-842/90-सं-1-2013-52सं-2013 दिनांक 22 अगस्त, 2013 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2013 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वार्षिक लेखा 2009-2010 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन 2007-2008 एवं 2008-2009 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखा।

सिंचाई मंत्री ने लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-7/2003 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

सभापति, सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 129वां (एक सौ उन्तीसवां) प्रतिवेदन जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा सिंचाई विभागों के वर्ष 1987 से वर्ष 2010 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत किया।

सभापति, सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 130वां (एक सौ तीसवां) प्रतिवेदन जो ऊर्जा, लोक निर्माण, समाज कल्याण, राजस्व, महिला कल्याण, चीनी उद्योग, खाद्य एवं रसद तथा औद्योगिक विकास विभागों के वर्ष 1989 से वर्ष 2010 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत किया।

श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 16 सितम्बर, 2013 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 17 सितम्बर, 2013 से दिनांक 20 सितम्बर, 2013 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 19 सितम्बर, 2013 को भूतपूर्व सदस्यों एवं विशिष्ट महानुभाव के निधन के निर्देश की सूचनायें ली जायं।

2-दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को नियम-103 के समस्त प्रस्ताव एवं डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा एक घण्टे की चर्चा हेतु ग्राह्य सूचना से सम्बन्धित मदें ली जायं।

3-तद्नुसार दिनांक 17 सितम्बर, 2013 से 20 सितम्बर, 2013 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

<u>सितम्बर, 2013</u>

17 मंगलवार (विश्वकर्मा पूजा का अवकाश) बैठक नहीं होगी।

18 बुधवार **<u>1-12.20 बजे अपराह्न</u>**

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण।

2-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(क) उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013

(ख) उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013

(ग) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 तथा

(घ) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2013

19 गुरुवार 1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें।

2-वित्तीय वर्ष 2013-2014 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन उस पर विचार एवं उसका पारण।

3-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(क) उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 तथा

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013

20 शुक्रवार 1-विधायी कार्य।

2-डा0 धर्मपाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर आधे-आधे घण्टे की चर्चा :-

(1) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर में लगातार गिर रहे भू-गर्भ जल-स्तर को रोकने हेतु यमुना नदी पर बैराज का निर्माण किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

सितम्बर, 2013

(2) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर के यमुना पार स्थित शहरी क्षेत्र के लिये पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(3) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि आगरा महानगर में यातायात की सुविधा हेतु मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(4) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर को सूचना प्रौद्योगिकी नगर (आई0टी0हब) बनाये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(5) ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि आगरा महानगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(6) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर में व्याप्त ट्रैफिक जाम की समस्या का निदान शीघ्र किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

3-डा0 अरुण कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :-

''यह सदन प्रदेश सरकार से सिफारिश करता है कि बरेली महानगर के संजयनगर, गोपालनगर, गोसाई गौटिया, दुर्गानगर, सैनिक कालोनी आदि आस-पास के मोहल्लों में लकड़ी के बल्लियों पर केबिल डालकर की जा रही विद्युत आपूर्ति को बिजली के खम्भे लगाकर विद्युत आपूर्ति कराई जाय।''

4-श्री अखिलेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :-

''यह सदन राज्य सरकार से प्रस्ताव करता है कि जनपद देवरिया में एक सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल का निर्माण यथाशीघ्र समयबद्ध तरीके से करवाया जाना सुनिश्चित करें।''

5-श्री सतीश महाना, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि कानपुर के बढ़ते हुये स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुये कानपुर महानगर के दक्षिणी क्षेत्र को नया जिला बनाया जाय।''

6-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा एक घण्टे की चर्चा हेतु ग्राह्य निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

''पूर्वांचल सहित प्रदेश के जनपदों में दिमागी बुखार न फैले इसकी आवश्यक व्यवस्था तथा रोगग्रस्त हो जाने पर बच्चों को तत्काल प्रभावी चिकित्सा व्यवस्था के माध्यम से जीवन रक्षा करने के सम्बन्ध में।''

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।'' प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) विधेयक, 2013 पुरःस्थापित किया।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने यह प्रस्ताव किया कि ''यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2004 की धारा-3 की उपधारा (3) के खण्ड (घ) और (ङ) के अनुसार एक मुस्लिम सुन्नी सदस्य एवं एक मुस्लिम शिया सदस्य, विधान मण्डल के दोनों सदनों से निर्वाचन करें।'' प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने यह प्रस्ताव किया कि ''यह सदन उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए एक मुस्लिम सुन्नी सदस्य एवं एक मुस्लिम शिया सदस्य का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 18 सितम्बर, 2013 को स्वीकृत हुआ है, के अनुसरण में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, उक्त उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, एक मुस्लिम सुन्नी सदस्य एवं एक मुस्लिम शिया सदस्य का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, मा0 सभापति, विधान परिषद् से परामर्श कर विधान मण्डल के सदस्यों में से एक मुस्लिम सुन्नी सदस्य एवं एक मुस्लिम शिया सदस्य का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चिय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।'' प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने अपना विशेषाधिकार प्रकरण उठाते हुए कहा कि 16 सितम्बर को इलाहाबाद जाते समय रायबरेली में उन्हें प्रशासन द्वारा रोका गया इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि संविधान भी कानून सम्मत कार्यों के लिये अनुमति देता है।

आज नियम-56 के अन्तर्गत कुल 27 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जो सभी कार्य-स्थगन के रूप में अग्राह्य हुईं।

श्री हुकुम सिंह ने नियम-56 की प्रथम सूचना पर ग्राह्यता के स्थान पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

श्री अध्यक्ष ने चर्चा स्वीकार करते हुए कहा कि नियम-56 में चर्चा दो घंटे से अधिक नहीं हो सकती है।

जनपद मुजफ्फरनगर स्थित गांव कबाल/मलिकुपरा में दिनांक 27-8-2013 को घटित घटना के उपरान्त मुजफ्फरनगर सहित निकटवर्ती जनपदों में हुई आगजनी एवं हत्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नेता विरोधी दल, श्री हुकुम सिंह, श्री प्रदीप माथुर, श्री अनीसुर्रहमान आदि द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत अभिसूचित चर्चा नेता विरोधी दल के भाषण से आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों/मंत्रियों ने चर्चा में भाग लिया :--

1-श्री हुकुम सिंह,

2-बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी),

3-श्री प्रदीप माथुर,

4-संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति व नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज राज्य मंत्री (श्री चितरंजन स्वरूप),

5-श्री दलवीर सिंह,

6-डा0 संग्राम यादव,

7-मो0 अयूब डा0,

8-पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) तथा

9-सुश्री उमा भारती।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) ने सुश्री उमा भारती द्वारा किये गये भाषण के अन्तर्गत कतिपय शब्दों को आपत्तिजनक बताते हुए कार्यवाही से निकाले जाने का अनुरोध किया जिस पर श्री अध्यक्ष ने कहा जो असंवैधानिक होगा उसे निकलवा दिया जायेगा।

श्री पंकज मलिक एवं श्री प्रमोद तिवारी ने भी चर्चा में भाग लिया।

संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखा।

श्री हुकुम सिंह ने स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

इसी मध्य चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिशु कल्याण राज्य मंत्री ने यह प्रस्ताव किया कि ''उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।''

श्री हुकुम सिंह ने संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण से असन्तुष्ट होकर दल सहित सदन से बहिर्गमन की घोषणा की। इस पर संसदीय कार्य मंत्री के अनुरोध पर श्री हुकुम सिंह ने सदन से अपने दल के सदस्यों सहित बहिर्गमन नहीं किया।

तदुपरान्त संसदीय कार्य मंत्री एवं मुख्य मंत्री ने मुजफ्फरनगर प्रकरण पर शासन का पक्ष रखा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया।

''उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। ''

इसी मध्य 04 बजकर 02 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मदन चौहान पीठासीन हुए।

संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ एवं मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-7 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिशु कल्याण राज्य मंत्री ने यह प्रस्ताव किया कि ''उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पशुधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :--

''उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।''

संशोधन कर्त्ता सदस्यों के सदन में उपस्थित न होने के कारण संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ।

तदुपरान्त मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

पशुधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :--

''उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाय।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री ने यह प्रस्ताव किया कि :--

''उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-13 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :--

''उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाय।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने यह प्रस्ताव किया कि :--

''उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :--

''उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आज दिनांक 18-9-2013 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 66 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

क्र0सं0	नाम	विषय
1	श्री राधे लाल रावत	बाराबंकी के थाना जहांगीराबाद के ग्राम लोहरवा निवासी श्री हरनाम वर्मा की पुत्री का दिनांक 22-6-2013 को हुए अपहरण के सम्बन्ध में,
2	श्री कमाल युसुफ मलिक	जनपद सिद्धार्थनगर के थाना गौल्हौरा में बढ़ते अपराध पर पुलिस द्वारा नियंत्रण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

इस मध्य 04 बजकर 16 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

3	श्री जय प्रकाश अंचल	जनपद बलिया में बैरिया क्षेत्रान्तर्गत घाघरा एवं गंगा नदी की कटान से कतिपय ग्रामों को बचाये जाने हेतु बंधे एवं ठोकरों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :--

1	श्री मनोज कुमार	जनपद चन्दौली में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सा हेतु मूलभूत सुविधायें उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2	श्री सुदेश शर्मा	जनपद हापुड़ की विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के ग्राम अतरौली के निर्दोष बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं पर दिनांक 20-8-2013 को श्री अमित नागर, सी0ओ0 पिलखुआ द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3	श्रीमती अनुप्रिया पटेल	जनपद बाराबंकी के त्रिवेदीगंज ब्लाक के ग्राम सभा जौरास निवासी क्षेत्र पंचायत सदस्य राम मनोरथ वर्मा की हत्या के नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने के सम्बन्ध में।
4	श्री रविन्द्र जायसवाल	जनपद वाराणसी में गंगा व वरूणा में आई भयंकर बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को राहत राशि दिये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री राजेश त्रिपाठी	जनपद गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस महामारी के रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में।
6	श्री जगपाल सिंह	सहारनपुर के किसानों के गन्ने के मूल्य का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी	जनपद-बस्ती में संचालित बस्ती चीनी मिल को बंद किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
8	श्री सुल्तान बेग	शहीद फौजी मो0 कासिद खान निवासी-कंजादासपुर जनपद-बरेली को आर्थिक मदद दिलाए जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :--

1	श्री सुधाकर	बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में उत्पन्न अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2	श्री प्रदीप माथुर	मथुरा में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के गतिशील न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

जनपद बलिया के जनहित में वाराणसी मण्डल में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में श्री जियाउद्दीन रिजवी द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला क्षेत्रान्तर्गत टी0टी0एस0पी0 टंकियों के अधूरे निर्माण को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश बाबू द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन अपराह्न 04 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

खण्ड–486, अंक–2
बुधवार, 27 भाद्रपद, शक संवत् 1935
(18 सितम्बर, 2013 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2013)

(खण्ड 486 में 4 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2013

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
जनपद मुजफ्फरनगर में दिनांक 27 अगस्त, 2013 को घटित घटना नियम विषयक नियम-56 की सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग	7-9
प्रश्नोत्तर	9-91
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतिकरण	92
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	92-93
अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देश एवं जारी शासनादेशों के बावजूद अधिकारियों द्वारा मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार एवं प्रोटोकाल का पालन न करने एवं पालनीय नियमों का उल्लंघन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	93-96
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-14 के अनुसार प्रत्येक वर्ष में विधान सभा के 3 अधिवेशन अर्थात् आय-व्ययक, वर्षाकालीन शीतकालीन अधिवेशन एवं 90 दिन के उपवेशन बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	96-97
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	97-98
जनपद रामपुर की तहसील मिलक में 132 के0वी0ए0 उपकेन्द्र की स्थापना एवं अन्य विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी समस्यायें दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	98-99
जनपद फिरोजाबाद की बहुमूल्य धरोहर को संरक्षित किये जाने हेतु राजकीय पुरातत्व संग्रहालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	99
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के वार्ड संख्या-3 की गली नं0-3, 4 व 5 की सड़कें नीचे होने के कारण हो रहे जल भराव की समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	99
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास में हररामपुर से खैर तक के सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	99
जनपद वाराणसी नगर की विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	100
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी में विद्युत आपूर्ति शहरी मानकों के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	100-101

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद वाराणसी में वरुणा नदी पर स्थित भरथरा पिसौरा पुल सराय मोहाना पुल, कोरौत पुल तथा इसरवार पुल के अधूरे कार्य की पूरा कराके तत्काल पुल चालू कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	101
जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	101-102
जनपद चन्दौली के किसानों की सिंचाई सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	102
बरेली तथा आस-पास के क्षेत्रों में संक्रमित खून बेचे जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	102-103
जनपद आगरा की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	103
जनपद गाजियाबाद के कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	103-104
गोरखपुर महानगर के नालों से समुचित जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	104
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन, 2012 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)...	104
उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2013 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	104
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वार्षिक लेखा 2009-2010 (सदन के पटल पर रखा गया)	105
उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन 2007-2008 एवं 2008-2009 (सदन के पटल पर रखे गये)	105
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-7/2003 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	105
उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 129वां (एक सौ उन्तीसवां) प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	105
उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 130वां (एक सौ तीसवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	105-106

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	106-108
उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई संशोधन विधेयक, 2013 (पुरःस्थापित)	108
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् में कार्य करने के लिए एक मुस्लिम सुन्नी सदस्य एवं एक मुस्लिम शिया सदस्य को विधान मण्डल के दोनों सदनों से निर्वाचित करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	109
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् में कार्य करने के लिए एक मुस्लिम सुन्नी सदस्य एवं एक मुस्लिम शिया सदस्य को निर्वाचन करने के स्थान पर मा0 अध्यक्ष विधान सभा को मा0 सभापति विधान परिषद् से परामर्श कर विधान मण्डल के सदस्यों में से नाम-निर्देशन हेतु प्राधिकृत करने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	109-110
श्रीमती अनुप्रिया पटेल, सदस्य, विधान सभा को इलाहाबाद जाते समय रायबरेली में रोके जाने विषयक विशेषाधिकार का प्रकरण	110-111
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	111-112
जनपद मुजफ्फरनगर स्थित गांव कबाल/मलिकुपुरा में दिनांक 27-8-2013 को घटित घटना के उपरान्त मुजफ्फरनगर सहित निकटवर्ती जनपदों में हुयी आगजनी एवं हत्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-56 के अन्तर्गत दो घण्टे की चर्चा (जारी)	112-156
उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013 (जारी)... ...	156
जनपद मुजफ्फरनगर स्थित गांव कबाल/मलिकुपुरा में दिनांक 27-8-2013 को घटित घटना के उपरान्त मुजफ्फरनगर सहित निकटवर्ती जनपदों में हुयी आगजनी एवं हत्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-56 के अन्तर्गत चर्चा	156-161
उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013 (पारित) ...	161-166
उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 (पारित)	166-168
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013	168-174
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अभिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2013 (पारित) ...	174-175
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	175-177
जनपद बलिया को जनहित में वाराणसी मण्डल में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में श्री जियाउद्दीन रिजवी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	177-178

विषय				पृष्ठ-संख्या
जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला क्षेत्रान्तर्गत टी0टी0एस0पी0 टंकियों के अधूरे निर्माण को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश बाबू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य	...	...	...	178-179

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2013

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-367

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय मिश्र 'टेनी' श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय श्री, — वाराणसी
7. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
8. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
9. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
10. अजीमुलहक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
11. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
12. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
13. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
14. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
15. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
16. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
17. अनुप्रिया पटेल, सुश्री — वाराणसी
18. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
19. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
20. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
21. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
22. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
23. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
24. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
25. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
26. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
27. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
28. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
29. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
30. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
31. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
32. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
33. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
34. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
35. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
36. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
37. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
38. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
39. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
40. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
41. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
42. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
43. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
44. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
45. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
46. आशीष यादव, श्री — बदायूं
47. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
48. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
49. इकबाल, श्री — बिजनौर
50. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
51. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
52. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
53. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी

54. इन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
55. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
56. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
57. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
58. उदयराज, श्री उन्नाव
59. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
60. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
61. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
62. उमा भारती, सुश्री महोबा
63. उमाशंकर, श्री बलिया
64. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
65. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
66. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
67. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
68. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
69. कमाल अख्तर, श्री ज्योतिबाफूले नगर
70. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
71. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
72. काली चरन सुमन, श्री आगरा
73. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
74. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
75. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
76. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
77. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री कौशाम्बी
78. कैलाश, श्री गाजीपुर
79. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
80. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
81. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
82. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
83. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
84. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
85. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
86. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
87. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
88. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
89. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
90. गोमती यादव, श्री लखनऊ
91. गोरख पासवान, श्री बलिया
92. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
93. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
94. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
95. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
96. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
97. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
98. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
99. जगपाल, श्री सहारनपुर
100. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
101. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
102. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
103. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
104. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
105. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
106. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
107. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
108. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
109. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
110. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
111. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
112. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
113. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
114. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
115. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
116. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
117. दलजीत सिंह, श्री बांदा
118. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
119. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर

120. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
121. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद,
122. दीप नारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
123. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
124. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
125. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
126. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
127. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
128. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
129. धर्मराज, श्री बाराबंकी
130. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
131. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
132. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
133. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
134. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
135. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
136. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
137. नारद राय, श्री बलिया
138. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
139. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
140. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
141. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
142. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
143. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
144. पिंकी सिंह, श्रीमती भीमनगर
145. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
146. पीतमराम, श्री पीलीभीत
147. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
148. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
149. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
150. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
151. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
152. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
153. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
154. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
155. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
156. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
157. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
158. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
159. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
160. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', सुश्री देवरिया
161. फेरन लाल, श्री ललितपुर
162. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
163. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
164. बदलू खां, श्री उन्नाव
165. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
166. बाबू खां, श्री हरदोई
167. बाबूलाल, श्री गोण्डा
168. बावन सिंह, श्री गोण्डा
169. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
170. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
171. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
172. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
173. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
174. बैजनाथ, श्री मऊ
175. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
176. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
177. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
178. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
179. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
180. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
181. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
182. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
183. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
184. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
185. मनबोध, श्री देवरिया
186. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद

187. मनीष रावत, श्री सीतापुर
188. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
189. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
190. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
191. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
192. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
193. महावीर सिंह कुं0 हरदोई
194. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
195. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
196. महेश शर्मा, डा0 गौतमबुद्धनगर
197. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
198. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
199. मानपाल सिंह, श्री काशीराम नगर
200. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
201. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
202. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
203. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
204. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
205. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
206. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
207. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
208. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
209. मो0 आसिफ जाफरी,सी0ए0, श्री कौशाम्बी
210. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
211. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
212. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
213. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
214. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
215. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
216. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
217. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
218. यासर शाह, श्री बहराइच
219. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
220. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
221. योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भइया', श्री गोण्डा
222. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
223. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
224. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
225. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
226. रणजीत सुमन, श्री एटा
227. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
228. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
229. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
230. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
231. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
232. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
233. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
234. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
235. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
236. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
237. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
238. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
239. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
240. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
241. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
242. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
243. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
244. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
245. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
246. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
247. राजेश अग्रवाल, श्री मेरठ
248. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
249. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
250. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
251. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
252. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव

253. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
254. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
255. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
256. राम करन आर्य, श्री बस्ती
257. राम खिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
258. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
259. राम गोविन्द, श्री बलिया
260. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
261. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
262. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
263. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
264. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
265. राम मगन, श्री बाराबंकी
266. राममूर्ती वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
267. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
268. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
269. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
270. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
271. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
272. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
273. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
274. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
275. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
276. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
277. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
278. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
279. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
280. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
281. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
282. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
283. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
284. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
285. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
286. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
287. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
288. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
289. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
290. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
291. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
292. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
293. विजय सिंह, श्री रामपुर
294. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
295. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
296. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
297. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
298. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
299. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
300. वीरपाल राठी, श्री बागपत
301. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
302. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
303. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
304. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
305. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
306. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
307. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
308. शाकिर अली, श्री देवरिया
309. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
310. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
311. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
312. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
313. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
314. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
315. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
316. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
317. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर

318. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
319. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
320. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
321. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
322. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
323. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
324. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
325. संजय कपूर, श्री रामपुर
326. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
327. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
328. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
329. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
330. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
331. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
332. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
333. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
334. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
335. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
336. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
337. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
338. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
339. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
340. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
341. सियाराम सागर, डा0 बरेली
342. सीमा, श्रीमती जौनपुर
343. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
344. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
345. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
346. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
347. सुधाकर, श्री मऊ
348. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
349. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
350. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
351. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
352. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
353. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
354. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
355. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
356. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
357. सुल्तान बेग, श्री बरेली
358. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
359. सैय्यद कासिम हसन, श्री फतेहपुर
360. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
361. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
362. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
363. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
364. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
365. हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर
366. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
367. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन), पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव), कारागार, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, किराया नियंत्रण उपभोक्ता संरक्षण, बाट माप मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (श्री राम सकल गूजर) भी सदन में उपस्थित थे।

जनपद मुजफ्फरनगर में दिनांक 27 अगस्त, 2013 को घटित घटना नियम विषयक नियम-56 की सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, आपसे यह अनुरोध है कि मुजफ्फरनगर की घटना पर हम 16 तारीख को मान्यवर, हम लोग चर्चा कराने की मांग कर रहे थे। लेकिन सदन अव्यवस्थित होने के नाते चर्चा नहीं हो सकी थी। चूंकि मुजफ्फरनगर की घटना से तमाम तरीके की भ्रांतियां भी पैदा हो रही हैं इसलिये इस पर मान्यवर प्रश्नकाल को स्थगित करके हम चर्चा कराये जाने की मांग करते हैं। जिससे कि मुजफ्फरनगर की घटना से जो आज पूरे प्रदेश में हिन्दू मुस्लिम सौहार्द टूटने की शुरुआत हुई है उस पर तत्काल विराम लगाया जा सके। हिन्दु मुस्लिम सौहार्द स्थापित किया जा सके और साथ ही साथ ही फिर से भाईचारे का समाज स्थापित कराने के लिए हम यहां से अपील करें जिससे कि पूरे प्रदेश में हिन्दू मुस्लिम सौहार्द को तार-तार करने के लिए जो साम्प्रदायिक शक्तियां सिर उठा रही हैं उनका सिर कुचल दिया जाये और ऐसी ताकतों को जमीदोज कर दिया जाये। इसलिए मान्यवर, हम इस पर आपसे चर्चा कराने की मांग करते हैं इसमें चर्चा की मांग स्वीकार कर लें और इसमें सभी सत्तापक्ष और विपक्ष की बातें विस्तार से आ जायें तो जिससे कि आगे की कार्यवाही सुचारु ढंग से चल सके। यह मेरा अनुरोध है।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है मैं उसी पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, कभी-कभी घटनाएं जिसमें समस्त देश और प्रदेश की सुरक्षा का प्रश्न होता हैं आज सामन्जस्य बिल्कुल जीर्ण-शीर्ण हो चुका है तनाव पैदा हो चुका है। घटनायें हो रही हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और कुछ नई परतें खुलकर भी आ रही हैं बहुत दिनों से प्रचार किया जा रहा था कि महापंचायत होने से हिंसा होगी, महापंचायत में फलां ने भाषण दे दिया महापंचायत में फलां ने इशारा कर दिया। अब सामने यह आया है कि महापंचायत तो केवल बहाना था हिंसा की असली जड़ मान्यवर, सचिवालय में बैठी हुई थी। हिंसा की असली जड़ इस सचिवालय में बैठी हुई थी मान्यवर, आज सारे देश के सामने यह प्रश्न खड़ा हो गया अगर प्रदेश के मंत्री..... (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी सारी बात आ गयी। बैठिये-बैठिये। अब माननीय हुकुम सिंह आप बैठ जायें। नियमों में है वह चर्चा की बात है और यह नियम-56 में आपका आया हुआ है तो नियम-56 जब आयेगा तब आप उस पर बोलियेगा। हम उसको कहां अस्वीकार कर रहे हैं। वह चर्चा के लिए आ रहा है। चर्चा तो करिये। अब आपकी बात हो गयी। माननीय हुकुम सिह जी यह नियम नहीं है। आप उपाध्यक्ष भी रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं नियमों को अच्छी तरह से जानते हैं। नियमों के अन्तर्गत जब आपने नियम-56 के अन्तर्गत दिया हम तो परसों ही उस पर चर्चा कराने के लिए आप लोगों का नाम बुला रहे थे। आप तैयार नहीं हुए चर्चा कराने के लिए। यह आ जाने दीजिये। यह प्रश्न आ रहा है जितनी आप चाहें चर्चा करिये। हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। नियमों के अन्तर्गत जो समय है आप उस समय के अन्तर्गत जितनी अपनी बरत कहना चाहेंगे, कह लेंगे।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष की बात का समर्थन करता हूं। यह इतना गंभीर विषय है कि इस पर चर्चा की जानी बहुत आवश्यक है। कुछ ताकतें ऐसी है जो प्रदेश में हिन्दू मुसलमान को लड़ाना चाहती हैं। इस तरीके की ताकतों का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप चर्चा करायें, प्रश्नकाल को स्थगित करके जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं पूरी बात से सहमत हूं किसी बात से असहमत नहीं हूं। लेकिन आपका ध्यान कदाचित आकर्षित करना चाह रहा हूं। आप अपनी कार्यवाही देख लें। 16 तारीख को 12 बजकर 45 मिनट पर आपने इस पर चर्चा प्रारम्भ करा दी थी। उसकी असंशोधित प्रति मेरे पास है। जब चर्चा होगी तो विस्तार से हम सभी को उस पर अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। हम सभी अपनी बात कह लेंगे। मान्यवर, उससे पहले उस विषय को जो हटाना चाहें किसी सहारे से तो सीधे-सीधे समझ लीजिएगा कि मुजफ्फरनगर में कोई चर्चा नहीं कराना चाहता तो अपने ऊपर लगे काले दामन को यहां दिखने न पाये इसलिए चर्चा नहीं चाहता। कुछ लोग मान्यवर सीडी एक्सपर्ट है मान्यवर। पहले बंटवाते है दंगा कराते हैं और फिर दूसरी सीडी के माध्यम से धारा को मोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आप एक काम करें मेरा अनुरोध है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि जब चर्चा प्रारम्भ हो गयी है तो इस पर पूरी चर्चा कराये और चर्चा कराते वक्त हर कोई, समय की सीमा भी न रखें मान्यवर, 3 घन्टे-4 घन्टे आने दे लेकिन उन ताकतों को, साम्प्रद्रायिक ताकतों को बेनकाब होने दें जो उत्तर प्रदेश को जलाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिकता पैदा करना चाहते हैं। मान्यवर, इस विषय से कोई, अगर कोई हटाना चाहते हैं किसी सहारे तो निश्चित रूप से वह सच्चाई का सामना करने से डर रहा है इसलिए विषय को हटाया जा रहा है।

(श्री हुकुम सिंह के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब हो गयी बात अब आ गयी बात। माननीय हुकुम सिंह जी, जब चर्चा कराने को तैयार हैं जो आप काहे को बार-बार उसी को कर रहे हैं। चर्चा होगी, चर्चा कराने के लिए नियम है, इस नियमावली में नियम बना है नियम 56 जब आयेगा तब आप पूरी चर्चा करिये। परसों तो मैंने आपको बुलाया था चर्चा के लिए तो आप चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुए।

नहीं, नहीं, आप बैठ जायें, थोड़ा चलने दीजिये तब चर्चा करियेगा।

(घोर व्यवधान)

आप लोग चर्चा कराना नहीं चाह रहे हैं इसलिए यह व्यवधान कर रहे हैं। हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, सरकार भी चर्चा कराने को तैयार है, आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, अब यह क्या हो रहा है, चर्चा से क्यों भाग रहे हैं ?

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य सदन के वेल में आकर मा0 संसदीय कार्य मंत्री को बरखास्त करने के नारे लगाने लगे जिससे सदन के घोर व्यवधान बना रहा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

आप लोग चर्चा कराना नहीं चाहते हैं। मौर्या जी, आप चले तो अपने आसन पर, जब चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं और उसका इसमें नियम है। जियमों के अन्तर्गत आइये और पूरी बात कहिये, आप बात नहीं करना चाहते हैं, आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप लोग चर्चा से भाग रहे हैं इसलिए वेल में आ गये हैं। जब चर्चा कराने के लिए हम तैयार हैं उसका एक नियम है। यह औपचारिकता है, औपचारिकता के पूर्ण होने के बाद पूरी चर्चा कराई जायेगी।

(सदन में वेल में आये हुए मा0 सदस्य मा0 संसदीय कार्य मंत्री की बराखास्तगी के नारे लगाते रहे)

आप चले अपने आसन पर चलें, हुकुम सिंह जी यह बात अच्छी नहीं है।

माननीय हुकुम सिंह जी, इनको वापस बुलाइये और आइये, विषयों पर आइये चर्चा को हम तैयार हैं। आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं इसलिए वेल में आ करके चर्चा से भाग रहे हैं। आप चलिये, चलिये, अपनी जगह पर चलिये। मौर्या जी, आप लोग अपनी जगह पर चलिये, औपचारिकताएं पूर्ण हो जाने दीजिए, पूरी चर्चा के लिए हम तैयार बैठे हैं। हमने परसों ही आप लोगों से कहा था चर्चा करने के लिए, आप लोग चर्चा से भाग रहे थे, आप चर्चा कराना नहीं चाहते हैं, चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं यह बात अच्छी नहीं है। अच्छी बात नहीं है। (घोर व्यवधान)

मैं सदन को आधे घन्टे के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घन्टे के लिए स्थगित कर दी। 11 बजकर 40 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 19 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जस्टिस जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जनपद आगरा में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हेतु प्रस्ताव भेजने की मांग

**1- डा0 धर्मपाल सिंह,, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिये केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1981 में जस्टिस जसवन्त सिंह आयोग का गठन किया गया था तथा आयोग द्वारा वर्ष 1986 में आगरा को उपयुक्त स्थल मानते हुये हाईकोर्ट बेंच की स्थापना आगरा में किये जाने की सिफारिश की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार जस्टिस जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुये आगरा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

जी हां।

जी नहीं।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 (संघ सूची) की प्रविष्टि संख्या 78 की व्यवस्था के अनुसार उच्च न्यायालय, उसकी खण्डपीठ की स्थापना तथा क्षेत्राधिकार का प्रकरण केन्द्र सरकार के विचार का बिन्दु है अतः इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने हेतु भारत सरकार ही सक्षम है।

इस सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 द्वारा भारत के प्रधान मंत्री जी से दिनांक 7-11-1994 एवं दिनांक 5-9-1995 को यह अनुरोध किया गया है कि वह जिस स्थान पर उपयुक्त समझें मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना के विषय में निर्णय लेकर राज्य सरकार को अवगत करायें जो अद्यतन अप्राप्त है।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में नदियों के बढ़ते जल स्तर से होने वाले नुकसान रोकने के उपाय

*01-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, डा0 धर्मपाल सिंह तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रतिवर्ष नदियों का जल स्तर बढ़ने से सैकड़ों गांव प्रभावित होते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इससे होने वाले नुकसान को रोकने के लिये कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास एवं जल संसाधन तथा परती भूमि विकास, राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

जी हां।

प्रदेश में बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने हेतु सरकार द्वारा प्रतिवर्ष राज्य पोषित/नाबार्ड पोषित/केन्द्र पोषित मद से धनराशि आवंटित की जाती है। इसके अतिरिक्त बाढ़ से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु दैवीय आपदा मद से भी धनराशि आवंटित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

*02-श्री हुकुम सिंह-

[4थे मंगलवार के ता00प्र0सं0-03 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के महानगरों में अघोषित विद्युत कटौती कम करने के उपाय

*03-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों में विद्युत आपूर्ति में कितने घण्टे की घोषित एवं अघोषित कटौती की जा रही है ? क्या उक्त कटौती को कम करने हेतु विद्युत विभाग द्वारा कोई सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश के महानगरों में 04 घंटे प्रतिदिन की ही घोषित विद्युत कटौती की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रिड की सुरक्षा एवं स्थानीय व्यवधान के कारण कभी-कभी विद्युत की आपूर्ति बाधित होती है।

जी हां।

नोट :-उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

विद्युत की कटौती को कम करने हेतु वर्ष 2013-14 में 1192 मे0वा0 तथा वर्ष 2014-15 में लगभग 3430 मे0वा0 अतिरिक्त उत्पादन होना सम्भावित है। इसी प्रकार आगामी वर्षों में राज्य क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र इत्यादि से उत्पादन और बढ़ाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में झोलाछाप डाक्टरों को चिन्हित कर दण्डित किये जाने की मांग

*04- श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा झोलाछाप डाक्टरों को चिन्हित किये जाने हेतु कोई ठोस कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो जनपद गौतमबुद्धनगर सहित प्रदेश में अब तक कितने झोलाछाप डाक्टरों को दण्डित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

जी हां।

जनपद गौतमबुद्धनगर में वर्ष 2013-14 में अब तक 11 झोलाछाप चिकित्सकों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई है, जिनमें से 05 के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

प्रदेश के अन्य जनपदों में झोलाछाप चिकित्सकों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के सहकारी एवं सरकारी तथा निजी चीनी मिलों पर किसानों के बकाये गन्ना मूल्य का व्याज सहित भुगतान कराये जाने की मांग

*05-श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री धर्मपाल सिंह, श्री वीरपाल राठी तथा श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सहकारी एवं सरकारी तथा निजी चीनी मिलों पर कितना-कितना रुपया गन्ना मूल्य किसानों का दिनांक 13-05-2013 तक बकाया है ? क्या सरकार उक्त बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान ब्याज सहित किसानों को समयबद्ध सीमा में करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

दिनांक 13-05-2013 की तिथि तक सहकारी एवं सरकारी चीनी मिलों तथा निजी क्षेत्र की मिलों पर (पेराई सत्र 1994-95 से 2012-13 की उक्त तिथि के सापेक्ष) बकाया की स्थिति निम्नानुसार है :--

क्रमसं0	चीनी मिल	दिनांक 13-05-2013 तक कुल बकाया धनराशि (करोड़ रु0)
1	निगम	शून्य
2	सहकारी	741.02
3	निजी	5602.71

प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान की कार्यवाही की जाती है।

पूर्वांचल के गोरखपुर मण्डल के इन्सेफलाइटिस से निपटने के उपाय

*06-श्री अजय कुमार लल्लू-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पूर्वांचल के गोरखपुर मण्डल में विगत कई वर्षों से इंसेफलाइटिस से सैकड़ों बच्चों की मृत्यु इलाज के अभाव में हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इससे निपटने के लिये कोई ठोस कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

पूर्वांचल में गोरखपुर मण्डल को सम्मिलित करते हुए इन्सेफलाइटिस से निपटने के लिए प्रतिवर्ष कार्य योजना बनायी जाती है। वर्ष 2013 में भी इन्सेफलाइटिस से निपटने के लिए रणनीति (कार्य योजना) तैयार की गयी है।

इन्सेफलाइटिस रोग से निपटने की रणनीति में प्रभावी उपचारात्मक एवं निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है :--

(1)-ग्राम्य स्तर पर जे0ई0/ए0ई0एस0 रोगियों की आरम्भिक अवस्था में खोज हेतु फीवर ट्रैकिंग किया जाना।

(2)-रोगी को तत्काल चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला चिकित्सालय में शैय्याओं की व्यवस्था तथा समुचित उपचार हेतु आवश्यक उपकरणों/औषधियों तथा चिकित्सकों की व्यवस्था करना।

(3)-रोगी को उपचार केन्द्र तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस की उपलब्धता।

(4)-रोगी के निवास क्षेत्र में निरोधात्मक कार्यवाही हेतु फॉगिंग किया जाना।

(5)-शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु नगरीय क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति का क्लोरीनेशन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इण्डिया मार्का-II हैण्ड पम्प की उपलब्धता।

(6)-ग्रामीण क्षेत्रों मे वाटर सील्ड शौंचलाय का निर्माण।

(7)-मच्छर पर नियंत्रण के लिए लार्वा-भक्षी, गम्बूसिया मछली का उपयोग।

(8)-रोगी की प्रयोगशाला जांच हेतु रक्त एवं सीरम नमूनों की जांच किये जाने की व्यवस्था।

(9)-नियमित टीकाकरण के अन्तर्गत 9 माह से 24 माह तक के बच्चों का जे0ई0 टीकाकरण किया जाना

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 मशीन की स्थापना कराये जाने की मांग

*07-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों से बहुत बड़ी संख्या में गम्भीर रूप से घायलों को उक्त अस्पतालों में सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0

की सुविधा न होने के कारण बड़े अस्पतालों में रेफर किया जाता है ? क्या सरकार को जानकारी है कि अधिकांश घायल बड़े चिकित्सालयों तक पहुंचते-पहुंचते दम तोड़ देते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिला अस्पतालों में सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 मशीन की स्थापना करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

अपरिहार्य परिस्थिति में आवश्यकतानुसार रेफर किया जाता है।

जी नहीं।

प्रदेश के 18 जिला/जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सी0टी0 स्कैन मशीन स्थापित एवं क्रियाशील है तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रदेश के 02 जिला चिकित्सालयों में सी0टी0 स्कैन मशीन स्थापित किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 10-06-2013 द्वारा रु0 2.00 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है तथा 09 जनपदों में सी0टी0 स्कैन मशीन स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राजकीय चिकित्सालयों में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों को स्थापित करना सम्बन्धित विशेषज्ञों, तकनीकी स्टाफ तथा प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भीषण गर्मी से सूख रहे तालाबों को जानवरों की प्यास बुझाने हेतु भरवाये जाने की मांग

*08-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण ग्राम पंचायतों के अधिकतर तालाब सूख गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि पानी न होने के कारण जानवर प्यास के कारण खेतों में दम तोड़ रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सूखे तालाबों को भरवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग द्वारा सरकारी नलकूपों/नहरों से उनके कमाण्ड क्षेत्र में पड़ने वाले सूखे तालाब-पोखरों को ग्रीष्म ऋतु में भरवाया गया है।

*09-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[1ले शुक्रवार के तारां0 प्र0 सं0-10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के विद्युतीकरण से वंचित गांवों के विद्युतीकरण कराये जाने की योजना

*10-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विद्युतीकरण से वंचित गांवों का विद्युतीकरण कराने के लिये सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रदेश के विद्युतीकरण से वंचित ग्रामों का विद्युतीकरण कराने के लिये निम्न योजना पूर्व से लागू है :--

1-100 से अधिक आबादी वाले अविद्युतीकृत मजरों के विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना।

2-डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजना में चयनित 500 से अधिक आबादी वाली बसावटों के विद्युतीकरण की योजना।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से फैल रही कतिपय बीमारियों के रोकथाम के उपाय

*11-श्री सुरेश राणा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी तेजी से कैंसर, पीलिया, गुर्दा रोग, पक्षाघात आदि गम्भीर बीमारियां बढ़ रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन बीमारियों की रोकथाम हेतु कोई प्रभावी कार्य-योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

उक्त रोगों समेत अन्य समस्त रोगों का पूरे प्रदेश के प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला चिकित्सालयों, संयुक्त चिकित्सालयों एवं अन्य समस्त राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार किया जाता है। ऐसी समस्त गम्भीर बीमारियों, जिनमें विशेषज्ञ उपचार की आवश्यकता पायी जाती है, उन समस्त रोगियों को विशेषज्ञ अस्पताल/मेडिकल कालेजों में संदर्भित किया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 2012 से भारत सरकार से 80 प्रतिशत वित्तीय सहायता तथा 20 प्रतिशत राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से प्रदेश के 9 जनपदों क्रमशः रायबरेली, सुलतानपुर, झांसी, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन में कैंसर, डायबटीज, स्ट्रोक व हृदय रोग से सम्बन्धित बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार हेतु नेशनल प्रोग्राम फार प्रीवेन्शन एण्ड कंट्रोल आफ कैंसर, डायबटीज, कार्डियोवैशकुलर डिजीज एण्ड स्ट्रोक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के उपकेन्द्रों से लेकर जिला स्तर तक कैंसर, डायबटीज, स्ट्रोक व हृदय रोग से सम्बन्धित बीमारियों के रोकथाम एवं उपचार की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त बी0पी0एल0 कार्ड धारक या गरीब मरीज जिनकी वार्षिक आय रु0 24,000/- तक है, को राज्य आरोग्य निधि योजना के अन्तर्गत प्रदेश के चिन्हित चिकित्सा संस्थानों में हृदय रोग व कैंसर गुर्दा व मूत्र रोग व अन्य रोगों के इजाज की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है।

उक्त के साथ ही बी0पी0एल0 कार्डधारक रोगियों को रु0 30,000/- तक के इलाज की सुविधा प्रदेश के जनपदों में चिन्हित निजी चिकित्सालयों मे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत मूल्य वृद्धि को कम करने की मांग

*12-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माह जून, 2013 में विद्युत विभाग द्वारा की गई विद्युत मूल्य वृद्धि को कम करने पर सरकार पुनर्विचार करेगी ? क्या सरकार मूल्य वृद्धि के कारणों को सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

लगभग ढ़ाई वर्षो से घरेलू एवं वर्ष 2004-05 से निजी नलकूप उपभोक्ताओं पर लागू विद्युत दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी थी। जबकि उक्त अवधि में अन्य खर्चों के अतिरिक्त ऊर्जा क्रय के मद में लगभग 43 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। सम्प्रति मूल्य वृद्धि को कम करना सम्भव नहीं है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में चिकित्सालय प्रबन्धक की नियुक्ति करने की मांग

*13-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के सभी चिकित्सालयों के बेहतर एवं विशेषज्ञता युक्त प्रबन्धन हेतु चिकित्सालयों में हास्पीटल एडमिनिस्ट्रेटर (चिकित्सालय प्रबन्धक) की नियुक्ति करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

(क) जी नहीं।

(ख) राजकीय चिकित्सालयों में प्रबन्धकों/प्रशासकों को नियुक्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रदेश में तमिलनाडु राज्य की तरह अति गरीबों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ

*14-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में तमिलनाडु राज्य की तरह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर अति गरीब व्यक्ति को भी देश के प्रसिद्ध अस्पतालों जैसे-अपोलो, मेट्रो, फोर्टिस में चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्ति एवं उनके परिवार के पांच सदस्यों के लिए फ्लोटर के आधार पर रु0 30,000/- तक की सूचीबद्ध सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों में भर्ती होकर इलाज कराने की सुविधा पूर्व से ही समस्त जनपदों में उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शिशुओं की जन्म एवं मृत्यु दर एवं लिंगानुपात की गिरावट को रोकने के उपाय

*15-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में शिशुओं की जन्म एवं मृत्यु दर क्या है ? क्या यह सही है कि जन्म की अपेक्षा कन्या मृत्यु अधिक होने के कारण लिंगानुपात में तेजी से गिरावट आ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने हेतु कोई योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

वर्तमान में एसआर0एस0 (सैमपिल रजिस्ट्रेशन सिस्टम) 2012 एवं एनुअल हेल्थ सर्वे 2011-12 के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशुओं की जन्म दर एवं मृत्यु दर निम्नवत् है :--

	अशोधित जन्म दर (प्रति वर्ष एक हजार जनसंख्या पर जन्मों की संख्या)			शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्में शिशुओं में से उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या)		
सर्वे का नाम	कुल	नगरीय	ग्रामीण	कुल	नगरीय	ग्रामीण
एस0आर0एम0 2012	27.4	23.5	28.4	53	39	56
एनुअल हेल्थ सर्वे 2011-12	25.0	20.0	26.4	70	53	73

वर्ष 2013-14 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के लिंग अनुपात में पिछले दशक 2001 की तुलना में वृद्धि हुई है, परन्तु बाल लिंग अनुपात (0 से 06 वर्ष की उम्र) अर्थात् 0 से 06 वर्ष के बच्चों में 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या में गिरावट आयी है। वर्ष 2001 में प्रदेश का लिंगानुपात 898 था, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 912 हो गया है, जबकि वर्ष 2001 में प्रदेश का बाल लिंग अनुपात (0 से 06 वर्ष की उम्र) 916 था, जो वर्ष 2011 में गिरकर 902 हो गया है।

प्रदेश के घटते हुए बाल लिंग अनुपात (0 से 06 वर्ष की उम्र) पर नियंत्रण प्राप्त करने तथा कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 उ0प्र0 में पूर्व से ही प्रभावी रूप से लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की चीनी मिलों को अधिक उपयोगी बनाने हेतु महाराष्ट्र की तर्ज पर करने की मांग

*16-डा0 अरुण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों को और अधिक उपयोगी बनाने के लिये बेहतर तकनीक का इस्तेमाल, विशेषकर महाराष्ट्र की चीनी मिलों की तर्ज पर, करने की योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

तकनीकी दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र में कोई विशेष अन्तर नहीं है।

प्रदेश की चीनी मिलों की उपयोगिता और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से चीनी मिलों द्वारा को-जेन प्लान्ट की स्थापना कर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान में निजी क्षेत्र की 57 चीनी मिलों में को-जेन प्लान्ट स्थापित है। इसी प्रकार प्रदेश में कुल 61 डिस्टलरी प्लान्ट स्थापित हैं जिसमें से 33 डिस्टलरी प्लान्ट चीनी मिलों में स्थापित हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा चीनी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए चीनी उद्योग, को-जेनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 घोषित की गई है, जिसके अन्तर्गत चीनी मिलों में को-जेन व आसवनी प्लान्ट स्थापित किये जाने पर विभिन्न मदों में छूट दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

*17-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में बढ़ती हुई जनसख्या के नियंत्रण हेतु कार्य योजना

*18-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या के नियंत्रण हेतु क्या सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या को एक समय-सीमा के अन्तर्गत नियंत्रित करने तथा प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की तर्ज पर प्रदेश की अपनी जनसंख्या नीति वर्ष 2000 में प्रख्यापित की गई है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2016 तक कुल प्रजनन दर को 2.1 के स्तर तक लाना है, जोकि वर्तमान में 3.7 (एन0एफ0एच0एस0-3) है। जनसंख्या पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नवत् गतिविधियां संचालित की जा रही हैं :--

अन्तराल विधियां-

- सेवा केन्द्रों पर खाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।
- सेवा केन्द्रों पर निरोध का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।
- सेवा केन्द्रों पर निःशुल्क आई0यू0डी0 380 ए का निवेशन किया जा रहा है, जो 10 वर्ष तक प्रभावी होती है।

अन्य गतिविधियां-

- प्रत्येक पुरुष नसबन्दी स्वीकारकर्ता को रु0 1100/- की धनराशि तथा प्रत्येक महिला नसबन्दी स्वीकारकर्ता को रु0 600/- की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है।
- परिवार कल्याण कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की सहभागिता हेतु जनपदों को अलग से धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है।

- नसबन्दी कार्यक्रम में पुरुषों की सहभगिता बढ़ाये जाने हेतु जनपदों में एन0एस0वी0 शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
- सुदूर क्षेत्रों में नसबन्दी शिविरों का आयोजन किया जाता है।
- प्रसव उपरान्त महिलाओं को नसबंदी करवाने अथवा अन्य परिवाार नियोजन विधियों के सम्बन्ध में सलाह प्रदान करने हेतु चयनित सेवा केन्द्रों पर संविदा पर परिवार कल्याण काउन्सलर की तैनाती की गयी है।
- नसबन्दी (महिला एवं पुरुष) स्पीकारकर्ताओं हेतु नसबन्दी उपरान्त मृत्यु, असफल नसबंदी व नसबंदी उपरान्त जटिलताओं हेतु परिवार नियोजन इनडेमनिटी योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

स्थायी विधियां-

जिला महिला/पुरुष चिकित्सालय, संयुक्त चिकित्सालय व मेडिकल कालेजों में नियमित रूप से तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियम दिवस पर निःशुल्क महिला एवं पुरुष नसबंदी की सेवाएं प्रदान की जाती है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद फैजाबाद में घाघरा नदी के किनारे पम्पिंग स्टेशन की स्थापना एवं नालों, पुलियों का निर्माण कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही

01-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में घाघरा नदी के किनारे रौनाही तटबंध नयेपुरा के पास पम्पिंग स्टेशन की स्थापना एवं महत्वपूर्ण मार्गों व नालों पर पुलिया का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर संयुक्त सचिव, सिंचाई अनुभाग-2 द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2013 को प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

परीक्षणोपरान्त कार्यवाही के बिन्दु सिंचाई विभाग से सम्बन्धित नहीं पाये गये। अतः सम्बन्धित विभागों को नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया है। प्रकरण परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के कस्बा अमीर नगर के बाबा टेढ़ेनाथ पैराणिक सिद्ध मन्दिर की भूमि पर अवैध कब्जा हटवाकर बाउण्ड्रीवाल करवाने की मांग

02-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के कस्बा अमीरनगर के पास बाबा टेढ़ेनाथ पौराणिक सिद्ध मन्दिर की जमीन पर कतिपय लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा

रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अतिक्रमण से बचाने हेतु पर्यटन स्थली की बाउण्ड्रीवाल तथा सौन्दर्यीकरण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राजस्व विभाग के साथ दिनांक 12-9-2013 को संयुक्त निरीक्षण में मंदिर एवं उसकी दीवार के इर्द गिर्द कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया।

जनपद लखनऊ के विवेकानन्द चिकित्सालय से डंडहिया मार्केट जाने वाले मार्ग के अतिक्रमण को हटवाकर सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने की मांग

03-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित विवेकानन्द चिकित्सालय, निराला नगर से गुलाचीन मन्दिर, अलीगंज को डंडहिया मार्केट होते हुए जाने वाले मार्ग पर किये गये अतिक्रमण को हटाकर क्या सरकार मानक के अनुसार मार्ग का चौड़ीकरण/निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग का चौड़ीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

04-श्री रामहेत भारती-

[दिनांक 16-09-2013 को अता0प्र0सं0-188 द्वारा उत्तरित]

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के ग्राम सभा कुण्डा कला के कतिपय गांवों को गंगा नदी के कटाव से रोकने के उपाय

05-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा कुण्डा कला, कुण्डा खुर्द, मवई इत्यादि गांवों का गंगा नदी से कटाव हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कटाव को रोकने का कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

नदियों के बहाव क्षेत्र बदलते रहने के कारण गांवों में कटाव होता है। यथा आवश्यक राहत एवं बचाव कार्य किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में शीतला मां के मन्दिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की मांग

06-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में स्थित विश्व प्रसिद्ध शक्ति पीठ शीतला मां के मन्दिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिये यात्री निवास, सुलभ काम्पलेक्स, नाली एवं सड़क निर्माण तथा विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन विभाग में जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में स्थित शक्ति पीठ शीतला मां मन्दिर स्थल के पर्यटन विकास की योजना की स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र आंवला के ग्राम शिवपुरी के निकट पान्टून पुल के स्थान पर सेतु निर्माण की मांग

07-श्री धर्मपाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के आंवला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम शिवपुरी के निकट रामगंगा नदी पर कैलाशगिरि मढ़ी के पास बने पान्टून पुल के स्थान पर सरकार सेतु का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद बरेली के आंवला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम शिवपुरी के निकट रामगंगा नदी पर कैलाश गिरि मढ़ी के पास वर्तमान में एक पान्टून पुल बना है। इस स्थान से लगभग 4 किमी0 डाउनस्ट्रीम में मीरगंज आंवला तहसील के अन्तर्गत गोराघाट भूड़ा हसनपुर मार्ग पर रामगंगा नदी पर सेतु निर्माण कार्य प्रगति में है। अतः नये दीर्घ सेतु निर्माण का औचित्य नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

लखनऊ से रायबरेली तथा इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण हेतु काटे गये वृक्षों के स्थान पर नये वृक्ष लगाये जाने की मांग

08-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 शासन द्वारा पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के लिये वृक्षारोपण कराये जाने की क्या नीति है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 में लखनऊ से रायबरेली तथा रायबरेली से इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 24बी के चौड़ीकरण की योजना में काटे गये वृक्षों के स्थान पर नये वृक्ष लगाये गये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक लगा दिये जायेंगे ?

श्री अखिलेश यादव-

पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के लिये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1998 में उ0 प्र0 राज्य वन नीति लागू की गई है, जिसके अनुसार 33 प्रतिशत भू-भाग वृक्षारोपण से आच्छादित किया जाना चाहिए।

जी नहीं।

मार्ग चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही नये वृक्ष लगाये जा सकेंगे।

जनपद इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगा नदी पर सेतु तथा कतिपय मुहल्लों पर फ्लाई ओवर सेतुओं का निर्माण कराये जाने की मांग

09-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बढ़ती आबादी तथा यातायात को दृष्टिगत रखते हुए इलाहाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग 96 (अयोध्या से इलाहाबाद) पर गंगा नदी पर एक सेतु तथा तेलियरगंज, धूमनगंज, आलोपीबाग आदि मुहल्लों में फ्लाई ओवर सेतुओं का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सेतु तथा फ्लाई ओवरों का निर्माण उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है। सम्प्रति इन स्थलों पर उक्त निर्माण की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के गन्ना किसानों को भुगतान का अनुपालन हेतु कड़ाई से पालन कराये जाने की मांग

10-श्री वीरपाल राठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गन्ना किसानों को प्रति वर्ष गन्ना भुगतान ऐक्ट के अनुसार 14 दिनों में भुगतान देने का प्राविधान है परन्तु उसका अनुपालन नहीं हो रहा है ? क्या सरकार उसके स्थान पर कोई नया ऐक्ट लाने या उस पर कड़ाई से अनुपालन करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

इस सम्बन्ध में कोई नया ऐक्ट सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। उ0 प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए गन्ना मूल्य भुगतान की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी उत्तर प्रदेश को बाढ़ एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सूखे से बचाने हेतु नदियों एवं नहरों को जोड़ने की योजना सम्बन्धी जानकारी

11-श्री वीरपाल राठी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को बाढ़ से एवं बुन्देलखण्ड व पश्चिमी प्रदेश को सूखे से बचाने हेतु प्रदेश के अन्तर्गत नदियों एवं नहरों को जोड़ने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बाढ़ एवं सूखे से निपटने के लिये नदियों को फीडर चैनल के माध्यम से जोड़कर बाढ़ नियंत्रण के साथ सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध कराया जाता है। पूर्व में निर्मित ऐसी कई परियोजनायें सफलता पूर्वक कार्य कर रही है।

जनपद अलीगढ़ के ग्राम गभाना की विद्युत सप्लाई की अलग-2 विद्युत दरों से वसूली की कार्यवाही

12-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के ग्राम गभाना व उसके आस-पास ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही ग्रामीण फीडर से विद्युत सप्लाई की जा रही है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि बिजली बिल की वसूली की दरें अलग-अलग निर्धारित हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि ग्राम गभाना में विद्युत वसूली की अलग दर कब से लागू है ? क्या सरकार ग्राम गभाना में बिजली बिल की वसूली अन्य ग्रामों के लिये निर्धारित दर के अनुसार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

गभाना टाउन की विद्युत आपूर्ति 33/11 के0वी0 गभाना विद्युत उपकेन्द्र से निकलने वाले 11 के0वी0 पोषक गभाना टाउन फीडर से की जाती है, जबकि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में हसनपुर ग्रामीण एवं गभाना ग्रामीण तथा कुलवा ग्रामीण फीडरों से विद्युत आपूर्ति की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत की दरें विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है। वर्तमान विद्युत दर दिनांक 10 जून, 2013 से प्रभावी है, जो ग्राम गभाना पर भी लागू है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम गभाना तहसील मुख्यालय है, जिसमें मीटर्ड विद्युत संयोजन टाउन फीडर से दिये गये हैं। ग्रामीण अनमीटर्ड एवं टाउन मीटर्ड हेतु निर्धारित विद्युत दरें अलग-अलग है।

जनपद अलीगढ़ की तहसील गभाना में विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण का कथित प्रकरण

13-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़, तहसील मुख्यालय गभाना पर 132 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र प्रस्तावित है ? यदि हां, तो सरकार इसका निर्माण कार्य कब तक आरम्भ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद अलीगढ़ तहसील मुख्यालय गभाना पर कोई 132 के0वी0 उपकेन्द्र प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

नये उपकेन्द्रों की स्थापना हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड की पारेषण कार्य समिति की दिनांक 08-04-2013 को सम्पन्न बैठक में उपरोक्त उपकेन्द्र की स्थापना पर गहन तकनीकी चर्चा के उपरान्त वर्णित क्षेत्र में अपेक्षित न्यूनतम विद्युत भार न होने तथा जिन प्राथमिक उपकेन्द्रों (132 के0वी0 खैर एवं सारसौल) से उक्त क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति की जाती है, अति भारित नहीं है और न ही निकट भविष्य में अतिभारिता की संभावना है, के कारण विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराने का निर्णय नहीं हो सका।

प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ने मूल्य का भुगतान कराये जाने की मांग

14-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गन्ना किसानों के गन्ने के मूल्य का वर्ष 2012-13 के पेराई-सत्र का भुगतान कब तक करवा दिया जायेगा ?

श्री अखिलेश यादव-

पेराई सत्र 2012-13 के अन्तर्गत दिनांक 12-09-2013 की स्थिति के अनुसार प्रदेश की चीनी मिलों पर कुल देय गन्ना मूल्य रुपया 22463.46 करोड़ के सापेक्ष रुपया 19951.18 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है जो कुल देय का 88.82 प्रतिशत है। वर्तमान में रु0 2512.28 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष है। अवशेष गन्ना मूल्य का प्रभावी/दैनिक अनुश्रवण करते हुये यथाशीघ्र भुगतान हेतु सरकार कटिबद्ध है।

जनपद फिरोजाबाद नगर में विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने की मांग

15-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद नगर में विद्युत अति भारिता की समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या से निजात दिलाने के लिये अम्बेडकर नगर रोड तथा ककरऊ की कोठी पर 33/11 के0वी0 के सब-स्टेशन बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

वर्तमान में अम्बेडकर नगर रोड 33/11 के0वी0 सब-स्टेशन के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। उसी के नजदीक ककरऊ की कोठी पर 33/11 के0वी0 2x5 एम0वी0ए0 उपकेन्द्र का निर्माण होना प्रस्तावित है। फिरोजाबाद नगर में स्थित 220 के0वी0 उपकेन्द्र क्षमता 2x100+1x60 (कुल क्षमता 260) एम0वी0ए0 है, को वृद्धि करके 3x100 (कुल क्षमता 300) एम0वी0ए0 किया जा रहा है। इसके साथ निर्माणाधीन 220 के0वी0 उपकेन्द्र सिरसागंज के ऊर्जीकृत होने के उपरान्त उपरोक्त द्वारा पोषित 132 के0वी0 उपकेन्द्र सिकोहाबाद व नसीरपुर का पोषण 220 के0वी0 सिरसागंज से आरम्भ हो जायेगा। इसके अतिरिक्त 220 के0वी0 उपकेन्द्र फिरोजाबाद, जो वर्तमान में 400 के0वी0 उपकेन्द्र पी0जी0सी0आई0एल0 मैनपुरी से पोषित है, को 765 के0वी0 उपकेन्द्र पी0जी0सी0आई0एल0, आगरा के माध्यम से पोषित करने की व्यवस्था की जा रही है। यह कार्य 765 के0वी0 उपकेन्द्र पी0जी0सी0आई0एल0, आगरा पर परिवर्तक की स्थापना तथा 220 के0वी0 तथा 200 के0वी0 फिरोजाबाद-शमशाबाद पोषक के लीलो का निर्माण पूर्ण हो जाने के उपरान्त सम्पन्न हो जायेगा।

उपरोक्त कार्यों के पूर्ण होने के उपरान्त फिरोजाबाद नगर की अतिभारिता समाप्त हो जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बिजली वितरण प्रणाली के निजीकरण की योजना

16-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बिजली वितरण प्रणाली का निजीकरण करने अथवा निजी क्षेत्र में फ्रेन्चायजी के माध्यम से विद्युत वितरण कराने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री अखिलेश यादव-

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के अन्तर्गत चार शहरों के वितरण क्षेत्र में पी0पी0पी0 मॉडल लागू कराने के सम्बन्ध में तकनीकी सलाहकार का चयन प्रक्रियाधीन है।

उत्तर प्रदेश के चार शहरों (गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर एवं वाराणसी) में वितरण क्षेत्र में पी0पी0पी0 माडल लागू करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए शासन द्वारा गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ एवं कानपुर शहरों में विद्युत वितरण क्षेत्रों में पी0पी0पी0 माडल लागू किये जाने एवं उन क्षेत्रों की फिजीबिलिटी स्टडी कराने के लिए तकनीकी कन्सलटेण्ट नियुक्ति किये जाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुपालन में तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रगति पर है। पी0पी0पी0 प्रक्रिया के माध्यम से निजी क्षेत्र के माध्यम से उक्त शहरों में वितरण के सम्बन्ध में फिजीबिलिटी स्टडी प्राप्त होने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में विलुप्त हो रहे जीवों को बचाने हेतु कार्य योजना

17-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विलुप्त हो रही गौरैया, तितली, मधुमक्खी आदि वन्य जीवों को बचाने हेतु सघन फलदार, झाड़ीदार पेड़ों का रोपण कराने पर एवं उपरोक्त विलुप्त हो रहे वन्य जीवों को बचाये रखने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

विभिन्न वृक्षारोपण योजनाओं के अन्तर्गत पौधों के रोपण द्वारा अनुकूल वातावरण प्रदान कर तथा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के सुसंगत प्राविधानों को लागू कर वन्य जीवों को बचाया जाता है।

वर्ष 2012-13 में वन विभाग द्वारा 3,92,90,146 (तीन करोड़ बानवे लाख नब्बे हजार एक सौ छियालिस) पौधों का रोपण कराया गया है, जिसमें विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के आधार पर उपयुक्त प्रजातियों का रोपण किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड खैराबाद में कतिपय क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग के निर्माण की मांग

18-श्री मनीष असीजा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड खैराबाद में बनेहटा-सदर सम्पर्क मार्ग एवं कनवाखेड़ा मार्ग से लालकुर्ती सम्पर्क मार्ग अत्यन्त जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों को बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

बनेहटा-सदर सम्पर्क मार्ग आंशिक भाग में क्षतिग्रस्त है।

कनवाखेड़ा मार्ग से लालकुर्ती सम्पर्क मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व के मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर की गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि0 की अनियमितता की जांच पर कार्यवाही सम्बन्धी जानकारी

19-श्री जियाउद्दीन रिजवी-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि0 जौनपुर की अनियमितताओं के लिये श्री राम प्रसाद सिंह, निवासी गमिरन जौनपुर की दिनांक 18-12-2008 को की गई शिकायत पर जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां जौनपुर द्वारा कराई गई जांच के आधार पर कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

शिकायती-पत्र में शिकायतकर्ता द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर की गयी शिकायत की जांच करायी गयी। जांचोपरान्त सहायक आयुक्त एवं सहायक, निबन्धक, जनपद-जौनपुर द्वारा प्रेषित की गयी आख्या के आधार पर कोई अनियमितता नहीं पायी गयी। जहां तक निकटतस्थ सगे-सम्बन्धियों को डायरेक्टर/सदस्य बनाये जाने का प्रश्न है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम 453(1) (ढ ढ) ''कोई व्यक्ति किसी समिति की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य होने या बने रहने का पात्र न होगा, यदि वह समिति के किसी वैतनिक कर्मचारी का निकट सम्बन्धी हो'', को अधिसूचना संख्या-1309/49-1-2006-500(388)/05 दिनांक 02-05-2006 द्वारा उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली, 1968 से निकाल दिया गया है। उक्त संशोधन हो जाने के फलस्वरूप कार्यवाही का औचित्य नहीं पाया गया। वर्तमान प्रबन्ध कमेटी का निर्वाचन वर्ष 2011 में सम्पन्न हुआ।

जनपद गाजियाबाद व पंचशील नगर की मोदीनगर से हापुड़ क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

20-श्री गजराज सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद व पंचशीलनगर की मोदीनगर से हापुड़ तक की सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो इसकी मरम्मत कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग का जनपद गाजियाबाद में पड़ने वाला भाग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है तथा मार्ग का शेष भाग संतोषजनक है।

मोदीनगर-हापुड़ मार्ग के 22.400 कि0मी0 में सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिसमें से 7.500 कि0मी0 में एस0डी0बी0सी0 का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 7.900 कि0मी0 में बी0एम0 तक का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। मरम्मत का कार्य पूर्ण कराया जाना द्वितीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती तहसील रूधौली के मझौवा कलां गांव में डायरिया से हो रही मृत्यु की रोकथाम के उपाय

21-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बस्ती तहसील रुधौली अन्तर्गत मझौवा कलां गांव में डायरिया से हो रही मृत्यु को रोकने हेतु सरकार कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

प्रदेश में डायरिया सहित अन्य संक्रामक रोगों पर नियंत्रण/उपचार हेतु कार्य योजना के अनुरूप प्रभावी कार्यवाही की जाती है। जनपद बस्ती तहसील-रूधौली अन्तर्गत मझौवा कलां गांव में डायरिया का कोई रोगी संज्ञान में नहीं आया है और न ही डायरिया से किसी की मृत्यु हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत चोरी का प्रतिशत उसे रोकने के उपाय

22-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य तथा श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत चोरी का प्रतिशत क्या है ? गुजरात की तरह शत-प्रतिशत विद्युत चोरी रोकने की सरकार के पास कोई योजना है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विद्युत चोरी के कारण होने वाली क्षतिपूर्ति की क्या व्यवस्था है तथा अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में विद्युत दरें क्या हैं व कम कीमत पर बिजली कब तक उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में लाइन हानियों का प्रतिशत 27.08 है, जिसमें 6.21 प्रतिशत पारेषण हानियां एवं शेष वितरण हानियां व विद्युत चोरी है।

विद्युत चोरी रोकने हेतु वर्तमान में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन में वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफ0आर0पी0), पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर0ए0पी0डी0आर0पी0) योजना चलायी जा रही है। विद्युत चोरी रोकने हेतु सघन बस्तियों में एरियल बन्च कन्डक्टर तथा सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के परिसरों पर इलेक्ट्रानिक मीटर एवं बड़े उपभोक्ताओं के परिसरों पर डबल मीटरिंग की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त अपर पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में 33 पुलिस प्रवर्तन दलों द्वारा वितरण क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी तरह क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा भी समय-समय पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाता है। विद्युत चोरी पकड़े जाने पर उपभोक्ताओं से विद्युत अधिनियम, 2003 की धाराओं के अनुसार राजस्व निर्धारण कर वसूली की जाती है।

विद्युत चोरी की क्षतिपूर्ति प्राविधानित नहीं है। अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में लागू उपभोक्ता श्रेणी एल0एम0वी0-1, एल0एम0वी0-2, एल0एम0वी0-5 का तुलनात्मक विवरण संलग्न है विद्युत की दरों का निर्धारण उ0प्र0 राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर किया जाता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों तथा निजी नलकूपों के उपभोक्ताओं को कम कीमत पर बिजली उपलब्ध करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में खराब पड़े हैण्डपम्पों को चालू कराये जाने की मांग

23-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में खराब नलकूपों की संख्या कितनी है ? सरकार द्वारा फेल नलकूपों के रि-बोर किये जाने के लिये वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जो नलकूप फेल हैं उनको रि-बोर करके कब तक चालू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां, जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र में सप्ताहान्त 09-05-2013 के अनुसार अस्थाई/स्थाई रूप से बन्द नलकूपों की संख्या-40 है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रदेश में फेल नलकूपों के पुनर्निर्माण किये जाने हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी। वित्तीय वर्ष 2013-14 में डा0 राम मनोहर लोहिया 1054 राजकीय नलकूप पुनर्निर्माण परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में फेल नलकूपों के पुनर्निर्माण हेतु अब तक रु0 40.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है जिसमें जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र के दो नलकूपों के पुनर्निर्माण के कार्य हेतु रु0 37.16 लाख की धनराशि प्राविधानित है।

डा0 राम मनोहर लोहिया 1054 राजकीय नलकूप पुनर्निर्माण परियोजना के अन्तर्गत जनपद कौशाम्बी के सिराथु विधान सभा क्षेत्र के 25 फेल नलकूपों में से 15 नलकूपों का पुनर्निर्माण प्रस्तावित है। जिसमें से 02 नलकूपों का पुनर्निर्माण वित्तीय वर्ष 2013-14 में कराया जाना प्राविधानित है एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में 13 अदद् फेल नलकूपों का बजट आवंटन प्राप्त होने पर पुनर्निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

अवशेष 10 अदद् फेल नलकूपों का पुनर्निर्माण आगामी वर्षों में परियोजना स्वीकृत होने एवं तत्क्रम में बजट आवंटन होने की स्थिति में कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में गरीबों व अकुशल मजदूरों हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ

24-श्री धर्मपाल सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गरीब व अकुशल मजदूरों हेतु सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करेगी ? यदि हां, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना बी0पी0एल0 कार्ड धारकों हेतु वर्ष 2008-2009 से प्रभावी है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित गरीबी-रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्ति एवं उनके परिवार के पांच सदस्यों के लिए फ्लोटर के आधार पर रु0 30,000/- तक की सूचीबद्ध सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों में भर्ती होकर इलाज कराने की सुविधा समस्त जनपदों में उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गर्मी में सूखे तालाबों को भरने की मांग

25-श्री धर्मपाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भयंकर गर्मी पड़ने से सभी तालाबों का पानी सूख रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार तालाबों को भरवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

सिंचाई विभाग द्वारा सरकारी नलकूपों/नहरों से उनके कमाण्ड क्षेत्र में पड़ने वाले सूखे/सूख रहे तालाब-पोखरों को ग्रीष्म ऋतु में भरवाया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत बकाये के उपभोक्ताओं को एक मुश्त समाधान योजना का लाभ

26-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कम लोड के विद्युत कनेक्शन धारकों की बिजली बकाया की धनराशि मूलधन से अधिक ब्याज की है, जिसके कारण बड़ी संख्या में उपभोक्ता बकाया मूल्य का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे उपभोक्ताओं को वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से बकाया धनराशि जमा कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जी नहीं।

समय-समय पर विलम्ब अधिभार में माफी हेतु एक मुश्त समाधान योजना लागू की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली दिये जाने का कथित प्रकरण

27-श्री श्यामदेव राय चौधरी, साध्वी निरंजन ज्योति, श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य तथा श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु ट्यूबवेलों को मुफ्त बिजली दिये जाने की घोषणा की गई है ? यदि हां, तो अब तक प्रदेश के कितने किसानों को इसका लाभ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में किसानों को सिंचाई हेतु ट्यूबवेलों को मुफ्त बिजली दिये जाने की कोई घोषणा नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

तदैव।

जनपद फैजाबाद के रूदौली विधान सभा क्षेत्र के कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

28-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के रूदौली विधान सभा क्षेत्र स्थित, दशरथमऊ सम्पर्क मार्ग, सेमसी से टेर सम्पर्क मार्ग तथा धर्मगंज सेमसी सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का प्रस्ताव मुख्य अभियंता (मु0 1), लखनऊ के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त मार्गों का मरम्मत कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधानों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में अनजुड़ी बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की वित्तीय स्वीकृत प्रदान करने की मांग

29-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 500 अथवा उससे अधिक की आबादी वाली अनजुड़ी बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड रुदौली व मवई में वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 में कितनी बसावटों को जोड़े जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2010-11 में 01 एवं 2012-13 में 06 सम्पर्क मार्गों की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2013-14 में कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है, स्वीकृत कार्यों का विवरण निम्नवत् है :--

वर्ष 2010-11	-	सिकदारी का पुरवा
वर्ष 2012-13	-	दलसराय सम्पर्क मार्ग नौगवां सम्पर्क मार्ग पूरे पासी सम्पर्क मार्ग
	-	बड़े पुरवा सम्पर्क मार्ग
	-	पूरे पासी सम्पर्क मार्ग
	-	दरई सम्पर्क मार्ग
	-	मानापुर सम्पर्क मार्ग

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के अविकसित मलिन बस्तियों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

30-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की भांति सम्पूर्ण प्रदेश के शहरी/निकाय क्षेत्रों में स्थित नई आबादी के रूप में बसे अत्यन्त पिछड़े, अविकसित एवं मलिन बस्तियों में भी विद्युतीकरण कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रदेश के शहरी/निकाय क्षेत्रों में स्थित नई आबादी के रूप में बसे पिछड़े, अविकसित एवं मलिन बस्तियों में विद्युतीकरण कराने की कोई कार्य योजना वर्तमान में नहीं है। अपितु विद्युत प्रदाय संहिता 2005 के अनुच्छेद-4.9 के अन्तर्गत विकासकर्ता/कालोनाईजर/विकास प्राधिकरण अथवा उपभोक्ता समूहों द्वारा जमा योजना के अन्तर्गत धन जमा करने के उपरान्त ही विद्युतीकरण का कार्य किया जाता है।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के ग्राम पैड़ा में शहीद स्मृति स्थल के सुन्दरीकरण विषयक कथित पत्र

31-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली स्थित ग्राम पैड़ा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद स्मृति स्थल के सुन्दरीकरण विषयक प्रश्नकर्ता का अनुरोध-पत्र दिनांक 09-04-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उ0 प्र0 पैरामेडिकल वर्कर्स के समायोजन विषयक-पत्र पर कार्यवाही सम्बन्धी जानकारी

32-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 पैरामेडिकल वर्कर्स एसोसियेशन के ज्ञापन-पत्र दिनांक 12-7-2012 जो प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 25-8-2013 को पैरामेडिकल वर्कर्स के समायोजन सन्दर्भित अनुरोध-पत्र आपको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

सीधी भर्ती संविदा के आधार पर किये जाने की कोई नीति नहीं है। इसके अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत व्यक्ति के नियमित पद पर समायोजन के सम्बन्ध में कोई शासनादेश, नियमावली अथवा अधिनियम विद्यमान न होने के कारण समायोजन सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के आशियाना कालोनी सेक्टर-एक के जर्जर हो चुके पार्क की मरम्मत कराये जाने की मांग

33-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित आशियाना कालोनी के मकान नं0-521-डी, सेक्टर-एम के सामने वाले पार्क का निर्माण दो वर्ष पूर्व लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कराया गया था, जो वर्तमान में काफी जर्जर हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क की मरम्मत व रख-रखाव करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

आशियाना कालोनी के मकान नं0-521-डी, सेक्टर-एम के सामने स्थित पार्क का विकास कार्य अवस्थापना निधि से प्राप्त धन से लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कराया गया था। वर्तमान में पार्क ठीक स्थिति में है।

आशियाना कालोनी पार्क निजी विकासकर्ता द्वारा विकसित की गयी है। अतः पार्क की मरम्मत व रख-रखाव का दायित्व निजी विकासकर्ता का है।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील व ब्लाक-जलालाबाद के अनेकों ग्रामों के बहगुल नदी के रास्तों पर पक्का पुल बनवाये जाने की मांग

34-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील व ब्लाक जलालाबाद के गांव ओइला, थाथर मई, शेरपुर, चिरकुटी, सगहा, रामपुर, ठका, डाडी आदि गांवों में जाने वाले रास्ते में बहगुल नदी पर बने पैण्टून पुल के स्थान पर आवागमन की सुविधा हेतु पक्का पुल बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक कलान के ग्राम भर्रा मई में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

35-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक कलान के ग्राम भर्रा मई में किये जा रहे विद्युतीकरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-4-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

ग्राम भर्रामई में दैवी आपदा (आंधी तूफान) से लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसको माह 05/2013 में ठीक कराकर विद्युत आपूर्ति चालू करवा दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के चिकित्सालयों में ए0एन0एम0 की भर्ती प्रक्रिया

36-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के चिकित्सालयों में ए0एन0एम0 की कमी को देखते हुए क्या सरकार इनकी भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना अन्तर्गत एम0पी0डब्लू0 के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी

37-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना में वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 2012-13 में संविदा पर एम0पी0डब्लू0 के चयन एवं प्रशिक्षण का प्राविधान प्रदेश के 72 जनपदों में लागू किया गया था ? यदि हां, तो अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ न होने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त प्रक्रिया को यथाशीघ्र प्रारम्भ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां। वर्ष 2012-13 में 7.351 संविदा एम0पी0डब्लू के पदों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुई थी, जिसके सापेक्ष 3.575 की नियुक्ति की गई।

वर्ष 2013-14 में वर्तमान में कार्यरत 3.575 संविदा कर्मियों के पदों की ही निरन्तरता भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। अतः कोई नई नियुक्ति नहीं की जानी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले वाली महिलाओं को मान्यता प्राप्त नर्सिंग होम में प्रसव कराने की सुविधा

38-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को मान्यता प्राप्त नर्सिंग होमों में प्रसव कराने की सुविधा का प्राविधान है ? यदि हां, तो जनपद लखीमपुर खीरी में वर्ष 2012-13 में कितनी महिलाओं को मान्यता प्राप्त नर्सिंग होमों में प्रसव की सुविधा प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर0एस0बी0वाई0) के अन्तर्गत स्मार्ट कार्ड के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली महिलाओं को योजनान्तर्गत इम्पैनल्ड प्राईवेट अस्पतालों में भी प्रसव कराने की सुविधा उपलब्ध है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में लखीमपुर खीरी जनपद में 05 महिलाओं को प्रसव की सुविधा प्रदान की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पंचशील नगर के ब्लाक हापुड़ के मेरठ-बदायूं मार्ग की क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत कराने का कथित प्रकरण

39-श्री गजराज सिंह

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पंचशीलनगर के ब्लाक हापुड़ के मेरठ-बदायूं मार्ग से चितौली भटियाना-सपनावत मार्ग की पुलिया क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त पुलिया को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद पंचशीलनगर के हापुड़ शहर की अनेकों बस्तियों में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

40-श्री गजराज सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पंचशीलनगर के हापुड़ शहर की मजीदपुरा, रफीकनगर, त्रिलोकीपुरम्, रामपुर रोड नियाजीपुरा एवं मोती कालोनी, भीमनगर, सुभाषनगर, शिवनगर बस्तियों का सम्पूर्ण विद्युतीकरण हो चुका है ? यदि नहीं, तो उक्त बस्तियों का विद्युतीकरण कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? क्या सरकार इन बस्तियों के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइनों (तारों) को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद पंचशीलनगर के हापुड़ शहर के अन्तर्गत मजीदपुरा, रफीकनगर, त्रिलोकपुरम्, रामपुर रोड, नियाजीपुरा एवं मोती कालोनी, भीमनगर, सुभाषनगर, शिवनगर बस्तियों का विद्युतीकरण हो चुका है। किन्तु विस्तारित भाग विद्युतीकृत नहीं हुआ है।

उक्त बस्तियों के विस्तारित अविद्युतीकरण भाग के लिये वर्तमान में कोई योजना चलन में न होने के कारण विद्युतीकरण सम्भव नहीं है।

मण्डल के अन्तर्गत बस्तियों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनों को शिफ्ट करने की कोई योजना स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

कोई योजना स्वीकृत न होने के कारण उपरोक्त कार्य सम्भव नहीं है। भविष्य में शासन द्वारा कोई योजना स्वीकृत होने पर कार्य कराना सम्भव हो सकेगा।

जनपद पंचशील नगर के विधान सभा क्षेत्र हापुड़ में बस्तियों के ऊपर विद्युत लाइनों को हटवाये जाने की मांग

41-श्री गजराज सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हापुड़ विधान सभा क्षेत्र में (शहरी, देहात) बस्तियों के ऊपर से बिजली की लाइन गुजरने से जान-माल का खतरा रहता है ? क्या इन बिजली की लाइनों को हटवाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। शहरी अथवा देहात बस्तियों में बने मकान के ऊपर लाइन निर्माण करने का प्राविधान नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में लाइनों के निर्माण के उपरान्त अनियमित रूप से लाइन के नीचे मकान बना लिया जाता है।

बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों (भूस्वामी) (शहरी/देहात) द्वारा विद्युत लाइन के नीचे अवैध/ अनियमित रूप से मकान बना लिये गये हैं। बस्तियों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनों को हटाने की कोई योजना नहीं है। बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा लाइन को हटाने में होने वाली व्यय की धनराशि के वहन करने की स्थिति में तकनीकी दृष्टि से सम्भव होने पर विद्युत लाइनों को हटाने का कार्य कराया जाना सम्भव है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद पंचशील नगर के विधान सभा क्षेत्र हापुड़ की बस्तियों का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

42-श्री गजराज सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हापुड़ विधान सभा क्षेत्र की शहरी एवं देहात की बस्तियों का विद्युतीकरण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बस्तियों के विस्तार होने पर शेष बस्तियों का विद्युतीकरण भी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

हापुड़ विधान सभा क्षेत्र की शहरी क्षेत्र का विद्युतीकरण हो चुका है।

हापुड़ विधान सभा के देहात क्षेत्र की बस्तियों का आंशिक विद्युतीकरण हो चुका है एवं देहात क्षेत्र की बस्तियों के विद्युतीकरण के लिये डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना लागू है।

कोई योजना स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसर।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भूमि विकास बैंक में कृषकों से 6 माह बाद ब्याज पर ब्याज लगाये जाने को समाप्त करने की मांग

43-श्री गजराज सिंह-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि विकास बैंक में कृषि ऋण पर 6 माह बाद ब्याज पर भी ब्याज लगता है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के हक में ब्याज के ऊपर लगने वाले ब्याज को समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/व्यावसायिक बैंकों की भांति नवीन लेखा पद्धति लागू है। कृषकों द्वारा छमाही किश्तों की अदायगी निर्धारित देय तिथि तक किये जाने पर केवल साधारण ब्याज लिया जाता है। यदि कृषक द्वारा छमाही किश्त का भुगतान समय से नहीं किया जाता है तो देय तिथि के बाद किश्त अदा करने तक सम्पूर्ण किश्त पर ब्याज लिया जाता है। अतः उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा ब्याज के ऊपर ब्याज केवल समय से किश्त अदा न करने वाले बकायेदार ऋणी कृषकों से ही वसूल किये जाने का प्राविधान है।

जनपद बदायूं के परगना व तहसील बिसौली के घरों के ऊपर से गुजरने वाली विद्युत लाइनों को हटवाये जाने की मांग

44-श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र सं0-10156053/2012, दिनांक 30-10-12 द्वारा कस्बा बिसौली परगना व तहसील बिसौली जनपद बदायूं के घरों के ऊपर से गुजर रही 11 हजार के0वी0 की विद्युत लाइन को हटाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 30-4-2013 तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

कस्बा बिसौली, परगना व तहसील बिसौली, जिला बदायूं में लाइन का निर्माण पहले किया गया था, मकान बाद में बनाये गये हैं। प्रश्नगत क्षेत्र के निवासियों द्वारा लाइन को हटाने में होने वाली व्यय की धनराशि के वहन करने की स्थिति में तकनीकी दृष्टि से सम्भव होने पर विद्युत लाइनों को हटाने का कार्य कराया जाना सम्भव है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बदायूं के निर्वाचन क्षेत्र बिसौली में कतिपय नलकूपों के निर्माण की मांग

45-श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री जी के कार्यालय के कम्प्यूटर सं0-पी0जी0 10181480/2012, दिनांक 11-12-2012 द्वारा निर्वाचन क्षेत्र बिसौली, जनपद बदायूं में कतिपय 38 नलकूपों के निर्माण के सम्बन्ध में आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह कार्य सम्पादित करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं। प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा कोई आदेश नहीं दिये गये हैं।

जी नहीं।

जनपद-बदायूं के मा0 विधायकगण से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिन पर कार्यवाही की जा रही है।

जनपद बदायूं की तहसील बिसौली की नई बस्ती सैदपुर के ऊपर से हाई टेंशन विद्युत लाइन को हटवाये जाने की मांग

46-श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर उनके कार्यालय के आदेश सं0 कम्प्यूटर सं0-पी0जी0 10093978/2012, दिनांक 30-07-2012 द्वारा मो0 नई बस्ती कस्बा सैदपुर तहसील बिसौली जनपद बदायूं के ऊपर से गुजर रही 11 हजार के0वी0 की विद्युत लाइन को हटाये जाने का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह कार्य सम्पादित करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

मो0 नई बस्ती, कस्बा सैदपुर, तहसील बिसौली, जनपद-बदायूं के ऊपर से गुजर रही 11 हजार बोल्ट की लाइन का निर्माण आवासीय बस्ती बनने से पहले किया गया था, बाद में भू-स्वामियों द्वारा लाइन के नीचे अवैध रूप से भवन का निर्माण करा लिया गया। नियमानुसार वर्तमान में उपरोक्त लाइन को हटाने हेतु आवश्यक धनराशि का वहन उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं करने की स्थिति में तकनीकी दृष्टि से सम्भव होने पर विद्युत लाइनों को हटाने का कार्य कराया जाना सम्भव है।

जनपद पंचशीलनगर में आधुनिक चीरघर के निर्माण की स्वीकृति

47-श्री गजराज सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पंचशीलनगर में शव गृह [मोर्चरी] स्वीकृत है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य पूर्ण करके कब तक प्रयोग में लाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

जनपद-पंचशीलनगर (हापुड़) में आधुनिक चीरघर निर्माण हेतु उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् को कार्यदायी संस्था नामित किया जा चुका है तथा चीरघर निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में रु0 26.49 लाख की धनराशि दिनांक 12-07-2013 को स्वीकृत की जा चुकी है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर उसे क्रियाशील किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पंचशीलनगर के हापुड़ से कतिपय मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

48-श्री गजराज सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हापुड़ से बझीलपुर खडखडी मार्ग, हापुड़ एन0एच0 24 जरौठी, मलकपुर श्यामपुर मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है जिससे लोगों को आवागमन में

असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं। वर्तमान में प्रश्नगत मार्गों पर यातायात सुचारु रूप से चल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में मेडिकल प्रैक्टीशनर को विशेष प्रशिक्षण देकर सहभागिता देने के सम्बन्ध में जानकारी

49-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश भर में लाखों की संख्या में कार्यरत रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टीशनर को विशेष प्रशिक्षण देकर स्वास्थ्य जागरूकता/सेवाओं के कार्यक्रमों में इनकी सहभागिता सुनिश्चित कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रदेश सरकार की चिकित्सा सेवायें की नीति के दृष्टिगत सम्भव नहीं है।

जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नदी के किनारे बने तटबन्ध का भुगतान कराये जाने की मांग

50-श्री अजय कुमार 'लल्लू'

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुशीनगर जनपद में बड़ी गण्डक नदी के किनारे बने अमवाखास तटबन्ध, ए0पी0 तटबन्ध एवं नरवाजोत तटबन्ध पर वर्ष 2009-10, 2010-11 व 2011-12 में स्थानीय ठेकेदारों द्वारा कराये गये बाढ़ बचाव कार्यों का भुगतान सरकार द्वारा दिनांक 14-5-2013 तक नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो इनका भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अमवाखास तटबन्ध पर वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में कराये गये कार्यों का कोई भुगतान अवशेष नहीं है। ए0पी0 तटबन्ध एवं नरवाजोत तटबन्ध पर ठेकेदारों द्वारा कराये गये कार्यों का अवशेष भुगतान की स्थिति निम्नवत् है :-

क्र0	तटबन्ध का नाम	वर्ष 2009-10 देनदारी (लाख)	वर्ष 2010-11 देनदारी (लाख)	वर्ष 2011-12 देनदारी (लाख)
1	ए0पी0	195.44	173.91	475.22
2	नरवाजोत	-	3.89	36.51
	योग :	**195.44**	**177.80**	**511.73**

देनदारियां प्रथम दृष्टया अनियमित परिलक्षित हो रही हैं। जांचोपरान्त अविवादित पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद आगरा के विकास खण्ड खंदौली के गांव में जर्जर विद्युत तारों को बदलने की मांग

51-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड खंदौली के गांव पीलीपोखर एवं विकास खण्ड एत्मादपुर के गांव चौगान में जर्जर विद्युत तारों व टूटे/जर्जर विद्युत पोलों के कारण कई बार दुर्घटनायें घटित हो चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन गांवों में जर्जर विद्युत तारों व टूटे/जर्जर विद्युत पोलों के स्थान पर नये विद्युत पोल एवं तार बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद आगरा के विकास खण्ड खन्दौली के गांव पीलीपोखर एवं विकास खण्ड एत्मादपुर के गांव चौगान में जर्जर तार एवं पोल से पिछले एक साल में विद्युत दुर्घटना होने की कोई भी सूचना नहीं है।

एत्मादपुर एवं खंदौली ब्लाक के उपरोक्त दोनों ग्रामों में विद्युत तार एवं पोलों को बदलने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर के मिझौड़ा विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने की मांग

52-श्री कलराज मिश्र-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत मिझौड़ा विद्युत उपकेन्द्र 33/11 के0वी0 के निर्माण हेतु काजीपुर ग्राम में उपकेन्द्र निर्माण का शिलान्यास 24-11-2011 को तत्कालीन ऊर्जा मंत्री द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो उक्त उपकेन्द्र का निर्माण कार्य अब तक प्रारम्भ न किये जाने का क्या कारण है ? सरकार उक्त उपकेन्द्र का निर्माण कार्य कब से शुरू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

सन्दर्भित उपकेन्द्र के निर्माण हेतु चिन्हित भूमि अधिशासी अभियन्ता (वि0), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, अम्बेडकर नगर को हस्तान्तरित न होने तथा किसी योजना में सम्मिलित न होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।

उपकेन्द्र के निर्माण हेतु चिन्हित भूमि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर के पक्ष में हस्तान्तरित होने एवं किसी योजना में सम्मिलित होने पर उपकेन्द्र का निर्माण कार्य शुरू किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड भीटी के ग्राम बसोहरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की मांग

53-श्री कलराज मिश्र-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड भीटी के अन्तर्गत ग्राम बसोहरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना/प्रस्ताव

शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को कब तक स्थापित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

जी नहीं।

जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड भीटी के अन्तर्गत ग्राम बसोहरी की जनसंख्या मात्र 1578 है और ग्रामवासियों की चिकित्सा सुविधा हेतु विकास खण्ड भीटी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है तथा 08 किमी0 की दूरी पर एक अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कटेहरी भी संचालित है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्रामवासियों की चिकित्सा सुविधा हेतु क्षेत्र में प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है।

जनपद लखीमपुर खीरी के शारदा नहर की सिल्ट सफाई हेतु आवंटित धनराशि

54-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा नहर की सिल्ट सफाई हेतु वर्ष 2012-13 में कितना धन आवंटन किया गया है और उसमें से कितना धन खर्च किया गया है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा नहर नहीं है।

शारदा नहर से पोषित खीरी शाखा प्रणाली शारदा संगठन के अन्तर्गत है। वर्ष 2012-13 में इस प्रणाली के अन्तर्गत रजवाहों की सिल्ट सफाई हेतु रु0 40.80 लाख का धनावंटन किया गया, जिसके सापेक्ष रु0 40.80 लाख की धनराशि व्यय की गई।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के ब्लाक ईसानगर के नहर एवं माइनरों की सफाई में व्यय धनराशि के सम्बन्ध में जानकारी

55-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के ब्लाक ईसानगर के अन्तर्गत नहर एवं माइनरों में जमी हुई सिल्ट की सफाई वर्ष 2012-13 में कहां-कहां पर हुई तथा उसमें कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के ब्लाक ईसानगर के अन्तर्गत सिंचाई विभाग की कोई नहर एवं माइनर नहीं है। अतः उनकी सिल्ट सफाई का प्रश्न नहीं उठता। इस प्रकार उक्त क्षेत्र में नहरों की सिल्ट सफाई पर वर्ष 2012-13 में कोई धन खर्च नहीं हुआ है।

जनपद लखीमपुर खीरी के चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर तैनाती की मांग

56-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या चिकित्सा एवं स्वाथ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के चिकित्सालयों में कितने कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां। जनपद लखीमपुर खीरी में न्यूरोलॉजिस्ट एवं यूरोलॉजिस्ट का पद स्वीकृत नहीं है। जिला पुरुष चिकित्सालय लखीमपुर खीरी में कार्डियोलॉजिस्ट का एक पद रिक्त है। पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कार्डियोलॉजिस्ट की कमी के दृष्टिगत चिकित्सालय में तैनात फिजीशियन से कार्डियोलॉजिस्ट का कार्य लिया जा रहा है।

चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर ही तैनाती सम्भव हो सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ के चण्डौस विद्युत उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि का प्रस्ताव

57-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के चण्डौस विद्युत उपकेन्द्र से की जाने वाली विद्युत आपूर्ति वाले दयौरऊ, अमृतपुर आदि ग्रामों में अतिभारिता के कारण वोल्टेज कम आने की समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या के समाधान हेतु उक्त उपकेन्द्र पर उच्च क्षमता का ट्रांसफार्मर स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि प्रस्तावित है।

धन प्राप्त होने एवं परिवर्तक की उपलब्धता पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ की तहसील मुख्यालय गभाना पर विद्युत उपकेन्द्र की प्रस्ताव का कथित प्रकरण

58-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ की तहसील मुख्यालय गभाना पर 132 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद अलीगढ़ तहसील मुख्यालय गभाना पर कोई 132 केवी उपकेन्द्र प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

नये उपकेन्द्रों की स्थापना हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड की पारेषण कार्य समिति की दिनांक 08-04-2013 को सम्पन्न बैठक में उपरोक्त केन्द्र की स्थापना पर गहन तकनीकी चर्चा के उपरान्त वर्णित क्षेत्र में अपेक्षित न्यूनतम विद्युत भार न होने तथा जिन प्राथमिक उपकेन्द्रों (132 केवी खैर एवं सारसौल) से उक्त क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति की जाती है, अतिभारित नहीं होने के कारण विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराने का निर्णय नहीं हो सका।

जनपद कौशाम्बी और प्रतापगढ़ को जोड़ने वाले सेतु के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

59-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी और प्रतापगढ़ को जोड़ने वाले सेतु के निर्माण का कार्य 10-8-2006 को शुरू हुआ और आज तक पूर्ण नहीं हो पाया है ? क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि 20 प्रतिशत अधूरे निर्माण को पूर्ण करने हेतु धनराशि उपलब्ध करा दी गई है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति शासनादेश दि0 25-04-13 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

सेतु को पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्राम फखरपुर में ग्रामीणों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने सम्बन्धी-पत्र पर कार्यवाही

60-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत ग्राम फखरपुर में ग्रामीणों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/12-13/क-5नं0-138838/4097, दिनांक 26-4-2013 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, विद्युत विभाग, जनपद बहराइच, उ0 प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

ग्राम फखरपुर विकास खण्ड फखरपुर के प्रार्थीगण सर्वश्री नसीम अहमद, प्रेम नरायन भास्कर, आरिफ खान, सुरेश कुमार कश्यप, पुत्तीलाल कश्यप, शहजाद अली, खन्नू, मुकीम शरीफ बाबा तथा जलील अहमद का घरेलू विद्युत कनेक्शन लेने हेतु आवेदन-पत्र अभी तक प्राप्त नहीं है। आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त निर्धारित प्रक्रिया/कार्यवाही पूर्ण कर विद्युत संयोजन निर्गत करना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी स्थित पारीछा थर्मल पावर प्लाण्ट से निकलने वाली राख का उचित निस्तारण की मांग

61-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में स्थित पारीछा थर्मल पावर प्लाण्ट से अपशिष्ट के रूप में निकलने वाली राख (कोयले की डस्ट) का निस्तारण न होने से यह राख वापस बांध के अन्दर जाने से बांध की जल भराव क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अपशिष्ट राख का उचित निस्तारण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

पारीछा थर्मल पावर प्लान्ट जनपद झांसी से निकलने वाली राख (कोयले की डस्ट) का निस्तारण इसके लिये निर्मित राख बांध (ऐश डैम) में किया जा रहा है। यह राख बांध बेतवा रिजरवायर से लगभग 100 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है। इस बात का प्रयास किया जाता है कि राख का निस्तारण राख बांध में ही हो। जिससे बेतवा बांध का जल भराव क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

सिंचाई विभाग में कतिपय रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

62-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई (यांत्रिक) में सींच पर्यवेक्षक व जिलेदार तथा राजस्व अधिकारी के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं तथा इन्हें कब तक भर दिया जायेगा ? क्या यह सत्य है कि विगत 10 वर्षों से उक्त पदों पर कोई भी पदोन्नति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो कब तक उक्त पदों पर पदोन्नति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सिंचाई (यांत्रिक) विभाग में सींच पर्यवेक्षक के 236 पद, जिलेदार के 55 पद एवं उपराजस्व अधिकारी के 24 पद वर्तमान में रिक्त हैं, जिनको भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

जी नहीं। विगत 10 वर्षों में रिक्त पदों पर पदोन्नतियां की गईं हैं। अवशेष रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग के राजस्व अधिष्ठान के अन्तर्गत कतिपय कर्मचारियों से जमाबन्दी बनाये जाने का कार्य

63-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने किसानों के खेतों की सिंचाई की मुफ्त व्यवस्था की है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कार्य में लगे सरकारी कर्मचारी जैसे सींचपाल, सींच पर्यवेक्षक, जिलेदार तथा जिला राजस्व अधिकारी से उक्त व्यवस्था के उपरान्त किस तरह का कार्य लिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

सिंचाई विभाग में राजस्व अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत सींचपाल सींचपर्यवेक्षक, जिलेदार द्वारा समय-समय पर लागू सिंचाई दरों के आधार पर पूर्ण प्रक्रिया के अनुसार जमाबन्दी बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है।

जिला राजस्व अधिकारी का पद सिंचाई विभाग में सृजित नहीं है।

प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पतालों की स्थापना

64-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं से युक्त 100 बेड के अस्पतालों की स्थापना की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में 100 शैय्या के अस्पताल की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में नगरपालिका परिषद् मोहम्मदी मुख्यालय पर 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित एवं क्रियाशील है।

प्रश्न नहीं उठता।

आधुनिक चिकित्सा सुविधायुक्त 100 बेड के चिकित्सालयों को स्थापित करना चिकित्सा विशेषज्ञों/अन्य तकनीकी स्टाफ एवं मानव/वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

65-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

[2सरे सोमवार के अता0प्र0सं0-127 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद झांसी के कतिपय माइनरों की सिल्ट सफाई की व्यवस्था

66-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में घुसगुवा माइनर एवं गढ़मऊ माइनरों में जमी सिल्ट की लम्बे समय से सफाई न होने से उक्त माइनरों की उपयोगिता पूर्ण रूपेण नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनरों की सिल्ट सफाई का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

घुसगवां नहर की जल वितरण प्रणाली में गत वर्ष रबी 1420 फसली (वर्ष 2012-13) में मनरेगा योजना के अन्तर्गत बेड स्क्रेपिंग एवं जंगल सफाई का कार्य कराया गया था। गढ़मऊ माइनर की सिल्ट सफाई का कार्य वर्ष 2012-13 में ग्राम प्रधान द्वारा कराया गया था।

वर्तमान वर्ष में भी उक्त दोनों माइनरों में स्क्रेपिंग एवं जंगल सफाई का कार्य जिला स्तरीय योजना, मनरेगा के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है।

इस वर्ष दोनों माइनरों की जंगल सफाई एवं बेड स्क्रेपिंग का कार्य मनरेगा के अन्तर्गत माह अक्टूबर एवं नवम्बर, 2013 में कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के कतिपय तालाबों को भरने की व्यवस्था

67-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी की बबीना विधान सभा में नया खेड़ा तालाब, खांड़ी का तालाब, मानपुर का तालाब, पुनावली का तालाब, रक्सा का तालाब भीषण गर्मी में सूख गये हैं जिससे पशुओं एवं ग्रामीणों को पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या

सरकार उक्त तालाबों को भरने की कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत तालाब नहरी कमाण्ड में नहीं हैं तथा ये तालाब वर्षा के जल से ही भरते हैं।

उक्त तालाबों को भरने की कोई कार्य योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

68-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[1ले शुक्रवार के अता0प्र0 सं0-59 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बस्ती के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में फार्मासिस्टों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

69-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के प्रा0स्वा0 केन्द्र, सामु0 स्वा0 केन्द्रों तथा जिला स्तरीय सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्टों के रिक्त पदों पर नियुक्ति तथा मेडिकल स्टोर्स पर फार्मासिस्टों (डिग्री धारक) के अनिवार्यता विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 09-04-2013 मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल के क्षय रोग आश्रम में पदों के सापेक्ष नियुक्तियों की मांग

70-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद जिला अस्पताल स्थित क्षय रोग आश्रम (टी0बी0 सेनेटोरियम) में कितने चिकित्सक, वार्ड व्वाय, नर्स एवं फार्मासिस्ट तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं ? क्या स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियुक्तियां पूर्ण नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त पदों पर तैनाती करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

टी0 बी0 सेनेटोरियम जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद का ही हिस्सा है, जहां चिकित्साधिकारी के 29 स्वीकृत पद के सापेक्ष 21 कार्यरत हैं एवं 08 पद रिक्त हैं। वार्ड ब्वाय के 44 स्वीकृत पद के सापेक्ष 24 कार्यरत एवं 20 पद रिक्त हैं। स्टाफ नर्स के 25 स्वीकृत पद के सापेक्ष 10 कार्यरत एवं 15 पद रिक्त हैं। फार्मासिस्ट के 03 पद स्वीकृत हैं, जो भरे हुए हैं। अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 66 स्वीकृत पद के सापेक्ष 51 कार्यरत तथा 15 पद रिक्त हैं।

जी हां।

जी हां।

चिकित्सकों के रिक्त पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त होने पर रिक्त पदों के सापेक्ष्य चिकित्सकों की तैनाती की जायेगी। स्टाफ नर्स की नियुक्ति का प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। मा0 न्यायालय के निर्णय के पश्चात रिक्तियों को भरने की कार्यवाही की जायेगी। वार्ड ब्वाय तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पोस्टमार्टम गृहों के उच्चीकरण की योजना

71-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पोस्टमार्टम गृहों के उच्चीकरण की कोई कार्य योजना बनायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर स्थित हलुआ खाण्डा नहर की सफाई पश्चात सिल्ट के ढेरों की सफाई कराये जाने की मांग

72-श्री सतीश महाना-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर स्थित हलुआ खाण्डा नहर की सफाई कराने के पश्चात् उसके दोनों तरफ बड़े-बड़े सिल्ट के ढेर को हटाया नहीं गया है ? यदि हां, तो उक्त सिल्ट के ढेर की सफाई कब तक करा दी जायेगी ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

हलुआ खाण्डा नहर की सफाई कराने के पश्चात् निकली सिल्ट की दरेशी नहर की पटरियों पर प्राविधान के अनुसार करा दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के अनेकों सम्पर्क मार्गों को जोड़ने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

73-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के अन्तर्गत सिंगिल कनेक्टिविटी की नौ बसावटों क्रमशः सरकाही, जमुनहा, खुर्द, नेतईपुरवा, मधनगरा, उणरना सरहदी, तिखइया, सुनगानगर, मुरावनपुरवा को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/क-5 नं0-151723/318, दिनांक 09-05-2013 अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, खण्ड-1 जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में वर्णित जिन 09 बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की अपेक्षा की गयी है उनमें से क्रमांक 2 पर अंकित मार्ग का पी0एस0जी0एस0वाई0 में स्वीकृति प्रदान की गयी है। शेष 08 बसावटें सिंगिल कलेक्टिविटी से जोड़ने वाले ग्रामों हेतु लो0 नि0 वि0 में संचालित की जा रही योजनाओं से आच्छादित नहीं है। अतः इन 08 बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के अनेकों सम्पर्क मार्गों को जोड़ने विषयक-पत्र पर कार्यवाही

74-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के अन्तर्गत सिंगिल कनेक्टिविटी की दस बसावटों क्रमशः विलास, रामनगरा, मोहम्मदपुर, मंगीलालपुरवा, दुल्लुसिंहपुरवा, पेरा, डफालीपुरवा, करनापुर, चटापुरवा, निवहा को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/क-5 नं0-151720/321, दिनांक 09-05-2013 अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, खण्ड-1 जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में वर्णित जिन 10 बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की अपेक्षा की गई है, उनमें से 01 बसावट बिलास, नाबार्ड-18 योजनान्तर्गत एवं 03 बसावटें रमनगरा, करनापुर व बटापुरवा, एस0सी0पी0 अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में प्रस्तावित हैं। शेष 06 बसावटें सिंगल कलेक्टिविटी से जोड़ने हेतु लो0 नि0 वि0 में संचालित की जा रही योजनाओं से आच्छादित नहीं है। अतः इन 06 बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर विकास खण्ड विशेश्वरगंज की बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने की मांग

75-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के अन्तर्गत सिंगिल कनेक्टिविटी की छह बसावटों क्रमशः हीरोपुरवा, दर्जीपुरवा, मंझरिया, लंगरजोतपुरवा, गोसाईपुरवा, हथमोरवा को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/क-5 नं0-151721/320, दिनांक 03-05-2013

अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, खण्ड-1 जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्नगत पत्र में वर्णित जिन 06 बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की अपेक्षा की गई है वे सिंगल कनेक्टिविटी से जोड़ने वाले ग्रामों हेतु लो0नि0वि0 में संचालित की जा रही योजनाओं से आच्छादित नहीं है। अतः उक्त पत्र में वर्णित मार्गों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के पयागपुर के विकास खण्ड विशेश्वरगंज की बसावटों के सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

76-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के अन्तर्गत सिंगिल कनेक्टिविटी की आठ बसावटों क्रमशः बेहनपुरवा, जहूरपुरवा, दीवानपुरवा, होलीपुरवा, बाबागंज, लोलोपुरवा, खट्टीपुरवा, कुटहवा को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/क-5नं0-151722/319, दिनांक 03-05-2013 अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, खण्ड-1 जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में वर्णित जिन 08 बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की अपेक्षा की गई है, उनमें से बाबागंज एवं खट्टीपुरवा एस0सी0पी0 योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में प्रस्तावित हैं। शेष 06 बसावटें सिंगिल कनेक्टिविटी से जोड़ने वाले ग्रामों हेतु लो0नि0वि0 में संचालित की जा रही योजनाओं से आच्छादित नहीं हैं। अतः इन 06 बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड विशेश्वरगंज सिंगिल कनेक्टिविटी की नौ बसावटों को सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने के सम्बन्ध में

77-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के अन्तर्गत सिंगिल कनेक्टिविटी की नौ बसावटों क्रमशः जैतापुर, गोबरही, मगरइचीपुरवा, आज्ञारामपुरवा, मधनगरा, पान्डेयपुरवा, बहौरीपुरवा, लोनियनपुरवा, कटोरवा को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/क-5 नं0-151724/317, दिनांक 11-05-2013 अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, खण्ड-1 जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में वर्णित जिन 09 बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की अपेक्षा की गई है, उनमें क्रमांक-9 पर अंकित मार्ग को नाबार्ड-17 योजनान्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। शेष 08 बसावटें सिंगिल कनेक्टिविटी से जोड़ने वाले ग्रामों हेतु लो0नि0वि0 में संचालित की जा रही योजनाओं से आच्छादित नहीं हैं। अतः इन 08 बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने की स्वीकृति नहीं की जा सकती है।

जनपद शाहजहांपुर के हथौड़ा तथा अटसलियां रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी रेल सेतु बनवाये जाने की मांग

78-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद में हथौड़ा चौराहे से मोहम्मदी (खीरी) जाने वाले मार्ग पर तथा हथौड़ा चौराहे से अटसरियां होते हुए सीतापुर जाने वाले मार्ग की दोनों रेलवे क्रासिंग पर फाटक बन्द रहने से जाम लगा रहने के कारण इन दोनों रूटों पर नागरिकों को आवागमन में भारी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोनों रेलवे क्रासिंगों (हथौड़ा तथा अटसलियां) पर उपरिगामी रेल सेतु बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

1-हथौड़ा चौराहा से मोहम्मदी रोड पर स्थित क्रासिंग सं0-320 स्पेशल पर टी0वी0यू0 382240 है। रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

2-अटसलिया सम्पार सं0-318ए पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण एन0एच0ए0आई0 द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद पंचशीलनगर के हापुड़ की बस्तियों के ऊपर बिजली की लाइन हटवाये जाने की मांग

79-श्री गजराज सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हापुड़ नगर में किन-किन बस्तियों के ऊपर से बिजली की लाइन गुजर रही है ? क्या इन बिजली की लाइनों को हटाने की शासन की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

विद्युत वितरण खण्ड हापुड़ के अन्तर्गत लज्जापुरी, मजीदपुरा, भीमनगर, शक्ति नगर, चैनापुरी, प्रभा बिहार, त्रिलोकपुरम् की बस्तियों के ऊपर से विद्युत लाइन गुजर रही है।

बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों (भू-स्वामी) (शहरी/देहात) द्वारा विद्युत लाइन के नीचे अवैध/अनियमित रूप से मकान बना लिये गये हैं। बस्तियों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनों को हटाने की कोई योजना नहीं है। बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा लाइन को हटाने में होने वाली

व्यय की धनराशि के वहन करने की स्थिति में तकनीकी दृष्टि से सम्भव होने पर विद्युत लाइनों को हटाने का कार्य कराया जाना सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व ब्लाक हापुड़ के गांवों के जर्जर विद्युत तारों को बदलने की व्यवस्था

80-श्री गजराज सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के हापुड़ ब्लाक के गांवों में बिजली के जर्जर तार हैं ? क्या सरकार जर्जर तारों को बदलवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

किसी ग्राम में जर्जर तार होने की सूचना प्राप्त होती है तो उसको बदलने की कार्यवाही की जाती है। यह सतत् प्रक्रिया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के थाना कर्वी के शारदा पुत्र सुरेश कुमार की विद्युत से हुई मृत्यु से उसके आश्रितों को अनुग्रह राशि का भुगतान

81-श्री चन्द्रभान सिंह पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा पुत्र सुरेश कुमार निवासी कपसेठी, थाना कर्वी, जनपद चित्रकूट की दिनांक 02-09-2010 को त्रुटिपूर्ण सर्विस विद्युत केबिल के स्पर्शाघात के कारण मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या अधीक्षण अभियन्ता दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मण्डल बांदा के कार्यालय ज्ञाप सं0-849/वि0वि0मं0 बांदा/ए-12 चित्रकूट दिनांक 29-9-2011 द्वारा मृतक के पिता सुरेश कुमार को रुपया 1,00,000/- (रु0 एक लाख) की अनुग्रह राशि स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो क्या अनुग्रह धनराशि का भुगतान मृतक के पिता को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

मृतक शारदा के पिता श्री सुरेश कुमार निवासी कपसेटी, थाना कर्वी जनपद चित्रकूट को अधिशाषी अभियन्ता, वि0वि0खं0 चित्रकूट द्वारा रु0 1,00,000 (एक लाख) की अनुग्रह धनराशि का चेक सं0-417551 दिनांक 19-08-2013 जिलाधिकारी चित्रकूट के माध्यम से मृतक के पिता को प्राप्त करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

82-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिला योजना में स्वीकृत सम्पर्क मार्गों को वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो उक्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

स्वीकृत मार्गों का निर्माण कार्य मार्च, 2014 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद खीरी जिला योजना में ग्रामीण अंचल की सड़कों की मरम्मत/पुनः निर्मित हेतु स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में जानकारी

83-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी जिला योजना में ग्रामीण अंचल की सड़कों की मरम्मत/पुनः निर्माण हेतु जिला योजना 2012-13 के अन्तर्गत स्वीकृत के उपरान्त स्थानीय समाचार-पत्रों में ग्रामीण अंचल की सड़कों की मरम्मत/पुनः निर्माण कराने के टेण्डर आमंत्रित हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि अभी तक लखीमपुर जिला योजना को लोक निर्माण विभाग मद में धन आवंटित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त मद में धन आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद लखीमपुर खीरी की वर्ष 2012-13 में जिला योजना के अन्तर्गत ग्रामीण अंचल की सड़कों की मरम्मत/पुनः निर्माण का कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है तथा मरम्मत/पुनः निर्माण की कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिला योजना के अन्तर्गत 15 नवसम्पर्क मार्गों हेतु शासनादेश दिनांक 05-02-2013 द्वारा रु0 234.76 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रु0 93.904 लाख आवंटित किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त चिकित्सालयों में स्टाफ की तैनाती सम्बन्धी जानकारी

84-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कई ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों एवं कर्मचारी न होने के कारण केन्द्रों में ताले पड़े हैं ?

यदि हां, तो क्या सरकार मानक के अनुरूप चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं। जनपद हमीरपुर में 319 ग्राम पंचायतें हैं, जिसके विरुद्ध 215 उप केन्द्र स्थापित हैं। समस्त उपकेन्द्रों में बेसिक हेल्थ वर्कर (बी0एच0डब्लू0) महिला नियमित/संविदा पर तैनात हैं। जनपद के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एलोपैथिक चिकित्सक, चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) एवं एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत आयुष चिकित्सक तैनात हैं। कोई भी उप केन्द्र/चिकित्सालय डाक्टर/कर्मचारी विहीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड मौदहा में कतिपय ग्रामों को जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत किये जाने की मांग

85-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विकास खण्ड मौदहा में क्षतिग्रस्त ग्राम इगोहठा से छानी मार्ग, विढोखर से बण्डा मबईजार, कल्ला धनपुरा से छानी एवं खडेही से जोड़ने वाले मार्गों की सरकार मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

इंगोहटा से छानी मार्ग की कुल लम्बाई 18.00 किमी0 है जिसमें 4.80 किमी0 मार्ग क्षतिग्रस्त है तथा 13.20 किमी0 मार्ग की स्थिति संतोषजनक है। विदोखर से बण्डा मवईजार मार्ग क्षतिग्रस्त है। इनकी मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

कल्ला धनपुरा होते हुए खडेहीजार मार्ग की दशा ठीक है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के बौरी खेड़ा रोड व बल्हऊमऊ गांव से विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

86-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव के हसनगंज विधान सभा क्षेत्र के अति पिछड़े एवं दलित बाहुल्य गांव बौरी खेड़ा व बल्हऊमऊ में बिजली न होने से वहां के निवासियों को अन्धकार में ही रहना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार बौरी खेड़ा व बल्हऊमऊ गांव में विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां, अविद्युतीकृत है।

सन्दर्भित ग्राम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित है। कार्यदायी संस्था की नियुक्ति एवं धन की उपलब्धता होने पर सन्दर्भित ग्रामों का विद्युतीकरण कराना सम्भव हो सकेगा।

कार्यदायी संस्था की नियुक्ति होने तथा धन की उपलब्धता होने पर कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

87-साध्वी निरंजन ज्योति-

[1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हमीरपुर की तहसील मौदहा के ग्राम खण्डेह के प्राचीन मन्दिर तालाब को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की मांग

88-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर की मौदहा तहसील में ग्राम खण्डेह में प्राचीन मन्दिर, तालाब आदि है जो खजुराहो के मन्दिरों से भी अच्छे एवं आकर्षक है ? यदि हां, तो क्या सरकार यहां पर पर्यटन की दृष्टि से विकास कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश-

जनपद हमीरपुर के मौदहा तहसील के ग्राम खण्डेह में प्राचीन मन्दिर तालाब आदि स्थित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर की मौदहा तहसील में ग्राम खण्डेह में प्राचीन मन्दिर, तालाब आदि के पर्यटन विकास की योजना की स्वीकृति का प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

जनपद पीलीभीत की कतिपय तहसील के उच्चीकरण का प्रस्ताव

89-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिथि गृह बीसलपुर एवं बिलसण्डा के उच्चीकरण का प्रस्ताव प्राक्कलन सहित क्या शासन स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर स्थित विश्राम गृह तथा ब्लाक बिलसण्डा में स्थित निरीक्षण भवन से सम्बन्धित प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्राप्त हुए थे, किन्तु धनराशि उपलब्ध न होने के कारण वित्तीय स्वीकृति नहीं हो सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

90-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[1ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0-172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद के निजामपुर ड्रेन की खुदाई कराये जाने की मांग

91-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद के उद्योगों द्वारा भारी मात्रा में निजामपुर ड्रेन में छोड़ा जाने वाला प्रदूषित पानी से गांव सरायदूल्हा तथा बोढ़ा के बीच ड्रेन की खुदाई न होने से जलभराव के कारण किसानों की सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल बर्बाद हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ड्रेन की खुदाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

निजामपुर नाले की सफाई न होने से गांव सरायदूल्हा तथा बोढ़ा में जल भराव की समस्या थी।

वर्ष 2013 में मानसून से पूर्व निजामपुर नाले के कि0मी0 0.00 से 7.50 कि0मी0 तक सफाई करा दी गई है तथा उपरोक्त गांवों में जल भराव की समस्या का निदान हो गया है। वर्तमान में जल भराव की कोई समस्या नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के नबाबी ब्रिज के निर्माण हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

92-श्री राधेश्याम जायसवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में नबाबी ब्रिज (पक्का पुल) के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर आदेश संख्या-पी0जी0 10251103 प्रमुख सचिव लोक निर्माण तथा कम्प्यूटर आदेश संख्या-पी0जी0 10252106 दिनांक 17-04-2013 प्रबन्ध निदेशक, राज्य सेतु निगम उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद बैंक से नीलामी में खरीदी गई लखनऊ नगर एल0डी0ए0 कालोनी का भौतिक कब्जा दिलाये जाने की मांग

93-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 19-12-2011 को इलाहाबाद बैंक से नीलामी में खरीदी गई लखनऊ नगर एल0डी0ए0 कालोनी, सेक्टर एच स्थित सम्पत्ति संख्या-1824 का

भौतिक कब्जा कार्यकर्ता को दिलाये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ में योजित रिट याचिका संख्या-7785/2012 का आदेश दिनांक 19-09-2012 तथा उक्त के सम्बन्ध में दायर अवमानना याचिका संख्या 242/2013 का आदेश दिनांक 24-01-2013 का अनुपालन सुनिश्चित करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

लखनऊ विकास प्राधिकरण से रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त सूचना के अनुसार इलाहाबाद बैंक से नीलामी में खरीदी गई लखनऊ नगर एल0डी0ए0 कालोनी, सेक्टर एच स्थित सम्पत्ति संख्या-1824 का भौतिक कब्जा क्रयकर्ता को दिलाये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ में योजित रिट याचिका संख्या-7785/2012 एवं दायर अवमानना याचिका संख्या-242/2013 का सम्बन्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण से नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण इलाहाबाद बैंक तथा जिला प्रशासन लखनऊ से सम्बन्धित है। तद्नुसार कार्यवाही हेतु उन्हें निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी की नगर पंचायत होड़ी फतेहपुर के स्वास्थ्य केन्द्रों पर आशा बहुओं की नियुक्तियां

94-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की नगर पंचायत होड़ी फतेहपुर के स्वास्थ्य केन्द्रों पर अब तक आशा बहुओं की नियुक्तियां नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नगर पंचायत में आशा बहुओं की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

जनपद झांसी की नगर पंचायत टोडी फतेहपुर में 05 आशा बहुओं की नियुक्ति की जा चुकी हैं, जिनके नाम श्रीमती चन्द्रा, श्रीमती रामश्री, श्रीमती संगीता, श्रीमती रामकुमारी एवं श्रीमती कनकेत है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र, कौशाम्बी की भांति बुंदेलखण्ड में सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का कथित प्रकरण

95-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार जनपद सोनभद्र, कौशाम्बी की भांति बुन्देलखण्ड में भी सम्पर्क मार्गों का मानक 200 आबादी पर करके मजरों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

बुन्देलखण्ड में 200 तक की आबादी के मजरों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की कोई नीति सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड रामनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण में अनियमितता की जांच

96-श्री चन्द्रभान सिंह पटेल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट स्थित विकास खण्ड रामनगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य में बरती जा रही अनियमितताओं की जांच कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-11-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

जी हां।

वर्णित शिकायत के परिप्रेक्ष्य में जांच संस्थित कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

97-श्री चन्द्रभान सिंह पटेल

[1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-196 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद जालौन के कतिपय विकास खण्डों में आने वाले ग्रामों के विद्युतीकरण विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

98-श्रीमती उमाकान्ती-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के विकास खण्ड क्रमशः महोबा, कदौरा, कुठौन्द एवं माधौगढ़ के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के विद्युतीकरण विषयक प्रमुख सचिव, ऊर्जा एवं प्रबन्ध निदेशक, पावर कारपोरेशन, लखनऊ को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 05-11-2012 पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद जालौन के विकास खण्ड क्रमशः महोबा, कदौरा, कुठौन्द एवं माधौगढ़ के अन्तर्गत अधोलिखित चार्ट में अंकित विकास खण्डवार ग्रामों को अंकित योजना में चयनित/सम्मिलित किया गया है :-

विकास खण्ड का नाम	क्रम सं0 पर अंकित गांव	योजना में सम्मिलित
महोबा	01-नया पुरवा (गगरौल)	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना फेज-दो
	02 कोहना	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना फेज-दो

विकास खण्ड का नाम	क्रम सं0 पर अंकित गांव	योजना में सम्मिलित
कदौरा	01 डिहुआ डेरा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना फेज-दो
	11 लखमना ताल (गुलौली)	राम मनोहर लोहिया 2012-13
	19 बगिया गुलौली	राम मनोहर लोहिया 2012-13
कुठौन्द	03 इटहा कालपी	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना फेज-दो
	07 जरगाया	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना फेज-दो
माधौगढ़	01 रैपुरा (गडोरी)	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना फेज-दो

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना फेज-2 के अन्तर्गत सम्मिलित ग्रामों/मजरों की डीपीआर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर0ई0सी0) नई दिल्ली, भारत सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है। उक्त योजना की स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता भारत सरकार से होने पर कार्य प्रारम्भ कराया जाना संभव हो सकेगा।

जहां तक ग्राम लखमनाताल तथा बगिया गुलौली के विद्युतीकरण का प्रश्न है, उक्त ग्राम डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना 2012-13 के अन्तर्गत चयनित है। इन दोनों ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के विकास खण्ड महोबा के ग्राम मगरौल से मलंगा नाले पर अधूरे निर्माण को पूर्ण कराये जाने की मांग

99-श्रीमती उमाकान्ती-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के विकास खण्ड महोबा के ग्राम मगरौल में मलंगा नाले पर रपटा के अपूर्ण निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-10-2012 उन्हें एवं पत्र दिनांक सितम्बर, 2012 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

उक्त पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में कतिपय कार्यों व ब्रिक लाइनिंग के कार्यों में व्यापक अनियमितताओं की जांच की कार्यवाही

100-श्रीमती उमाकान्ती-

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में कच्चे कार्यों, पक्के खड़ंजा एवं नहरों की

गूलों की ब्रिक लाइनिंग एवं अन्य कार्यों में की गई व्यापक अनियमितताओं एवं अधोमानक कार्यों की उच्च स्तरीय टी0ए0सी0 जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-07-2012, 23-11-2012 एवं 03-01-2013 प्रमुख सचिव, भूमि एवं जल संचयन विभाग, उ0प्र0 शासन एवं प्रशासक रामगंगा कमाण्ड कानपुर को पत्र दिनांक 03-01-2013 प्रेषित किये गये हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में कच्चे कार्यों, पक्के खड़ंजा एवं नहरों की गूलों की ब्रिक लाइनिंग एवं अन्य कार्यों की टी0ए0सी0 जांच कराई गई। जांच में भूमि संरक्षण इकाई जालौन द्वितीय के कार्यों के अतिरिक्त शेष इकाइयों के कार्य एवं उनकी गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई।

भूमि संरक्षण इकाई जालौन द्वितीय के द्वारा कराये गये कार्यों में पाई गई अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी अधिकारियों/कार्मिकों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने के लिये शासन के पत्र संख्या-1503/54-2-2013-12(11)/2013, दिनांक 05-08-2013 द्वारा अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, कानपुर को निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के पारीक्षा बांध हेतु अनेकों गांवों की भूमि अधिग्रहीत के सम्बन्ध में जानकारी

101-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में स्थित पारीक्षा बांध में अधिकांश जमीन उत्तर प्रदेश के बड़ागांव, तेंदोल, कोलवा, वरेठी, तिलेथा, रिछौरा, बरारा आदि पारीक्षा गुलार गांवों के कृषकों की अधिग्रहीत की गई है जबकि उक्त बांध के जल के उपयोग का बटवारा मध्य प्रदेश से वर्ष 1977 में किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस समझौते के पुनर्विचार एवं पुनर्बटवारे का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

पारीक्षा जल के बंटवारे के बारे में मध्य प्रदेश सरकार के साथ कोई समझौता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

102-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

[दिनांक 16-09-2013 को अता0प्र0सं0-107 द्वारा उत्तरित]

जनपद बरेली के बाई पास मार्ग के देवहा नदी पर के पुल के बन्द दरों के सम्बन्ध में जानकारी

103-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बीसलपुर-बरेली बाईपास मार्ग पर देवहा नदी के सेतु में सात दरों में से तीन दर बंद हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बंद दरों की सिल्ट सफाई की गई है ? यदि नहीं तो क्या सरकार बीसलपुर परिक्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिये सिल्ट सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जून, 2013 में देवहा नदी में आई अप्रत्याशित बाढ़ ने पुल के बन्द दरों की सिल्ट को प्राकृतिक रूप से कटान कर दिया है। इस पुल से मानक के अनुसार जल प्रवाह में कोई बाधा नहीं है।

जनपद देवरिया के वनकटा से अहिरौली बघेल सम्पर्क मार्ग के नवीनीकरण का कार्य पूर्ण कराने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

104-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में बनकटा से अहिरौली बघेल (उत्तर पट्टी) सम्पर्क मार्ग का नवीनीकरण का कार्य पूरा करने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/क-5नं0-151648/177/12-13, दिनांक 08-04-2013 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई 3.620 किमी0 है जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। इस मार्ग की लम्बाई के चैनेज 0.000 से चैनेज 1.50 कि0मी0 लम्बाई में नवीनीकरण की कार्यवाही की गई है एवं चैनेज 3.000 से चैनेज 3.620 किमी0 भाग की दशा संतोषजनक है। अवशेष भाग ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के नियंत्रणाधीन है। उक्त भाग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 13-09-2013 द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड हजूरपुर के अनेकों सम्पर्क मार्गों को जोड़ने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

105-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड हजूरपुर के अन्तर्गत सिंगिल कनेक्टिविटी की नौ बसावटों क्रमशः सुबेदारपुरवा, चाइनपुरवा, गुलरिया, राननरवा, गुलालीपुरवा, रामसहायपुरवा, पतरहा, गड़ेरियनपुरवा, लोनियनपुरवा को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/क-5नं0-151725/316, दिनांक 11-05-2013 अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, खण्ड-1 जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में वर्णित जिन 09 बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की अपेक्षा की गई है, वे सिंगल कनेक्टिविटी से जोड़ने वाले ग्रामों हेतु लो0नि0वि0 में संचालित की जा रही योजनाओं से आच्छादित नहीं हैं। अतः उक्त पत्र में वर्णित मार्गों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड हजूरपुर के अन्तर्गत सिंगिल कनेक्टिविटी के नौ बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में पत्र

106-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड हजूरपुर के अन्तर्गत सिंगिल कनेक्टिविटी की नौ बसावटों क्रमशः हिरईपुरवा, धनपारा खास, तुलसीरामपुरवा, कटघरा खुर्द, सिंहपुर खास, अहिरनपुरवा, हैनरिया, पाण्डेयपुरवा, बभनिया को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/क-5नं0-151726/315, दिनांक 10-05-2013 अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, खण्ड-1 जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में वर्णित जिन 09 बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की अपेक्षा की गई है, उनमें से क्रमांक-2 पर अंकित बसावट धनपारा खास पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-10 के अन्तर्गत निर्माणाधीन है। शेष 08 बसावटें सिंगल कनेक्टिविटी से जोड़ने वाले ग्रामों हेतु लो0नि0वि0 में संचालित की जा रही योजनाओं से आच्छादित नहीं हैं। अतः इन 08 बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के पयागपुर के विकास खण्ड हजूरपुर में सिंगल कनेक्टिविटी की कतिपय बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में पत्र

107-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड हजूरपुर के अन्तर्गत सिंगिल कनेक्टिविटी की नौ बसावटों क्रमशः बीरूपुरवा, जादवपुर, भेटिया, मल्लापुरवा, तेलियापुर, सिरैयाटांड़, भैंसही, पसियनपुरवा, कुन्दापुर, घोड़हनपुरवा को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/क-5नं0- 151727/314, दिनांक 08-05-2013 अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, खण्ड-1 जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में वर्णित जिन 09 बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की अपेक्षा की गई है, वे सिंगिल कनेक्टिविटी से जोड़ने वाले ग्रामों हेतु लो0नि0वि0 में संचालित की जा रही योजनाओं से आच्छादित नहीं हैं। अतः उक्त पत्र में वर्णित मार्गों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड हजूरपुर के अन्तर्गत सिंगिल कनेक्टिविटी की आठ बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में पत्र

108-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड हजूरपुर के अन्तर्गत सिंगिल कनेक्टिविटी की आठ बसावटों क्रमशः अहिरनपुरवा, बलैया, कलहंसपुरवा, धोबिनपुरवा, जगतापुर, नवनपुरवा, पंडिपुरवा, लोधनपुरवा को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/क-5नं0-196975/271, दिनांक 08-05-2013 अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, खण्ड-1 जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में वर्णित जिन 08 बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की अपेक्षा की गई है, वे सिंगिल कनेक्टिविटी से जोड़ने वाले ग्रामों हेतु लो0नि0वि0 में संचालित की जा रही योजनाओं से आच्छादित नहीं हैं। अतः उक्त पत्र में वर्णित मार्गों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड व विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के ग्रामों एवं मजरों के विद्युतीकरण की मांग

109-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत विकास खण्ड मोहम्मदी व विकास खण्ड-पसगवां में सरकार की नीति के अनुरूप 500 आबादी वाले किस-किस ग्राम सभा के कौन-कौन मजरे सूचीबद्ध किये गये हैं ? क्या सरकार उपरोक्त मजरों व ग्रामों में विद्युतीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में 500 आबादी वाले नहीं बल्कि 300 या इससे अधिक आबादी वाले मजरे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (फेज-2) में सूचीबद्ध

किये गये हैं जिनमें विकास खण्ड मोहम्मदी के 140 ग्रामों के 219 मजरे एवं विकास खण्ड पसगवां के 176 ग्रामों के 225 मजरे (सूची संलग्न)[†]विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित किये गये हैं।

जी हां।

डी0पी0आर0 भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुकी है। कार्यदायी संस्था से अनुबन्ध प्रक्रियाधीन है। अनुबन्ध के उपरान्त भारत सरकार द्वारा धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के थाना बारादरी श्यामगंज से बरेली कालेज तक उपरिगामी सेतु की मांग

110-डा0 अरुण कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली शहर में आबादी एवं वाहनों की संख्या में बढ़ोत्तरी के कारण तथा यातायात जाम की स्थिति से निपटने के लिये थाना बारादरी श्यामगंज से बरेली कालेज तक एक उपरिगामी सेतु सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग की चौड़ाई कम होने के कारण ओपेन अथवा पाइल फाउण्डेशन का कार्य करना एवं सर्विस रोड का प्राविधान करना सम्भव नहीं होगा। अतः उपरिगामी सेतु का निर्माण सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

111-डा0 अरुण कुमार-

[दिनांक 16-09-2013 को अता0प्र0सं0-108 द्वारा उत्तरित]

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अनेकों विकास क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण की मांग

112-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अन्तर्गत विकास क्षेत्र सल्टौआ गोपालपुर, रुधौली, साऊघाट तथा रामनगर की लम्बी एवं क्षतिग्रस्त सड़कों को 2012-13 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-03-2013 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में निर्माण से सम्बन्धित सूची में 68 मार्गों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से 56 मार्ग ऐसे हैं जिनकी लम्बाई 3.00 किमी0 से कम होने के कारण त्वरित आर्थिक विकास योजना के मानक के अनुरूप नहीं हैं। शेष 12 मार्गों में से 10 मार्गों का आगणन, त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत गठित किया गया है तथा एक मार्ग प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में प्रस्तावित है। 01 मार्ग वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत है।

उपर्युक्तानुसार।

[†] छापी नहीं गई।

त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत सेतु निर्माण विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

113-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत सेतु निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-03-2013 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित सेतुओं के स्थलीय निरीक्षणोपरान्त सभी सेतुओं की लम्बाई 30 मी0 से कम होने के कारण त्वरित आर्थिक विकास योजना के मानक के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती के आशीर्वाद बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना के अन्तर्गत ए0एन0एम0 के पद के लिये साक्षात्कार में अनियमितता की जांच विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

114-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में आशीर्वाद बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना के अन्तर्गत ए0एन0एम0 के पद के लिये साक्षात्कार में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार प्रकरण की जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 02-04-2013 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

प्रकरण में जांच कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड हजूरपुर के अनेकों सम्पर्क मार्गों को जोड़ने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

115-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड हजूरपुर के अन्तर्गत सिंगिल कनेक्टिविटी की सात बसावटों क्रमशः मतरमा, लोनियनपुरवा, सोनहरा, धन्नीपुरवा, तिवारीपुरवा, छेदकुरी, भरथा पसियनपुरवा को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/क-5नं0-151732/309, दिनांक 13-05-2013 अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, खण्ड-1 जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में वर्णित जिन 07 बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की अपेक्षा की गई है, वे सिंगिल कनेक्टिविटी से जोड़ने वाले ग्रामों हेतु लो0नि0वि0 में संचालित की जा रही योजनाओं से

आच्छादित नहीं हैं। अतः उक्त पत्र में वर्णित मार्गों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड हजूरपुर में सिंगिल कनेक्टिविटी की सात बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में पत्र

116-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड हजूरपुर के अन्तर्गत सिंगिल कनेक्टिविटी की सात बसावटों क्रमशः डीहवा, बिशुनापुर, नान्हूपुरवा, पूरजैता, बभनिया, धोबिनपुरवा, भटपुरवा को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/क-5नं0-151733/308, दिनांक 03-05-2013 अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, खण्ड-1 जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में वर्णित जिन 07 बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की अपेक्षा की गई है, वे सिंगिल कनेक्टिविटी से जोड़ने वाले ग्रामों हेतु लो0नि0वि0 में संचालित की जा रही योजनाओं से आच्छादित नहीं हैं। अतः उक्त पत्र में वर्णित मार्गों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड पयागपुर की सात बसावटें लोक निर्माण विभाग के मानकों के अन्तर्गत स्वीकृत न होने के सम्बन्ध में जानकारी

117-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड पयागपुर के अन्तर्गत सिंगिल कनेक्टिविटी की नौ बसावटों क्रमशः मल्लों, गुबार, चन्द्रवा, दसौटी, पंडितपुरवा, गुरुदत्तपुरवा, चमारनपुरवा, दुधौली, पंडितपुरवा को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/क-5नं0-151729/312, दिनांक 17-05-2013 अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, खण्ड-1 जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां, प्रश्नगत प्रकरण प्राप्त हुआ है किन्तु पत्र में दिनांक 07-05-2013 उल्लिखित है।

प्रश्नगत पत्र में वर्णित कुल 9 बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की अपेक्षा की गयी है, उनमें से 'गुबार' पी0एम0जी0एस0आई0 के अन्तर्गत एवं पंडितपुरवा व गुरुदत्तपुरवा डा0 राम मनोहर लोहिया योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में स्वीकृत हैं। चमारनपुरवा, एस0सी0पी0 अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में प्रस्तावित है। शेष 05 बसावटें सिंगिल कनेक्टिविटी से जोड़ने वाले ग्रामों हेतु लो0नि0वि0 में संचालित की जा रही योजनाओं के मानकों को पूरा न करने के कारण स्वीकृत नहीं की जा सकतीं।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के पयागपुर क्षेत्र के विकास खण्ड पयागपुर की सात बसावटें लोक निर्माण विभाग की योजनाओं से आच्छादित न पाये जाने के सम्बन्ध में

118-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड पयागपुर के अन्तर्गत सिंगिल कनेक्टिविटी की सात बसावटों क्रमशः कहारनपुरवा, पिपरिया, धरमसिंहवा, करमोहना, महरौनी, बीरसिंहपुरवा को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/क-5नं0-151730/311, दिनांक 07-05-2013 अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, खण्ड-1 जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में वर्णित जिन 07 बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की अपेक्षा की गयी है, वे सिंगिल कनेक्टिविटी से जोड़ने वाले ग्रामों हेतु लो0नि0वि0 में संचालित की जा रही योजनाओं से आच्छादित नहीं हैं। अतः उक्त पत्र में वर्णित मार्गों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के पयागपुर क्षेत्र के विकास खण्ड विशेश्वरगंज में सिंगिल कनेक्टिविटी की नौ बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में पत्र

119-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के अन्तर्गत सिंगिल कनेक्टिविटी की नौ बसावटों क्रमशः मोतीपुरवा, बंजारापुरवा, बरईपुरवा, चरागाह, महुआबारीपुरवा, रमायनपुरवा, बहोरीपुरवा, पूरेशिवसहायपुर, शंकरपुरवा को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/क-5नं0-196969/276, दिनांक 03-05-2013 अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, खण्ड-1 जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के कुआनों नदी पर अनेकों घाट पर पुल निर्माण कराने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

120-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अन्तर्गत कुआनों नदी पर स्थित इटहिया घाट, बाठू घाट तथा पगोर घाट पर पुल निर्माण कराये जाने

विषयक अनुरोध-पत्र दिनांक 18-03-2013 मा0 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

सेतुओं के कार्यस्थल वन भूमि से आच्छादित हैं। सेतुओं को अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में 10 किमी0 से कम दूरी पर सेतु निर्मित/निर्माणाधीन हैं। अतः सेतु निर्माण का औचित्य नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी एवं ललितपुर की निर्माणाधीन परियोजनाओं के स्थलीय निरीक्षण में की गई अनियमितताओं पर कार्यवाही

121-डा0 अरुण कुमार-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2013 के 5वें बुधवार के अता0प्रश्न संख्या-15 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेतवा परियोजना के जनपद झांसी एवं ललितपुर की निर्माणाधीन परियोजनाओं के स्थलीय निरीक्षण के समय की गई अनियमितताओं के कारण प्रशासनिक आधार पर मुख्य अभियंता परियोजना बेतवा, झांसी के पत्र दिनांक 11-10-2012 के अन्तर्गत 03 सहायक अभियन्ताओं एवं 05 अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण करते हुए क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मुख्य अभियन्ता (परियोजना/बेतवा) झांसी के पत्र दिनांक 11-10-2012 द्वारा 03 सहायक अभियन्ताओं एवं 05 अवर अभियन्ताओं को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र स्थानान्तरित करने की संस्तुति की गयी थी। उक्त संस्तुति के दृष्टिगत 02 सहायक अभियन्ताओं एवं 05 अवर अभियन्ताओं को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा शेष 01 सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

प्रश्नगत तीनों सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध मुख्य अभियन्ता (कार्मिक) के पत्रांक सी-187/ई-2/171/विविध/स्था0/12, दिनांक 11-03-2013 द्वारा तथा प्रश्नगत 05 अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता (कार्मिक) के पत्रांक जी-58/ई-7, दिनांक 08-03-2013 द्वारा मुख्य अभियन्ता (परियोजना बेतवा), झांसी को निर्देशित किया जा चुका है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर के बेरी बेतवा नदी व प्रमुग नदी पर पुल निर्माण की मांग

122-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर में राठ से बेरी बेतवा नदी पार करके कुरारा एवं कुरारा से कानपुर जाने हेतु भौली यमुना नदी पार करके भौली एवं कुरारा में पुल का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सेतुओं का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद व विधान सभा क्षेत्र हमीरपुर में बाईपास रोड बनाये जाने की मांग

123-साध्वी निरंजन ज्योति

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हमीरपुर शहर में प्रतिदिन मौरंग से भरे हजारों ट्रक शहर के अन्दर से निकलते हैं जिससे हमेशा दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार दुर्घटनायें रोकने हेतु यमुना एवं बेतवा के किनारे से बाईपास रोड बनाने के लिये कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

सम्प्रति ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद व विधान सभा क्षेत्र हमीरपुर के विकास खण्ड के ग्राम शेखूपुर में खराब ट्यूबवेल को ठीक कराये जाने की मांग

124-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र के कुरारा विकास खण्ड में ग्राम शेखूपुर में 15 एच0जी0 ट्यूबवेल लगभग 14 वर्षों से खराब पड़ा है जिससे किसानों को कृषि कार्य में अत्यन्त कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नलकूप को ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र के कुरारा विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शेखूपुर में स्थापित राजकीय नलकूप संख्या-15 एच0जी0 फेल श्रेणी में है।

डा0 राम मनोहर लोहिया 1054 फेल नलकूप परियोजना के अन्तर्गत उक्त नलकूप का पुनः निर्माण प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद व दादरी के बीच फार्म हाउसों में शादी तथा उत्सवों से रोड जाम की स्थिति से छुटकारा दिलाये जाने की वैकल्पिक व्यवस्था

125-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एन0एच0 91 के दोनों किनारों पर दादरी तथा गाजियाबाद के बीच शादी, विवाह आदि उत्सवों के लिये नन्दन फार्म्स सूरज फार्म, महालक्ष्मी फार्म सहित अनेक फार्म हाउस खुल गये हैं, जिनमें रात्रि के समय एन0एच0 91 पर भयंकर जाम लग जाता है ? यदि हां, तो क्या उक्त जाम की समस्या के निराकरण हेतु सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। मार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है।

जाम की समस्या के निराकरण हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लाल कुंआ से अलीगढ़ तक चार लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र छावनी के देहली सुजानपुर से गंगोत्री भवन तक बिजली की व्यवस्था किये जाने की मांग

126-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड सं0 53 में रामपुरम् फेस-1, देहली सुजानपुर के म0नं0 8 ई से म0नं0 16 गंगोत्री भवन तक बिजली के पोल मय तार न होने से जनता को समस्या हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

सम्प्रति ऐसी कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड नं0-53 में रामपुरम् फेस-1 देहली सुजानपुर के म0नं0-8 ई से म0नं0-16, गंगोत्री भवन तक का क्षेत्र सोसाइटी विकासकर्ता द्वारा विकसित किया गया है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा ही पोल व तार लगाया जाना है।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन की कतिपय नहर पर पक्के घाट का निर्माण कराये जाने की मांग

127-श्री सुरेश राणा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के थानाभवन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम गंदेवड़ा, जहां यमुना नहर एवं गंग नहर मिल करके संगम बनाती हैं, हजारों लोग स्नान एवं धार्मिक कार्य सम्पन्न करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पक्के घाट का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इस स्थान से नीचे 100 मीटर में पक्के घाट का निर्माण पूर्व से ही है।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन आने वाली अनेकों सड़कों के निर्माण की मांग

128-श्री सुरेश राणा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के थानाभवन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत आने वाली सड़कें जलालाबाद-लोहारी मार्ग, मस्तगढ़-गढ़ीपुख्ता मार्ग, हींड़, गढ़ीपुख्ता मार्ग

जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का निर्माण करायेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां, वर्णित मार्ग कहीं-कहीं पर क्षतिग्रस्त है।

वर्णित मार्ग पूर्व से निर्मित है। प्रश्नगत मार्गों की विशेष मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में तैनात चिकित्सकों की सीमा तैनाती अन्तर्गत जनपद शामली के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों को हटाये जाने की मांग

129-श्री सुरेश राणा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में तैनात चिकित्सकों की स्थानान्तरण नीति में एक स्थान पर तैनाती की कोई समय-सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद शामली के नगर शामली अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की तैनाती नीति के अनुरूप नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार लम्बे समय से एक ही स्थान पर तैनात रहकर प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों को हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2013-14 में चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण दो चरणों में किये जाने की नीति निर्धारित की गई है, प्रथम चरण में 15 वर्ष की अवधि तक लगातार एक ही जनपद में तैनात एवं द्वितीय चरण में 10 से 15 वर्ष तक की अवधि तक लगातार एक ही जनपद में तैनात चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण किये जाने का प्राविधान उक्त स्थानान्तरण नीति में किया गया है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शामली में चिकित्सकों की तैनाती शासन की नीति के अनुसार की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शामली प्रथम संदर्भन इकाई (एफ0आर0यू0 सेन्टर) है, जहां सुरक्षित प्रसव कराने हेतु एक निश्चेतक की तैनाती की अनिवार्यता के दृष्टिगत डा0 जगमोहन, निश्चेतक को जनहित में तैनात रखा गया है।

प्राइवेट प्रैक्टिस की शिकायत/जांच में दोषी पाये जाने पर सन्दर्भित चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही/स्थानान्तरण की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में बायो मेडिकल वेस्ट कचरे हेतु डम्पिंग स्टेशन बनाये जाने की मांग

130-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी में बायो मेडिकल वेस्ट कचरे को उठाने तथा डम्पिंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण जनपद के अस्पतालों का कचरा, जहरीला सामान, इंजेक्शन आदि खुले में फेंके जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त

समस्या के निराकरण हेतु जनपद-लखीमपुर खीरी में डम्पिंग स्टेशन बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

जनपद लखीमपुर खीरी के राजकीय चिकित्सालयों में उत्सर्जित हो रहे बायो मेडिकल कचरे के निस्तारण हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत संस्था मेसर्स सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेण्ट प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ को अनुबन्धित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उत्तराखण्ड से पेंशन ड्रा करने की अनुमति दिये जाने की मांग

131-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उ0प्र0 के अतिरिक्त उत्तराखण्ड से भी पेंशन ड्रा करने की अनुमति दिये जाने संबंधी विद्युत पेंशनर परिषद् उ0प्र0 के सचिव श्री वी0के0 सक्सेना का पत्रांक 1/वी0पी0पी0/ डी0डी0एन0 दिनांक 18-04-2012 प्रमुख सचिव, ऊर्जा, उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की सेवाओं से सेवानिवृत्त परन्तु उत्तराखण्ड राज्य में निवास कर रहे पेंशनरों को उत्तराखण्ड राज्य से पेंशन दिये जाने की मांग को सम्यक् विचारोपरान्त अस्वीकृत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

पारीक्षा बांध का पानी जालौन जिला की सीमा तक नहीं आ पाने का कथित प्रकरण

132-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पारीछा बांध से निकलने वाली नहर का पानी जालौन जिला की सीमा तक ही आ पाता है जिससे जनपद हमीरपुर के हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विकास खण्ड कुरारा के किसान अपनी खेती नहीं सींच पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वेरी-बेतवा नदी से लिफ्ट कैनाल एवं विलौटा-यमुना नदी से पम्प कैनाल निकाल कर उक्त क्षेत्र हेतु सिंचाई की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

कोई कार्य योजना प्रस्तावित नहीं है।

पारीछा बांध से निकलने वाली नहर का पानी जनपद जालौन के आगे हमीरपुर के कुरारा विधान सभा क्षेत्र के किसानों को सिंचाई हेतु प्राप्त होता है।

जनपद व विधान सभा क्षेत्र हमीरपुर में विद्युत रोस्टर व्यवस्थित ढंग से लागू किये जाने के सम्बन्ध में

133-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत रोस्टर व्यवस्थित ढंग से लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद हमीरपुर के हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत रोस्टर व्यवस्थित ढंग से लागू है तथा प्रदेश में लागू विद्युत रोस्टर के अनुसार हमीरपुर नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों को 18 बजे से 06 बजे तक एवं 12 बजे से 15 बजे तक (कुल 15 घण्टे) विद्युत आपूर्ति आदेशित हैं

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा से चित्रकूट जाने वाले जर्जर मार्ग के पुनः निर्माण की मांग

134-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा से चित्रकूट जाने वाला मार्ग अत्यन्त जर्जर हालत में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का पुनः निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जी हां, क्षतिग्रस्त भाग के पुनः निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र छावनी में बाबूपुरवा में निर्मित चबूतरे पर ट्रान्सफार्मर लगवाये जाने की मांग

135-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 54 बाबूपुरवा, वी0एम0 स्कूल के पास निर्मित चबूतरे पर ट्रांसफार्मर न लगने से जनता को समस्या हो रही है ? यदि हां, तो सरकार उक्त क्षेत्र में ट्रांसफार्मर लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

वार्ड 54 बाबूपुरवा वी0एम0 स्कूल के पास निर्मित चबूतरा विद्युत पोल सं0 112/54 बी0पी0 पर है। इसी पोल के पास सार्वजनिक हैण्डपम्प लगा है। हैण्डपम्प की वजह से जनता ने उपरोक्त चबूतरे पर ट्रान्सफार्मर लगाने का पूर्व में विरोध किया था। अतः उपरोक्त ट्रान्सफार्मर पास के पोल सं0-114/54 बी0पी0 पर रखा गया है, जो बिल्कुल सुरक्षित स्थान है तथा इससे क्षेत्रीय जनता की विद्युत सम्बन्धी समस्या का समाधान हो गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

तदैव।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के जर्जर मार्गों के पुल निर्माण की मांग

136-श्री सुरेश राणा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार शामली जनपद की थानाभवन विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आने वाली मुजफ्फरनगर-थानाभवन, थानाभवन-ऊन, बुटराड़ा-हींड मार्ग के जर्जर हो जाने के कारण उनका पुनः निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त मार्गों पर एस0डी0बी0सी0 से नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत एवं प्रगति में है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के गांवों को जोड़ने वाले अधूरे पड़े निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

137-श्री सुरेश राणा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के अन्तर्गत सैकड़ों गांव को जोड़ने वाले मुल्लापुर मार्ग पर एवं सोनटा रसूलपुर रायपुर मार्ग पर स्थित दो पुलों के अधूरे पड़े निर्माण कार्य को सरकार कब तक पूर्ण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद शामली के ड्रेनेज खण्ड, मुजफ्फरनगर के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद शामली में कृष्णी नदी पर थानाभवन के निकट मुल्लापुर मार्ग एवं सोनटा रसूलपुर मार्ग पर दो पुल निर्माणाधीन हैं। थानाभवन के निकट मुल्लापुर मार्ग पर पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। पुल के पहुंच मार्ग का कार्य प्रगति पर है। सोनटा रसूलपुर मार्ग पर पुल निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में दोनों पुलों का कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के आने जाने वाले सम्पर्क मार्गों का डामरीकरण कराये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

138-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले आवागमन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सम्पर्क मार्गों का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/12-13/क-5नं0-157629/2098, क-5नं0-157628/2097, क-5नं0-157627/2096, क-5नं0-157637/2095, क-5नं0-157626/2094, क-5नं0-157625/2093, क-5नं0-157633/3002 दिनांक 02-02-2013 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत पत्रों में वर्णित कुल 69 बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की अपेक्षा की गई है, उनमें से 15 बसावटें पूर्व से ही पक्के सम्पर्क मार्ग से जुड़ी हैं तथा 01 बसावट एस0सी0पी0 एवं 01 बसावट व्यापार विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत है। 02 बसावटें वर्ष 2013-14 में एस0सी0पी0 के अन्तर्गत, 08 बसावटें पी0एम0जी0एस0वाई0 में प्रस्तावित हैं। शेष 42 बसावटें सिंगिल कनेक्टिविटी से जोड़ने वाले ग्रामों हेतु लो0नि0वि0 में संचालित की जा रही योजनाओं के मानकों को पूरा न करने के कारण स्वीकृत नहीं की जा सकतीं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के वन क्षेत्र के ग्रामीणों को पशु चराने व घास-फूस लेने के अधिकार

139-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के वन क्षेत्र के आस-पास रहने वाले ग्रामीणों को वनों में पशु चराने तथा रोजमर्रा की जरूरत से सम्बन्धित वन उपज जैसे घास-फूस, बल्ली व जलौनी लकड़ी आदि वनों से लेने का अधिकार प्रदान करने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजना में क्या प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त अधिकार ग्रामीणों को देने पर विचार करेगी ?

श्री अखिलेश यादव-

उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले आदिवासियों/वनवासियों को वन सम्पदा का बिना हानि पहुंचाये आरक्षित वन के अन्दर पाये जाने वाले वन उपज जैसे आंवला, गोंद, शहद, मोम, महुआ के फल-फूल चिरौंजी फल तथा गिरे पड़े ईंधन का निजी उपयोग हेतु निःशुल्क संग्रहण किये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। केवल उन ग्रामों के निवासियों को प्रदत्त होगी, जिन्हें वन बन्दोबस्त में अधिकार एवं सुविधा हेतु अधिसूचित किया गया है।

वन में पशु चराने का कोई भी प्राविधान नहीं है। केवल संयुक्त वन प्रबन्ध नियमावली, 2002 के अन्तर्गत गठित संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के माध्यम से सम्बन्धित ग्रामीणों को घास-फूस आदि लेने का अधिकार प्रदत्त किया गया है। उ0प्र0 ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2010 के अनुसार इमारती लकड़ी और बांस से प्राप्त शुद्ध आय का 50 प्रतिशत [नियमावली के पैरा 19 (1) (एक) एवं (दो) के अनुसार व्यय को कम करते हुए] सम्बन्धित संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के खाते में जमा किये जाने का प्राविधान है। इसी क्रम में तेंदू पत्ता से प्राप्त शुद्ध आय का 50 प्रतिशत अधिसूचना संख्या-1835/XIV-5-2010-109/93, दिनांक 26-11-2010 से तेदू पत्ता संग्रहरणकर्ताओं को सीधे उ0प्र0 वन निगम द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। इस नियमावली के पैरा 19(1) (ग) (एक) के अनुसार संयुक्त वन प्रबन्ध समिति, औषधीय जड़ी-बूटियों व तेंदू पत्ते से भिन्न गैर इमारती लकड़ी वन उपज का एकत्रीकरण, भण्डारण, प्रसंस्करण व विपणन करने का हकदार बनाई गई है। वृक्षारोपण क्षेत्रों में निराई एवं सफाई कार्य के समय जो घास, पत्ते आदि निकलते हैं, उन्हें ग्रामीणों द्वारा ही अपने निजी प्रयोग में लाया जाता है। बल्ली या मोटी लकड़ी के वितरण का कोई प्राविधान नहीं है।

शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण की योजनान्तर्गत जनपद बरेली के अनेकों मार्गों पर वृक्षारोपण कराये जाने की मांग

140-डा0 अरूण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण की क्या योजना है ? क्या सरकार जनपद बरेली के गांधीनगर, धनवन्तरी मार्ग, राजेन्द्र नगर, एकतानगर, डी0डी0 पुरम्, मॉडल टाउन आदि क्षेत्रों में जहां चौड़ी सड़क है, में ट्री गार्ड लगाकर वृक्षारोपण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण की योजना है।

बजट की उपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण कराये जाने का प्राविधान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के भानपुर कस्बे से बैजनाला तक नाला निर्माण कराये जाने की मांग

141-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ''बाढ़ एवं जल निकासी योजना'' के अन्तर्गत जनपद बस्ती के रुधौली विधान सभा क्षेत्र के भानपुर कस्बे से बैजनाला तक नाला निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-11-2012 प्रमुख सचिव, सिंचाई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

निर्माण की परियोजना बनाई जा रही है। तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने पर निर्माणा हेतु निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भूमि विकास बैंक द्वारा किसानों के नो-ड्यूज की फीस को कम करने की मांग

142-श्री सुरेश राणा-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों की लगातार घट रही आमदनी के बावजूद भूमि विकास बैंक द्वारा किसानों को मिलने वाले नो-ड्यूज की फीस 50 रुपये से बढ़ाकर 250/- रुपये कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बढ़ी हुई धनराशि को वापस लेने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा किसानों को मिलने वाले नो-ड्यूज की फीस दिनांक 15-05-12 को रु0 50/- से बढ़ाकर रु0 250/- की गयी, तत्पश्चात् दिनांक 30-04-2013 को अदेय प्रमाण-पत्र निर्गमन शुल्क 250/- से घटाकर रु0 200/- किया गया है।

जी नहीं।

उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखाओं से अदेय प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन करने की आवश्यकता होती है जिसमें पर्याप्त श्रम एवं समय लगता है। जिसके फलस्वरूप उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक की प्रबन्ध कमेटी द्वारा अदेय प्रमाण-पत्र निर्गमन शुल्क जिये जाने का निर्णय लिया गया है।

जनपद शामली जिला योजना द्वारा प्रस्तावित सड़कों के निर्माण/मरम्मत हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर अवमुक्त धनराशि की जानकारी

143-श्री सुरेश राणा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2012-13 की जनपद शामली जिला योजना द्वारा प्रस्तावित सड़कों के नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं विशेष मरम्मत हेतु कितनी धनराशि का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था एवं उसके सापेक्ष कितनी धनराशि अब तक अवमुक्त की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपद शामली जिला योजना के अन्तर्गत सड़कों के नवनिर्माण/पुनर्निर्माण हेतु रु0 1770.73 लाख का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। वित्तीय वर्ष 2012-13 में रु0 9.43 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु0 28.30 लाख, इस प्रकार अब तक कुल रु0 37.73 लाख अवमुक्त की गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

लखनऊ-बाराबंकी मार्ग पर मटियारी चौराहे के आगे अनेकों जर्जर विद्युत तारों/पोलों को बदलवाये जाने की मांग

144-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ-बाराबंकी मार्ग पर मटियारी चौराहे से आगे हिन्दुस्तान मोटर्स के बगल भारत गैस एजेन्सी से बायें तरफ रहमानपुर गांव में श्री रामबख्श सिंह एडवोकेट के घर तक जर्जर विद्युत पोलों/तारों को बदलने तथा विद्युत पोलों पर मरकरी सोडियम लाइट तथा हाईमास्ट लाइट लगाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/ख-5 नं0-206911/144, दिनांक 07-01-2013 प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0 प्र0 को तथा पत्र सं0-क-5 नं0-137210/135, दिनांक 07-01-2013 प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कार्पोरेशन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

मटियारी चौराहे से आगे हिन्दुस्तान मोटर्स के बगल भारत गैस एजेन्सी से बायें तरफ रहमानपुर गांव में श्री रामबख्श सिंह एडवोकेट के घर तक जर्जर विद्युत पोलों/तारों को बदलने के लिये रुपये 5.14 लाख का पैकेज स्वीकृत किया गया है।

विद्युत पोलों पर मरकरी सोडियम लाइट तथा हाईमास्ट लाइट लगाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सम्बन्धित कार्य पावर कारपोरेशन से सम्बन्धित नहीं है। यह कार्य नगर निगम, लखनऊ के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। अतः इस बिन्दु पर कार्यवाही हेतु पत्र की प्रति पत्र सं0-1431/चौबीस-पी-3-2013, दिनांक 10-09-2013 प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग को भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ-बाराबंकी मार्ग पर मटियारी चौराहे के आगे सम्पर्क मार्ग/पिच निर्माण की मांग

145-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ-बाराबंकी मार्ग पर मटियारी चौराहे से आगे हिन्दुस्तान मोटर्स के बगल भारत गैस एजेन्सी से बायें तरफ रहमानपुर गांव में श्री रामबख्श सिंह एडवोकेट के घर तक सम्पर्क मार्ग दूरी लगभग 400 मीटर के आर0सी0सी0/पिच निर्माण कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/ख-5 नं0-206910/143, दिनांक 07-01-2013 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिला योजना के अन्तर्गत प्रश्नगत मार्ग का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण उक्त मार्ग की स्वीकृति किया जाना सम्भव नहीं पाया गया।

उपर्युक्तानुसार।

146-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-193 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विभिन्न सम्पर्क मार्गों के निर्माण सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

147-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत विभिन्न सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा का पत्र सं0-1542फै0क्षे0/158/6 याता0 पूविनि (राज्यांश) फै0क्षे0/12-13, दिनांक 8-2-2013 प्रमुख सचिव, लोनिवि अनु0-14, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

सीमिति वित्तीय संसाधनों के कारण आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा के पत्र दिनांक 08-02-13 में उल्लिखित मार्गों की स्वीकृति पर विचार किया जाना सम्भव नहीं पाया गया।

उपर्युक्तानुसार।

148-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद शाहजहांपुर नगर के पुराने अस्पताल के खाली भवन को आपातकालीन चिकित्सा सुविधायें प्रारम्भ करने की मांग

149-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर के मध्य स्थित पुराने जिला अस्पताल के खाली भवन में आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं प्रारम्भ करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

पुराने जिला अस्पताल परिसर, शाहजहांपुर के भवन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के कार्यालय स्थापित हैं।

पुराने जिला चिकित्सालय के समस्त स्टाफ एवं उपकरण आदि नवनिर्मित जिला संयुक्त चिकित्सालय, शाहजहांपुर में स्थानान्तरित करते हुए उक्त नवनिर्मित जिला चिकित्सालय पूर्ण रूप से क्रियाशील कर दिया गया है तथा नवनिर्मित जिला संयुक्त चिकित्सालय, शाहजहांपुर पुराने अस्पताल से मात्र 03 किमी0 दूर है।

वर्तमान में पुराने जिला अस्पताल में प्रातः 8.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक एक चिकित्सक द्वारा ओ0पी0डी0 की सेवायें प्रदान की जा रही हैं।

जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के मजरों के विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

150-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी जनपद खीरी के 300 या इससे अधिक आबादी वाले मजरों का विद्युतीकरण कराने के लिये सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो उक्त मजरे का कब तक विद्युतीकरण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (फेज-2) में 300 या अधिक आबादी वाले मजरों की विद्युतीकरण की कार्य योजना है।

मजरों के विद्युतीकरण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था से अनुबन्ध होना प्रक्रियाधीन है। अनुबन्ध निष्पादन के उपरान्त धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के ग्राम बेल्तुआ में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने का कथित प्रकरण

151-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत, जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के ग्राम-बेल्तुआ में 33 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र बनाया जाना 2012 से प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक उक्त विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ब्लाक-ईसानगर के ग्राम बेल्तुआ की विद्युत आपूर्ति 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र धौरहरा से निर्गत 11 के0वी0 फीडर ईसानगर से हो रही है। जिस पर वर्तमान में सामान्यतः विद्युत भार 50 एम्पीयर है तथा अधिकतम विद्युत भार 85 एम्पीयर रहा है।

152-श्री गुटियारी लाल दुवेश

[1ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0-180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आगरा में ताजमहल के पास मुगल की पुलिया का चौड़ीकरण की स्वीकृति

153-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में ताजमहल के पास वी0आई0पी0 रोड पर मुगल होटल के सामने स्थित 'मुगल की पुलिया' संकरी होने से पर्यटकों को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिया का चौड़ीकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

आगरा बाह कचौरा घाट (राज्य मार्ग-62), मार्ग किमी0-4 में मुगल पुलिया के चौड़ीकरण, मरम्मत एवं जीर्णोद्धार का कार्य के लिये पथकर सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 14-06-2013 में लोक निर्माण विभाग कार्यदायी संस्था नामित करते हुए रु0 212.90 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई है, जिसके क्रम में उक्त धनराशि अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-1 (ता0ट्रि0), लोक निर्माण विभाग, आगरा को चेक सं0-275241 दिनांक 17-07-2013 के द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है। उक्त कार्य की निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार कार्य करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक स्थल शुक्रताल के लिये विशेष पैकेज की मांग

154-श्री सुरेश राणा-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के धार्मिक स्थलों एवं पौराणिक स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों को विकसित करने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या जनपद मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक पौराणिक स्थल शुक्रताल

के लिए सरकार कोई विशेष पैकेज देकर विकसित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश-

पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश के धार्मिक व पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर पर्यटकों की सुविधा हेतु आवश्यकतानुसार केन्द्रीय/राज्य/जिला योजनान्तर्गत अवस्थापना विकास के कार्य कराये जाते हैं।

जी नहीं।

मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक पौराणिक स्थल शुक्रताल के पर्यटन विकास हेतु कोई विशेष पैकेज की योजना पर्यटन विभाग में विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी योजनान्तर्गत भूमि विकास बैंक के साथ अन्य बैंकों द्वारा किसानों के कर्ज को माफ करने की मांग

155-श्री सुरेश राणा तथा श्री धर्मपाल सिंह-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा किसानों को 50,000/- रुपये की कर्जा माफी योजनार्गत अब तक प्रदेश के कितने किसानों का कर्जा माफ किया गया है ? क्या सरकार किसानों की दयनीय हालत को देखते हुए भूमि विकास बैंक के साथ-साथ अन्य बैंकों द्वारा लिये गये किसानों के कर्ज को माफ करने पर कोई विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रदेश में रु0 50,000/-तक का ऋण लेने वाले 4,19,835 कृषकों का कर्जा माफी योजनान्तर्गत कर्जा माफ किया गया है।

उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक के अतिरिक्त वर्तमान में संस्थागत वित्त विभाग के अधीन किसी भी बैंक द्वारा लिये गये किसानों के कर्ज को माफ करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली में अस्पतालों के बेड बनाये जाने की मांग

156-श्री सुरेश राणा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 100 बेड के अस्पतालों की स्थापना की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या सरकार नवसृजित जनपद शामली के मुख्यालय पर 100 शैय्या के चिकित्सालय की स्थापना वित्तीय वर्ष 2013-14 में कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

नवसृजित जनपद शामली में 100 शैय्या का अस्पताल प्रस्तावित है, जिसकी स्थापना की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थाना भवन के कतिपय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मानक के अनुसार चिकित्सकों की तैनाती

157-श्री सुरेश राणा

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मानकानुसार चिकित्सकों की तैनाती किये जाने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद शामली की विधान सभा थानाभवन के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाबरी, हरड़ फतेहपुर एवं गढ़ी पुख्ता में मानकानुसार चिकित्सकों की तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां। प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एलोपैथिक चिकित्साधिकारी का एक-एक पद सृजित है।

प्रदेश में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिये लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद को 5543 पदों पर चयन हेतु अधियाचन प्रेषित किया जा चुका है।

विधान सभा थाना भवन के प्राथमिक स्वा0 केन्द्र, बाबरी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, हरड़ फतेहपुर में तथा प्रा0 स्वा0 केन्द्र गढ़ी पुख्ता में चिकित्सक तैनात है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के वि0 सभा निघासन के अनेकों ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कराये जाने की मांग

158-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर के वि0स0 निघासन के ग्राम-सिंगहा, दुबहा, लुधौरी, सेमरी व तेलियार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र न होने के कारण नागरिकों को काफी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सिंगहा की जनसंख्या 3870 है और 05 किमी0 की दूरी पर पी0एच0सी0 सिंगाही संचालित है, ग्राम दुबहा की जनसंख्या 4266 है और 07 किमी0 की दूरी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निघासन संचालित है, ग्राम-लुधौरी की जनसंख्या 4770 है और 03 किमी0 की दूरी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निघासन संचालित है, ग्राम सेमरी की जनसंख्या 4103 है और 06 किमी0 की दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लखाही संचालित है व ग्राम तेलियार की जनसंख्या 6345 है और 04 किमी0 की दूरी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रमियाबेहड संचालित है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्रामवासियों की चिकित्सा सुविधा हेतु क्षेत्र में प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है।

जनपद झांसी की बरुआ सागर झील में नलकूप पम्प लगाकर पेयजल एवं सिंचाई की व्यवस्था कराये जाने की मांग

159-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में स्थित बरूआ सागर झील में बरूआ नाला (मध्य प्रदेश) से पानी आकर गिरता था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि म0 प्र0 सरकार द्वारा अपनी सीमा में उक्त नाले पर चेकडैमों का निर्माण करवाकर वर्षाजल को अवरुद्ध कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त झील का अस्तित्व संकट में पड़ गया है और न0पा0परि0 बरूआ सागर में पेयजल एवं सिंचाई का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त झील हेतु नलकूप पम्प लगाकर समस्या का समाधान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां, मध्य प्रदेश से बहकर आने वाले बरुआ नाले का पानी बरुआ सागर झील में गिरता है।

जी हां, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपनी सीमा में उक्त नाले पर 2 बांधों का निर्माण कराया जा रहा है।

बरुआ सागर झील से नगर पालिका परिषद्, बरुआ सागर को पेयजल की आपूर्ति नहीं की जाती है। अपितु बरुआ सागर झील के पानी से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में झील अपने पूर्ण जलस्तर तक भरी हुई है। अतः वर्तमान में कोई पानी का संकट नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के ग्राम सभा सुवाह में विद्युत समस्या हेतु ट्रान्सफार्मर लगाये जाने की मांग

160-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम सभा सुवाह की अनुसूचित बस्ती में विद्युत समस्या को दृष्टिगत रखते हुए 25 के0वी0 का ट्रांसफार्मर लगाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम सभा सुवाह की अनुसूचित बस्ती में 63 के0वी0ए0 परिवर्तक से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। परिवर्तक से अनुसूचित बस्ती की दूरी अधिक होने के कारण वोल्टेज कम मिल रहा है। कम वोल्टेज को दूर करने के लिये बिजनेस प्लान वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत 10 पोल की एच0टी0 लाइन बनाते हुए 10 के0वी0ए0 परिवर्तक का प्राविधान किया जा रहा है। 10 के0वी0ए0 परिवर्तक ही पर्याप्त है। 25 के0वी0ए0 परिवर्तक की आवश्यकता नहीं है।

जनपद मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के ग्राम सभा गंगऊपुर से सुवाह तक मार्ग लेपन कार्य

161-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम सभा गंगऊपुर से सुवाह तक लगभग 2.0 कि0मी0 सड़क का लेपन कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत ग्रामीण श्रेणी के मार्ग की लम्बाई 2.200 किमी0 है। उक्त मार्ग लेपन स्तर तक निर्मित है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मऊ के ब्लाक दोहरीघाट के ग्राम सभा सियरही बरजला के धोबी टोला का विद्युतीकरण की मांग

162-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के ब्लाक दोहरीघाट के अन्तर्गत ग्राम सभा सियरही बरजला के धोबी टोला का विद्युतीकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जिला मऊ ब्लाक दोहरीघाट के अन्तर्गत ग्राम सभा सियरही बरजला की घोबीटोला के विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण में आच्छादित कर डी0पी0आर0 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (भारत सरकार) को भेजी गई थी, जो स्वीकृत नहीं की गई। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (भारत सरकार) द्वारा प्राप्त नवीन निर्देशों के अनुसार उपरोक्त को विद्युतीकरण हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तृतीय चरण में आच्छादित (100 एवं उससे अधिक आबादी वाले अविद्युतीकृत मजरों को सम्मिलित कर) डी0पी0आर0 तैयार की जा रही है।

भारत सरकार से प्राप्त नवीन निर्देशों के अनुसार प्रेषित की जाने वाली डी0पी0आर0 की स्वीकृति एवं धन प्राप्त होने के उपरान्त ही उपरोक्त विद्युतीकरण कराना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के सरकारी अस्पतालों में शैय्या बढ़ाये जाने की मांग

163-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती हुयी संख्या को देखकर सरकार उक्त अस्पतालों में शैय्या बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

जनपद सोनभद्र के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चतरा, ककराही, नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोन तथा मद्धपुर को उच्चीकृत करके 30-30 शैय्या के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित किया जाना विचाराधीन है। उक्त के अतिरिक्त जिला चिकित्सालय सोनभद्र में 100 शैय्या तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र म्योरपुर में

50 शैय्या का मैटरनिटी विंग निर्माणाधीन है तथा 6-6 शैय्या के 31 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

मान्यवर कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के आवासों के आवंटन का आदेश

164-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2009-2010 में मान्यवर कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना में निर्मित आवासों का आवंटन अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त आवासों का आवंटन कब तक करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्ष 2009-10 में मान्यवर कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजन हेतु प्रदेश के 45 जनपदों में कुल 42672 भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उक्त लक्ष्य के सापेक्ष जिलाधिकारियों/प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद् से प्राप्त सूचनानुसार अभी तक कुल 31560 भवनों का आवंटन किया गया है।

अवशेष भवनों का आवंटन पात्र लाभार्थियों का चयन करते हुए यथाशीघ्र सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के होटलों में लिये जाने वाले सुख साधन कर को आफ सीजन में छूट दिये जाने की मांग

165-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए होटलों में लिये जाने वाले सुख-साधन, कर के रूप में एक हजार रुपये पर 5 प्रतिशत टैक्स लिया जाता है और आफ सीजन में कोई छूट नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार आफ सीजन में राजस्थान व मध्य प्रदेश की भांति प्रदेश के होटलों को सुख-साधन कर से मुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश-

प्रदेश में स्थित होटलों में जिन कमरों का किराया 1000/- रुपये अथवा उससे अधिक प्रतिदिन वसूल किया जाता है, इस पर 5 प्रतिशत सुख-साधन कर लिया जाता है और आफ सीजन में उक्त कर में किसी छूट का प्राविधान नहीं है।

वर्तमान में आफ सीजन में सुख-साधन कर पर छूट दिये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

166-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

[1ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0-181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद जालौन के कतिपय ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु अपेक्षित कार्यवाही

167-श्रीमती उमाकान्ती-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 28-7-2012 एवं पत्र दिनांक 7-1-2013 द्वारा ग्राम सुरावली, विकास खण्ड कुठौन्द, जनपद जालौन के ग्रामीण सम्पर्क मार्गों को मुख्य मार्ग से जोड़ने विषयक प्रमुख अभियन्ता (विकास) लोक निर्माण विभाग उ0 प्र0 लखनऊ

को सम्बोधित पत्रों पर मुख्य अभियन्ता झांसी लोक निर्माण विभाग झांसी से यथा आवश्यक आख्या/प्रस्ताव/आगणन उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जनपद जालौन में विकास खण्ड कुठौन्द के अन्तर्गत ग्राम सुरावली/गोरा सुरावली पूर्व से ही लेपित सम्पर्क मार्ग से जूड़े हैं। ग्रामों को सिंगिल कनेक्टिविटी से जोड़ने की शासन की नीति के अन्तर्गत उक्त ग्रामों को दूसरे ग्रामों से जोड़ने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जालौन के ग्रामों के विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

168-श्रीमती उमाकान्ती-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य अभियन्ता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के पत्रांक 4577/मु0अ0/झांसी दिनांक 23-3-2013 द्वारा विधान सभा क्षेत्र कालपी, जनपद जालौन के ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य मा0 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना फेज-2 के अन्तर्गत कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना फेज-2 के अन्तर्गत जनपद जालौन की डीपीआर की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कालपी नहर पर उपरिगामी सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

169-श्रीमती उमाकान्ती-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 7-1-2003 पर, मुख्य अभियन्ता (रा0मा0) के पत्रांक 431 एन0एच0/35-एन-07, दिनांक 28-01-2013 एवं कार्यालय मुख्य अभियन्ता, उ0 प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ (यातायात वर्ग) के पत्र संख्या-521-सी/13-सी दिनांक 19-2-13 के आदेशों के अनुपालन में मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, झांसी द्वारा कानपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कालपी नहर पर उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु आगणन स्वीकृत करने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं। प्रश्नगत कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार के अधीन हैं मुख्य अभियन्ता (झांसी क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग के स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार की सूचना के अनुसार इस स्थान पर उपरिगामी सेतु न बनाकर सामान्य रूप से चार लेन सड़क का निर्माण उनके द्वारा किया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

कालपी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-10 के कि0मी0 की जांच कराये जाने की मांग

170-श्रीमती उमाकान्ती-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 में दिनांक 20-6-2012 को प्रश्नकर्ता के नियम-51 की सूचना पर दिनांक 3-7-2012 को सदन में मा0 लोक निर्माण मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के संदर्भ में क्या सरकार बतायेगी कि कालपी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-10 के कि0मी0 01 से कि0मी0 10 तक की जांच कराये जाने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो कराये गये अधोमानक राष्ट्रीय राजमार्ग की विभागीय जांच की रिपोर्ट क्या है और दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

कालपी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-10 कि0मी0 01 से कि0मी0 10 की विभागीय जांच में कार्य मानक के अनुसार पाया गया है। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

नलकूप मण्डल झांसी के कतिपय माइनरों की सिल्ट सफाई द्वारा उपलब्ध धनराशि सम्बन्धी जानकारी

171-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2012 के पहले बुधवार के प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-77 के उत्तर के क्रम में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त माइनरों की सिल्ट सफाई हेतु जिला प्रशासन द्वारा धन उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो धन कब तक उपलब्ध कराया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां, केवल नलकूप मण्डल झांसी परिक्षेत्र में गड़ागांव, घुसगवां, बरहेटा, भरतपुरा, सिया माइनरों की सिल्ट सफाई हेतु जिला प्रशासन द्वारा धन उपलब्ध करा दिया गया है।

गढ़मऊ माइनर पर जिला प्रशासन द्वारा शीघ्र ही धन उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी नगरपालिका परिषद् चिरगांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण की प्रक्रिया

172-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की नगर पालिका परिषद्, चिरगांव की आबादी करीब 40,000 होने के बावजूद मात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से काम चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिरगांव को उच्चीकृत करके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

विकास खण्ड चिरगांव, झांसी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण कराये जाने हेतु मिशन निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (उ0 प्र0) के आदेश दिनांक 29-11-2012 द्वारा उ0 प्र0 समाज कल्याण निगम को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए रु0 500.00 लाख की अनन्तिम लागत की स्वीकृति प्रदान की गयी। कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के निर्वाचन क्षेत्र बबीना के गुरसरांय-चिरगांव मार्ग पर टहरौली तक क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण की मांग

173-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के निर्वाचन क्षेत्र बबीना में स्थित गुरसरांय-चिरगांव मार्ग पर ग्राम रमपुरा से चंदवारी होते हुए टहरौली तक की सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

झांसी से बबीना के मध्य अपूर्ण मार्ग का निर्माण

174-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी-सागर फोर लेन रोड झांसी से बबीना के मध्य अपूर्ण होने के कारण आवागमन में असुविधा एवं दुर्घटनाएं होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण पूर्ण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां, झांसी-बबीना बाईपास (फोर लेन) का कार्य प्रगति में होने के कारण आवागमन में असुविधा होती है।

उक्त मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बस्ती के रूधौली विधान सभा क्षेत्र अडवा घाट पर पुल निर्माण पूर्ण कराये जाने की मांग

175-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के रूधौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुआनों नदी के अइला घाट तथा अडवा घाट पर पुल निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो उक्त का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना प्रक्रियाधीन है जिसके प्राप्त होने के उपरान्त 6 कार्यकारी माह में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के कतिपय सी0एच0सी0 में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता

176-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रूधौली, जनपद बस्ती में स्थित सी0एच0सी0 भानपुर, पी0एच0सी0 रूधौली, डुमरी एवं सल्टौआ गोपालपुर, सांऊघाट में आवश्यक दवायें न उपलब्ध रहने के कारण रोगियों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं एवं उक्त कठिनाई कब तक दूर कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र रूधौली, जनपद बस्ती में स्थित सी0एच0सी0 भानपुर, पी0एच0सी0 रूधौली, डुमरी एवं सल्टौआ गोपालपुर, सॉऊघाट में सभी आवश्यक दवायें उपलब्ध हैं तथा रोगियों को प्राप्त करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती मेंहदावल क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की मांग

177-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर व महराजगंज को जोड़ने वाला बस्ती मेंहदावल मार्ग अति जर्जर एवं गड्ढायुक्त होकर क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराकर मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के भाऊराव देवरस संयुक्त चिकित्सालय में ई0एन0टी0 विशेषज्ञ की तैनाती की मांग

178-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित भाऊराव देवरस संयुक्त चिकित्सालय में ई0एन0टी0 विशेषज्ञ का पद सृजित न होने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-2-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

भाऊराव देवरस संयुक्त चिकित्सालय में ई0एन0टी0 विशेषज्ञ का एक पद स्पीकृत है जिस पर तैनाती ई0एन0टी0 विशेषज्ञ की उपलब्धता पर निर्भर है। पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है। चिकित्साकों की उपलब्धता के आधार पर ही तैनाती संभव होगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के कोयला डीपो के पास जल जमाव की निकासी विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

179-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत बी0एफ0ए0 मार्ग के कि0मी0 30 पर मुख्य मार्ग के उत्तर दिशा में स्थित कोयला डिपो के दोनों तरफ आस-पास के खेतों में होने वाले जल जमाव की निकासी के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/ 12-13/क-5नं0-138833/4094, दिनांक 26-4-2013 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत स्थल के पास विभाग की कोई ड्रेन न होने के कारण जल निकासी की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

जी नहीं।

जनपद मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के ग्राम सभा भेड़कुल सुल्तानपुर में क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण सम्बन्धी मांग

180-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम सभा भेड़कुल सुल्तानपुर में राजेन्द्र के घर से कल्पनाथ के घर होते हुए गजियापुर बगही बन्धे तक क्षतिग्रस्त ल0 लगभग 30 कि0मी0 सड़क का सरकार लेपन कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्थामित्व नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

181-साध्वी निरंजन ज्योति-

[1लें गुरुवार के अता0प्र0सं0-175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में जिला योजनान्तर्गत सम्पर्क मार्गों के निर्माण का कार्य

182-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत जिला योजना 2012-13 में (अनुदान सं0-83 अनुसूचित जाति सब प्लान लेखा शीर्षक 5054 में प्रस्तावित) स्वीकृत 04 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/क-5नं0-196981/259/13, दिनांक 9-5-2013 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में वर्णित जिन 04 सम्पर्क मार्गों के निर्माण की अपेक्षा की गयी है, उनकी स्वीकृति शासनादेश सं0-27/26ब0प्र0/2013-26कम्पो0/2012, दिनांक 21-01-2013 एवं 83/26-ब0प्र0-2013-23 कम्पो0/2012, दिनांक 14-2-2013 द्वारा प्रदान की जा चुकी है। सभी मार्गों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही में क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग के निर्माण की मांग

183-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही में एल0वी0 मार्ग गुरगवां से बरैचा तक सड़क अत्यन्त जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन में सहन खेड़ा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

184-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी विधान सभा क्षेत्र निघासन में सहन खेड़ा सम्पर्क मार्ग व लुधौरी-खमरिया सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सहन खेड़ा सम्पर्क मार्ग की पूर्ण लम्बाई में मरम्मत करा दी गई है जबकि लुधौरी खमरिया सम्पर्क मार्ग की (कुल लम्बाई 9.20 किमी0) 8.00 किमी0 में मरम्मत का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। शेष मार्ग की स्थिति संतोषजनक है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के ब्लाक बड़रांव के ग्राम सभा कटिहारी में क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत का कार्य

185-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के ब्लाक बड़रॉव के अन्तर्गत ग्राम सभा कटिहारी में पिचमार्ग से आंखीपुर तक एवं रेयांव में शारदा सहायक नहर से त्रिपुरारी के ट्यूबवेल होते हुए प्रधान मंत्री सड़क तक (ल0 लगभग 1.0 कि0मी0) की क्षतिग्रस्त सड़क पर लेपन कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

कटिहारी से आंखीपुर तक मार्ग की कुल लम्बाई 1.950 कि0मी0 है, जिसमें से 0.750 कि0मी0 खड़न्जा स्तर तक का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा 0.200 कि0मी0 लम्बाई में सी0सी0 का कार्य जिला पंचायत द्वारा कराया गया है तथा 1.00 कि0मी0 लम्बाई में कार्य मण्डी परिषद् द्वारा कराया जा रहा है।

शारदा सहायक नहर से त्रिपुरारी से ट्यूबवेल तक की दूरी 1.200 कि0मी0 है जिसमें 1.00 कि0मी0 भाग प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा निर्मित है, जिसकी दशा संतोषजनक है, शेष 0.200 कि0मी0 लम्बाई का भाग ईंट सोलिंग स्तर का है, जो ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में राजकीय पॉलीटेक्निक की स्थापना किये जाने की मांग

186-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एम0एस0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु राजस्व गांव चुर्रा सकतपुर के ही भूमि संख्या-388 क्षेत्रफल 1.615 हेक्टेयर सिंचाई विभाग से तथा भूमि संख्या-389 क्षेत्रफल 0.55 हेक्टेयर शिक्षा विभाग को गांव पंचायत द्वारा प्रस्तावित करके कथित भूमियों को सम्बन्धित विभाग से अनुमति प्राप्त करके जिलाधिकारी, पीलीभीत द्वारा शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो राजकीय पालीटेक्निक कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री आलोक कुमार शाक्य)-

जिलाधिकारी, पीलीभीत की आख्यानुसार गाटा सं0-389 क्षेत्रफल 0.416 हेक्टेयर भूमि पर राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु शिक्षा विभाग द्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित किये जाने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है तथा गाटा सं0-388 क्षेत्रफल 1.615 हे0 हेतु सिंचाई विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं हुई है जिस कारण उक्त भूमि प्राविधिक शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित नहीं की गयी है।

एम0एस0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना किये जाने हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति के विचारार्थ प्रस्तुत न किये जाने के कारण अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग में जनपद-पीलीभीत में पालीटेक्निक खोले जाने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में अपूर्ण सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

187-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर, विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में रतूली से वरैचा कच्चा मार्ग जो जिला योजना के अन्तर्गत सन् 2011-12 से निर्माण हेतु प्रस्तावित है, को केवल 300 मी0 ही बनाकर छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। इस मार्ग की कुल लम्बाई 1.30 कि0मी0 में से जिला योजना के अन्तर्गत 1.150 कि0मी0 लम्बाई में कार्य स्वीकृत हुआ था, जिसके सापेक्ष 300 मी0 लम्बाई में लेपन स्तर तक मार्ग निर्माण कराकर जिला योजना के अन्तर्गत कार्य बन्द करा दिया गया है। शेष कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0 के फेज-10 में पैकेज संख्या-यू0पी0 63113 में स्वीकृत है, जिसकी निविदा आमंत्रित कर ली गयी है।

जी हां, अधूरे निर्माण को उपर्युक्तानुसार पी0एम0जीएस0वाई0 के फेज-10 के पैकेज संख्या-यू0पी0 63113 के अन्तर्गत पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कनावमी से सी0आई0एस0एफ0 तक मेट्रो चलाये जाने पर विचार

188-श्री अमरपाल शर्मा तथा श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में प्रस्तावित मेट्रो योजना को वैशाली से वसुन्धरा, कनावमी से सी0आई0एस0एफ0 तथा शिप्रा इन्द्रापुरम् से नोएडा तक बनाये जाने की सरकार की क्या कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कनावमी से सी0आईएस0एफ0 तक मेट्रो चलाये जाने के बारे में दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डी0एम0आर0सी0) से विचार-विमर्श किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के हवाई अड्डों पर एयर टैक्सी चलाये जाने का निर्णय

189-डा0 अरूण कुमार-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के हवाई अड्डों पर एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की सरकार कोई योजना बना रही है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि किन-किन जनपदों में यह सेवा शुरू करने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश-

पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु वायु सेवा संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में आई0 सी0 यू0 यूनिट की स्थापना किये जाने की मांग

190-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में आई0सी0यू0 यूनिट न होने की दशा में बड़े पैमाने में जनहानि होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार फिरोजाबाद में आई0सी0यू0 यूनिट की स्थापना करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

एस0एन0एम0 जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद में आई0सी0यू0 यूनिट स्थापित नहीं है। आई0सी0यू0 यूनिट की आवश्यकता वाले रोगियों को चिकित्सक की राय के अनुसार तत्काल एस0 एन0 मेडिकल कालेज, आगरा हेतु संदर्भित कर चिकित्सालय की एम्बुलेंस द्वारा भेज दिया जाता है।

आई0सी0यू0 यूनिट स्थापित किया जाना विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं अन्य तकनीकी स्टाफ तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

महानगरों में शहरी विकास योजना के लागू होने सम्बन्धी कथित जानकारी

191-डा0 अरूण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2013-14 की शहरी समग्र विकास योजना किन महानगरों/स्थानीय निकायों में लागू है तथा इसका मानक क्या है और इसके अन्तर्गत किन-किन सुविधाओं को जनता को उपलब्ध कराया जा रहा है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त योजना बरेली महानगर में भी लागू है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्ष 2013-14 में शहरी समग्र विकास नाम की कोई योजना संचालित नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने की मांग

192-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना में स्वीकृत 10 सम्पर्क मार्गों का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/क-5नं0-196998/264/13, दिनांक 09-05-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां, परन्तु पत्र में 09 मार्गों का ही उल्लेख है।

पत्र में उल्लिखित कुल 09 मार्गों में से 07 मार्गों के स्वीकृति शासनादेश संख्या-73123-9-2013-30 स0वि0/2012, दिनांक 11-02-2013 एवं 02 मार्गों की स्वीकृति शासनादेश संख्या-730/23-9-2013-29स0वि0/2012, दिनांक 28-02-2013 द्वारा प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

(11 बजकर 20 मिनट पर सदन के कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2013-2014 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां बंटवा दी जाएं।

[12.21] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 18 सितम्बर, 2013 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 10 सूचनाएं प्राप्त हुईं :--

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देश एवं जारी शासनादेशों के बावजूद अधिकारियों द्वारा मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार एवं प्रोटोकाल का पालन न करने एवं पालनीय नियमों का उल्लंघन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम-14 के अनुसार प्रत्येक वर्ष में विधान सभा के 3 अधिवेशन अर्थात् आय-व्ययक, वर्षाकालीन व शीतकालीन अधिवेशन एवं 90 दिन के उपवेशन बुलाये जाने के सम्बन्ध में।

तीसरी सूचना श्री प्रदीप माथुर की उत्तर प्रदेश में धनगर अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के क्रम में मा0 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार के आदेश दिनांक 3-12-2012 के अनुपालन में उ0प्र0 सरकार द्वारा शासनादेश जारी कराये जाने के सम्बन्ध में।

चौथी सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की विधायक निवासों से नाई, घोबी, दर्जी व अन्य को हटाने बीसलपुर, सीतापुर में बाईपास बनवाने, नियम-63 के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने आदि के सम्बन्ध में।

पांचवीं सूचना श्री मुकेश श्रीवास्तव की जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामों में स्वीकृत विद्युत कार्यों को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में है।

छठवीं सूचना श्री कृष्णपाल राजपूत की जनपद झांसी में स्थित पारीछा थर्मल पावर कापोरेशन में अधिग्रहीत जमीन के मालिकों/कृषकों के वारिसों को अभी तक नियुक्तियां न प्रदान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री रामहेत भारती की जनपद सीतापुर में डॉ0 राम मनोहर लोहिया नलकूप परियोजना के अन्तर्गत मा0 सदस्य द्वारा प्रस्तावित नलकूपों को अन्यत्र अधिष्ठापित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद चन्दौली में वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 में आवंटित बजट के अनुरूप सम्बन्धित विभागों द्वारा कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

नौवीं सूचना डॉ0 अरुण कुमार की महानगर बरेली में 124 विधान सभा क्षेत्र बरेली में मा0 सदस्य की संस्तुति पर 100 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहॉपुर के थाना निगोही में मा0 सदस्य के विरुद्ध दर्ज मुकदमों की विवेचना सी0बी0सी0आई0डी0 से कराये जाने के सम्बन्ध में है।

इन सूचनाओं में से प्रथम दो सूचनाओं को सुना जायेगा। मा0 प्रमोद तिवारी जी, आप बतायें।

अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देश एवं जारी शासनादेशों के बावजूद अधिकारियों द्वारा मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार एवं प्रोटोकाल का पालन न करने एवं पालनीय नियमों का उल्लंघन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं कई बार इस प्रश्न को उठा चुका हूं और आज फिर इस प्रश्न को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आपके निर्देशों के बावजूद भी सम्मानित विधान सभा सदस्यों के अपने दायित्व निर्वहन में जो सम्मान मिलना चाहिए, जो उनके साथ औपचारिकता आदरपूर्वक निभानी चाहिए, उसका लगातार उल्लंघन हो रहा है। मान्यवर, यह दिशा-निर्देश पहले भी जारी किये गये, आपकी पीठ से जारी किये गये, समय-समय पर शासन के मुख्य सचिव ने जारी किये, विभागीय सचिव ने जारी किये कि विधायकों को यथोचित सम्मान मिलना चाहिए और जब वह उनसे मिलने जाएं तो उनका क्या आचरण होना चाहिए, जब उनको फोन करें तब क्या आचरण होना चाहिए, जब उनको पत्र लिखें तब क्या आचरण होना चाहिए। मान्यवर, वैसे ज्यादातर जगहों पर तो इनका अनुपालन होता नहीं है परन्तु कहीं-कहीं पर इनका घोर उल्लंघन होता है। एक ऐसा ही प्रकरण हमारे बहराइच के साथी का मेरे संज्ञान में है, इनके साथ जो सुलूक किया गया है मैं समझता हूं चाहे सदन में उस तरफ बैठे लोग हों और चाहे इस तरफ बैठे लोग हों, उन्हें पीड़ा होगी। मान्यवर, विधायक निधि है और विधायक निधि की एक गाइडलाइन बनी हुई है। क्या कार्य स्वीकृत हों और क्या न हों इनका उल्लेख गाइडलाइन में है। इसीलिए जब कोई सुझाव सम्मानित विधायक देता है तो मान्यवर, उस जनपद का सी0डी0ओ0 पहले उस गाइडलाइन को देखता है उस कार्य को देखता है और उसके बाद उसकी स्वीकृति प्रदान करता है। बहराइच में भी श्री मुकेश श्रीवास्तव जी ने कुछ कार्य बताये और उन्होंने जो स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है उनके नाम पर स्वागत द्वार, जिसको कहते हैं कि शहीदों के नाम पर द्वार का निर्माण, मान्यवर, मा0 विधायक जी के देने के बाद उनका निर्माण किया गया और केवल निर्माण ही नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष-

अब तिवारी जी आप कहां जा रहे हैं ? आपने तो निर्देशों का पालन न करने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, हम वहीं जा रहे हैं जहां हमें जाना चाहिए, मान्यवर, मैं वहीं आ रहा हूं, मैं तो एक उदाहरण से अपनी बात को सशक्त कर रहा हूं। मान्यवर, उसका निर्माण गाइडलाइन के अनुसार हुआ और उसका निर्माण भी एक सरकारी एजेंसी जिला पंचायत ने कराया। मान्यवर, एन0एच0 पड़ता था, उन्होंने अनुमति प्रदान की और उसके बाद जब बनकर ऐसे तीन-चार द्वार तैयार हो गये तो एक अधिकारी ने बहुत ही अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया, असम्मानजनक भाषा का प्रयोग किया, विधायक के लिए ही नहीं किया बल्कि पूरी विधायिका के लिए किया जिसको सी0डी0ओ0 ने जारी किया था और जिसको सरकारी एजेंसी ने बनवाया था, जिसका निर्माण अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बाद हुआ था। मुकेश श्रीवास्तव के बनवाये हुए अमर शहीद चन्द्रशेखर, भगत सिंह द्वार को बनने के कई महीने बाद बुलडोजर लगा कर गिरा दिया गया मान्यवर, वह गेट नहीं गिरे हैं, उसके साथ आपके निर्देश भी गिरे हैं, विधायिका का सम्मान भी गिरा है और क्षति किसकी हुई है सरकारी धन की। विधायक निधि में जो धन है, मैं चाहता हूं इस संदर्भ में उस भाषा का उपयोग नहीं करना चाहता। हमारे विधायक हैं आप इनसे सुन लीजिए।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, यह बहुत बड़ी तकलीफ का विषय है। मैं भी इस सदन का सदस्य हूं और हमारे साथ जो घटना घटित हुई है उसको मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मैंने इसे नियम-301 में दिया भी था आपसे आग्रह है कि इसको स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

वह स्वीकार है लेकिन एक बार उस पर चर्चा कर लेंगे तो फिर नियम-301 में कैसे स्वीकार होगा ? जब वह बात एक बार सदन के सामने आ जायेगी तो कैसे हो पायेगा ?

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, मेरे साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया गया है और यही नहीं शहीदों के सम्मान में बना हुआ द्वार बुल्डोजर से ढ़हाया गया है वहां के ए0डी0एम0 प्रेम प्रकाश ने ढ़हवाया है। यह बहुत ही अहम मुद्दा है। हम इसको आपको पढ़कर सुनाना चाहते हैं कि क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष-

पढ़कर मत सुनाईये, संक्षेप में अपनी बात कह लीजिए, जल्दी कहिये।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, जनपद बहराइच के अपर जिलाधिकारी श्री प्रेम प्रकाश द्वारा विधान सभा पयागपुर के अन्तर्गत विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप भारत के महान शहीदों के सम्मान में निर्मित द्वार को बुल्डोजर से तुड़वाये जाने जैसे क्रूरतम घृणित कार्य किया गया तथा साथ-साथ में मैं यह भी पढ़ना चाहता हूं, चूंकि सारे शासनादेश हैं।

श्री अध्यक्ष-

यहां पढ़ा नहीं जाता है, अपनी बात कहिये।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मेरे विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों एवं आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-सीजीओ-144/कार्य वि0नि0/यू0ओ0 3405 दिनांक 12-05-2005

के क्रम में हिन्दुस्तान के महान शहीदों, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में चार स्वागत द्वार क्रमशः नेताजी सुभाषचन्द्र बोस स्वागत द्वार, चन्द्रशेखर आजाद स्वागत द्वार, शहीद भगत सिंह स्वागत द्वार, वीर अब्दुल हमीद स्वागत द्वार के निर्माण हेतु परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बहराइच को पत्र संख्या 4375 दिनांक 05-03-2013.....

श्री अध्यक्ष-

यह आप सीधे बता दीजिए कि गिरा दिया गया, पत्र संख्या पढ़ने की क्या जरूरत है ? सदन का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, लिखकर लाते हो उसी को पढ़ते हो।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, जिला कलेक्ट्रेट के कार्यालय कक्ष में बैठे हुए अपर जिलाधिकारी श्री प्रेम प्रकाश ने अमर्यादित भाषा में धमकी भरे हुए शब्दों में मुझसे कहा कि विधायक महोदय तुम्हारे द्वारा शहीदों के नाम पर स्वागत द्वार बनवाकर जो ड्रामा किया गया है उसे स्वयं तुड़वा दो, मेरे ऊपर बहुत बड़ा दबाव है नहीं तो मैं बुल्ड़ोजर चलवाकर तुड़वा दूंगा। अगर स्वागत द्वारों को नहीं तुड़वाया तो अच्छा नहीं होगा। इस पर मैंने उनसे कहा कि मैं विधायक हूं आप इस तरह से मेरे साथ गलत आचरण कर रहे हैं। तो उन्होंने काफी गरम हो कर कहा कि तुम जैसे विधायक मैंने बहुत देखे हैं, विधान सभा में बहुत प्रश्न करते हो, एक प्रश्न और करके तुम और तुम्हारी विधान सभा को जो बिगाड़ना होगा वह बिगाड़ लेना। मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, मैं जिस पद पर हूं उसी पद पर रहूंगा। मैं तुम्हें इस लायक नहीं रखूंगा कि तुम विधान सभा में उठा सको।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, इनको समझाईये। यह प्रिवलेज का मामला बनता है इसे प्रिवलेज में देते।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आपने कृपापूर्वक सुन लिया। मैं आपका आभारी हूं लेकिन जो बात हो सकती है, पहली बार मा0 सदस्य आये हैं हो सकता है कि अपनी बात को ढंग से न रख पाये हों जिस ढंग से नियमानुसार रखनी चाहिए लेकिन भावना तो आ गयी। अब किसी विधायक को कि तेरे जैसे विधायक बहुत देखे हैं। मेरा एक आग्रह आपसे है कि आप उनके खिलाफ विशेषाधिकार की नोटिस देते हुए उन्हें बुला लीजिए। हमारे सम्मानित सदस्य ने पक्ष रख दिया है अब इसके बाद उन्हें बुलाकर, आप एक कमेटी गठित करके जरा उनसे पूछिये तो क्योंकि सदन में अगर कोई विधायक कोई बात कहता है तो जब तक वह असत्य न साबित हो जाये तब तक सत्य मानी जाती है। इन्होंने अपनी बात रख दी, उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह विधायिका का अपमान है। आप उनको समन कर लें लेकिन एक चीज है पैसा सरकारी है विधायक निधि का, अनापत्ति प्रमाण-पत्र है हाई-वे का, बनवाया है सरकारी एजेंसी ने। तब कहां सो रहे थे जब निर्माण हो रहा था उसी समय रोक देते और अगर 4-6 महीने बाद बन गया और शहीद चन्द्रशेखर के नाम पर, सुभाष चन्द्र बोस के नाम पर तो अगर किसी अधिकारी ने उसे गिरवाया है तो निश्चित रूप से अक्षम्य अपराध किया है। सिर्फ इनके बारे में नहीं सम्पूर्ण विधायिका का अपमान किया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से उस अधिकारी को तलब किया जाए और मैं एक बात और कहता हूं कि तलब कमरे में मत करिये लगवाईये बाड़ा यहीं पर और बुलाकर उस अधिकारी से पूछिये कि तुम्हारी हिम्मत कैसे

पड़ी कि तुमने सम्पूर्ण विधायिका का अपमान किया। अगर बुल्डोजर से गिरा है तो वो गेट नहीं गिरे हैं, आपके निर्देश गिरे हैं, विधायिका का सम्मान गिरा है। तो मान्यवर, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाई होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

यह नियम-300 में नहीं आता है फिर भी मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं और जहां तक और जहां तक प्रीविलेज का मामला है उसके लिए नियम 63 में आप इसे देंगे तो इस पर विचार किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-14 के अनुसार प्रत्येक वर्ष में विधान सभा के 3 अधिवेशन अर्थात् आय-व्ययक, वर्षाकालीन शीतकालीन अधिवेशन एवं 90 दिन के उपवेशन बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी आपने नियम-300 की सूचना पर अवसर दिया इसके लिए आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह प्रश्न पहले भी विधान सभा में कई बार आया। मान्यवर, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-14 को आप देखें इसमें लिखा है कि अनुच्छेद-174 के अधीन रहते हुए साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के 3 अधिवेशन अर्थात आय-व्ययक अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन व शीतकालीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होंगे जिसमें यथासंभव दो माह के अन्तराल पर कम से कम दस कार्यकारी दिवसों के लिए विधान सभा का सत्र बुलाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

शब्द 'यथा संभव' लिखा हुआ है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इस वर्ष 14 फरवरी को बजट सत्र प्रारम्भ हुआ था जो 22 मार्च तक चला था मान्यवर, केवल 23 उपवेशन सम्पूर्ण बजट सत्र में हुए थे और अगर 180 दिन वाली संवैधानिक बाध्यता न होती कि दो बैठकों के बीच अधिकतम 180 दिन होना चाहिए तो यह शायद 16 सितम्बर को भी सत्र आहूत न किया जाता या हो सकता कि सप्लीमेंटरी के लिए सदन एक दो दिन के लिए कर भी लिया जाता। मान्यवर, इससे सरकार की मंशा जाहिर होती है कि सरकार हाउस बिल्कुल नहीं चलाना चाहती। यह चार दिन का सत्र बुलाया गया चार दिन के सत्र और पिछले कार्य दिवस जोड़ लें तो 27 दिन का सत्र इस साल होगा और एक वर्ष में 27 दिन का सत्र बुलाना नियमावली का खुला उल्लंघन है। 90 दिन की बाध्यता है उसके साथ-साथ दो बिन्दु और भी हैं कि हर दो महीने के बाद 10 दिन का सत्र बुलाया जाना चाहिए। उसका तो क्लियर कट उल्लंघन हो ही चुका है इस वर्ष 90 दिन सत्र कैसे हो सकता है यह हम भी जानते हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी जानते हैं और सरकार भी जानती है। इसके बाद हम बजट सत्र में ही मिलेंगे इसकी आशंका नहीं संभावना है। मान्यवर, नियमावली का उल्लंघन जब सरकारी पक्ष के द्वारा किया जाएगा तो इससे मैसेज क्या जाता है यह पिछली सरकार के समय भी होता रहा है उन्होंने तो एक रिकार्ड कायम कर रखा था। उसी रिकार्ड पर

यह भी चल रहे हैं। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि इसमें आप सरकार को निर्देशित करें कि जो हर दो महीने के बाद 10 दिन का सत्र बुलाने की बाध्यता है कम से कम उसका पालन करा दें। आपने मुझे अवसर दिया धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी इसमें लिखा है कि तीन अधिवेशन अर्थात आय-व्ययक अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन व शीतकालीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होंगे जिसमें यथासंभव दो माह के अन्तराल पर कम से कम दस दिन। इसमें यथासंभव लिखा है यानी जितना संभव होगा। इसमें आपने भी देखा है हम उसमें बहुत लम्बा नहीं जाना चाहते लेकिन 90 दिन के ऊपर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दूंगा कि वह प्रयास करे कि अधिक से अधिक दिन सदन चले।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

माननीय अध्यक्ष जी नेता सदन बैठे हैं कम से कम उनके संज्ञान में मेरी बात आ जाय।

श्री अध्यक्ष-

नेता सदन बैठे हैं। उन्होंने सुन लिया अब नहीं कुछ कहना चाहते तो हम क्या करें। अब आप बैठ जाएं सदन चलने दें।

[12.34] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 18-9-2013 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 47 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें से 16 सूचनाएं स्वीकार की गईं:

पहली सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील मिलक में 132 के0वी0ए0 उपकेन्द्र की स्थापना एवं अन्य विद्युत आपूर्ति सम्बंधी समस्याएं दूर किये जाने के सम्बंध में। दूसरी सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद की बहुमूल्य धरोहरों को संरक्षित किये जाने हेतु राजकीय पुरातत्व संग्रहालय का निर्माण कराये जाने के सम्बंध में। तीसरी सूचना श्री सुरेश बंसल की जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के वार्ड संख्या-3 की गली नं0 3, 4 व 5 की सड़कें नीचे होने के कारण हो रही जल भराव की समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बंध में। (चौथी सूचना के सम्बंध में श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर) पांचवी सूचना श्री त्रिलोकी राम की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास में हररामपुर से खैर तक के सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बंध में। छठी सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की वाराणसी नगर की विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बंध में। सातवीं सूचना श्री कमाल यूसुफ मलिक की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी में विद्युत आपूर्ति शहरी मानकों के आधार पर किये जाने के सम्बंध में। आठवीं सूचना श्री मुकेश श्रीवास्तव की है। चूंकि यह बात सदन में आ चुकी है इसलिये इसकी 301 में आवश्यकता नहीं रह गई है। नवीं सूचना श्रीमती अनुप्रिया पटेल की जनपद वाराणसी में वरुणा नदी पर स्थित भरथरा पिसौरा पुल सराय मोहाना पुल, कोरौत पुल तथा इसरवार पुल के अधूरे कार्य को पूरा कराके तत्काल पुल चालू कराने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री ओम कुमार की है (माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थें)। ग्यारहवीं सूचना

श्री रामहेत भारती की जनपद सीतापुर के विकास खंड हरगांव की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री मनोज कुमार की जनपद चन्दौली के किसानों की सिंचाई सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना डा0 अरूण कुमार की बरेली तथा आस पास के क्षेत्रों में संक्रमित खून बेचे जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना पं0 सुदेश शर्मा की जनपद गाजियाबाद के कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। सोलहवीं सूचना श्री विजय बहादुर यादव की गोरखपुर महानगर के नालों से समुचित जल निकासी को व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है। शेष माननीय सदस्यों श्री गेंदालाल चौधरी, श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री आशीष कुमार यादव, श्री प्रदीप चौधरी, श्री सुल्तान बेग, श्री धर्मपाल सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्रीमती विमला सिंह सोलंकी, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री रवीन्द्र जायसवाल, डा0 रीता बहुगुणा जोशी, श्री अमर पाल शर्मा, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री राधेलाल रावत, श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री जगपाल सिंह, श्री उमाशंकर सिंह, डा0 धर्म सिंह सैनी, श्री कालीचरन सुमन, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री उमेश पाण्डेय, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री राजनारायण बुधौलिया, श्री बाला प्रसाद अवस्थी, डा0 धर्मपाल सिंह, श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री मदन चौहान, श्री अनीसुर्रहमान की सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया है।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

जनपद रामपुर की तहसील मिलक में 132 के0वी0ए0 उपकेन्द्र की स्थापना एवं अन्य विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी समस्यायें दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर-

[महोदय,

मैं आपका ध्यान जनपद रामपुर की तहसील मिलक के अन्तर्गत 132 विद्युत उपकेन्द्र ग्राम तिरहा का निर्माण कराया पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यहां पर इस तहसील विद्युत व्यवस्था काफी जर्जर स्थिति में है तथा यहां पर कोई भी 132 का विद्युत उपकेन्द्र नहीं है इस तहसील में विद्युत आपूर्ति 35 कि0मी0 दूर जनपद मुख्यालय रामपुर से की जाती है जिसके कारण तहसील मिलक में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं हो पा रही है। तहसील मिलक की विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से किये जाने के लिए ग्राम तिरहा में 132 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र स्वीकृति हुआ है जिसकी वित्तीय स्वीकृत भी प्राप्त हो चुकी है तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ था जो कि रुका हुआ है जिससे क्षेत्रीय जनता में भारी रोष व नाराजगी व्याप्त है। इस उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के लिए जनता द्वारा रोज धरने प्रदर्शन व ज्ञापन दिये जा रहे हैं तथा किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं इस अविलम्बनीय व लोक महत्व प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद फिरोजाबाद की बहुमूल्य धरोहर को संरक्षित किये जाने हेतु राजकीय पुरातत्व संग्रहालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा-

[महोदय,

जनपद फिरोजाबाद चन्द्रवार ग्राम स्थित राजा चन्द्रसेन के प्राचीन किले एवं प्राचीन जैन मन्दिर परिसर से विगत अनेकों वर्षों से अति प्राचीन एवं पुरातत्व महत्व की प्रतिमायें प्राप्त होती रही हैं।

इन प्राचीन प्रतिमाओं के पुरातत्व महत्व को देखते हुए एवं क्षेत्र में इनको सही प्रकार से संरक्षित न किये जाने के कारण यहां अन्तर्राष्ट्रीय मूर्ति चोर गिरोहों द्वारा समय-समय पर अवैध उत्खनन कर एवं मन्दिर परिसर से अनेकों बहुमूल्य अति प्राचीन प्रतिमाओं की चोरी की घटनायें घटित होती रही हैं।

पुरातत्व एवं सांस्कृतिक रूप से अत्यन्त समृद्ध इस क्षेत्र की प्राचीन बहुमूल्य धरोहर को सुरक्षित एवं संरक्षित किये जाने सम्बन्धी लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस क्षेत्र में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय का निर्माण कराने की मांग करता हूं।]

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के वार्ड संख्या-3 की गली नं0-3, 4 व 5 की सड़कें नीचे होने के कारण हो रहे जल भराव की समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश बंसल-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के अन्तर्गत वार्ड संख्या-3 के न्यू कृष्णा नगर बागू के गली नं0-3, 4 व 5 की ओर ले जाना चाहता हूं। गली नं0-3, 4 व 5 मुख्य सड़क से काफी नीचे हो गई हैं जिसके कारण उक्त गलियों में आये दिन जलभराव की समस्या बनी रहती है तथा पानी की निकासी न होने के कारण गलियों का पानी मेन नाले में नहीं जा पाता है और घरों में आ जाता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मा0 अध्यक्ष पीठ से प्रभावी निर्देश दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास में हररामपुर से खैर तक के सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिलोकी राम

[महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र इगलास (अलीगढ़) की हररामपुर ग्राम से इगलास गोडा होते हुए खैर तक मार्ग बहुत ही क्षतिग्रस्त/गड्ढायुक्त होने के कारण चलने योग्य नहीं है आये दिन दुर्घटना हो रही हैं जिनकी मरम्मत कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः मैं चाहूंगा कि जनहित में उक्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद वाराणसी नगर की विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

[महोदय,

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में बिजली का अभूतपूर्व संकट है और इससे अछूता वाराणसी महानगर भी नहीं है बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि और जगहों की तुलना में वाराणसी में संकट ज्यादा ही गहराता जा रहा है। रात्रि कालीन आपात कटौती को बन्द किया जाय। 400 के0वी0ए0, 250 के0वी0ए0 का पूरे गर्मी एक भी नया ट्रान्सफार्मर नहीं लगा। रोजाना दर्जनों की संख्या में ट्रान्सफार्मर जल रहे हैं और मरम्मत होकर मिलने में 7-8 दिन का समय लग रहा है और इस अवधि में विद्युत अनापूर्ति से प्रभावित क्षेत्र के लोग गर्मी से बिलबिला के रह जा रहे हैं। साथ-साथ ही ट्यूबवेल नहीं चलने से पेयजल का भी गम्भीर संकट झेलना पड़ रहा है। बमुश्किल 8-10 घण्टे ही बिजली प्राप्त हो रही है। स्थान-स्थान पर विरोध में आक्रोश स्वरूप पीड़ित जनता द्वारा सड़क जाम, प्रदर्शन और सब-स्टेशनों पर ताला बन्दी की जा रही है। स्थिति विस्फोटक है, स्थिति में सुधार हेतु कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। बेनियाबाग 33/11 के0वी0 सब-स्टेशन में 2x10 एम0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगा हुआ है, एक अतिरिक्त 10 एम0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर आवश्यक है। मछोदरी सब-स्टेशन के अन्तर्गत भदऊं क्षेत्र में ओवर लोडिंग को समाप्त करने हेतु 400 के0वी0ए0 का एक ट्रान्सफार्मर लगाया जाना अति आवश्यक है। उक्त परिस्थिति में विद्युत आपूर्ति में प्रभावी सुधार हेतु सभी आवश्यक उपाय किये जाने की मांग करता हूं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के ध्यानाकर्षण सूचना पर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी में विद्युत आपूर्ति शहरी मानकों के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मान्यवर,

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील मुख्यालय बांसी जो नगर पालिका परिषद् है जहां पर 50 हजार की आबादी है, यह बड़े कस्बे के रूप में जाना-पहचाना जाता है। विद्युत विभाग द्वारा यहां पर ग्रामीण अंचल के आधार पर विद्युत आपूर्ति की जा रही है। जबकि शहरी क्षेत्र होने के नाते विद्युत आपूर्ति शहरी के आधार पर की जानी चाहिये, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है जिससे नगर पालिका परिषद् के क्षेत्रीय जनता में असन्तोष व्याप्त है।

यह भी उल्लेखनीय है कि जब बांसी तहसील व मुन्सिफ न्यायालयों के होने के कारण यहां पर जो अनुबन्ध स्थानीय तौर पर हुआ था कि शहरी के आधार पर बांसी नगर पालिका परिषद् को विद्युत सप्लाई की जायेगी। वर्ष 1992 से 2004 तक शहरीकरण के आधार पर विद्युत आपूर्ति की जा रही थी। लेकिन इसके बाद पुनः ग्रामीण अंचल के आधार पर विद्युत आपूर्ति की जा रही है जो न्यायसंगत नहीं है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रकरण में आपका ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार को निर्देशित करें कि बांसी नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में ग्रामीण अंचल के आधार पर विद्युत आपूर्ति न करके शहरी क्षेत्र के आधार पर विद्युत आपूर्ति कराये जाने की व्यवस्था हेतु निर्देशित करें ताकि जनता में व्याप्त असन्तोष समाप्त हो सके।]

जनपद वाराणसी में वरुणा नदी पर स्थित भरथरा पिसौरा पुल सराय मोहाना पुल, कोरौत पुल तथा इसरवार पुल के अधूरे कार्य की पूरा कराके तत्काल पुल चालू कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती अनुप्रिया पटेल-

[मान्यवर,

वर्ष 2005 में ही स्वीकृत वरुणा नदी पर अधूरे पुलों का निर्माण वर्तमान व पूर्व की प्रदेश सरकार के उदासीनता एवं विभागीय अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण आज तक पूर्ण नहीं हो सका। वर्तमान सरकार के गठन के चन्द दिनों बाद ही कार्य शुरू करके पूरा करा लेने की घोषणाएं हुईं, लेकिन नतीजा शून्य रहा। अब केवल विभागीय बैठकें करके वादा किया जा रहा है। भरथरा पिसौर पुल, कोरउत पुल, सराय मोहाना पुल व इसरवार पुल के निर्माण से हिस्सों में बंटा वाराणसी का ग्रामीण अंचल आवागमन के माध्यम से जुड़ जायेगा। आम लोगों को कई किलोमीटर की दूरी चंद मिनटों में पूरी हो जायेगी। खासकर भरथरा पिसौर पुल जो केवल एप्रोच मार्ग के अभाव में चालू नहीं हो पा रहा है। इसके चालू होते ही काशी विद्यापीठ व आराजी लाइन ब्लाक के सैकड़ों गांव जिला मुख्यालय से चन्द दूरी पर जुड़ जायेंगे। शहर में भी जाम का दबाव कम हो जायेगा।

जनहित में किसानों को मुआवजा दिलाकर भरथरा पिसौर पुल समेत वरुणा नदी पर अधूरे पुलों को चालू कराना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस सम्बन्ध में विनम्र निवेदन है कि क्षेत्रीय जनता की मांग के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।]

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामहेत भारती-

[महोदय,

कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र 147, हरगांव के विकास खण्ड बेहटा के अन्तर्गत आने वाले गांव के सम्पर्क मार्ग ग्राम सैतियापुर से बुढ़नापुर होते हुए खाले पुरवा तक तथा लहरपुर तम्बौर रोड से ईरापुर का पुरवा (पसियन पुरवा) तथा हरखी बेहड़ तक एवं सलारपुर सम्पर्क मार्ग से महशी जलालपुर तक के मार्ग कच्चे व अत्यन्त खराब हैं। जिस कारण आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त ग्रामों की ग्रामीण जनता को इलाके की एक मुख्य बाजार लालपुर व लालपुर मण्डी एवं तहसील लहरपुर तक आने में जीवन मौत का संघर्ष करना पड़ता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतएव इस लोक महत्व के अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उपरोक्त ग्रामों के कच्चे रास्तों को पेटेन्ट रोड बनवाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद चन्दौली के किसानों की सिंचाई सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र सैय्यद राजा जनपद चन्दौली की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। मान्यवर, आज किसानों को सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल रहा है। जिसकी वजह से पैदावार कम हो रही है एवं कुछ किसान पैदावार न होने से भुखमरी के कगार पर आ गये हैं। यहां से पास में ही करमनासा नदी है जिसके इस छोर पर यू0पी0 है जिसमें मेरी विधान सभा आती है एवं दूसरे छोर पर बिहार है। मेरी विधान सभा के गांव चिरई गांव के ठीक सामने नदी के उस पार 150 क्यूसेक एवं ककरेत गांव के ठीक सामने 500 क्यूसेक की कनाल पम्प बिहार सरकार ने लगा रखी है जबकि इन गांवों में क्रमशः 20 एवं 5 क्यूसेक यू0पी0 सरकार ने लगा रखी है जब भी मैं अपने विधान सभा में आने वाले गांवों की लिफ्ट क्षमता वृद्धि बढ़वाने की मांग करता हूं तो मुझे कहा जाता है कि पानी नहीं है। जबकि यह असत्य एवं तथ्यों से परे है क्योंकि पास में ही बिहार राज्य के आने वाले गांवों में लगे कैनाल पम्पों की क्षमता वृद्धि यहां की तुलना में काफी ज्यादा कैसे है। जनता इससे आक्रोशित है एवं यही आक्रोश कभी भी भयानक रूप ले सकता है।

अतः उक्त गम्भीर विषय पर मैं ग्राम करौती में 10 क्यूसेक ककरैती में 50 क्यूसेक, अदसड़ में 20 क्यूसेक, अरंगी में 20 क्यूसेक, धनाइतपुर में 20 क्यूसेक, मुड्डा में 10 क्यूसेक, चिरईगांव में 100 क्यूसेक, चारी में 50 क्यूसेक, नौबतपुर में 10 क्यूसेक, वीरासराय में 50 क्यूसेक, नदहा गुरैनी में 100 क्यूसेक एवं नगवा में 50 क्यूसेक लिफ्ट कैनालों की क्षमता वृद्धि बढ़ाये जाने की मांग करता हूं।]

बरेली तथा आस-पास के क्षेत्रों में संक्रमित खून बेचे जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरुण कुमार-

[महोदय,

जनपद बरेली तथा आसपास के शहरों/जिलों में फर्जी ब्लड बैंकों द्वारा संक्रमित खून बेचने का धंधा बेरोकटोक चल रहा है। संक्रमित खून के कारोबारी नशेड़ियों और पेशेवर ब्लड डोनरों से खून लेते हैं तथा फर्जी स्टिकर लगाकर भारी दाम लेकर जरूरतमंदों को बेच रहे हैं। यह संक्रमित खून हीमोलाइज्ड होता है अर्थात् बहुत ही लो क्वालिटी का होता है। इसके अतिरिक्त यह संक्रमित खून एच0आई0वी0 पाजिटिव तथा हेपेटाइटिस बी और सी पाजिटिव पाया गया है। इस तरह से यह नकली ब्लड बैंक भोले भाले जरूरतमंदों को खून नहीं मौत बेच रहे हैं। यह नशेड़ी पेशेवर डोनरों से बार-बार जल्दी-जल्दी रक्त लेकर बेचते हैं। इनका हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है तथा खून संक्रमित होता है। बरेली में इस तरह के कई मामले प्रकाश में आये हैं इस तरह से फर्जी ब्लड बैंकों का चलना प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग की नाकामी दिखाता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि इस गम्भीर मामले में सरकार कठोर कार्यवाही करे तथा ऐसे कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने तथा ऐसे ब्लड बैंकों को बन्द कराने की तत्काल कार्यवाही की जाय।

अतः मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री छोटे लाल वर्मा-

[महोदय,

अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र 93, फतेहाबाद, जनपद आगरा के ग्रामीण मार्गों का मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु लो0नि0वि0 आगरा के द्वारा निर्माण लगभग 10 से 15 वर्षों पहले कराया गया था जिसकी मरम्मत न कभी होने के कारण वर्षा व वाहनों से काफी क्षतिग्रस्त हो गयी है। जिन पर जनता का आना-जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। जो निम्न मार्ग हैं (1) शमसाबाद राजा खेड़ा मार्ग से मोहनपुर (2) शमसाबाद राजा खेड़ा मार्ग से हिमाऊपुर पलटुआपुरा खलका की मड़ैया वायापुरा सूरजमल मार्ग (3) बैकुन्टी तिवरिया से मजारा मार्ग (4) शमसाबाद इरादत नगर मार्ग से इसौली वाया धीमरपुरा मार्ग (5) धमैनासेखूपुर से धीमरपुरा मार्ग (6) आगरा फतेहाबाद मार्ग से पुराकोटरा (7) आगरा फतेहाबाद मार्ग से नगला बैहड़नेतपुरा नगरिया मन्दिर तक (8) नगर चन्द इघौन से हिमाऊपुर मार्ग (9) फतेहाबाद वाह मार्ग से सांकुरी कलां वरना पीराडाड़ा मार्ग (10) फतेहाबाद वाह मार्ग से चाचीपुरा मार्ग (11) फतेहाबाद निवोहरा से नन्दापुरा मार्ग (12) फतेहाबाद वाह से पीठपुरा मार्ग (13) फतेहाबाद वाह से रसूलपुर रिहावली मार्ग तक (14) पैंती खेड़ा मार्ग से नगला मंदे (15) फतेहाबाद रिहावली मार्ग से गुवरोठ (16) फतेहाबाद बाईपास से प्रेमनगर धौर्रा (17) तारौली गूजर मार्ग से वरना मई (18) आगरा फतेहाबाद मार्ग से चमरपुरा (19) डौकी से मड़ी मार्ग वाया नगला अमान एववोझ (20) आगरा फतेहाबाद मार्ग से गुढ़ा जमुनी गढ़ी भज्जे मार्ग (21) चमरोली से विलईपुरा बड़ौबड़ा कलां मार्ग (22) कूमपुरा से रामपुर मार्ग (23) रामपुर मार्ग से नगरिया चमरौली मार्ग (24) जारौली से नगला शादी मार्ग (25) आगरा फतेहाबाद मार्ग से मुटनई नरि, कांकर, गढ़ी भज्जे मार्ग (26) आगरा फतेहाबाद मार्ग से मढ़ायाना मार्ग।

जिससे जनता को मुख्य मार्ग तक आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से मांगों के क्षतिग्रस्त की मरम्मत हेतु कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद गाजियाबाद के कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

पं0 सुदेश शर्मा-

[महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत निम्न मुख्य मार्ग अति क्षतिग्रस्त हो गयी है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1-महिउद्दीनपुर से सैदपुर चुड़ियाला होते हुए खरखौदा तक।

2-मोदीनगर से निवाड़ी होते हुए धौलडी तक।

3-मोदीनगर से भोजपुर तक।

4-मोदीनगर से सिखड़ा हजारी फतेहपुर तक।

अतः मैं चाहूंगा कि जनहित में उक्त सड़क का पुनर्निर्माण/मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

गोरखपुर महानगर के नालों से समुचित जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय बहादुर यादव-

[महोदय,

गोरखपुर महानगर के सिविल लाइन्स, बेतिया हाता इत्यादि मोहल्लों का पानी नाले द्वारा फल मण्डी पुलिस चौकी के पास पार करके वहीं छोड़ दिया जाता है जिससे फल मण्डी, नवीन ट्रान्सपोर्ट नगर, आजाद चौक, रुस्तमपुर दक्षिणी, भरवलिया खुर्द, भरवलिया बुजुर्ग, कजाकपुर, बड़गो जैसे महानगर एवं ग्रामीण की आम जनता इस नाले के पानी की वजह से जलमग्न हो जाती है। जिससे काफी क्षति उठानी पड़ती है। नगर निगम के इस उपेक्षापूर्ण कार्य से जन एवं धन की हानि उठानी पड़ती है। उक्त नाले का अगर कटनिया पम्प हाउस (महेवा) के पास मिला दिया जाता जिससे पानी को पम्पिंग करके राप्ती नदी में निकाल दिया जाता तो उससे जनमानस को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन, 2012 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)[†]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन 2012 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा)[††]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से अधिसूचना संख्या-842/90-सं-1-2013-52सं-2013 दिनांक 22 अगस्त, 2013 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2013 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[†] छापा नहीं गया।

[††] छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वार्षिक लेखा 2009-2010†††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वार्षिक लेखा 2009-2010 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन 2007-2008 एवं 2008-2009†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन 2007-2008 एवं 2008-2009 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-7/2003 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-7/2003 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-8 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 129वां (एक सौ उन्तीसवां) प्रतिवेदन†

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं सुरेश कुमार खन्ना, सभापति, सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति, उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 129वां (एक सौ उन्तीसवां) प्रतिवेदन जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा सिंचाई विभागों के वर्ष 1987 से वर्ष 2010 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 130वां (एक सौ तीसवां) प्रतिवेदन†

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 130वां (एक सौ तीसवां) प्रतिवेदन जो ऊर्जा, लोक निर्माण, समाज कल्याण, राजस्व, महिला कल्याण, चीनी उद्योग, खाद्य एवं रसद तथा औद्योगिक विकास विभागों के वर्ष 1989 से वर्ष 2010 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

---

††† छापा नहीं गया।

† छापे नहीं गये।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-11 में कुछ नहीं है।

[12.41] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 16 सितम्बर, 2013 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 17 सितम्बर, 2013 से दिनांक 20 सितम्बर, 2013 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 19 सितम्बर, 2013 को भूतपूर्व सदस्यों एवं विशिष्ट महानुभाव के निधन के निर्देश की सूचनायें ली जायं।

2-दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को नियम-103 के समस्त प्रस्ताव एवं डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा एक घण्टे की चर्चा हेतु ग्राह्य सूचना से सम्बन्धित मदें ली जायं।

3-तद्नुसार दिनांक 17 सितम्बर, 2013 से 20 सितम्बर, 2013 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

सितम्बर, 2013

17 मंगलवार (विश्वकर्मा पूजा का अवकाश) बैठक नहीं होगी।

18 बुधवार **1-12.20 बजे अपराह्न**

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण।

2-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(क) उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013

(ख) उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013

(ग) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 तथा

(घ) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2013

19 गुरुवार 1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें।

2-वित्तीय वर्ष 2013-2014 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन उस पर विचार एवं उसका पारण।

3-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(क) उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 तथा

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013

सितम्बर, 2013

20 शुक्रवार

1-विधायी कार्य।

2-डा0 धर्मपाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर आधे-आधे घण्टे की चर्चा :-

(1) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर में लगातार गिर रहे भू-गर्भ जल-स्तर को रोकने हेतु यमुना नदी पर बैराज का निर्माण किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(2) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर के यमुना पार स्थित शहरी क्षेत्र के लिये पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(3) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि आगरा महानगर में यातायात की सुविधा हेतु मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(4) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर को सूचना प्रौद्योगिकी नगर (आई0टी0हब) बनाये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(5) ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि आगरा महानगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(6) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर में व्याप्त ट्रैफिक जाम की समस्या का निदान शीघ्र किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

3-डा0 अरुण कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :-

''यह सदन प्रदेश सरकार से सिफारिश करता है कि बरेली महानगर के संजयनगर, गोपालनगर, गोसाई गौटिया, दुर्गानगर, सैनिक कालोनी आदि आस-पास के मोहल्लों में लकड़ी के बल्लियों पर केबिल डालकर की जा रही विद्युत आपूर्ति को बिजली के खम्भे लगाकर विद्युत आपूर्ति कराई जाय।''

4-श्री अखिलेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :-

''यह सदन राज्य सरकार से प्रस्ताव करता है कि जनपद देवरिया में एक सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल का निर्माण यथाशीघ्र समयबद्ध तरीके से करवाया जाना सुनिश्चित करें।''

5-श्री सतीश महाना, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि कानपुर के बढ़ते हुये स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुये कानपुर महानगर के दक्षिणी क्षेत्र को नया जिला बनाया जाय।''

6-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा एक घण्टे की चर्चा हेतु ग्राह्य निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

''पूर्वांचल सहित प्रदेश के जनपदों में दिमागी बुखार न फैले इसकी आवश्यक व्यवस्था तथा रोगग्रस्त हो जाने पर बच्चों को तत्काल प्रभावी चिकित्सा व्यवस्था के माध्यम से जीवन रक्षा करने के सम्बन्ध में।''

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-13 का अनुपूरक एजेण्डा है।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई संशोधन विधेयक, 2013†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

† दिनांक 03-10-2013 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छापा गया।

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् में कार्य करने के लिए एक मुस्लिम सुन्नी सदस्य एवं एक मुस्लिम शिया सदस्य को विधान मण्डल के दोनों सदनों से निर्वाचित करने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2004 की धारा-3 की उपधारा (3) के खण्ड (घ) और (ङ) के अनुसार एक मुस्लिम सुन्नी सदस्य एवं एक मुस्लिम शिया सदस्य, विधान मण्डल के दोनों सदनों से निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2004 की धारा-3 की उपधारा (3) के खण्ड (घ) और (ङ) के अनुसार एक मुस्लिम सुन्नी सदस्य एवं एक मुस्लिम शिया सदस्य, विधान मण्डल के दोनों सदनों से निर्वाचन करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् में कार्य करने के लिए एक मुस्लिम सुन्नी सदस्य एवं एक मुस्लिम शिया सदस्य को निर्वाचन करने के स्थान पर मा0 अध्यक्ष विधान सभा को मा0 सभापति विधान परिषद् से परामर्श कर विधान मण्डल के सदस्यों में से नाम-निर्देशन हेतु प्राधिकृत करने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, यह एक प्रक्रिया है, इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री की सहमति चाही गयी है, उस पर सहमति हो गई है और उनके हस्ताक्षर भी हो गए हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए एक मुस्लिम सुन्नी सदस्य एवं एक मुस्लिम शिया सदस्य का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 18 सितम्बर, 2013 को स्वीकृत हुआ है, के अनुसरण में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, उक्त उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, एक मुस्लिम सुन्नी सदस्य एवं एक मुस्लिम शिया सदस्य का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, मा0 सभापति, विधान परिषद् से परामर्श कर विधान मण्डल के सदस्यों में से एक मुस्लिम सुन्नी सदस्य एवं एक मुस्लिम शिया सदस्य का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार

नाम-निर्देशित सदस्य उक्त उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए एक मुस्लिम सुन्नी सदस्य एवं एक मुस्लिम शिया सदस्य का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 18 सितम्बर, 2013 को स्वीकृत हुआ है, के अनुसरण में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, उक्त उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, एक मुस्लिम सुन्नी सदस्य एवं एक मुस्लिम शिया सदस्य का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, मा0 सभापति, विधान परिषद् से परामर्श कर विधान मण्डल के सदस्यों में से एक मुस्लिम सुन्नी सदस्य एवं एक मुस्लिम शिया सदस्य का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल, सदस्य, विधान सभा को इलाहाबाद जाते समय रायबरेली में रोके जाने विषयक विशेषाधिकार का प्रकरण

श्रीमती अनुप्रिया पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं अपनी एक बात कहना चाहती हूं। मैं इस सदन के समक्ष अपनी बात रखना चाहती हूं। 16 सितम्बर को मैं लखनऊ से इलाहाबाद जाने के लिए निकली और मुझे रायबरेली में रोक लिया गया।

श्री अध्यक्ष-

इसकी सूचना आ गई है। इसमें कोई दिक्कत है तो अलग से लिखकर दीजिए। यह सूचना हमारे पास आ गई है।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल-

मान्यवर, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। मेरे संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ है। संविधान यह अधिकार देता है कि अगर मैं कहीं आवागमन करना चाहूं तो कर सकती हूं। मुझे बिना कारण बताये रोका गया। दिनांक 16 सितम्बर, 2013 को रात 10.00 बजे से दूसरे दिन 17 तारीख को 05.00 बजे तक रोका गया। तो मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या यह मेरे साथ नाइंसाफी नहीं है। अगर है तो यह क्यों किया गया।

श्री अध्यक्ष-

संविधान भी कानूनसम्मत कार्यों के लिए अनुमति देता है। अब आप बैठें। आप मुझसे क्या जानना चाहती हैं।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल-

बिना कारण बताये मुझे क्यों रोका गया।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें।

[12.52] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

दिनांक 18-9-2013 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 27 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं। प्रथम सूचना को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्रीमती रजनी तिवारी, श्री अमरपाल शर्मा, श्री जी0एम0 सिंह, श्री हरविन्दर सिंह साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री त्रिभुवन राम, श्री उमाशंकर, श्री राज कुमार रावत, श्रीमती हेमलता चौधरी, श्री गयाचरण दिनकर, श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री सुनील सिंह यादव, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री मो0 आसिफ जाफरी, श्री यूसुफ अली, डा0 धर्म सिंह सैनी, श्री हुकुम सिंह, श्री सतीश महाना, श्री सुरेश राणा, श्री अजय मिश्र 'टेनी', श्री लोकेन्द्र सिंह, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री रविन्द्र जायसवाल, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री प्रदीप माथुर, श्री अजय कपूर, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री प्रमोद तिवारी, श्री अजय राय, प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी, श्री संजय कपूर, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री गजराज सिंह, श्री प्रदीप चौधरी, श्री नवाब काजिम अली खां नवेद मियां, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्रीमती रूबी प्रसाद, श्री विजय कुमार दुबे, श्री गयादीन अनुरागी, श्री दिलनवाज खां, श्री नदीम जावेद, श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्रीमती उमाकान्ती सिंह, कु0 कौशल सिंह, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री मो0 मुस्लिम, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री राधेश्याम तथा श्री अनीसुर्रहमान की जनपद मुजफ्फरनगर स्थित गांव कबाल/मलिकुपुरा में दिनांक 27-8-2013 को घटित घटना के उपरान्त मुजफ्फरनगर सहित निकतवर्ती जनपदों में हुई आगजनी एवं हत्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना,

श्री मनीष असीजा,

श्रीमती अनुप्रिया पटेल,

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल,

श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू,

श्री अगयश राम सरन वर्मा,

श्री राजनारायण बुधौलिया,

श्री ओम कुमार,

डा0 धर्मपाल सिंह,

श्री जय प्रकाश निषाद,

पं0 सुदेश शर्मा,

श्री उमेश पाण्डेय,

श्री संत राम कुशवाहा,
श्री बब्बन सिंह चौहान,
श्री महावीर सिंह राणा,
डा0 अरुण कुमार,
डा0 मुहम्मद अयूब,
श्री दलजीत सिंह,
श्री सुल्तान बेग,
श्री मुकेश श्रीवास्तव,
श्री राजेश त्रिपाठी,
श्री रामचन्द्र यादव तथा
श्री अजय कुमार 'लल्लू'।

जनपद मुजफ्फरनगर स्थित गांव कबाल/मलिकुपुरा में दिनांक 27-8-2013 को घटित घटना के उपरान्त मुजफ्फरनगर सहित निकटवर्ती जनपदों में हुयी आगजनी एवं हत्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-56 के अन्तर्गत दो घण्टे की चर्चा

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि दो दिन का सत्र है। तो मेरा सुझाव है कि इस पर ग्राह्यता पर बोलने से अच्छा है कि चर्चा ही हो जाये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मा0 हुकुम सिंह जी कह रहे हैं कि ग्राहयता पर बोलने से अच्छा है कि चर्चा ही शुरू हो जाये। तो ठीक है। मा0 मौर्य जी संक्षेप में अपनी बात रखें।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश के सबसे ज्वलंत मुददे एवं गंभीर समस्या जिससे मुजफ्फरनगर और उसके निकटवर्ती जनपद सहारनपुर, शामली, मेरठ और बागपत सीधे प्रभावित हुये हैं।

श्री अध्यक्ष-

एक चीज ध्यान रखें कि नियम-56 में चर्चा किसी भी सूरत में दो घण्टे से ज्यादा नहीं हो सकती है। इसका ध्यान रखें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

तो माननीय अध्यक्ष जी, मुजफ्फरनगर में जो भी बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक तनाव हुआ, दंगा हुआ दंगे के माध्यम से वहां पर बड़े पैमाने पर जनसंहार हुआ। आजादी के 66 सालों बाद भी आज यदि हिन्दु-मुस्लिम सौहार्द इस तरीके से तार-तार होता है और हिन्दु-मुस्लिम भाईचारे का कत्लेआम अगर इस तरीके से किया जाता है तो हम समझते कि यह बहुत ही शर्मनाक है। इससे हिन्दु-मुस्लिम भाईचारे को वहां पर खण्डित होते देखा गया। मान्यवर, 27 तारीख को एक लड़की की

छेड़खानी की घटना से विवाद पैदा हुआ था। जिसके प्रतिवाद में पहले एक की उसके बाद दो की यानी 27 अगस्त को ही तीन लोगों की हत्या हुयी थी अगर सरकार उसी समय इस मामले को गंभीरता से लेती और तत्काल प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करके दोषी लोगों पर अंकुश लगाने और दोषी लोगों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई की गयी होती तो हम समझते हैं कि सितम्बर, 7, 8, 9 व 10 तारीख में जो मुजफ्फरनगर और उसके निकटवर्ती जनपद जलते रहे यह देखने को नहीं मिलता। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि वहां पर समाजवादी पार्टी ने यह कहा, मा0 मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी वहां पर गये थे वहां पर इन्होंने प्रेस कान्फ्रेंस के माध्यम से इस बात को स्वीकारा कि वहां पर बाहरी लोग आये थे जिन्होंने साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा। हम कहना चाहते हैं कि बाहर से लोग आये थे या मुजफ्फरनगर के लोग थे। भारतीय जनता पार्टी के थे या समाजवादी पार्टी के या किसी अन्य राजनीतिक पार्टी के थे अगर किसी ने भी सौहार्द को बिगाड़ा है तो सरकार चुप क्यों बैठी थी। सरकार को तत्काल प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए थी। यह सरकार अगर इस बात को स्वीकार करती है बाहरी तत्व आकर वहां पर साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश किये हैं तो हम समझते हैं कि सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। मा0 मुख्य मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आजादी के 66 सालों बाद यह जो भयावह स्थिति पैदा हुयी है हिन्दु-मुस्लिम सौहार्द तार-तार होता नजर आ रहा है। मान्यवर, यह बहुत ही शर्मनाक है और साथ ही साथ कार्य-स्थगन के माध्यम से इस सदन के माध्यम से इस पर विस्तार से चर्चा कराने की मांग मैंने इसीलिए की है और आपने इसे स्वीकार किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इससे सही स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मान्यवर हिन्दू-मुस्लिम सौहार्द हमारी धरोहर है। इस देश की आजादी के लिए अगर सरदार भगत सिंह ने फांसी के तख्ते को चूमा है, चन्द्रशेखर आजाद ने गोलियां खाईं हैं तो असफाक उल्लाह खां ने भी फांसी के तख्ते को चूमा है, इसलिए मान्यवर, यह देश किसी एक जाति का नहीं, किसी एक बिरादरी का नहीं है, हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया है और मान्यवर, आजादी को लाने के लिए विभिन्न जाति-धर्म के हमारे तमाम महावीर सपूतों ने अपनी शहादत दी है, फांसी के तख्ते को चूमा है, इसलिए आज किसी भी समाज को जाति विशेष के नाम पर उसे प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, उसका कत्लेआम नहीं किया जा सकता, उस पर अत्याचार नहीं किया जा सकता, उसको आगजनी के हवाले नहीं किया जा सकता है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह क्या कारण है, यह भी एक विचारणीय विषय है कि जब-जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें रही हैं, तब-तब उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर दंगा हुआ है। मैं आज इस मौके पर बधाई देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में चार बार मुख्य मंत्री रहने का गौरव प्राप्त करने वाली सुश्री मायावती जी को कि जिनकी चार बार की सरकार में एक भी हिन्दू-मुस्लिम दंगा नहीं हुआ और मान्यवर आज स्थितियां भयावह होती जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम समझते हैं कि इनका तो शायद एक दौर चल रहा है कि बाप से कम बेटा नहीं। यहां पर समाजवादी पार्टी की पहले भी सरकार रही है। समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारों में भी इसी प्रकार से हिन्दू-मुस्लिम सौहार्द बिगाड़ा जाता रहा है, अयोध्या जिसका उदाहरण है जहां पर बाबरी मस्जिद का गुम्बद गिराया गया था, तो मान्यवर उस समय भी समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी।

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्य एक साथ इस बात का विरोध करने लगे जिससे शोर की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहें, भूल से निकल गया होगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं शोर शराबा करने वाले मा0 सदस्यों का ज्ञानवर्द्धन करना चाहता हूं कि मैंने बाबरी मस्जिद का गुम्बद कहा है, बाबरी मस्जिद का गुम्बद मा0 श्री मुलायम सिंह यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल में गिराया गया था और बाबरी मस्जिद का ढांचा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गिराया गया था और मान्यवर, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी हिन्दू-मुस्लिम सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की थी, हिन्दू-मुस्लिम भाईचारे का कत्लेआम किया था और हिन्दू-मुस्लिम को दो खेमे में बांटने की कोशिश की थी और मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिन्दू-मुसलमानों को दो खेमों में बांट कर एक हिन्दू का हमदर्द बनने वाले लोग हिन्दू की पीठ में छूरा भोंके थे और यहां पर मुल्ला-मुलायम कहलाने वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोग मुसलमानों के मसीहा होने का ढोंग कर मुसलमानों की गदर्न कटवाने में जरा भी देरी नहीं करते हैं, इनका चेहरा बेनकाब होना चाहिए। मान्यवर, आज समाजवादी पार्टी यह कहकर के नहीं बच सकती कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, तो हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जितना हाथ है, उतना ही समाजवादी पार्टी का हाथ है और मान्यवर, मैं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की आपसी साजिश को पहले भी आरोपित करता रहा हूं और आज भी आरोपित कर रहा हूं। मान्यवर, समाजवादी पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के लगभग एक दर्जन विधायकों के खिलाफ एफ0आई0आर0 है, इस बात की एफ0आई0आर0 है कि इन्होंनें दंगा कराया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार समाजवादी पार्टी की है, एफ0आई0आर0 हुई है तो ऐसे लोग जिनके खिलाफ एफ0आई0आर0 हुई है, उनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि या तो इन्हें झूठा फंसाया गया है, अगर यह बात सही है कि वहां पर दंगा कराने में उनका हाथ है तो एफ0आई0आर0 दर्ज है तो सरकार ने अगर गिरफ्तारी नहीं की, तो इसका मतलब है कि आपसी सांठ-गांठ के चलते सरकार उनको बचाने का काम कर रही है और इसीलिये मान्यवर हम पहले भी कहते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इनकी एक रुचि है, एक इण्टरेस्ट है कि हिन्दू और मुसलमानों के भाईचारे को तोड़कर इनको दो खेमों में बांट दिया जाये। इनको दो खेमों में बांट दिया जाये और एक गुजरात का दंगा कराने वाला हीरो यहां पर प्रधानमंत्री बनने का सपना लेकर के आया हुआ है जो हिन्दू-मुस्लिम सौहार्द को तोड़ करके प्रधानमंत्री बनने का नाकामयाब मंसूबा पाले हुये है लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि यह उत्तर प्रदेश की धरती है और यहां पर हिन्दू-मुस्लिम भाई चारे को तार-तार करने के लिये कोई भी आयेगा तो उत्तर प्रदेश की जनता उसे धूल चटाने का काम करेगी इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार ये कह सकती है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी और कुछ असामाजिक तत्वों का हाथ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि 27 अगस्त की घटना के बाद सरकार सो क्यों रही थी ? 27 अगस्त की घटना के बाद दोनों पक्षों को शक्ति प्रदर्शन का मौका क्यों दिया गया ? 27 अगस्त की घटना के बाद पंचायतें क्यों हुईं ? अगर पंचायतें हुईं, दोनों पक्षों ने शक्ति प्रदर्शन किया तो इसके लिये तनाव का माहौल बनाने का अच्छा

अवसर समाजवादी पार्टी सरकार ने दिया। यदि समाजवादी पार्टी सरकार चुस्त और दुरुस्त होती, इस मौके पर कार्यवाही करती, पंचायतें नहीं होने देती तो हम समझते हैं कि पूरा का पूरा मुजफ्फरनगर और उसके निकटवर्ती जनपद साम्प्रदायिक दंगे की आग की भेंट नहीं चढ़े होते इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जब देखा कि तीर हाथ से निकल गया और मा0 मुख्य मंत्री जी तो मौके पर भी वहां सुनने को मिले। हम भी टी0वी0 में न्यूज देख रहे थे, जिस समय मा0 मुख्य मंत्री जी गये थे, वो कौन से ऐसे लोग थे।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

मा0 अध्यक्ष जी, टी0वी0 पर ज्यादा भरोसा करते हो आप, टी0वी0 पर कितना भरोसा करते हो। बस ठीक।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आपने जो बोला, उसको भी मैंने सुना। आपके बोलने के बकौल ही मैंने कहा, आपने इस बात को स्वीकारा था कि बाहरी तत्व यहां पर आ करके दंगा कराये हैं तो मान्यवर, यह भी सरकार की नाकामयाबी है। अरे, सरकार के रहते बाहरी तत्व आ कैसे गये और अगर बाहरी तत्व आ गये तो उन पर सरकार ने कार्यवाही क्या की, उनको चिह्नित क्यों नहीं किया और चिन्हित करके उनको जेल क्यों नहीं भेजा। ये सारी की सारी ऐसी स्थितियां हैं जो सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी वहां गये थे तो वहां पर वो कौन से ऐसे तत्व थे जो नारा लगा रहे थे, मुख्य मंत्री मुर्दाबाद और एक मंत्री का जिन्दाबाद। वे कौन से ऐसे लोग थे, इसका मतलब है कि सरकार भी दो खेमों में बंटी हुयी है कि मुख्य मंत्री मुर्दाबाद और एक मंत्री का जिन्दाबाद। मान्यवर, ये कहीं न कहीं इस बात को स्थापित करती है कि कहीं न कहीं दाल में काला है। कहीं न कहीं आपके साथ, कहीं न कहीं आपके मंत्रि-मण्डल के लोग आपको समन्दर में ले जा करके डुबो देना चाहते हैं। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सावधान रहिये, आप पहली बार मुख्य मंत्री हैं, आपका भविष्य अभी बहुत लम्बा-चौड़ा है इसलिये अपने साथियों की साजिश से भी आपको सावधान रहना होगा और उनकी साजिश में आकर के उत्तर प्रदेश को आग के हवाले नहीं करना, इसके लिये मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। मान्यवर, इसी के साथ ही साथ.....

(श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया एवं श्री संग्राम सिंह द्वारा बीच में खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग आपस में बात न करें। ऐ मिस्टर शेरू भइया बैठो, मा0 संग्राम सिंह बैठ जाइये। आपकी तरफ से भी लोग बोलेंगे, सारी बातों का जवाब आयेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं। चूंकि आजादी के 66 साल बाद भी अगर इस तरीके से जाति और धर्म के नाम पर जाति और धर्म विशेष के लोगों का कत्लेआम होगा, होता रहेगा तो हम समझते हैं कि उन तमाम आजादी के परवाने जिन्होंने अपनी शहादत दी देश की आजादी के लिये तो कहीं न कहीं उनके मन को ठेस पहुंचेगी, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, उनका जो सपना था कि आजाद भारत होगा, हमारे लोग अपने पैरों पर खड़े होंगे। रोजी-रोटी के लिये

मोहताज नहीं होंगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलायेंगे तो मान्यवर, कहीं न कहीं ये उनकी भावनाओं का कत्लेआम होगा। साथ ही साथ हमारे भारतीय संविधान की मूल भावना है धर्मनिरपेक्ष भारत के निर्माण की और धर्मनिरपेक्ष भारत के निर्माण का जो मूल मंत्र है, उसका भी कत्लेआम होगा यदि हिन्दू-मुस्लिम भाईचारा इस तरीके से तार-तार किया जाता रहेगा। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज उसमें हिन्दू-मुस्लिम दोनों समाज के लोग बड़े पैमाने पर कत्लेआम के शिकार हुए हैं। आज मान्यवर, इस सरकार के द्वारा जो कैम्प चलाये जा रहे हैं, उसमें 50 हजार तक की भीड़ है। 30 हजार, 35 हजार, 40 हजार, 50 हजार की भीड़ इस बात को दर्शाती है कि आज भी लोग वहां पर भय और दहशत के वातावरण में हैं। अपने घरो में जाने से डर रहे हैं, इसलिए मान्यवर, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं। अभी कल मैं मान्यवर, शाम को बैठा था और तमाम हम यहां पर बार-बार बुलाते हैं तो हमारे पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग बड़ी वाहवाही के साथ कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा पॉया मीडिया, लोकतंत्र का चौथा पॉया मीडिया है। मुजफ्फरनगर की घटना से सम्बन्धित और एक माननीय मंत्री को इंगित करने का काम, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर मान्यवर, जिस मीडिया ने इस बात को दर्शाया है, तमाम अधिकारियों की बातों को ले करके और उसे जीवंत दिखाने का काम किया है, तो उसका भी परीक्षण आपके स्तर से होना चाहिए। अगर कहीं पर मा0 मंत्री जी को, उन्होंने इंगित किया है। अगर मा0 मंत्री जी को कठघरे में खड़ा किया है और यह गलत है तो मीडिया को यहां पर कोड किया जाए और उसको यहां पर मान्यवर, आपकी तरफ से इस बार इस तरह की व्यवस्था की जाए। अगर मान लो मीडिया सही है, आपके परीक्षण में यदि मीडिया की बात सही है, तो मा0 मंत्री जी, जिसको इंगित किया गया है उनको मंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यद्यपि मैंने तो मा0 मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी का इस्तीफा मांगा है, अगर वह इस्तीफा देंगे तो उनके मंत्रि-मण्डल के सारे मंत्री अपने-आप पैदल हो जाएंगे, लेकिन मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं, चूंकि साजिश के तहत ये लोग दंगा करा रहे हैं, इसलिए यह इस्तीफा तो देने वाले नहीं हैं और मान्यवर, इसीलिए मा0 मुख्य मंत्री जी ने बड़ी चालाकी से विधान सभा में इस बात को आने के पहले एक निवर्तमान जज से उसकी जांच के आदेश कर दिए। मान्यवर, ये कैसी एकतरफा जांच, मा0 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जजों का पैनल मांगा जाता है और उनकी राय से यहां पर जांच अधिकारी तय किया जाता है। जो कुंभ मेले की जांच किए थे, उसी रिटायर्ड जज को इन्होंने इसमें भी जज बैठा दिया। यानि खुद ही दंगा कराने वाले, खुद ही जांच कराने वाले। इनकी जांच से वह जांच कभी भी स्पष्ट नहीं आ सकती है। इसीलिए मान्यवर, मेरी मांग है कि इस पूरे प्रकरण की जांच सी0बी0आई0 के माध्यम से करायी जाए (मेजें थपथपाई गईं।) या मा0 उच्च के मुख्य न्यायाधीश से मांगे गए पैनल से जज को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाए। इसलिए मान्यवर, इसी के साथ-साथ, मैं आपके माध्यम से यह भी मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी, आप देखिए इस पर सभी नेता बोलेंगे, सत्तापक्ष के बहुत से लोग बोलेंगे और यह जानते हैं कि इसमें असीमित समय नेता विरोधी दल को भी नहीं मिलता है, चर्चा में।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं समाप्त करने जा रहा हूं। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह भी मांग करता हूं कि मान्यवर, इस प्रकरण में 2 पत्रकार भी मौत के घाट उतारे गए जो पत्रकार अपनी जिम्मेदारी का

निर्वाहन करते हुए मौत के घाट उतारे गए उनको शहीद का सम्मान दिया जाए और 25 लाख रुपया उन मृतकों के परिवार को अनुदान सहायता राशि दी जाए। (मेजें थपथपाई गईं।) इसके साथ ही साथ दंगे में जो भी लोग मौत के घाट उतारे गए हैं, जो भी दंगे के शिकार हुए हैं, वो चाहे व हिन्दू समाज के लोग हो, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, ऐसे परिवारों को, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके मृतक आश्रित परिवार के लोगों को 20-20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए जिससे कि मान्यवर, कम से कम मरहम तो लगाया जा सके और जिनके घर उजाड़ दिए गए हैं, वे फिर से पुनर्स्थापित हो सकें। मान्यवर, इसी के साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से यह भी मांग करता हूं कि तमाम सैकड़ों की तादाद में गंभीर रूप से लोग घायल हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको इलाज के लिए दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता और जो साधारण रूप से घायल हैं, उनको 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दिलाये जाने का भी मैं आपसे अनुरोध करता हूं साथ ही साथ मान्यवर सैकड़ों लोग जो बुरी तरह से इस दंगे की भेंट चढ़े हैं वहां पर उन्हें चिन्हित करके वहां पर वहां से भागे हुए लोगों की पुनर्वास व्यवस्था पुनः सुनिश्चित किया जाये और उनको आश्वस्त किया जाये कि सरकार आपके साथ खड़ी है और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। हम समझते हैं कि मान्यवर कि यदि आपके माध्यम से इस प्रकार का यहां पर निर्देश हो जायेगा और सरकार इसको गंभीरता से लेकर इसमें प्रभावी कार्यवाही की जा सकती है तो हम तो किसी की जान वापस नहीं कर सकते लेकिन उनके घाव पर थोड़ा मलहम जरूर लगा सकते हैं। हम यह निवेदन करते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हिन्दू हो मुसलमान हो सिक्ख हों बौद्ध हों जैन हों सभी इंसान हैं। हर इंसान की जान की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता उस कीमत की कोई भरपायी नहीं कर सकता। इसलिए अगर जाति या धर्म के नाम पर किसी को मारा काटा जाता है तो हम समझते हैं कि इंसानियत का कत्ले आम किया जा रहा है। इसलिए इंसानियत के कत्ले आम की घनौनी हरकतें भविष्य में न हो सके और साथ ही साथ यह बात सामने आनी चाहिए कि कौन दोषी है कौन जिम्मेदार हैं केवल छोटे अधिकारियों को इधर उधर कर देने से बात नहीं बनेगी। वह बड़े अधिकारी भी कौन ऐसे अधिकारी हैं जो इस घटना के लिए दोषी हैं। केवल सस्पेंड ही नहीं बल्कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके सेवा से उनको बर्खास्त किया जाये। जिसस कि दुबारा इस प्रकार की घटना न दे सके। अधिकारी भी इस बात का संज्ञान लेकर के भविष्य में सर्तक रहें सावधान रहें। मान्यवर, इस गंभीर विषय पर आपने मुझे चर्चा करने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह चर्चा शुरू हो गयी। चर्चा में पक्ष विपक्ष दोनों हिस्सा ले सकता है। तो अगर कहें तो हम नेताओं को बुलवा दें तब आप जवाब दें।

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

चर्चा है मान्यवर। अगर चर्चा होती है तो पक्ष और विपक्ष दोनों बोलता है और परम्परा यह है मान्यवर सत्तापक्ष की संख्या को देखते हुए विपक्ष का एक सदस्य और सत्तापक्ष के दो सदस्य भाग लेते हैं। मैं भी बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमेशा से यह परम्परा रही है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप मंत्री जी बैठ जायें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरी तो इस पर सूचना है इसलिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अगर इनकी भी सूचना हो तो यह बोल लें।

अध्यक्ष जी, विषय बहुत गंभीर है दर्दनाक है और बहुत दुःखी मन से इस विषय पर बोलने के लिए विवश हैं मान्यवर। हमारा क्षेत्र भी है जनपद भी है।

अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो जिन लोगों ने अपनी जान खोयी है उन परिवारों को मैं सांत्वना देता हूं। जो लोग चले गये इसके शिकार हुए उनके प्रति मैं श्रृद्धांजलि अर्पित करता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य आप बैठ जायें सुनें आपको मा0 हुकुम सिंह जी के बाद बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, बोलूंगा वही जो मेरे मन में होगा, बोलूंगा वही जो मेरी जानकारी मे होगा और पूरा प्रयास मैं यह करूंगा कि मेरे बोलने से कोई वातावरण न बिगड़े, कोई भाषा ऐसी न हो जो किसी के दिल को चोट पहुंचाये कोशिश मेरी यह होगी मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में उस घटनाक्रम को आपके सामने, माननीय सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

यह मान्यवर, 27 तारीख की घटना है जैसा नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि तीन बच्चे हैं किसी विवाद को लेकर उनमें झगड़ा होता है मैं उस विवाद की चर्चा भी हाउस में नहीं करना चाहता। स्थानीय विवाद था और झगड़े में पहले एक लड़का मरता है फिर गांव के लोग इकट्ठे हो करके दोनों बच्चों को उनको मार देते हैं। मारने के बाद में जो पुलिस का काम होता है, प्रशासन का काम होता है वह शुरू होता है। घटना की सूचना के आधार पर कार्यवाही शुरू हो जाती है जानसठ कोतवाली पड़ती है और वहॉ पर दोनों बच्चों को मारने के विरोध में 7 व्यक्ति नामजद होते हैं अनेकों व्यक्ति नामजद नहीं होते और उसके मारने में चूंकि दोनो लड़के वहीं पर थे सचिन और गौरव, उन्हीं के साथ झगड़ा था वह दोनो के दोनों वहीं पर मारे जाते हैं इसलिए तीसरे चौथे पांचवे आदमी का कोई नाम उसमें नहीं आता। मान्यवर, बस शुरुआत यहीं से हुई। पुलिस शांति बनाने के लिए क्योंकि बलवा शुरू हो गया, तनाव शुरू हो गया, जो उपले के भुटौडे वगैरह रखे जाते हैं गांव में उसमें आग लगनी शुरू हो गयी। जिलाधिकारी, वहां के पुलिस अधीक्षक तत्कालीन दोनों मौके पर पहुंचते हैं और लोगों को शांत करने की बात करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी शिकायत क्या है ? शिकायत में उन्होंने कहा कि गलत नामजदगी हुई है जो लड़का एक है उसके मारने में दोनों थे वह वहीं के वहीं मारे गये बाकी इनके परिवारों के नाम गलत आये हैं। अधिकारी आश्वासन देते हैं कि गलत आये हैं तो समाप्त कर दिया जायेगा हमारी बात सुनों। कोशिश होती है सुनाने की और कोशिश होती है सही काम करने की यह भी कोशिश होती है कि जो उन दोनों बच्चों के मारने में है चूंकि बहुत बड़ी संख्या उनकी है और एक तनाव पैदा हो गया है उनका प्रयास होता है कि घरों की तलासी ली जाय नियंत्रित किया जाय, जिनके घरों में हथियार रखे हैं हथियार बरामद किये जायें और जो भी इसमें अपराधी हों उनको छोड़ा न जाय उनके खिलाफ कार्यवाही हो, गिरफ्तारी हो गयी 7 की मान्यवर, आगे बस मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब गिरफ्तार हो गये, हवालात में बन्द हो गये, मुकदमा कायम है उन सातों को

कैसे छोड़ा गया, हवालात में बन्द होने के बावजूद भी सातों को कैसे छोड़ा गया। मेरी जानकारी में मान्यवर, जो कुछ है वह पूरे राज्य की जानकारी में है। अब लखनऊ की सल्तनत हिलती है वह एक्शन में आती है और कहा जाता है कि कैसे 7 को बन्द कर दिया उन्होंने कहा साहब 7 के नाम हैं भले ही नाम हों, अभी छोड़ो, इसी समय छोड़ो और उसके बाद में कहा जाता है कि अगर एक घर की भी तलाशी लोगे तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं होगा तलाशी लेने की जरूरत नहीं है। मान्यवर, दो अधिकारी वह ऐसे थे जिन्होंने इससे पूर्व में भी कुछ दिन पहले एक सम्प्रदायिक दंगा हुआ था सौरेन गांव में मजबूती के साथ में दोनो पक्षों की गांव में जाकर तलाशी ली और मान्यवर, आज मैं जाति का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन इसलिए ले रहा हूं कि जरूरी हो गया है लेना। सौरेन गांव में एक बहुत ऐतिहासिक गांव है जाट बिरादरी का गांव है और उन लोगों के अपने इतिहास हैं। पंचायत करने का इतिहास उनका है। उस जाट गांव में जिलाधिकारी भी जाट था लेकिन जाट होने के बावजूद एक एक घर की तलाशी उसने ली जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्यवाही की दूसरे पक्ष की भी तलाशी ली मान्यवर, और उसका परिणाम यह हुआ कि दोनों अधिकारियों के प्रति गांव वालों का विश्वास पैदा हुआ, हां, यह अधिकारी निष्पक्ष हैं। एक हफ्ते के बाद में दोनों पक्षों ने बैठकर पंचायत करने का फैसला कर लिया। यह वह अधिकारी थे दोनों के दोनों। वही अधिकारी चाहते थे कि यहां भी हम उसी अपनी कार्यपद्धति का इस्तेमाल करें लोगों में विश्वास पैदा करें। लेकिन जब उनसे कहा गया जाओ, रात के 12 बजे कहा जाता है कि मुख्यालय पर जाओ तुम्हारे आदेश मुख्यालय पर रखे हुए हैं तुम लोगों को कार्यमुक्त कर दिया गया है तबादला कर दिया गया है अब उसका क्या संदेश जायेगा जिन अधिकारियों ने वर्षों तक वहां रह करके वहां की परिस्थिति को समझा हो और उन्होंने यह कार्यवाही की हो जनता में क्या संदेश जायेगा। मान्यवर, यहां से अविश्वास का भाव पैदा हुआ। अविश्वास का भाव सरकार के प्रति कुछ पारस्परिक तनाव के कुछ कारण थे मान्यवर, मैं उसमें बाद में आऊंगा लेकिन मान्यवर, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि क्या हम अंदाजा नहीं लगा सकते थे स्थानीय अधिकारी अपने विवेक से काम करें, मौका देते काम करने का वह ठीक काम नहीं कर रहे थे तो आप वरिष्ठ अधिकारी भी भेज सकते थे उनके मार्गदर्शन के लिए भेज सकते थे लेकिन दोनों अधिकारियों को जिनकी प्रतिष्ठा वहां पर थी रात में अपमानित करने के लिए दोनों को हटा दिया और यह संदेश दिया देखो दोनों गये जो यहां पर बचे हुए हैं वह अगर हमारे निदेशों का पालन नहीं करेंगे हमारे बताये हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो उनको भी मुजफ्फरनगर में रहने नहीं दिया जायेगा। वहां सिपाही से लेकर डी0आई0जी0 तक को यह संदेश चला गया, वहां के तहसीलदार से लेकर कमिश्नर तक को यह संदेश चला गया और सबके हाथ बंधते चले गये, जो करना चाहिये था, वह नहीं किया और मुजफ्फरनगर जलना शुरू हो गया, अधिकारी हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। अब एक बात आती है, मैं आपकी अनुमति से थोड़ा सा उसमें भी रोशनी डालना चाहूंगा, नाम आ गये एफ0आई0आर0 में। हां आ गये और मैं नेता प्रतिपक्ष से भी सम्मान के साथ में कहना चाहूंगा। घटना तो 7 तारीख की है, जब विवाद हुआ यह, उससे पहले 27 तारीख की यह घटना है, 27 तारीख के बाद में थोड़ा तनाव था, 30 तारीख में जुमे का दिन था, जुमे की नमाज में बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, जिले में धारा 144 लगी हुयी है। एक संवेदनशील स्थान है खालापार, वहां 20-25 हजार आदमियों की सभा कह लीजिये, पंचायत कह लीजिये और पंचायत को करने वाले कौन हैं मान्यवर, सबके फोटो हैं। मान्यवर, नाम भी बताऊंगा, पूरे सम्मान के साथ बताऊंगा, इस सदन के सदस्य भी रहे हैं, आज पार्लियामेंट के

सदस्य भी हैं, माननीय कादिर राणा हैं, किस पार्टी के सांसद हैं वह ? मान्यवर, पूर्व सांसद सईदुज्जमा भी हैं, क्योंकि इधर से बड़े प्रहार होते हैं इनसे ज्यादा सेकुलर तो शायद दुनिया में कोई पैदा न हुआ हो, बहुत प्रहार करते हैं। माननीय सईदुज्जमा किस पार्टी के हैं। मान्यवर, वह पार्टी थी नहीं, यह सब पार्टियों से ऊपर उठकर काम हो रहा था । हम पार्टियों को ख्वामख्वाह ब्लेम करते हैं। राशिद सिद्दीकी कौन हैं, किस पार्टी के हैं, यह पार्टी में नहीं बंधे हुये हैं। जब स्थानीय समस्या कोई होती है तो हर पार्टी के लोग जाते हैं, इसमें कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिये। इस तरह से फलां-फलां को फलां पार्टी से जोड़कर देखने का जो हमारा नजरिया है, वह गलत है। यह सब जनप्रतिनिधि हैं, किसी न किसी पद पर आसीन हैं। कोई समस्या है और लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अगर यह वहां नहीं जायेंगे तो चाहे कादिर राणा हों, सईदुज्जमा हो, राशिद सिद्दीकी हों, हुकुम सिंह हों, कोई भी हो, अगर ऐसी सभा होगी, लोग बुलाये जायेंगे तो जनप्रतिनिधि तो मजबूरी में जायेगा ही जायेगा और सुनेगा कि पता नहीं क्या बात है। इसलिये वह गये वहां पर, लेकिन संदेश कहां से गलत चला गया, जानता हूं कभी-कभी विवेक से काम करना पड़ता है, अधिकारियों को परिस्थितियों से समझौता भी करना पड़ता है। लेकिन जिस वक्त वह सभा चल रही थी, भाषण क्या हो रहे थे, मैं उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहूंगा, वह तो आप जाने। लेकिन अगर धारा 144 के उल्लघंन में वहां कोई सभा हो रही थी, भले ही नेता उसमें मौजूद हों, क्या उस जिले के दोनों वरिष्ठ अधिकारी, जिलाधिकारी और एस0पी0 को उस सभा में जाना चाहिये था और चले गये थे, तो क्या उस मंच पर खड़े होना चाहिये था और खड़े होकर संबोधन करना चाहिये था उनको। अब बहाना ले रहे हैं कि हम तो वहां ज्ञापन लेने गये थे। ज्ञापन किसका लोगे, अगर सभा कानून का उल्लंघन करके हो रही है तो आप उस सभा में ज्ञापन लेने क्यों जाओगे। आप कहते कि यहां आकर दे जाओ। उन दोनों अधिकारियों के जाने से मान्यवर, एक सीधा संदेश गया कि यहां पर न्याय नहीं होने वाला। क्योंकि दो अधिकारी पहले बदल दिये गये, इस डर के कारण यह हर जगह उपस्थित होने लगे तो मन में यह बात आनी थी, इस तरह यह संदेश चलता गया, चलता गया, इसके बाद घोषणा होती है कि 31 तारीख को पंचायत होगी और 31 तारीख को पंचायत करने वाले मान्यवर, आयोजक हैं भारतीय किसान यूनियन, यह गैर राजनीतिक संगठन है, किसानों का संगठन है और आज से नहीं, न जाने कब से चल रहा है। उसके द्वारा आयोजन होता है, आयोजन चूंकि हो गया और लोगों में तनाव है और यह उम्मीद है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर उपस्थित होंगे, तो जिला प्रशासन एक्टिव होता है। उन दोनों किसान यूनियन के नेताओं को बुलाता है, उनसे बात करता है और संभवतः ऊपर का भी हस्तक्षेप होगा, उनको इस बात के लिये तैयार किया जाता है कि 31 तारीख के इस आयोजन को आप स्थगित कर दें। मैं वहां पर नहीं था, मैं पहली तारीख को पहुंचता हूं, जो मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा और जो मुझे लोगों से जानकारी मिली। 31 तारीख के कार्यक्रम के स्थगन का समाचार 31 तारीख की सुबह के हर समाचार पत्र में प्रमुखता के साथ में छपा कि पंचायत जो होने वाली है, वह स्थगित कर दी गयी है। तो इसका एक रिएक्शन होता है, जो समाज बहुलता के साथ उसमें भाग लेने वाला था, वह समाज बड़ा रिएक्टिव है। वह रिएक्ट करता है, स्वाभिमानी भी बहुत ज्यादा है। उसको लगा, अच्छा फलां-फलां लोगों ने हमारा सौदा कर लिया, प्रशासन से हमारा सौदा करके आ गये। वह सभा पांच-सात हजार लोगों की होती लेकिन स्थगित की जो चिंगारी चली वहां पर और प्रचार करने में सब लोग माहिर हैं, किसी ने कह दिया कि लखनऊ से बात हो गई, किसी ने कह दिया कि दिल्ली से बात हो गई, उनसे सौदा कर

लिया, जितनी जबान थी उतनी जबान उस बात को फैलाती गई और अन्ततोगत्वा जो मुझे जानकारी मिली उसमें कम से कम 25 से लेकर 30 हजार आदमी मौजूद थे। कोई आयोजक नहीं, कोई मंच भी नहीं, जो मैंने अखबार में देखा दो ट्रैक्टर-ट्राली खड़ी कर ली, धुआंधार भाषण हुए, क्या हुए क्या नहीं हुए मैं उपस्थित नहीं था क्योंकि मुझे निमन्त्रण भी नहीं था इसलिए मैं वहां पर नहीं गया लेकिन मैंने देखा कि फिर उन्होंने आह्वान कर दिया कि फिर 7 तारीख को सभा होगी। मान्यवर, जब आप देख रहे हैं कि एक से बड़ी एक सभा हो रही है तो आखिर प्रशासन ऐक्शन में क्यों नहीं आया। 30 तारीख की सभा हो गई, 31 तारीख की सभा हो गई, दोनों बड़ी सभाएं हो गईं, धारा-144 का उल्लंघन करके हो गईं, राजनीतिक पार्टियां भी ऐक्शन में आनी चाहिए थीं सत्ता में बैठे हुए हमारे लोग जो मंत्री, मुख्य मंत्री हैं, एम0पी0 भी हैं और बहुत बड़ा संगठन है पार्टी का उनको भी ऐक्टिव होना चाहिए था कि भाई तुम्हारी शिकायत क्या है, परेशानी क्या है, हम तुमको न्याय दिलायेंगे क्यों ख्वाम-ख्वां वातावरण को खराब करने की कोशिश कर रहे हो, यह होना चाहिए था जो मैं सोचता हूं। अधिकारियों को भी ऐक्टिव हो जाना चाहिए था कि प्रशासनिक रूप से यदि भीड़ इकट्ठी होती जायेगी, अनियन्त्रित भीड़ है, इसको समझाने वाला, चलाने वाला कोई नहीं है तो प्रशासन को ऐक्टिव होना चाहिए। प्रशासनिक मशीनरी को इतना चुस्त हम कर लें कि आगे की पंचायत न होने पाये। यही नहीं मान्यवर, इस प्रकार वह अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ गये थे, मेरी समझ में नहीं आता कि 4 तारीख को पंचायत हो जाती है वह कठवाला खाप में होती है और वह ऐलान करते हैं कि भारी संख्या में इकट्ठे हो जाओ। मान्यवर, उसमें क्या बी0जे0पी0 के लोग थे क्या ? मैं बराबर में बैठने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं नाम लूं आपके उन विधायकों, सांसदों का, उन नेताओं का जो आपसे सम्बन्धित हैं, मैं नाम नहीं लेता आपको खुद पता है इस बात का, मजबूरी है उनकी मैं उनको ब्लेम नहीं करता, इसका विश्लेषण आपको भी कर लेना चाहिए। अगर कोई एक्सएम0पी0 है या कोई वर्तमान विधायक है उसको पता है कि उसके क्षेत्र में बैठक हो रही है और उसको यदि बुलाया जाए तो वह कैसे मना कर देगा कि मैं नहीं जाऊंगा। जाएगा, जरूर जाएगा, वह गये, 144 का उल्लंघन तो हो रहा है और वहां पर केवल निर्णय यह हुआ कि 7 तारीख की सभा में हम बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे। लगने लगा कि 7 तारीख की जो सभा होगी वह बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी। कुछ तो कोशिश करते कि 7 तारीख की सभा न हो। मेरे ऊपर कमेंट हो रहे हैं, मैं कौन होता हूं सभा को रोकने वाला, मेरी जगह पर आप खड़े हो करके देख लीजिए, औकात का पता लग जायेगा। जब ऐसी सभा होती हैं तो यदि आप उनके अनुरूप नहीं बोलेंगे तो मंच से उठाकर फेंक दिया जायेगा भले ही आप कितने ही बड़े तीस मार खां हो, यह आप समझ लीजिए बहुत दिनों से राजनीति कर रहा हूं मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मान्यवर, यह प्रयास होना चाहिए था, नहीं हुआ। इसके बाद में 7 तारीख की सभा आते-आते 6 तारीख को किसान यूनियन फिर ऐक्टिव हो गई जबकि किसान यूनियन मुर्दाबाद के नारे लग चुके थे 31 तारीख में, सारे समाज में इस बात का प्रचार हो चुका था कि ये बिके हुए लोग हैं इनका विश्वास नहीं करना है और अपनी विश्वसनीयता को प्राप्त करने के लिए दोबारा सक्रिय हो गये और उन्होंने कहा कि पंचायत के आयोजक हम हैं। मुझे स्वयं किसान यूनियन के प्रवक्ता की बात हुई उन्होंने कहा कि उन्होंने जिलाधिकारी से प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता कर ली है, हम अपनी जिम्मेदारी पर सभा कर रहे हैं। हम जिम्मेदारी ले करके आये हैं और इस आशय के समाचार 7 तारीख की सुबह हर समाचार-पत्र में निकले कि आने-जाने पर कोई रोक-टोक

नहीं है, पुलिस का काम केवल वहां पर शान्ति व्यवस्था कायम करने का होगा। 10 बजे सुबह सभा शुरू हुई मेरे पास साढ़े बारह बजे फोन आता है प्रवक्ता जी का कि आप आये नहीं, आपको आना चाहिए, आप भी आ जाओ किसी पंचायत में आज तक आप आये नहीं हो तो मैंने कहा कि अनुमति है वहां पर, समाचार-पत्रों में छपा हुआ है तो मैं भी आता हूं। मैं गया, यह बात सही है कि पूरी सड़क पर भीड़ बहुत ज्यादा थी और कुछ बच्चों के पास में जो खेलने के लिए कुछ हाथ में लिये थे लाठी-डंडा हिला रहे थे या कुछ और हथियार हिला रहे थे, मैं खुद इस बात को कह रहा हूं।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

अध्यक्ष जी, जो इसके बड़े खिलाड़ी हैं इन्होंने खेल के लिए कौन-कौन से सामान जुटाये थे, उस सामान का नाम बता देंगे तो सुविधा हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शांत रहें। मा0 हुकुम सिंह जी, चर्चा जल्दी समाप्त करना है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। यह जो भीड़ है फिर मैं समझा रहा हूं, यह किसी एक राजनीतिक दल की नहीं है, किसी एक का वोटर भी नहीं है, यह अपने विवेक वाले हैं, कुछ लोग तमाशबीन हैं, कुछ लोग अपने मुद्दों को ले करके आये हैं, गुस्सा है उनके मन में, भेदभाव का गुस्सा उनके मन में है, जो उनकी उपेक्षा की जा रही है उसका गुस्सा उनके मन में है और स्थिति ऐसी थी कि मान्यवर, दो कि0मी0 मुझे पैदल चलना पड़ा मंच तक पहुंचने के लिए। जो भाषण हुए, अब मैं उस पर आना चाहता हूं। मैं दो मिनट बोला, एक-एक पंक्ति, एक-एक शब्द मुझे याद है। आज मैं इस भरी पंचायत में, मैं इसको भी पंचायत मानता हूं, बहुत विनम्रता के साथ मैं आग्रह करता हूं मेरे दो मिनट के सम्बोधन में एक पंक्ति, एक शब्द कोई आपत्तिजनक बता दे तो मैं आपके बिना कहे आज ही इस विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र देकर राजनीतिक जीवन से सन्यास ले लूंगा। मैं उन लोगों में से हूं, मैं एक सैनिक रहा हूं मैंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, मेरे लिए तो यह दूसरा जीवन है। इन लोगों ने दूसरा जीवन नहीं देखा है, मैंने दूसरा जीवन देखा है। यह जो लोग, कमेण्ट करते हैं, टिप्पणी करते हैं मेरे मुंह से कभी ऐसी बात न निकली है और ईश्वर ने इतना संयम मुझे दिया है कि कभी निकल भी नहीं सकती कि मैं भड़काऊ भाषण दूं, समाज को तोड़ने की बात करूं। मैं समाज की एकता में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। मेरी मौजूदगी में हर पार्टी का महत्वपूर्ण आदमी वहां मौजूद है, कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण आदमी वहां मौजूद है, मंच पर बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी का महत्वपूर्ण आदमी वहां मौजूद है, बहुजन समाज पार्टी का महत्वपूर्ण आदमी वहां मौजूद है, इसमें कौन सी बात है मौर्या जी इतने डिफेन्सिव होने की कि केवल भा0ज0पा0, आपके तो विधायक वहां पर हैं न जाने कितने लोग बैठे हुए हैं। छोड़ो उस बात को कि कौन बैठे हैं, कौन नहीं बैठे हैं। घटना नहीं होनी चाहिए थी, घटना होने का मूल कारण यही है और अगर वहां पर भड़काऊ भाषण हुये हैं तो घटना तो वहीं हो जानी चाहिए थी। घटना कहां हुई ? जब कठवारा खाप के आदमी अपनी ट्रैक्टर-ट्राली ले करके सैकड़ों की संख्या में सभास्थल पर आ रहे थे बीच में उनके ऊपर पथराव हुआ, सैकड़ों आदमी घायल हुए। क्या वहां के प्रशासन की जिम्मेदारी यह नहीं थी कि जो संवेदनशील स्थान हैं उन स्थानों पर पुलिस फोर्स का इंतजाम करते। हिंसा क्यों हुई जब उस पंचायत के बाद में लोग अपने गन्तव्य

स्थान को जा रहे थे उनके ऊपर भारी पथराव ही नहीं हुआ, गोलियां चलीं। सात-सात आदमी पी0ए0सी0 के खड़े रहे, गोली इसलिए नहीं चलायी कि उन्हें आदेश नहीं थे। दर्जनों आदमी वहां पर हताहत हुए, 12 ट्रैक्टर-ट्राली वहां पर जला दी गयीं। आज हमसे पूछते हैं कि हमारे भाषण से हिंसा फैल गयी। अरे हिंसा इसलिए फैली कि प्रशासनिक व्यवस्था चौपट थी अधिकारियों के हाथ आपने बांध दिये थे, उनके हाथों में आपने हथकड़ी डाल दी थी, उनकी जुबान बंद कर दी थी। सब कुछ घटना उनके सामने होती रही और कोई कार्यवाई नहीं हुई। यह मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर, समाप्त करने की तरफ जा रहा हूं।

(सत्तापक्ष की तरफ से एक माननीय सदस्य के खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, आप लोग शांत रहिये। मा0 सदस्य शांत रहें आपको भी कहने का मौका है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, संक्षेप कर रहा हूं। यह दुर्भाग्य था जो कुछ हुआ लेकिन उसके बाद में एक जिम्मेदारी होती है, सरकारी अमले की जिम्मेदारी होती है। सरकारी अमले ने क्या किया ? ऊपर से आपने बहुत सीनियर अधिकारी भेजे, उन्हें भी भेजा जो पहले जिलाधिकारी रह चुके थे, वहां से परिचित थे, वह भी भेजे जो यहां पर एडीशनल डी0जी0 हैं। सब लोग वहां पर गये और नियंत्रण करने का प्रयास किया, नियंत्रण क्यों नहीं हो पाया ? पहला, जो वहां पर प्रशासनिक अमला था उनमें कोआर्डिनेशन नहीं था, एक आदमी कुछ कहता था, दूसरा आदमी कुछ कहता था, यह कोई मैं नहीं सभी समाचार-पत्रों में छपा हुआ है बिल्कुल उनमें समन्वय का अभाव था और समन्वय के अभाव में वह कोई सुनिश्चित नीति बना ही नहीं सके नियंत्रण करने के लिए क्या उनका यह फर्ज नहीं बनता था कि उनके लोग खुद जो जख्मी होकर आए थे अपने 10 मिनट के वहां के रुकने में मैं कम से कम 14 आदमियों को दो गाड़ियों में भरकर ले गया जो लोग पंचायत में शरीक होने आ रहे थे उनके ऊपर प्रहार किया गया था। क्या यहां पर उनका यह प्रयास नहीं होना चाहिए था कि जो संवेदनशील जगह हैं वहां पर जाकर पुलिस फोर्स लगा दी जानी चाहिए जो गांव पुरबालियान है 150 ट्रैक्टर ट्राली थी उनको रोक लिया गया रात भर वह सड़क पर तड़पते रहे पुलिस फोर्स गई लेकिन उसकी इतनी औकात नहीं थी कि उनको सुरक्षित निकाल सके। वह नहीं निकाल पाए रात भर सड़क के किनारे रहना पड़ा। अगर घटना एक थी तो आहिस्ता-आहिस्ता प्रचार तो उसका 10 गुना होगा ही हुआ भी होगा कि इतने मार दिए इतने मार दिए लेकिन क्योंकि समन्वय का अभाव था एक नीति नहीं बन पा रही थी और वह कहीं न कहीं परिलक्षित भी हो रही थी एक एडीशनल डी0जी हैं मैं उनका नाम तो भूल गया उनसे बार-बार अधिकारियों ने कहा कि यह मत करो तनाव मत बढ़ाओ लेकिन उनको हटाया क्यों नहीं गया क्योंकि वहां पर बार-बार चर्चा चलती थी कि यह नहीं हटेंगे यह बहुत पावरफुल आदमी हैं इनके कोई पता नहीं पंचम तल वाली मैडम हैं यह उनके आदमी हैं यह नहीं हट पाएंगे ऐसा प्रचार चाहे गलत या सही लेकिन यह प्रचार हो गया और अधिकारी कोई नीति अपना नहीं पाए और यहां से मार्ग-दर्शन मिल नहीं पाया। समय लगा घर जले लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर भी हुए आज शिविर में रह भी रहे हैं सरकार की तरफ से निश्चित रूप से कार्यवाही हो भी रही है और होनी चाहिए लेकिन यह विचार करना चाहिए कि इसकी पुनरावृत्ति तो न हो। माननीय मुख्य मंत्री जी कवाल

गांव में गए जाना चाहिए था क्या संदेश दिया आपने आपको काले झंडे दिखाए जाते हैं आपके मुर्दाबाद के नारे लगते हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास राज्य मंत्री (श्री चितरंजन स्वरूप)-

इस तरह के नारे बिल्कुल नहीं लगे।

श्री हुकुम सिंह-

आपके एक मंत्री के जिन्दाबाद के नारे लगते हैं।

(श्री नारद राय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

राय साहब आप बैठ जाएं। आप लोग शांत रहें। आपको भी मौका मिलेगा उस समय जवाब देना।

श्री हुकुम सिंह-

चितरंजन जी आप उत्तेजना में न आएं शांति से बैठें आपकी तबियत खराब है। जो मैंने सुना मैंने वह कहा मैं तो वहां पर था नहीं मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा। मैं हर एक का संज्ञान न लूं यह तो संभव है नहीं, मैंने वहां के लोगों से सुना उन्होंने फोन करके बताया जब आप थे तो मेरे पास फोन आने शुरू हो गए थे कि यह क्या हो रहा है कि मंत्री जिन्दाबाद और मुख्य मंत्री मुर्दाबाद मैंने कहा कि मैं तो हूं नहीं वहां पर प्रदेश सरकार का एक राज्य मंत्री है उसकी सक्षमता का तो मैं गुणगान करता हूं वह यहां बैठे हुए हैं उनको ऊपर कोई दोषारोपण भी नहीं है क्योंकि वह कुछ कर भी नहीं पाए थे। इसलिए मैं सीधी-सीधी बात यह कहना चाहता हूं मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं और मुख्य मंत्री जी से खासतौर से अनुरोध करता हूं यह एक दिन की बात नहीं है।

श्री अखिलेश यादव-

कवाल की घटना अभी पूरी नहीं बताई।

श्री हुकुम सिंह-

वह मैंने बता तो दी।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी चर्चा का सीमित समय है इसका ध्यान रखें।

श्री हुकुम सिंह-

वह घटना अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कहीं न कहीं चूक हो जाएगी। यह सामन्जस्य हल्के-हल्के खत्म होना शुरू हुआ कई कदम आपके ऐसे रहे जो नहीं होने चाहिए थे दोनों अधिकारियों को तो आपने हटा ही दिया एक और एस0पी0 दुबे गए थे उनको भी आपने निलम्बित कर दिया और जब उनको भेजा गया था तो यही कहा गया था कि सबसे तेज तर्रार अधिकारी यही हैं लेकिन कहीं न कहीं विवाद हुआ जो मेरी जानकारी है वह मैं आपको बताता हूं न सही हो तो प्रतिवाद कर देना शामली में एक एस0पी0 थे होली का पर्व है औरतें बच्चे सब खुशी से जाकर होली का पूजन कर रहे हैं शाम का समय है साढ़े पांच बजे का कुछ हुड़दंगबाज लोग आते हैं वह आकर होली की लकड़ी में

लात मारते हैं आग लगा देते हैं और फैला देते हैं दूसरे नौजवान हैं उनको भी गुस्सा आता है वह भी वह हरकत करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। एक वहां पर पूजा स्थल है उसकी दीवार गिराते हैं मुझे बुरा लगा हम रात में ही गए खड़े होकर अपने सामने ही दीवार को बनवा दिया दोनों पक्षों में समझौता कराने की कोशिश की लेकिन नेता हैं वह इधर के हों या उधर के कहीं के भी हों उन्होंने जाकर समझौता नहीं होने दिया। फिर गिरफ्तारी इकतरफा केवल इकतरफा। 55 आदमियों के खिलाफ एफ0आई0आर0 हुई। 3 पर एन0एस0ए0 और जब दूसरों ने एफ0आई0आर0 लिखानी चाही तो कागज उठा करके इस तरह फेंक दिया। 156 (3) में गये 24 घंटे के अंदर एफ0आर0 लग गई और जब एफ0आर0 लग गई तो क्या होना था मान्यवर। शामली में मान्यवर, एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार। उसके विरोध में वहां पर धरना प्रदर्शन। मैं भी वहां पर धरने में बैठा हूं मान्यवर। सुरेश राणा हमारे विधायक बराबर में बैठे हैं। यह भी धरने पर बैठे हैं। हम लोग केवल धरने पर बैठे हुए हैं। धरने पर बैठने का अपराध यह कि हम पर लाठी चार्ज। खून बहा था लोगों का, सिर फूटा था लोगों का। मैं आपकी शरण में आया, ज्ञापन लेकर आया कि पंचायत इससे पहले भी हुई थी मान्यवर। 40 हजार लोगों की पंचायत थी, सब खापों के चौधरी थे, उनके हस्ताक्षर थे। क्या मांगा था मैंने आपसे ? केवल यह मांगा था कि न्यायिक जांच करा दीजिये। केवल न्यायिक जांच करा दीजिये आपको भी पता चल जायेगा कि क्षेत्र में क्या हो रहा है। करा दी होती तो यह घटना न होती। क्या मजबूरी रही होगी आपकी ? मुझे लग रहा था आपकी बॉडी लैंग्वेज से कि आप करायेंगे। कुछ विवशता रही होगी आपकी, नहीं करा पाये मान्यवर। मुझको दोष क्यों दे रहे हो, इनको दोष क्यों दे रहे हो। महामहिम राज्यपाल तो इस प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी हैं। अगर वह रिपोर्ट देते हैं केन्द्र सरकार को और इसका उल्लेख करते कि घटना के लिये पूर्णतया असफलता सरकार की है। मैं तो नहीं दे रहा हूं उसमें। उन्होंने यह रिपोर्ट भी किसी आधार पर दी होगी और उनकी रिपोर्ट को भी आप गलत मानेंगे तो फिर किसकी रिपोर्ट को सही मानेंगे ? दरोगा जी की रिपोर्ट को सही मानेंगे क्या ? मान्यवर, आई0बी0 की रिपोर्ट छपी। आई0बी0 ने भी केन्द्र सरकार को सूचित किया है और बताया है कि हम पहले भी इनको जानकारी दे चुके थे और जो कुछ भी दोष रहा, अपराध रहा, कमी रही वह केवल प्रदेश सरकार की रही। सारी एजेन्सी वह हैं जिनका हमसे कोई सम्बन्ध नहीं। सारी एजेन्सी वह हैं जो केन्द्र सरकार से संबंधित हैं और वह सबकी सब रिपोर्ट दे रही हैं और इसके बावजूद भी बराबर वालों को बदबू आ रही है कि इन्होंने करा दिया, इन्होंने करा दिया। अगर मैंने करा दिया तो गर्वनर साहब न लिखते इस बात को कि हमने करा दिया। अगर हमने करा दिया तो आई0बी0 न लिखती इस बात को कि हमने करा दिया। यह छोड़ दो। मैंने आपको दोष नहीं दिया, मैंने आपको दोष नहीं दिया। मैंने तो केवल कुछ तथ्य रखे आपके सामने। मैंने उसके पीछे आपकी भावना, दुर्भावना की कोई बात नहीं कही। मान्यवर, कभी-कभी कुछ तथ्य ऐसे आ जाते हैं सामने कि सही भावना होते हुए भी सारी की सारी बात गड़बड़ हो जाती है। संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, तीन दिन से बयान आ रहा है **चूहों के बिल में घुस गये, चूहे थे।** यह भाषा है संसदीय कार्य मंत्री की हमारे लिये। हम चूहे हैं, हम चूहे के बिल में घुस गये। यह इतना बड़ा हॉल है, इतना बड़ा हिन्दुस्तान में शायद किसी एसेम्बली का नहीं है। यह भी इनको चूहे का बिल नजर आता है। हम यहीं बैठे हुए हैं और यह कहते हैं कि चूहों के बिल में घुस गये। मान्यवर, यह जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, बहुत अच्छे शिक्षित हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं लेकिन कम से कम अपने साथियों के साथ में, अपने कुलीग्स के साथ इस तरह की बात कहेंगे। आप

इस तरह से अपमानित करेंगे। हम तो इसके वाबजूद भी आपका सम्मान करते हैं, सम्मान करना ही सीखा है। लेकिन जब भाषा बोलो मीडिया के सामने तो कम से कम ऐसी तो बोलो जो अच्छी लगे। मान्यवर, इस प्रकार की यह जो घटना हो रही है, वास्तव में अगर आप न्याय देना चाहते हैं अब भी तो जिनको आपने न्यायिक जांच के निर्देश दिये हैं या गठन किया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, अब समाप्त करें।

श्री हुकुम सिंह-

बस खत्म। समाप्त ही हो रही है। मान्यवर, क्या यह सम्भव है कि किसी सिटिंग जज से आप जांच करा दें। सिटिंग्स जज से जांच होगी तो विश्वास बढ़ेगा। आज विश्वास का मान्यवर, पूर्णतया अभाव है। (किसी माननीय सदस्य के बोलने पर) आप कौन हैं विश्वास लेने वाले ? मैं विश्वास की बात कर रहा हूं जनता की बात कर रहा हूं। हमेशा यह भाजपा की बात करेंगे इससे ऊपर यह उठेंगे नहीं। मान्यवर, मैं प्रदेश की जनता की बात कर रहा हूं कि प्रदेश की जनता का, देश की जनता का विश्वास यदि आपको अर्जित करना है कि किसी सिटिंग जज से आप जांच कराइये और जो दोषी इसमें हो, आप संकल्प करिये कि हां उनके विरुद्ध हम कार्यवाही करेंगे तब तो आपको विश्वास मिलेगा मान्यवर। यह चन्द शब्द कहने का आपने अवसर दिया मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(माननीय प्रदीप माथुर के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह ग्राह्यता पर नहीं सुना जा रहा है। चौधरी साहब बोलना चाहते हैं उनको बोलने दीजिये। यह चर्चा हो रही है। चौधरी साहब को बोलने दीजिये, उनके बोलने के बाद आप बोलिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही सम्वेदनशील मुद्दे पर आज चर्चा हो रही है। इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बात कही। नेता विरोधी दल ने बड़ी गर्म भाषा में बात की और नेता भारतीय जनता पार्टी ने शान्त वातावरण में अपनी बात कही, अपना पूरा दोष सरकार पर मढ़ने का काम किया। दंगा है कि नहीं है, या जातीय संघर्ष है या दंगा है, यह जांच के बाद निर्णय होगा। श्रीमन् 1987 में आप भी थे, हम भी थे इस सदन में, हाशिमपुर कांड हुआ था। उस समय वीरबहादुर सिंह जी मुख्य मंत्री थे इस सदन में, उसकी भी जांच पूर्व न्यायाधीश से इस सदन में कराने की घोषणा हुई थी जांच भी हुई और जो दोषी पाए गए उन पर कार्यवाही भी हुई। बात को केवल बदल देना, सरकार पर दोष डाल देना, अपने को निष्पक्ष कर देना, हमारी सरकार में कोई दंगा होता ही नहीं, केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में दंगा होता है यह कहकर समाज की जिम्मेदारी से हम जनप्रतिनिधि अपना पिंड नहीं छुड़ा सकते हैं हम जनप्रतिनिधि हैं हम चुनाव जीतकर आते हैं जनता अपना विश्वास हम पर कायम करती है और वोट के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं भा0ज0पा0 नेता ने बड़ी मासूमियत से, मैं इनकी इज्जत करता हूं बड़ी मासूमियत से इन्होंने बात कही, इनके जैसा कोई निष्पक्ष है ही नहीं, न विधान सभा में, न इस धरती पर, इनको सुना भी गया, हम इनकी कद्र करते हैं बहुत दिन से हम साथ हैं इस विधान

सभा में, लेकिन अखबार में यह कैसे आया कि अब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हिन्दुत्व की लहर बढ़ने की आस बढ़ गई है। मान्यवर,जब तक जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी तय नहीं करेगा तब तक यह दंगा फसाद रुकने वाला नहीं है और जब तक दंगा कराने वाले लोग अपने को निष्पक्ष बताने की कोशिश करते रहेंगे तब तक दंगा रुकने वाला नहीं है। पंचायत हुई, समाजवादी पार्टी जब भी सरकार में आती है लोकतंत्र की बात करती है। हमारे मुख्य मंत्री हमारे लोग कभी तानाशाह नहीं होते हैं,चाहे मा0 मुलायम सिंह यादव हों,चाहे वर्तमान मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी हों, हम लोकतंत्र की पूरी छूट देते हैं, जनता के अधिकारों की पूरी छूट देते हैं कहा गया श्रीमन्, पहली पंचायत हुई बड़ी शान्ति से वह पंचायत हुई। दूसरी पंचायत भी, सरकार इस आशा में थी कि शान्ति से गुजरेगी। श्रीमन् अभी अयोध्या में हुआ था चौरासी कोस परिक्रमा, उसको दुबारा करने का प्रयास हुआ, सरकार ने उसको रोका तो कितना हल्ला हुआ धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई जा रही है। मानवीय अधिकारों का हनन किया जा रहा है और इसीलिए उस पर रोक नहीं लगाई गई कि कम से कम जब पहली पंचायत शान्तिपूर्वक हो गई है तो दूसरी पंचायत भी शान्ति से हो जाए क्योंकि अगर पंचायत करने से रोका गया तो इसी का बहाना लेकर यह दंगा कराने का काम करेंगे। जरूरी बात यह है कि हमारे विश्वास को धक्का लगा लेकिन नेता बहुजन समाज पार्टी नेता भारतीय जनता पार्टी चाहे भाषण हम कुछ भी दें लेकिन हमको अपने अन्दर झांककर देखना पड़ेगा कि हमारी मंशा क्या है कौन सा हिन्दुत्व है ? क्या बहुजन समाज पार्टी यह जोर देता है कि वह हिन्दू नहीं है क्या समाजवादी पार्टी जोर देता है कि वह हिन्दू नहीं है उसको आप क्यों हिन्दू नहीं मानते हैं उसको आप क्यों हिन्दू नहीं मानते हैं किसको आप हिन्दू मानते हैं, हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, संविधान को आप मानते हैं और वर्गों का बंटवारा भी करते हैं।

श्रीमन् एस0एम0एस0 गांव-गांव में जा रहा है कौन लोग दे रहे हैं मा0 हुकुम सिंह जी कि यह दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है। 1957 में कितना मुसलमान एम0एल0ए0 हुआ, 1962 में कितना मुसलमान एम0एल0ए0 हुआ यह जितने चुनाव हुए हैं मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है। एस0एम0एस0 कौन भेज रहा है अखिलेश यादव जी भेज रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी भेज रहे हैं, कौन भेज रहा है एस0एम0एस0, हुकुम सिंह जी आप क्यों नहीं सही बात एक्सेप्ट करते हैं जब यह प्रदेश जल जाएगा, प्रदेश खंडित हो जाएगा, जनता खून-खून हो जाएगी तब आप सही बात एक्सेप्ट करेंगे, क्यों नहीं आप सही बात एक्सेप्ट करते हैं, मा0 अध्यक्ष जी जब तक सही बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जनप्रतिनिधि को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, वोट के लिए जब तक हम अपने को कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे तो किस तरह से झगड़े रुकेंगे। किस तरह से झगड़े रुकेंगे ? एफ0आई0आर0 भी हुईं, लेकिन रोज दंगा हो रहा है। कितने लोगों को किसने बचाया, मंत्री का मुर्दाबाद हुआ, मुख्य मंत्री का मुर्दाबाद हुआ, इससे हमें क्या लेना-देना है। लोकतंत्र में छूट है, हम जिन्दाबाद बोलें या चाहे जिसका मुर्दाबाद बोलें। श्रीमन्, इसी सदन में हम लोग मौजूद थे, 1984 में मुरादाबाद में, जिस दिन सबसे पाक दिन होता है, अपवित्र जानवर को किसने उसमें घुसेड़ा ? इसकी भी जांच हुई है, इसी उत्तर प्रदेश में और उसमें भी कार्यवाई हुई है। मेरठ में किसने ऐसा कराया। श्रीमन्, मेरा केवल यह कहना है कि दंगों की राजनीति करने वाले, वर्ग को वर्ग में बांट करके राजनीति करने वाले, सत्ता के लिए भूखे भेंड़िए की तरह काम करने वालों पर जब तक सख्ती से कार्यवाई नहीं होगी, तब तक यह प्रदेश अमन से नहीं रह पायेगा। अगर सब ठीक हैं, नेता विपक्ष भी ठीक हैं,

जनता के लिए, नेता सदन भी ठीक हैं, जनता के लिए, नेता, भारतीय जनता पार्टी, नेता कांग्रेस पार्टी और जितने नेता हैं, सब ठीक हैं तो क्यों नहीं आज ही इस बात का संकल्प लेते हैं कि हम संविधान और राजनीति की मर्यादा के विपरीत हम कोई आचरण जनता के बीच में नहीं करेंगे। अभी हुकुम सिंह जी कह रहे थे, कोई क्यों जायेगा ? हम जनता के प्रतिनिधि हैं, कोई हमारे गांव को फूंकेगा तो क्या हम फूंकने देंगे ? अगर कोई समूह में जुटता है, गलत फैसला लेता है तो उस फैसले को पलटवाने का काम जनप्रतिनिधियों का होता है। कह रहे थे कि कोई भीड़ में अपनी बात कैसे कह पायेगा, क्यों नहीं बात कह पायेगा ? अगर जो सही बात भीड़ में नहीं कह पायेगा, वह जनप्रतिनिधि कहलाने का हक नहीं रखता है। नेता विपक्ष ने कहा कि जब-जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो प्रदेश में दंगा क्यों होता है ? इसलिए कि समाजवादी पार्टी जनता के विकास के रास्ते खोजती है। हम जनता की मांगों पर विचार करते हैं, उसकी समस्याओं का हल करते हैं, हम विकास का काम करना चाहते हैं और जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो भारतीय जनता पार्टी हो या और कोई पार्टी हो, चाहे अखबार हो, चैनल हो, किसी दूसरे की सरकार में कोई गड़बड़ी नहीं दिखता है, जब मुलायम सिंह यादव मुख्य मंत्री बनेंगे, अखिलेश यादव मुख्य मंत्री बनेंगे, कानून-व्यवस्था गड़बड़ सबको दिखाई देने लगती है और कानून-व्यवस्था गड़बड़ नहीं भी होती है तो कानून-व्यवस्था को गड़बड़ करके, सरकार के विकास के कामों से जनता की दृष्टि हटाने के लिए यह सारा खेल विपक्ष की तरफ से होता है। बहुजन समाज पार्टी 04 बार सरकार में रही है, भाजपा के साथ भी रही है और भाजपा से अलग भी रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने कभी कानून-व्यवस्था की बात उठायी ? किसी चैनल, किसी मीडिया ने कानून-व्यवस्था की बात उठायी ? क्यों जब मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव, मुख्य मंत्री होते हैं, कानून-व्यवस्था की बात उठायी जाती है ? क्योंकि यह पिछड़े, किसान, दलित, गरीब, अल्पसंख्यकों की रक्षा करने वाली सरकार है, इसलिए कानून-व्यवस्था की बात उठती है। एक सोची-समझी राजनीति के तहत दंगा करवाये जाते हैं। यह सरकार जो विकास का काम कर रही है, जो जनता के दर्दों पर मरहम लगा रही है, गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा रही है। बेरोजगारों को रोजगार दे रही है। छात्र-छात्राओं को सहायता देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास कर रही है। कहीं उत्तर प्रदेश की जनता मुख्य मंत्री, अखिलेश यादव के पक्ष में हो करके दिल्ली पर काबिज न हो जाए, दूसरी बार यह सत्ता में न आ जाये, इसलिए यह जो कुछ हो रहा है, यह सब सोची-समझी रणनीति है। मैं मुख्य मंत्री से कहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। माननीय मंत्री जी, इसमें समय सीमित है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आपकी आज्ञा को मैं मानता हूं। आपने इन लोगों की बात को सुन लिया और भी नेता बोल रहे थे, उनकी भी बात सुन लिए लेकिन दृढ़ता से, संकल्प शक्ति से जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले चल रहे हैं, उसी संकल्प शक्ति से दंगाइयों को, समाज को बांटने वालों को कुचल करके, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाई करायेंगे। तब जाकर इनको भी याद आएगा, हमको भी याद आएगा। नहीं तो आइये सभी सदस्य खड़े हो जायें, चाहे गंगा जल लेकर या चाहे जो जल लेकर शपथ ले लें कि हम संविधान की मर्यादाओं के ही अनुसार काम करेंगे। श्रीमन्, मानवाधिकार आयोग बन गया लेकिन कर्त्तव्य आयोग कब बनेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बात समाप्त करें।

श्री रामगोविन्द चौधरी-

मैं सभी दलीय नेताओं को कहना चाहता हूं कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर आज हम सबको मिलकर एक निर्णय लेना पड़ेगा कि चाहे हमारी पार्टी चुनाव जीते या हारे चाहे हम चुनाव जीतें चाहे हम नहीं जीतें हम जनता के साथ किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस पर कड़ा कदम उठाकर फनकारों के फन को दबा दीजिए, प्रदेश शांत हो जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी अभी जैसे माननीय रामगोविन्द चौधरी जी कह रहे थे कि दंगेकारों को दबाया जाना चाहिए काश इस सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगे शुरू होने से पहले ही वह सब कार्रवाई की होती तो यह दंगे ही नहीं होते। आज स्थिति यह है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने पहले ही अगाह कर रखा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे हो सकते हैं तो सरकार क्यों नहीं चेती। मान्यवर, इन डेढ़ सालों में इन 550 दिनों में लगभग 34 बार साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं। कुल लगभग 107 दंगे हुए हैं। इसका मतलब है कि हर पांचवे दिन एक दंगा। तो इस प्रदेश की जनता कैसे सुखी रह सकती है शांत रह सकती है। मान्यवर, हमें उम्मीद थी और उम्मीद है परंतु जो सत्ता के केंद्र इस सरकार में बने हुए हैं मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री निर्णय नहीं ले पाते। कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। उस दिन मुजफ्फरनगर में 27 तारीख को एक छोटे से मुद्दे को लेकर जो देश-प्रदेश के लिए एक बवाल पैदा हो गया, जहां प्रधानमंत्री जी को भी जाना पड़ा जहां गर्वनर साहब को भी अपनी रिपोर्ट देनी पड़ी ऐसा आज तक नहीं हुआ। आज स्थिति यह है कि स्थानीय स्तर पर अक्षमता है। बार-बार लखनऊ से कहा जा रहा था यह करो, वह करो।

(कई मा0 सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य शांत रहें।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, उस समय आपके डी0आई0जी0 वहां से क्यों चले जाते हैं। क्यों धारा 144 लगने के बाद छोटी-छोटी पंचायतों, जमावड़ों और इस तरह के भाषणों को अनुमति दी जाती है। क्यों नहीं सख्ती की जाती है। क्यों लखनऊ चुप बैठा रहा। यह गंभीर मामला है। जब साम्प्रदायिकता सिर उठा रही है तो सरकार सो रही है। यह प्रदेश सरकार क्यों सो रही है। इतने सक्षम लोग यहां मंत्रि-मण्डल में बैठे हुए हैं। उसके बाद भी प्रदेश का यह हश्र हो रहा है। आप विकास की बात करते हैं। मुख्य मंत्री जी निवेश के लिए कोरिया, चीन, यू0एस0ए0 और देशों के लोगों को बुलाते हैं बात करते हैं लेकिन प्रदेश में इस तरह की साम्प्रदायिक हिंसा का माहौल होगा तो कैसे निवेशक आयेंगे। 56 लोग मारे गये। आंकड़े कहीं ज्यादा हो सकते हैं। उनको आप मुआवजा दे देंगे उनको आप पुचकार लेंगे लेकिन जो खाई बनी है। उन दिलों में जो दर्द है, जिस तरह से गांवों में हिन्सा हुई है, जिस तरह से

मेरठ में, बागपत में, शामली में हिंसा हुई है, उन घावों को भरने में समय लगेगा। हम लोग, सभी लोग इस तरह की बातें करके राजनीतिक रोटियां सेंकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। अब आप बैठ जायं।

(मा0 अध्यक्ष और मा0 सदस्य श्री प्रदीप माथुर के एक साथ अपनी-अपनी बात कहने की वजह से मा0 सदस्य का भाषण स्पष्ट सुनाई नहीं दिया।)

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं सी0बी0आई0 जांच की मांग करता हूं खाली सिटिंग जज से जांच कराने से काम नहीं चलेगा। मान्यवर, पत्रकारों को जो मुआवजा दिया गया है 25-25 लाख रुपये मुआवजा दिया गया है, मान्यवर, जो दंगा प्रभावित हैं उनको कम से कम 20-20 लाख रुपये का मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। मान्यवर, जरा सी लापरवाही से इतना बड़ा दंगा हो गया, मान्यवर, सख्त होना पड़ेगा। मान्यवर, हम लोग चाहते हैं कि उन सब जिलाधिकारी, डी0आई0जी0, आई0जी0 को निलम्बित किया जाय, एक उच्च स्तरीय जांच बैठायी जाय।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायं, यही आपकी कमी है, आप पार्टी के नेता हैं, लेकिन आप मर्यादा मानते नहीं हैं, आप बाद में बोल लीजिएगा, अब आपकी बात आ गई, आप बैठ जायं, आप अपने लोगों का ही समय खत्म कर रहे हैं। चितरंजन स्वरूप जी आप अपनी बात शुरू करें।

श्री चितरंजन स्वरूप-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उसी जनपद से आता हूं, जहां पर यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। जो घटना कबाल में हुई वह घटना दो साईकिल और मोटरसाईकिल के टकराने से हुई। आपस में कुछ वाद-विवाद हुआ, जिस जगह घटना हुई, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष से कहा तू यहीं ठहर हम तुम्हें अभी बताते हैं। वह लोग कुछ लोगों को लेकर आये और उसे चाकू से भोंक दिया और वह वहीं मर गया, उसके बाद वहां पर विवाद हुआ उसमें दो युवक और मारे गये। घटना हुई, उसके बाद एफ0आई0आर0 हुई, सब कुछ हुआ, इसके बाद जब वहां पर उनकी दुकानें जला दी गईं, कबाल के अन्दर जा करके उसके बाद यह घटना बढ़ती चली गई और मात्र एक मेमोरेण्डम देने के लिए, ज्ञापन देने के लिए, जमायते उलेमा के कुछ पदाधिकारी, जिलाधिकारी से मिलते हैं वह कहते हैं कि हम आपको एक ज्ञापन देना चाहते हैं, उन्होंनें कहा कि मुझे स्वीकार है, लेकिन कुछ ताकतों ने मैं नाम नहीं लूंगा, जब वह ज्ञापन देने की बात मीनाक्षी चौक खालापार पर आई, कुछ ताकतों ने जा करके लोगों को भड़का करके वहां भीड़ इकट्ठी की और भड़काऊ भाषण देने शुरू कर दिये और उसकी वीडियो कैसेट आप देख सकते हैं कि किसने क्या कहा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। इसके पश्चात् 31 तारीख को पंचायत होती है, 31 तारीख को पंचायत में भड़काऊ भाषण एक पार्टी के लोगों के द्वारा दिये जाते हैं, उसके बाद वहां पर घोषणा की, उसको रोकने के लिए भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और प्रवक्ता ने मना किया उसके बावजूद भी, उसके बाद उन्हीं लोगों ने 7 तारीख को मीटिंग की, उसमें भी आप देख लीजिए कि किन लोगों ने भड़काऊ भाषण किये, वहां पर कोई समाजवादी पार्टी का आदमी

नहीं था। मैं खुद गया हूं उन गांवों में जहां पर हत्यायें हुईं हैं, जहां पर मारकाट कर डाल दिये गये हैं लोग, आज भी वहां पर लोग फंसे हुए हैं। हां जाति हर प्रकार की होती है, खुद मेरे पास फोन आता है तेजपुर प्रधान का खरल से कि विधायक जी, मंत्री जी यहां पर 50 मुसलमान बैठे हुए हैं, आकर इन्हें बचाकर ले जाइये। मैं खुद वहां पुलिस को ले जाकर उन्हें बचाकर लाया हूं, लेकिन जिस प्रकार की घटनायें हुईं हैं, वह सब इन साम्प्रदायिक ताकतों की देन थी, जिन्होंने उसको भड़काने की कोशिश की और उस गांव के अन्दर आग लगा दी गई, मस्जिदें तोड़ दी गईं, वहां पर लाशें जलाई गईं, वहां पर लोग बंधक बनाये गये, 31 तारीख और 7 तारीख को, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ट्रैक्टरों के अन्दर बड़े-बड़े हथियार ले करके वह लोग चल रहे थे और उनके मोहल्लों में यह कह रहे थे कि हम अभी आ रहे हैं, तुम्हारे घरों में आग लगा देंगे, तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ देंगे, तुम्हारी लड़कियों को मार देंगे, इस तरह के नारे लगाते हुए लोग जा रहे थे। मैंने स्वयं देखा है, मैंने हाथ जोड़ करके लोगों से विनती की है कि भाई शान्ति रखो। लेकिन साम्प्रदायिक ताकतों ने कोई ऐसा काम नहीं किया। इस बात की सजा उनको मिलनी चाहिये और मिलेगी। जहां तक हमारी सरकार का सवाल है मिलेट्री भेजी शान्ति व्यवस्था कायम करने के लिये। रात के तीन बजे तक हम जागते थे, सुबह पांच बजे लोगों तक पहुंच जाते थे और आज वही पार्टी के लोग जिनके नेता, बसपा के नेता जो लोकसभा के सदस्य हैं। अगर आप उनके भाषण के टेप निकाल लें, भाजपा के नेताओं के टेप निकाल लें तो आपको पता लगेगा कि कौन साम्प्रदायिक ताकतें हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, 4 तारीख की पंचायत थी, उसका संचालन कौन कर रहा था।

श्री चितरंजन स्वरूप-

मैं आपके लिये नहीं कह रहा हूं मान्यवर। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, 4 तारीख की पंचायत का संचालन कौन कर रहा था। समाजवादी पार्टी का उपाध्यक्ष उसका संचालन कर रहा था।

श्री चितरंजन स्वरूप-

मान्यवर, मैं खुद ये कह रहा हूं कि आप वीडियो कैसेट निकलवाइये, टेप निकलवाइये। कहां से चल रही थी वो सी0डी0, पेशावर की 3 साल पहले की सी0डी0, उसमें दिखा रहे हैं कि दो लड़कों को किस तरह मारा जा रहा है। किसने निकाली वह सी0डी0, किसने दी वह कैसेट, ये सब उन साम्प्रदायिक ताकतों के पास था। मैंने खुद वहां पर जिलाधिकारी को कहा, जब जा करके उसकी आई0डी0 निकाली गयी, आई0डी0 निकाल कर मालूम किया गया कि किस लिये निकाली है तो मान्यवर, इन बातों को ध्यान में रखकर जहां तक हमारी सरकार का सवाल है तो मा0 मुख्य मंत्री जी मेरे साथ गये थे, कवाल में किसी ने कुछ नहीं कहा। हम शमशाद के यहां गये, मनकपुर के अन्दर गये, जो दोनों लड़के मरे थे, उनको सांत्वना दी। हमने वहां शमशाद को सांत्वना दी, उसके बाद वसीकला गये, उसके बाद शाहपुर गये, हमने हर जगह देखा, हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा। बस उनकी एक मांग थी, उनकी मांग थी कि हमारी जानें बचा लो। हमें किसी तरह इज्जत से रहने दो और हम वायदा करते हैं और उस बात के लिये यह सरकार वायदा करती है कि हर उस व्यक्ति को

जिसकी इज्जत लूटी गयी है, जिसको मारा गया है, उसके साथ सरकार खड़ी है। मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, मेरा मन भर आयेगा।

(सुश्री उमा भारती जी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्या, आपका है, आपका भी नम्बर है, आप बोलियेगा। मा0 उमा भारती जी, आप बोलियेगा। मा0 दलवीर सिंह जी नेता हैं दल के, इन्होंने नियम-56 में दिया है।

सुश्री उमा भारती-

मान्यवर, मैं भाषण देने के लिये नहीं खड़ी हुयी हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी जो मा0 वक्ता महोदय बोल रहे थे, उन्होंने अपने भाषण के दरम्यान एक समुदाय विशेष के धर्म का उल्लेख किया है जोकि वर्जित है। अगर ये समुदाय विशेष के धर्म का उल्लेख करके यहां चर्चा करेंगे तो हम भी उसी प्रकार की चर्चा करने के लिये मजबूर हो जायेंगे फिर तो लेने के देने पड़ेंगे, इस मामले में। इनको वर्जित करिये इस बात के लिये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 ठाकुर दलवीर सिंह जी, संक्षेप में कहिये, समय बहुत लम्बा नहीं है।

श्री दलवीर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी पार्टियों ने अपने-अपने तरीके से इस घटना पर विस्तार से कहा, सदन के सामने बड़ी-बड़ी बातें रखीं। बहुत दुःखद घटना है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे ज्यादा निन्दनीय घटना और कोई कुछ हो ही नहीं सकती। राजनैतिक पार्टियों के सभी नेताओं ने अपनी राजनैतिक अन्ताक्षरी पूरी कर ली। इस सदन को स्वर्ग में बैठे चौधरी चरण सिंह जी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आज उनकी सन्तान को मुसलमान और हिन्दू दोनों उनके बेटे हैं। चौधरी साहब स्वर्ग से देख रहे हैं कि जिस तरह से राजनैतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए उनको लड़ा रही हैं, ये पूरा प्रदेश जानता है, देश की जनता जानती है। ये घटना 27 तारीख को हुयी, यदि उसी वक्त हमारी वर्तमान सरकार जिसने साम्प्रदायिक ताकतों को रोकने के लिये 84 कोसी यात्रा को नहीं चलने दिया, यदि उसी दिन कार्यवाही की होती तो ये घटना आगे न बढ़ती। हर पार्टी ने अपने-अपने ढंग से, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये बात कही है। हम भी एक राजनैतिक दल हैं और वेस्टर्न यू0पी0 में महत्वपूर्ण दल हैं। हमारे किसी आदमी को इस घटना तक आने नहीं दिया। जयन्त चौधरी की 50 हजार आदमियों को लेकर 18 तारीख को एक यात्रा हुयी। 50 हजार आदमी जब सभी राजनैतिक दलों ने देखे तो ये भौंचक्के हो गये। इन्होंने उसी वक्त से मन बना लिया कि यहां हमारा अस्तित्व तभी बन सकता है कि जब हम यहां किसी न किसी तरह से हिन्दू-मुस्लिम झगड़ा करायें। चाहे वह साम्प्रदायिक पार्टी थी चाहे वह जातिवादी पार्टी थी या किसी अन्य तरह की पार्टिया थी, सब बौखला गईं। जयंत चौधरी के साथ 50 हजार आदमियों की भीड़ को देखकर.....

(कई मा0 सदस्यों के बीच में टोकने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, शांत रहे। मा0 सदस्यगण शांत रहें। बात सुनें।

श्री दलवीर सिंह-

उसके बाद यह घटना होती है, चौधरी अजीत सिंह जी, जयंत चौधरी को और मुझे खुद, मेरे मा0 विधायकों को सबको नजरबंद करके गिरफ्तार कर लिया गया। हम शांति का एक सन्देश लेकर जा रहे थे। उस क्षेत्र में हम पहुंच कर शांति स्थापित करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में यह हुआ। किसी भी सम्मानित नेता को, जिनका वहां प्रभाव है, जिनके कहने से वहां बात मानी जाती है, ऐसा क्षेत्र है कि पंचायतों की समस्याओं का हल होता है, तो अपने आप स्वयं यह व्यवस्था हम लोग वहां जाकर करते हैं और हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया। चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी और मुझे स्वयं, सबको गिरफ्तार कर लिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सभी नेता बहुत विस्तार से बहुत बड़ी-बड़ी बातें कह चुके हैं। मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी हो सकती है, समाजवादी पार्टी के आप एम0एल0ए0 हो सकते हो, लेकिन ये जो पद है यह समाजवादी पार्टी का नहीं है। ये सरकार है, मैं सरकार से और इस पद से यह आशा रखता हूं कि राजधर्म का पालन करें। जब राजधर्म का पालन आपकी इस सीट से होगा तब निश्चित रूप से देश का कल्याण होगा, हमें यह आशा है। ये राजनैतिक बातें सब हो गईं, सबकी इतिश्री हो गए। वहां जितने भी लोग मारे गए, वह सब हमारे हैं, चौधरी चरण सिंह की संतानें हैं वे। जब तक चौधरी चरण सिंह रहे, आज तक वहां किसी तरह का हिन्दू-मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ। हिन्दुओं का, मुसलमानों का, जाटों का एवं ठाकुरों का एक हुक्का है। एक पंचायत में बैठकर यह हुक्का गुड़गुड़ाया जाता है, लेकिन इन साम्प्रदायिक ताकतों ने अपना मात्र वोट बढ़ाने के लिए यह सब झगड़ा-फंसाद का काम कराया है। कैसे सी0डी0 बंटी, कैसे यह प्रचार हुआ, ये सब जो बातें दबी हुईं हैं, उससे बड़ा जनता में उबाल आया और उस उबाल का नतीजा यह हुआ कि यह सब घटनाएं हो गईं। सरकार इतनी बुरी तरह से विफल हुई वहां पर, इतनी बुरी तरह से विफल हुई कि जनता को अधिकारियों पर विश्वास नहीं रहा और जो अधिकारी वहां निष्पक्ष भाव से काम कर रहे थे, उनको सरकार पर विश्वास नहीं रहा। इसी तरह से सब घटनाएं होती रहीं, सब अधिकारी वहां देखते रहे, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं आपके माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को यदि सरकार हिम्मत करे और सभी पार्टियां तैयार हों, तो सी0बी0आई0 से जांच कराना चाहता हूं और यदि सी0बी0आई0 की जांच रिपोर्ट चुनाव से 3 महीने पूर्व आ जाती है, तो उन सबके कारनामों को, जो भी बैठे हैं, जिन्होंने जो-जो हरकतें की हैं, वह सामने आ जाएंगी। हमारा राष्ट्रीय लोकदल इसमें सी0बी0आई0 जांच की मांग करता है, साथ ही साथ जो मरे हुए लोग हैं, जो इसमें शहीद हो गए हैं, उनको 25 लाख रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से, सर्विस के लिए जैसा कि मुख्य मंत्री जी कह ही आए हैं, ये देने के लिए मांग करते हैं और जो पत्रकार साथी शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिए जाने की भी हम मांग करते हैं तथा उनको 25-25 लाख रुपये दिये जाने की मांग करते हैं। मैं जोर देकर मांग करता हूं कि इस घटना की निष्पक्ष जांच के लिए सी0बी0आई0 की जांच कराई जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी संग्राम सिंह, संक्षेप में बोलिएगा, टाइम बहुत कम है, यह असीमित नहीं है।

डा0 संग्राम यादव-

मा0 अध्यक्ष महोदय, हम आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर हमें बोलने का अवसर दिया। आज इस सदन में हमने नेता विरोधी दल, नेता भारतीय जनता पार्टी, नेता कांग्रेस आई और अपनी सरकार के मंत्री मा0 चौधरी साहब को बहुत ध्यान से सुना। मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, यह देश सबका है। देश की जंग-ए-आजादी आंदोलन का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक विस्तार है। अगर देश के जंग-ए-आजादी आंदोलन के ऊपर चर्चा की जाए। तो देश को बनाने के लिए बापू के आह्वान पर इस देश के सभी जाति धर्मों के लोगों ने एकजुट हो करके अंग्रेजी हुकूमत को इस देश से बाहर भेजने का काम किया था। अध्यक्ष महोदय, हमें आज इस बात पर अफसोस है कि जिस सदन में बेरोजगारी के हालात पर चर्चा होनी चाहिए, जिस सदन में किसानों की समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए, जिस सदन में इस देश को और इस उत्तर प्रदेश को कैसे मजबूत बनाया जाए, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए आज हम कहीं न कहीं ऐसे विषय पर कुछ ऐसे माहौल जो इस देश के अंदर बनाया जा रहा है और इसमें बनाने का जो काम कर रहे हैं जिनके कारण आज कहीं न कहीं देश दूसरी दिशा की ओर जाने का काम कर रहा है। आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय आपका एक बहुत बड़ा राजनीतिक इतिहास है उत्तर प्रदेश के जो हालात थे। उन हालात के पीछे एक ऐसा नेतृत्व ले करके आये थे जिस नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने एक संदेश देने का काम किया था कि हमारी सरकार आयेगी हम किसानों के चेहरों पर खुशहाली लायेंगे। हम नौजवानों को रोजगार देंगे हम किसानों की बेटियों के पढ़ने के लिए व्यवस्था देंगे। लेकिन हमें आज इस बात का अफसोस होता है कि जैसे ही वह शपथ लेते हैं षडयंत्रकारी ताकतें साम्प्रदायिक ताकतें ऐसे नेतृत्व को कहीं न कहीं से फंसा करके बदनाम करने की साजिश करती हैं। यहां पर बैठी मध्य प्रदेश की मुख्य मंत्री रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश विधान सभा को 16-17 महीने हो गये उत्तर प्रदेश विधान सभा में घंटों-घंटों बजट पर चर्चा हुई। जब बजट पर चर्चा हो रही थी जब उत्तर प्रदेश को बनाने की चर्चा हो रही थी तब आपको उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे थे। आपको लोग देख रहे थे। आप कहां थीं। हमारे कांग्रेस के सम्मानित नेता प्रमोद तिवारी जी ने अनुरोध किया था कि इतनी बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा उत्तर प्रदेश की विधान सभा में हो रही है आपको लोग सुनना चाहते हैं। हमारे जैसे नौजवान जो पहली बार विधान सभा में आये थे वह आपको देखना भी चाहते थे। कहां थीं आप। कुंभ के मेले में जो त्रासदी हुई थी उस पर जब चर्चा हो रही थी लोग देखना चाहते थे कि इतना बड़ा धार्मिक आयोजन है उस आयोजन से आप उत्तर प्रदेश के अंदर और सरकार को कुछ सुझाव देंगी। आप नहीं आयीं उस समय। उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री मा0 अखिलेश यादव जी उस समय नौजवानों को लैपटॉप देने का काम कर रहे थे नौजवानों को बेरोजगारी का भत्ता दे रहे थे, मा0 शिवपाल सिंह यादव जी नहरों के टेलों तक पानी पहुंचाने का इन्तजाम करने का काम कर रहे थे, किसानों को खाद और बिजली की समस्या से निजात देने का काम कर रहे थे, तब आप लोगों ने प्रदेश की धरती पर राम और कृष्ण की धरती पर आपने साम्प्रदायिकता का नंगा नाच खेलने का काम किया। हमें शर्म आती है इस देश की मीडिया पर। आपने [x x x]

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, उनका नाम कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

वह इस सदन के सदस्य नहीं हैं इसलिए उनका नाम ही नहीं, वह निकाल दिया जायेगा ।

डा0 संग्राम यादव-

मान्यवर, हम कहना चाहते हैं कि राष्ट्र के नाम संदेश, एक सेना का जनरल भी उस मंच पर उपस्थित हो करके साम्प्रदायिकता को हवा देने का काम करते हैं। आप कहां थे जब सीमा की सरहदों पर किसान का बेटा गोलियां खाकर शहीद होता था आपकी सरकारें थीं, आप लोग थे। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जब देश के रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने सरहदों पर शहीद होने वाले किसानों के बेटों को उचित सम्मान दिलवाने का काम किया।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई जनरल डिबेट नहीं है। अब आप समाप्त करें।

डा0 संग्राम यादव-

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व जो प्रदेश को अगर आगे बढ़ाने का काम करना चाहता है। छात्रों को किसानों को नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करना चाहता है, बेरोजगारी दूर करना चाहता है, ऐसे व्यक्तित्व के प्रभाव से यह लोग घबड़ा रहे हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसी साम्प्रदायिक ताकतों पर, भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव लड़ने से प्रतिबन्ध लगाया जाये।

डा0 मो0 अयूब-

मान्यवर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हमने भाजपा के नेता और सपा के नेताओं की बातें सुनीं और अपने नेता प्रतिपक्ष की बातें सुनीं। मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि इधर इनकी सबकी समरसता में विश्वास नहीं है समाज में हिन्दू मुसलमान सबको जोड़कर चलने का इनमें विश्वास है और सबका विकास करने का इनमें विश्वास है तो फिर सीडी बटवाने का क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एसएमएस भेजने का क्या मतलब है। जिससे हिन्दू मुसलमानों के दिलों में दरार पड़े। मैं सत्ता पक्ष के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर एक धारा 144 लागू है और 30 तारीख को 31 तारीख को यह मालूम होता है कि हमारी समरसता बिगड़ने वाली है। धारा 144 लागू होने के बाद भी यह 30, 31 तारीख को यह क्यों पंचायत करने की अनुमति देते हैं और उसको होने देते हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि फिर 7 तारीख को इनको मालूम है और यह पूरे प्रदेश की जनता को यह पता है कि सारे लोग हथियारों से लैस होकर जा रहे हैं तो इनके इंटेलिजेंस एजेंसी का क्या मतलब, इनकी सरकार का क्या मतलब है कि उनको यह रोक नहीं पाये। जितने गये पंचायत में हथियार को लहराते गये जब भाषण दे रहे हैं तब भी साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने वाले दे रहे हैं इससे साफ जाहिर होता है कि यह पूरी तरीके से सुनियोजित है क्योंकि दंगा अगर भड़क भी सकता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर मंशा सही है प्रतिपक्ष के लोगों की जो आज बड़ी मीठी चिकनी चुपड़ी बाते करते हैं जो अपने को राष्ट्रभक्त कहने की बाते करते हैं अगर उनकी सही मायने में मंशा ठीक है तो अगर किसी वजह से चाहे वह मोटरसाइकिल के लड़ने से हो चाहे वह बच्ची के छेड़ने से हो अगर साम्प्रदायिक सद्भावना बिगड़

सकती है तो 24 घन्टे या 48 घन्टे से ज्यादा चल नहीं सकती, अगर यह साजिश न हो और इसको बढ़ावा न हो। इसलिए मैं बिलकुल विश्वास के साथ कहता हूं कि समाज में जो प्रदेश सरकार है वह हर मामले में अक्षम है चाहे लॉ एण्ड आर्डर की सिचवेशन हो, चाहे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना हो, चाहे मंहगाई हो, चाहे हर जिले में दंगा फसाद का हो। सरकार बनते ही यह कौन सी दशा है कि सरकार बनने के पहले महीने से ही कोसीकलां का मथुरा का दंगा शुरू हो जाता है और लगातार चलता रहा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित साजिश है और दोनों इसमें शामिल हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर यह कहना चाहता हूं, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

शांत रहें, बोलने दे।

आप लोग शांत रहें, माननीय सुधाकर सिंह जी आप शांत रहें अभी सरकार की तरफ से जवाब आयेगा। माननीय सुधाकर सिंह जी, आप बैठिये। आप नहीं मानते हैं बैठते क्यों नहीं हैं। डा0 साहब बस जल्दी खत्म करिये। मान्यवर, मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं मगर इस सदन को सच्चाई बताना जरूरी है इस तक जनता की भावनाओं को पहुंचाना जरूरी है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह सही है कि जैसे सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के नेता एक मुस्लिम मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं इस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं अगर यह सही है कि उन्होंने मुसलमानों से हमदर्दी की है, उन्होंने मुसलमानों को बचाने के लिए अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है तो वह कौन सी वजह है। जो वास्तविकता है उसकी जांच आप करा लें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। टाइम होता है इसका, यह जनरल डिबेट थोड़े ही है 4 घन्टे का।

डा0 मो0 अयूब-

मान्यवर, 2 मिनट लूंगा। 20 हिन्दू भाई मरे हैं वहीं 80 मुसलमान फिर कैसे मर गया आप जांच करा लें। 80 मुसलमान फिर कैसे मर गया मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर इतनी विश्वास कायम करती है यह समाजवादी सरकार मुसलमानों में तो 50 हजार मुसलमान, इससे ज्यादा आज कैम्पों में क्यों हैं वह अपने घरों में जाते क्यों नहीं अगर यह समाजवादी सरकार उनकी सुरक्षा करती है ? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 50 हजार मुसलमान कैम्पों में हैं वहीं 10 गांव पूरी तरीके से जला कैसे दिये गये। इससे साबित होता है कि मुसलमानों का ही नहीं....

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें, बडी मुसीबत है आप तो बात ही नहीं मानते हैं। अब कह देंगे कि लिखा नहीं जायेगा सुना नहीं जायेगा तो आपका क्या होगा। अब आप बैठ जायें आप सारी बात कह चुके।

डा0 मो0 अयूब-

मान्यवर, एक मिनट में खत्म करूंगा। एक महत्वपूर्ण बात है इसलिए मैं कहना चाहता हूं। इससे साबित होता है कि मुसलमानों का ही नहीं बल्कि हिन्दुओं का भी विश्वास इस सरकार से टूट गया है।

श्री अध्यक्ष-

आप बात ही नहीं मानते हैं, अब हम कह देंगे कि अब लिखा नहीं जायेगा, तो क्या होगा ? आप बैठ जायें, आप सारी बात कह चुके, आप बैठिये।

डा0 मो0 अयूब-

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हिन्दू मुसलमानों में सरकार के प्रति और इस प्रदेश की शासन व्यवस्था के प्रति पूरी आस्था रखने के लिये यह जरूरी है कि प्रदेश सरकार की कोई जांच एजेन्सी पर विश्वास न किसी हिन्दू को है न किसी मुसलमान को है, तो या तो इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से करा ली जाये या सी0बी0आई0 से करा ली जाये। ताकि जनता में विश्वास पैदा हो और हिन्दू और मुसलमान फिर से मिलजुल कर रहें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये, अब आपकी बात आ गयी।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आज जिस गंभीर विषय पर चर्चा नेता प्रतिपक्ष ने प्रारम्भ की और बाकी दलों के सम्मानित नेताओं ने अन्य वरिष्ठ सदस्यों माननीय राम गोविन्द चौधरी साहब ने तथा अन्य सदस्यों ने अपनी बात रखी है, मैं उसमें से प्रयास करूंगा कि कोई एक वाक्य भी दोहराने की आवश्यकता न हो। श्रीमन्, दो इसके भाग हैं, इस चर्चा में जो विषय आया है, एक तथ्यात्मक है जिसे चितरंजन स्वरूप ने रखा, माननीय हुकुम सिंह जी ने रखा, नेता प्रतिपक्ष ने भी थोड़ा बहुत रखा है और दूसरा उसका सैद्धान्तिक पक्ष है। जिस पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता इस समय है, क्योंकि एक तथ्य आ चुका है कि कैसे-कैसे घटना हुयी, किन जगहों पर हुआ और सरकार की ओर से जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर देंगे तो बाकी के तथ्यों पर जो सही और सटीक जानकारी है, उसको देने का काम करेंगे। मैं बहुत अल्प समय में बस दो-तीन बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। यह बार-बार बात कही गयी। जब बहुजन समाज पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो दंगे होते हैं। मान्यवर, यह बात बहुत स्पष्ट है कि तीन बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार राखी बांधने और बंधवाने के रिश्ते को कायम रखते हुये भारतीय जनता पार्टी को शामिल करके बनी है। भाई-बहन के रिश्तों में इतना लिहाज होता है और होना चाहिये कि कम से कम इनको बख्श देने का काम करें तो जब तक आपकी सरकार बनी रहे, तब तक राखी बंधवाने वाले वह हाथ इतनी लज्जा कर सके कि आपके राज में दंगे कराने की साजिश को आगे तक पहुंचाने का काम नहीं कर सके। यह रिश्ता उन्होंने निभाया है। बाकी आपने कितना रिश्ता उनसे रखा, कितना निभाया, इस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। लेकिन यह तय बात है कि जिनके राजनीति का आधार साम्प्रदायिक ताकतों को पूरी तरह से कुचलने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, लखनऊ से उनको हटाया और दिल्ली से भी जिनको हटाने का काम किया, उनके पास दंगा भड़काने के अलावा और कोई औजार बचा नहीं है और यह मैनें नहीं कहा, कई बार बात कहते-कहते मुंह से निकल जाती है। माननीय हुकुम सिंह जी से दक्ष, माननीय हुकुम सिंह जी से ज्यादा चतुर और उनके जैसा शब्द चातुर्य रखने वाला दूसरा कोई सदस्य मान्यवर, इस सदन में मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन इतने सधे हुये वक्तव्य देते-देते भी अचानक उनका असली चेहरा सामने आ जाता है

और वह कहते हैं कि वह खिलाड़ी जो अपने आप में औजार लेकर, कुछ खेल के सामान लेकर जा रहे थे, मैं उस समय बीच में अपनी बात रखना चाहता था लेकिन मैं बैठ गया मान्यवर। मैं आज सदन में फिर यह बात इसलिये दोहराना चाहता हूं और यही बात कहने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं माननीय हुकुम सिंह जी के लिये और इनकी पार्टी के लिये यह खेल अब कामयाब होने वाला नहीं है। एक यही बात बच गयी है आपके पास कि आग लगा दो वहां और इस प्रदेश में जो खेल आप खेलना चाहते हैं, इस खेल में आपने आग लगाई जरूर है, लेकिन जलेंगे भी आप ही। भारतीय जनता पार्टी की अगर यह मंशा है तो यह खेल अब उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है जिन परिस्थितियों में दंगे हुए और दंगों की परिभाषा पर भी एक बार दोबारा विचार करना पड़ेगा और दंगे भी देश में जहां-जहां हुए, जिन परिस्थितियों में हुए हैं उनके इतिहास पर भी गौर करना पड़ेगा। 10 हजार लोग गुजरात के दंगे में मारे गये, सजा किसी की नहीं हुई, 15 हजार लोग 1984 में दिल्ली में मारे गये, एकतरफा सिक्खों की हत्या हुई लेकिन सजा किस को नहीं हुई लेकिन इस बार मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे नेताओं ने जो फैसला किया है और जो कदम हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने उठाया है इस दंगे को करने वाला कोई भी अपराधी बचेगा नहीं और वह इतिहास नहीं दोहराया जायेगा जो वहां है वह बचेगा नहीं चाहे जो कोई भी मुखौटा ओढ़ करके रखा हो वह बचने वाले नहीं हैं। चाहे कोई भी हो महाना जी चाहे वह आपके बगल में बैठने वाले हों या आपके पीछे बैठने वाले हों, कोई बचने वाला नहीं है यह बात बिल्कुल तय है। एक और बात जो हमारे दूसरे नेताओं ने कही है, मैं स्वयं इस बात से सहमत हूं कि आज सर्वाधिक आवश्यकता इस प्रदेश में जो है वह उनके दिलों में विश्वास पैदा करने की है जिनको भयाक्रान्त करने का काम अपनी साजिश में कामयाब हो जाने वाले लोगों ने कुछ दिनों के लिए कर दिया है। सरकार अपने संकल्प से पीछे हटने वाली नहीं है इस सवाल पर, जो इस सरकार ने अपने स्थापना के दिन 15 मार्च से जो फैसले लेना शुरू किया और जिनके कल्याण के लिए जिनके उत्थान के लिए हमारा संकल्प मजबूत है उससे सरकार हटने और हिलने वाली नहीं है चाहे आप जितनी भी साजिश रच लीजिए और चाहे जितने प्रपंच कर लीजिए इससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मा0 राम गोविन्द चौधरी साहब ने जो बात कही है उससे मैं अपने को पूर्णतया सम्बद्ध करते हुए फिर से यह बात कहना चाहता हूं और जो मांग उन्होंने की है वह मांग हम सब लोग करना चाहते हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी निश्चित रूप से कठोरतम दण्ड का उनके लिए प्रावधान करेंगे। आश्चर्यजनक बात है कि अब तक दंगे कैसे होते थे, दो समुदाय के लोग बराबरी के लोग जिस तरह के दंगे करते थे वह अलग बात है लेकिन इस बार किस प्रकार के दंगे हुए हैं, देश में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है जो खेत में मजदूरी करने वाले लोग थे, जो उनके जानवरों को चराने वाले दाना-पानी डालने वाले लोग थे, उन लोगों की हत्या उन लोगों ने की जिनके खेत में वह लोग काम कर रहे थे। उन गांवों में चार, पांच, आठ घर थे वहां उन निहत्थे लोगों के साथ यह सुलूक हुआ। लोग बाहर के थे, लोग अन्दर के थे, यहां बैठे लोग थे, कितनी उनकी भूमिका थी, नहीं थी यह सारी जांच हो रही है और यह जांच हाईकोर्ट के निवर्तमान जज से कराई जा रही है, उन पर टिप्पणी करना मर्यादाओं के प्रतिकूल है। आप अपनी मांग कर लीजिए, कुछ लोगों ने कहा है आप अपनी मांग कर सकते हैं कि आप किस स्तर की जांच चाहते हैं, यह मांग करना कोई हर्ज की बात नहीं है लेकिन एक निवर्तमान न्यायमूर्ति के निर्णय पर उसके आचरण पर शंका करना मर्यादा के अनुरूप नहीं है इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। हम जब अपनी-अपनी बात कहते हैं तो उन

मर्यादाओं का ध्यान हमें निश्चित रूप से रखना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होगा और किसी हालत में दोषी बचेंगे नहीं यही इस सदन की मंशा है, मैं पूरे विश्वास के साथ यह बात कहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी हर हालत में दोषियों की जो जगह है वहां पहुंचाने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता ने साम्प्रदायिक ताकतों को इसके पहले जिस जगह पर पहुंचाया था आगे भी उनकी कोई दाल गलने वाली नहीं है। मान्यवर, यहां पर अखबारों का संज्ञान नहीं लिया जाता, मैं अखबार की एक बात कह कर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि अखबार में माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी का एक बयान आया वह झूठा है या सच्चा यह मुझे नहीं पता।

श्री अध्यक्ष-

यहां उसका संज्ञान नहीं लिया जाता।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं कह नहीं रहा हूं, मैं उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने सही बयान दिया या नहीं दिया लेकिन मान्यवर, अगर यह बयान आता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी माहौल बनाने में कामयाब हो गई है और अब आगे की बात तय हो। तो यह माहौल बनाने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मुजफ्फरनगर में दंगे करा कर उसमें शामिल होकर यदि वह माहौल बनाने में कामयाब हो गई है तो उसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि इस मंशा के आगे चलने और पनपने की कोई गुंजाइश उत्तर प्रदेश में नहीं है और दंगाइयों के साथ जो सुलूक होना चाहिए, सरकार निश्चित रूप से उसको पूरी मजबूती से करेगी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(सुश्री उमा भारती जी के बोलने के लिए खड़े होने पर भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्यों ने मेजें थपथपायीं।)

सुश्री उमा भारती-

माननीय अध्यक्ष जी, सदन में उत्तर प्रदेश विधान सभा का सदस्य निर्वाचित होने के बाद आपकी अनुमति से पहली बार बोल रही हूं। तो जो पहली स्पीच होती है उसमें विघ्न नहीं पैदा किया जाता है। मुझे लगता है कि सदन के सभी सदस्यगण मेरी बात को शांति से सुनेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, इस उत्तर प्रदेश विधान सभा का सदस्य होने के बाद सरकार के बारे में जो मेरी पहली टिप्पणी है वह सकारात्मक नोट के साथ में शुरू हुई। जब इसी वर्ष प्रयाग कुम्भ मेले की व्यवस्थायें हुईं और वह व्यवस्थायें इतनी अच्छी हुईं, मैंने खुद उन व्यवस्थाओं को अपनी आंखों से देखा। एकाध किसी त्रुटि को छोड़ करके मैंने स्वयं उसकी प्रशंसा की, हमारी पार्टी के नेताओं ने उसकी प्रशंसा की और हमने कहा कि यह कुम्भ मेले की एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुन्दर व्यवस्था थी। जबकि इतनी भीड़ आयी थी, अप्रत्याशित भीड़ थी, कल्पना नहीं थी, अंदाज नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए आयेंगे लेकिन जो व्यवस्थायें थीं हमने खुले दिल से उसकी प्रशंसा की। क्योंकि किसी के गुण की प्रशंसा करने में कभी पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं हो सकते। हमें अच्छे कार्यों की प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। जब रेलवे का हादसा हुआ जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग मरे, उस समय पर मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में खड़ी हो गयी यह कहते हुए कि यह पूरी की पूरी भूल रेल विभाग की तरफ से हुई है। बाद में जरूर प्रशासन की तरफ से चूक हुई कि वह

लोग अस्पताल में घायलों को देखने के लिए समय पर नहीं पहुंचे। उस समय पर भी मैंने यह बात कही। लेकिन जो व्यक्ति किसी के गुण की प्रशंसा करने में पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होगा तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई है, उसमें जो पाप प्रदेश की सरकार के द्वारा हुआ है उसको कहने में मैं पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं हो सकती हूं। वह भी मुझे मुक्त भाव से फिर बात कहनी पड़ेगी। मैं जो यहां पर इस बात को कहने के लिए उपस्थित हुई हूं। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाऊंगी आप इस सदन के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और आप आज इस विधान सभा अध्यक्ष की कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। भारत का जो विभाजन हुआ है उस विभाजन में धर्म का ही मूल तर्क था जिसके आधार पर भारत का विभाजन हुआ। पाकिस्तान बना, भारत बना और जब भारत और पाकिस्तान बना तो यह तय हुआ कि उधर का जो हिस्सा है जिसका नाम पाकिस्तान है वह मुसलमानों के लिए है और [x x x]

(सत्तापक्ष से श्री राजेन्द्र सिंह राणा सहित कुछ मा0 सदस्य अपने-अपने आसन पर खड़े हो गये और कहने लगे कि यह गलत है, धर्म के आधार पर विभाजन नहीं हुआ है। कई मा0 सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शांत रहिये, बोलने दीजिए। आप जवाब दे दीजिएगा। सुन लें, जवाब दे दीजिएगा। राणा जी बोलने दीजिए। मेरा निवेदन है कि आप लोग बैठ जाइये।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

आप लोग सुन तो लें वह क्या बोल रही हैं उसका जवाब दे दीजिएगा। हल्ला करने से क्या फायदा ? आप बैठिए तो। आप बोलने से कैसे रोक सकते हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्य जी, श्री अयूब साहब, फातिमा जी, अनुप्रिया पटेल जी वह क्या बोल रही हैं उसके सुनने के बाद आप खड़े होकर जवाब दे दीजिए लेकिन किसी के बोलने पर क्यों व्यवधान कर रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

अध्यक्ष जी व्यवस्था का प्रश्न है।

सुश्री उमा भारती-

अभी मेरा भाषण पूरा नहीं हुआ है। अध्यक्ष जी मैं बैठूंगी नहीं।

श्री अध्यक्ष-

डाक्टर साहब उमा जी को बोलने तो दें। राणा साहब आप बैठ जाएं। आप लोग मंत्री हैं आप व्यवधान डालते हैं।

(व्यवधान जारी)

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

फातिमा जी आप बैठें आपके मंत्री खड़े हैं। अयूब साहब आप बैठें।

सुश्री उमा भारती-

अभी मेरा भाषण खत्म नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

उमा जी यह व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं। भाषण के समय भी व्यवस्था का सवाल उठाया जा सकता है।

श्री अम्बिका चौधरी-

अध्यक्ष जी संविधान में यह अधिकार दिया हुआ है इस सदन में हम सबको वाक स्वातंत्रता है, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है लेकिन आपको इस बात का अधिकार है कि इस सदन की कार्यवाही में कौन सी चीज रखी जाए और कौन सा वाक्य नहीं रखना चाहिए। श्रीमन् इस राष्ट्र की स्थापना ही सेक्युलर राष्ट्र के रूप में हुई कभी भी हिन्दू राष्ट्र के रूप में इस राष्ट्र की स्थापना नहीं हुई और हिन्दुस्तान में पाकिस्तान से दोगुने मुसलमान रहते हैं। यह हिन्दुस्तान अकेले हिन्दू का नहीं है। हिन्दुस्तान को आजादी दिलाने में जितना हिन्दुओं का योगदान रहा उससे कम मुसलमानों का भी योगदान नहीं रहा। हिन्दुस्तान को समृद्ध बनाने में मुसलमान का योगदान हिन्दू से कम नहीं है। यह कभी हिन्दू राष्ट्र नहीं था हम इसको हिन्दू राष्ट्र बनने भी नहीं देंगे। मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि उनके इस वाक्य को कार्यवाही से निकलवा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

हम देख लेंगे अगर कोई बात असंवैधानिक है तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा उनको बोलने तो दीजिए।

सुश्री उमा भारती-

अध्यक्ष जी मुझे लगता है कि माननीय सदस्यगण अगर थोड़ा धैर्य रख लेते तो मैं आगे क्या बोलने वाली थी वह वाक्य उन्होंने सुना ही नहीं वह फुल स्टाप नहीं था उसमें कामा था। मैं यह कहने जा रही थी कि उस समय जो दोनों राष्ट्रों ने अपनी-अपनी राज्य व्यवस्था का निर्धारण किया उसमें भारत ने तय किया कि हम धर्म निरपेक्ष राज्य व्यवस्था को चलाएंगे। जो अपने संविधान की व्यवस्था निर्धारित की अपने देश के संचालन की जो व्यवस्था निर्धारित की उसमें हमने यह तय किया कि हम धर्म आधारित राज्य व्यवस्था को नहीं चलाएंगे बल्कि हम सर्वधर्म समभाव को मानने वाली धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था को चलाएंगे। जब कि हमारे पड़ोसी देश में तय हुआ कि वह एक विशिष्ट धर्म पर आधारित राज्य व्यवस्था को चलायेंगे। तो हमने तय किया कि हम सर्वधर्म में सम्भाव रखने वाली राज्य व्यवस्था को चलायेंगे। जिस समय पर विभाजन की (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बोलने तो दीजिये।

सुश्री उमा भारती-

जिस समय पर विभाजन की स्थितियां अपनी चरम विकृति पर थी उस समय बहुत बड़ी संख्या में एक विशिष्ट धर्म के लोग, जिनका मुझे नाम लेना पड़ेगा, अल्प संख्यक वर्ग जिनको हम आज कह रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहां भारत में रह गये। और जब वह भारत में रह गये तो मिलिट्री, पुलिस या नेताओं के भरोसे पर नहीं रहे। बल्कि वह इस भरोसे पर रहे कि उनको पाकिस्तान में संकट

हो सकता है परन्तु भारत में हिन्दू पड़ोसी के बगल में संकट नहीं हो सकता है। इस भरोसे पर वह भारत में रह गये। भारत भाता की गोद वह छोड़ना नहीं चाहते थे और जो आपस में भाईचारा था वही दोनों सम्प्रदायों की रक्षा का कवच था। वह रक्षा कवच का काम करता है। जो चीज रक्षा कवच का काम करती है वह पुलिस का डर या मिलेट्री की गोली या नेताओं का भाषण वह काम नहीं करते हैं बल्कि उनका आपस में जो भाईचारा है, जो पड़ोस है, आपस में जो विश्वास है वह रक्षा कवच का काम करता है। यह रक्षा कवच जो है यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ देखने को मिलता था। मुझसे ज्यादा गवाह तो इस सदन के वो लोग हैं जो यहां की राजनीति बहुत लम्बे समय से करते रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने भी इसको विटनेस किया होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह चीज बहुत मजबूत थी। बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग पाकिस्तान जाने के बजाय यहां रह गये थे उनको यह लगता था कि हमें पाकिस्तान में मुसलमान के बगल में खतरा हो सकता है लेकिन भारत में हिन्दू के बगल में हमको संकट नहीं हो सकता है।, यही सोचकर वह यहां रह गये। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की संस्कृति ने, परम्पराओं ने, सम्भयताओं ने उस चीज को मजबूत किया। जो रक्षा कवच होता है वह आपस का भाईचारा होता है, पड़ोसी का एक दूसरे के प्रति जो सद्भाव होता है वह रक्षा कवच का काम करता है और जो राज्य की व्यवस्था होती है वह उस रक्षा कवच के पूरक के रूप में काम करती है। उसकी जो कार्य प्रणाली होती है वह उस रक्षा कवच के पूरक के रूप में काम करती है और जो उसका एटीट्यूड होता है, जो उसका दृष्टिकोण होता है उन समुदायों के प्रति वह यह होता है कि हम तुमको नागरिक की दृष्टि से देखेंगें, हम तुमको सम्प्रदाय के नजरिये से नहीं देखेंगे और हम तुम्हारे प्रति पूर्णतया निष्पक्षता का बर्ताव करेंगे और यह जो आपस का विश्वास होता है, इस विश्वास को मजबूत करने का काम होता है वह सरकार की राज्य व्यवस्था करती है। मैं कल जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंचीं तो वहां जो कुछ मुझे सुनने को मिला है वह यह मिला है कि समुदायों का आपस में भी विश्वास टूट गया है और समुदायों का सरकार पर से भी विश्वास टूट गया है। यह अविश्वास का इतना बड़ा संकट इस समय वहां पर खड़ा हो गया है और इसका निदान निकालने के वजाय जो एप्रोच वहां पर अपनाई गई है, जिसके लिये मैं उस स्टिंग आपरेशन का जिक्र यहां पर नहीं करूंगी क्योंकि वह सदन में मर्यादा के विरुद्ध होगा। लेकिन जो एप्रोच वहां पर अपनाई गई है वह वहां पर विश्वास को मजबूत करने की नहीं हैं। न तो सरकार में विश्वास को मजबूत करने की है न दोनों सम्प्रदायों के टूटे हुए विश्वास को दोबारा जोड़ने की। बल्कि उस खाई को और फैला देने के लिये और सरकार के प्रति और अविश्वास को और बढ़ा देने की। क्योंकि लोग यह जानना चाहते हैं कि आप न्याय सबके साथ करेंगे और आप पक्षपात किसी के साथ नहीं करेंगे, यह सोच आपको रखनी ही पड़ेगी। माननीय चौधरी साहब जब बोल रहे थे तो बहुत अच्छी बात बोल रहे थे और जब मैं यहां बैठी थी तो मैं यह बात कहना चाहती थी कि क्या वास्तव में मेरा जो अयोध्या का जो एक इतिहास है, जिस इतिहास से मैं जुडी हूं जिसके लिये मैं कभी खेद नहीं व्यक्त करती उस कारण मेरी कही बातों को पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर सुना जाता है लेकिन मैं बताऊं मैं स्वयं कभी सोचती हूं कि क्या हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जिसमें ऐसे नागरिक का जन्म हो जिसमें इस्लाम का विश्वास हो, सिक्खों की श्रद्धा हो, हिन्दुओं का उपकार हो, जिसमें ईसाइयों की करुणा हो, जैनियों की अहिंसा हो, बौद्धों की तपस्या हो और वह व्यक्ति किसी भी धर्म या साम्प्रदाय के नाम से न जाना जाय। इतना मुझे मालूम है जिस धर्म की मैंने संस्कार प्राप्त किये हैं उसकी तरफ से मैं इस प्रस्ताव को रख सकती हूं लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष जी, क्या मैं इस सदन में माननीय

संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछ सकती हूं कि क्या वह मेरे प्रस्ताव का समर्थन कर सकते हैं कि इस देश का कोई भी नागरिक किसी धर्म या सम्प्रदाय से न जाना जाय बल्कि व्यक्ति के नाम से जाना जाय। इसी से उसकी पहचान हो मैं इस प्रस्ताव को रख सकती हूं क्योंकि हमने अपने धर्म में, अपने संस्कारों में यही सीखा, हम सवेरे यही प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनाः, सर्वे सन्तु निरामायाः, मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से यह अपील करती हूं कि जो कुछ हो रहा है हमें इसमें आनन्द नहीं आ रहा है हमें वोटों की इस प्रकार की भूख नहीं है कि हम खून की नदियों में नाव चलाएं और हम अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करें। हम लोगों की लाशों पर राजनीति करें और अपने राजनैतिक मकसदों को प्राप्त करें हमारी यह इच्छा नहीं है। मा0 हुकुम सिंह जी हमारे सदन के नेता ने यह बात स्पष्ट भी की है। मा0 अध्यक्ष जी मुझे आपके माध्यम से निवेदन करना है यहां बैठे हुए जो सदन के मुखिया हैं और सरकार के जो मुखिया हैं, आप वहां पर गए, आपकी जो एप्रोच होनी चाहिए थी आपका जो बर्ताव होना चाहिए था वह दोनों समुदाओं का विश्वास जीतने का होना चाहिए था। प्रशासन को जो निर्देश होने चाहिए थे वह दोनों समुदायों का विश्वास जीतने के निर्देश होने चाहिए थे पुलिस को भी जो निर्देश होने चाहिए थे वह दोनों समुदायों का विश्वास जीतने के होने चाहिए थे जैसा माननीय हुकुम सिंह जी ने आपको बताया भी, साथ ही साथ यह भी होना चाहिए था कि जो कार्यवाही हो उसमें बिल्कुल निष्पक्षता हो अगर कहीं कार्यवाही में कहीं किसी प्रकार का दबाव रहा और धार्मिक आधार पर पक्षपात पूर्ण बर्ताव की कार्यवाही हुई, मैं स्टिंग आपरेशन की प्रमाणिकता की बात नहीं कहूंगी लेकिन अभी जो बात माननीय हुकुम सिंह जी ने कहीं है कि एक न्यायिक जांच हो और वह सब उसके दायरे में आवे और कोई भी इसके लिए दोषी हो,चाहे वह अधिकारी हो उसको बर्खास्त होना चाहिए, मंत्री दोषी हों तो उसको सदन से माफी मांगकर इस्तीफा देना चाहिए। अगर वास्तव में ऐसा हुआ है तो इसकी क्षमायाचना होनी चाहिए। (मेजें थपथपाई गईं)

दूसरा मेरा आपसे आग्रह है कल जो मैं देखकर आई हूं उसको देखकर मैं बहुत चिन्तित हूं। इस सरकार को बने पौने दो साल हो गए हैं उस समय मैंने यह बात कही थी जब रिजल्ट आ रहे थे मैंने उस समय कहा कि मैं बहुत चिन्तित हूं सदन में आ नहीं पाई थी सदन में कहने के लिए, लेकिन मैंने कहा था कि मैं बहुत चिन्तित हूं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थितियों को देखने के बाद कह सकती हूं एक डेढ़ साल का जो सरकार का इतिहास है मैं उसको देखने के बाद कह सकती हूं कि सरकार का एक मामले में रिकार्ड बना है कि भारत की कोई भी न तो देश की और न राज्य की चुनी हुई सरकार इतनी जल्दी जनता की नजरों में नहीं गिरी है जितनी जल्दी यह सरकार जनता की नजरों में गिरी है।

(कई मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

अरे भई, संग्राम सिंह बैठो ना। यह क्या तरीका है आप लोग बैठो।

सुश्री उमा भारती-

यह सरकार लोगों का विश्वास जीतने में पूरी तरह से असफल हुई है एक समुदाय विशेष के लोग अगर अपने आप को उपेक्षित अनुभव करें तो यह कोई अच्छी बात नहीं है और इसीलिए सरकार से निष्पक्षतापूर्ण कार्यवाही के लिए अपेक्षा करते हैं। सबके साथ न्याय हो और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि दुविधा में कहीं ऐसा न हो जाए कि न रहीम मिले न राम, ऐसी स्थिति आप न

बना लीजिए अपनी, दोनों पक्षों का ध्यान रखिए, सबकी भावनाओं का ध्यान रखिए। जिन लोगों पर केस बन रहे हैं हमारे विधायक पर केस बन रहे हैं यहां बैठे हैं संगीत सोम, उन पर रासुका है, भारतेन्दु सिंह उन पर रासुका है, एक निर्दोष कार्यकर्ता है विक्रम सेनी उस पर रासुका है, यहां बैठे हैं सुरेश राणा उन पर रासुका है, हुकुम सिंह जी पर केस है एक समुदाय विशेष के नेताओं पर केस बनाना एक पार्टी विशेष के नेताओं पर केस बनाना यह राज्य सरकार का धर्म नहीं है। ऐसा कह करके आप वहां पर शान्ति स्थापित नहीं कर सकते हैं। कल जो स्थितियां मुझे वहां मिलीं उसे देखकर मैं यह कह सकती हूं कि अगर वहां बेकसूर लोगों पर इसी प्रकार पक्षपात पूर्ण कार्यवाही हुई मैं स्वयं भी मुख्य मंत्री रही हूं मैं केन्द्र में 6 साल मंत्री रही हूं मैं आज उस विषय पर सदन का समय जाया नहीं करना चाहती हूं। मान्यवर, उस दिन की जो पूरी घटना है कवाल की और मलिकपुर की, अगर प्रशासन ने और पुलिस ने ठीक ढंग से 24 घंटे के अन्दर कार्यवाही कर दी होती तो जो कुछ हो गया है यह होने वाला था ही नहीं, अभी मैं कह रही हूं कि इसको रोका जा सकता है और इसका एक ही उपाय है कि आप पक्षपात मत करिए, आप किसी के दवाब में मत आइए, आप वोट बैंक की राजनीति मत करिए,आप वोट बैंक की राजनीति को निशाना मत साधिए, आप लोगों की जान, लोगों की इज्जत लोगों की सम्मान, मां-बहनों, बेटियों की इज्जत, उनकी हिफाजत की बात सोचिए, अगर बेकसूर लोगों पर कार्यवाही हुई तो स्थितियां और विकट हो सकती हैं। मैं कल देखकर आई हूं और मैं आपके माध्यम से मा0 सदन से, यहां उपस्थित सरकार के लोगों को यह बताना चाहती हूं कि हमारी पार्टी हमारे सदन के नेता हमारे सभी विधायक और मैं स्वयं आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं इस मामले में कि वहां पर शान्ति कायम हो, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं कि वहां पर शान्ति कायम हो लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजेगी ताली दोनों हाथों से बजेगी। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, आज बड़े गम्भीर मामले पर मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आज सुबह से मैं देख रहा हूं, सभी लोगों ने इस मामले को अपनी-अपनी तरह से लिया। बड़ा दुःख होता है, आज भी कुछ लोग राजनीति करने से बाज नहीं आए। मान्यवर, यह राजनीति का मुद्दा नहीं है। ऐसी-ऐसी घटनाएं घटी हैं, एक महिला की लाश उसका बच्चा चिपके हुए मिली, देखकर आंसू आते हैं, एक दामोदर पंडित जो चाट बनाकर बेंचता था, चाट की दुकान पर काम करता था, उसे मार दिया गया। मान्यवर, एक मोहसिना नाम की महिला मार दी गयी, बुटराडा के हाजी भी मार दिए गए। मान्यवर, हम लोग इस संस्कृति में पैदा हुए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की संस्कृति वह थी, हम राम को भी मानते थे, रहीम को भी मानते थे, इनसे हमारे रिश्ते हुआ करते थे। यह हमारे ताऊ हुआ करते थे, चाचा हुआ करते थे, मान्यवर, मैं किसी को आरोपित नहीं करना चाहता हूं। मान्यवर, अखबारों के माध्यम से मैंने देखा हैं, टी0वी0 के माध्यम से मैंने देखा है, बहुत दुःख होता है, उसे देख करके। आज मेरा सरकार से अनुरोध है, माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, सभी दलों के नेता बैठे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है, सारी बातों को भूल करके, सारे राजनीतिक मुद्दों को भूल करके एक कदम ऐसा उठाना चाहिए कि सबसे पहले उन लोगों को जिनके मन में भय है, जो अपने घरों में नहीं जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा करके विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है, हमें यहीं रहना है, डेवलपमेण्ट के नाम पर फिर वोट मांग लेंगे, लाशों के नाम पर वोट मांगना मेरा उद्देश्य नहीं है। मान्यवर, आपके

माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं, 27 तारीख की घटना जो हुई थी, 27 तारीख में मलिकपुरा के दो नौजवानों का कवाल के सहनवाज नाम के लड़के के साथ कुछ झगड़ा हुआ, गंभीर मामला था लेकिन उन दोनों के परिवारों का मामला था, लेकिन उस इशू को इतना बड़ा बना दिया गया कि आज इतने लोग मारे गए। मान्यवर, इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन उसके पीछे था ? किसने उसे हवा दी और किसने उसे साम्प्रदायिकता का चोला ओढ़ा करके खड़ा किया। मान्यवर, मलिकपुरा में जब उन दोनों लड़कों की अन्तेष्टि की गई, किसान यूनियन ने वहीं माइक ले करके घोषणा की कि 31 तारीख को शोक-सभा नगला-मंदोड़ में। शोक-सभा का नाम उसे दिया गया। वहां पर काफी लोग थे, सब ने सुना और उसका काफी प्रचार किया गया। समाचार पत्रों में पंचायत छपा लेकिन वहां घोषणा शोक-सभा की हुई। उसके बाद लोग 30 तारीख को वहां इकट्ठा हुए, उनकी बात प्रशासन ने सुनी, वहां से अफवाहें फैली, भगदड़ मची लेकिन अफवाहों को रोकने का कोई काम प्रशासन ने नहीं किया। सारी आग की जड़ें अफवाहें थी। 31 तारीख में पंचायत हुई, जो लोग वहां पहुंचे, जो भाषण हुए, उसकी जानकारी प्रशासन और मीडिया को बहुत अच्छे से है, जिसने जो कहा यहां कहने से किसी के दाग नहीं धुलेंगे। मान्यवर, सब लोग जानते हैं कि किसने क्या कहा। पूरी घटना हुई, 31 तारीख के बाद फिर 5 तारीख को पंचायत हुई, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि क्या कारण रहा कि 31 तारीख को जिन लोगों को सरकार ने यह मान कर मुकदमें लगाये थे कि उन्होंने गंदा भाषण दिया है, लोगों को उकसाया है, उनके खिलाफ कार्यवाई क्यों नहीं हुई और मान्यवर, इसकी जांच होनी चाहिए थी कि भड़काऊ भाषण किसने दिया है ? भला ऐसे भी कहीं होता है कि बिना बोले भड़काऊ भाषण हो जायें ? मान्यवर, इसकी जांच होनी चाहिए थी। उसके बाद मान्यवर, 05 तारीख को प्रशासन की देखरेख में पंचायत की गई। उस पंचायत को प्रशासन ने इग्नोर किया है। पंचायत में देखना चाहिए था, मा0 हुकुम सिंह जी ने उसका उल्लेख किया, यह भावुकता में कह गए कि वहां का विधायक मौजूद नहीं था, मैं वहां नहीं था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता वहां मौजूद थे, जो भाईचारा कायम करना चाहते थे, जो अपने पैदा होने से अपने बुजुर्गों को भाई के नाते से देखा है, बगरा में हमारे कुरैशी बन्धु रहते हैं, हमारा उनका ताया-चाचा का रिश्ता था, हम लोग कभी साम्प्रदायिकता की आग को भड़काना नहीं चाहते हैं। मान्यवर, हो सकता है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें, अब सरकार जवाब देगी।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, 05 तारीख को लिसाड़ गांव में पंचायत हुई, जिस पंचायत को इन्होंने एक जाति का, एक खाप का नारा दिया, हिन्दुत्व के नाम पर वहां पंचायत बुलाई गई और पंचायत में कुछ लोग इस उद्देश्य से भी गई कि वहां जाकर शांति की बात करें। महराज सिंह मलिक पूर्व ब्लाक प्रमुख हैं, चार बार वह ब्लाक प्रमुख रह चुके हैं, उन्होंने भाईचारे की बात उठानी चाही, उन्हें बदतमीजी करके बैठा दिया गया। जांच का विषय है, आपको पता करना चाहिए, जिस तरह से नंगला-मंदोड़ की पंचायत को जिन लोगों ने संचालन किया, भाषण दिया, उन पर आपने मुकदमें लगाये, आपको पता करना चाहिए कि लिसाड़ की पंचायत का किसने संचालन किया, चाहे वह किसी भी पार्टी का उपाध्यक्ष हो। कौन से लोग मंच पर मौजूद थे, किन लोगों ने भाषण किया।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। समय समाप्त हो गया।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, सबसे ज्यादा हिंसा की घटना लिसार गांव के आसपास हुयी है। बहुत ज्यादा चिंता का विषय है सोचना चाहिए। और अगर कोई त्रुटि हुयी है तो उसे सुधारना चाहिए। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मेरा घर जला है। मेरे क्षेत्र के लोग मारे गये हैं। मान्यवर, 07 तारीख में प्रशासन की बड़ी गलती रही। जब उन्हें पता था कि पंचायत की जा रही है। मान्यवर, डी0जी0पी0 महोदय एक दिन पहले पहुंचते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिये। यह जनरल डिबेट नहीं है। अब समय समाप्त हो गया। आप बैठिये।

(श्री पंकज कुमार मलिक और श्री अध्यक्ष के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय माथुर साहब, इस पर आप भी बोल चुके हैं श्री हुकुम सिंह जी भी बोल चुके हैं।

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी जिन लोगों ने आग लगायी है। मान्यवर, मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। मान्यवर, लगभग 6 महीने से माहौल खराब किया जा रहा था।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, मेरा अधिकार है अपनी बात कहने का।

श्री अध्यक्ष-

आपका अधिकार है एक समय सीमा के अंदर अपनी बात कहने का। क्या आप सारे सदस्यों का अधिकार छीन लेंगे। इतना अधिकार आपका नहीं है कि आप जितना चाहें उतना बोलते रहें।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, पंचायत की बात तो कह लूं।

श्री अध्यक्ष-

चलो कहो।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, 07 तारीख को जो आखिरी पंचायत हुयी उसके रास्ते हिन्दू-मुस्लिम मिले जुले हैं। उसके रास्ते लोग गुजरकर जा रहे थे। हो सकता है कि उनमें कुछ लोग हथियार भी लिये रहे हों। मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता। लेकिन बद्तमीजी हुयी। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। बद्तमीजी कभी एक तरफ से नहीं होती। जो लोग बसी गांव में पिटे वहां उन्हें नगला मंदोड़ तक जाने दिया जो

35 किमी0 दूर था। प्रशासन ने क्यों जाने दिया। वहां जाकर लोग उत्तेजित हो गये। उसके बाद जो रास्ते में गांव पड़ते थे वहां सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

यह सारी बातें आ चुकी हैं। हुकुम सिंह जी ने कह तो दिया। क्या आप दोहरा रहे हैं उसी बात को। अब आप बैठें।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मुझे फोन आया कि लोग मारे जा रहे हैं। तीन किमी0 की दूरी पर डेढ़ घण्टे तक पुलिस नहीं पहुंची। डी0जी0पी0 को फोन किया गया। प्रमुख सचिव, गृह से प्रदीप माथुर जी की बात करायी। मान्यवर, लोग सुनते रहे वहां लाशें कटती चली गयीं। मेरा दुःख है दर्द है इसलिए बता रहा हूं। अब अपनी बात को खत्म करते हुए बस इतना कहना चाहता हूं कि जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एक काम चाहे आप हमारी मदद लीजिए चाहे किसी की मदद लीजिए वहां शांति बहाल करा दीजिएगा तो लोग वहां बस जाएंगे नहीं तो आने वाला भविष्य अंधकारमय ही रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें। माननीय लोकेश जी बैठिये। नियम-56 के अंतर्गत यह चर्चा थी। इस पर समय दो घण्टा होता है। दो बजकर 52 मिनट पर दो घण्टा पूरा हो गया। अब इसका समय समाप्त है। अब सरकार इसका जवाब दे रही है।

(श्री प्रमोद तिवारी, श्री राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सुरेश राणा, श्री लोकेश दीक्षित सहित कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

प्रमोद तिवारी जी, आपको क्या कहना है।

श्री प्रमोद तिवारी-

यह शांत हो जायें तो मैं बात कहूं।

श्री अध्यक्ष-

यह शांत तो नहीं होने वाले हैं। आपको जो कहना हो कह लीजिए।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र का मामला है।

श्री अध्यक्ष-

क्षेत्र नहीं देखा जाता है समय देखा जाता है। आपके नेताओं ने लम्बा समय लिया तो मैं क्या करूं। अब आप बैठिये। प्रमोद जी जल्दी कहिये।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा।

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, मेरे क्षेत्र का मामला है।

श्री अध्यक्ष-

आप नहीं मानते हैं। दो घण्टे का समय होता है। आपके क्षेत्र का मामला है तो आप पहले क्यों नहीं बोले। बैठिये। यह नहीं चलेगा। बैठिये। हम मानेंगे नहीं। गलत बात है।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्य एक साथ अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे शोर की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

(शोर के मध्य)

हां तिवारी जी, आप अपनी बात कहें, यह लोग शान्त नहीं होंगे, लेकिन जरा संक्षेप में अपनी बात कहियेगा। दो मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलेगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा।

(अपनी बात कहने का अवसर न मिलने के विरोध में विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यगण, सदन की वेल में आ गये और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने स्थान पर जाकर बैठें, अब आप लोगों को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा, दो घण्टे की चर्चा होती है और दो घण्टे से अधिक समय हो गया है, अभी सरकार को जवाब भी देना है, मुख्य मंत्री जी को बोलना है। यह तरीका ठीक नहीं है, आप लोग अपनी सीटों पर चलें, यहां पर धरना देने से काम नहीं चलेगा। रघुनन्दन सिंह जी आपसे विनम्र निवेदन है, आप बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, इतनी उत्तेजना न दिखाइये। अब आप लोग अपनी सीट पर जाकर बैठ जायं।

(तत्पश्चात वेल में उपस्थित माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, बहुत संक्षेप में आप अपनी बात रख दें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, बस 15 मिनट में मैं अपनी बात रख दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

15 मिनट तो बहुत ज्यादा हुआ, आप सिर्फ 02 मिनट में अपनी बात रख दें, 02 मिनट के बाद आपका भाषण लिखा नहीं जायेगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक अत्यन्त गम्भीर, सम्वेदनशील विषय है मान्यवर, मेरा हृदय दुःख से भरा हुआ है। मान्यवर, जो कुछ सुना है, जो देखा है और जो लोगों ने मुझे बताया है, मेरा मन बोझिल है, मान्यवर सच पूछिये तो आज मानवता का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए और झुका हुआ भी है। जो कुछ भी हुआ मुजफ्फरनगर और उसके आस-पास, वह इंसानियत को शर्मसार कर देने के लिए काफी था, लेकिन जो लोग यह कहते हैं मान्यवर, मैं तो सबसे पहले यही सुझाव दूंगा मान्यवर, बेहतर तो यह होता कि चर्चा तो आप कराते, लेकिन जरा दो मिनट के लिए मौन श्रद्धांजलि

दे देते उन सभी लोगों को जो इस दंगे में मारे गये हैं मान्यवर, तो मैं समझता हूं कि कम से कम तमाम पंचायते हुई, कुछ पंचायतों पर इल्जाम लग रहा है कि उन्होंनें आग लगाई, कम से कम प्रदेश की यह सबसे बड़ी पंचायत आग बुझाने के लिए, उनके लिए दो मिनट की श्रद्धांजलि अगर अर्पित कर देती तो शायद यहां से एक अच्छा संदेश जाता मान्यवर, आप इस पर विचार कर लीजिएगा । मान्यवर मैं बस इतना कहना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि मान्यवर, यह दंगे हुए नहीं हैं, यह दंगे कराये गये हैं, मान्यवर, यह दंगे हुए नहीं, यह दंगे सुनियोजित ढंग से कराये गये। मैं कुछ नहीं दोहराऊंगा जो कुछ कहा जा चुका है, लेकिन उससे एक बात तो निकल कर आती है मान्यवर कि घटना हो गई, उसके बाद भी दंगे नहीं हुए, बड़ी निराशा हुई उन लोगों को जो दंगे कराना चाहते थे, फिर कोशिश हुई मान्यवर, कुछ पंचायतों में भड़काऊ भाषण हुए मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पंचायत जब हुई, होती रही है पश्चिम में, लेकिन क्यों नहीं वीडियो मंगा लेते आप उनका, क्यों नहीं उनकी आप सी0डी0 मंगा लेते और उसमें यह देख लीजिए कि किसने क्या भाषण दिया है मान्यवर और मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि जब उनके वीडियो देखे जायेंगे तो आम जनता, आम हिन्दू-मुसलमान झगड़ा नहीं चाहता मान्यवर, आज भी यहां पर धर्म निरपेक्ष और भाई-चारा वाली ताकतें ज्यादा बड़ी हैं, बनस्पत उन लोगों के जो मुट्ठीभर लोग दंगे पैदा करना चाहते हैं, लेकिन नहीं मान्यवर, जब दंगे नहीं भड़के इन भाषणों से तो एक सी0डी0 बनवाई गई, वह सी0डी0 इस देश की भी नहीं है मान्यवर, वह सी0डी0 पड़ोसी देश की है, पेशावर की है और वह सी0डी0 वही सी0डी0 है, बुरा न माने मेरे साथी, जो गुजरात के पहले बंटवाई गई थी।

मान्यवर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी दुनिया जानती है कि गुजरात में जो सी0डी0 बंटवायी गयी थी, वह बंटवायी गयी थी। मान्यवर, आज साइबर क्राइम को पकड़ने के लिये कई रास्ते हैं। मान्यवर, मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर इस सी0डी0 को ट्रेस किया जाये तो इसके तत्व दो जगह मिलेंगे मान्यवर। इसकी जड़ें दो जगहें मिलेंगी। एक तो उनका जो इस दंगे को करवा रहे थे और दूसरा इसके कहीं न कहीं से जो टर्म और रिफरेंस उसको जांच में डलवा दीजिये। क्या ये सी0डी0 कहीं न कहीं से जो बॉटी गयी है मान्यवर या जो कोनों के माध्यम से दी गयी है, आप देखेंगे तो कहीं न कहीं से इसका गुजरात कनेक्शन आपको मिल जायेगा मान्यवर और ये साफ हो जायेगा कि उत्तर प्रदेश के दंगे करवाने में गुजरात।

(कतिपय भाजपा सदस्यों द्वारा एक साथ बीच में बोलने का प्रयास करने पर)

मान्यवर, मैंने तो सिर्फ गुजरात की बात की मान्यवर, गुजरात में किसने बंटवायी इसकी बात तो की नहीं थी। मान्यवर, इतने लोग बैठे हैं, मैंने गुजरात की बात की, किसी को तकलीफ नहीं हुयी। चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों मान्यवर, इन्हीं को तकलीफ क्यों होती है जब मैं गुजरात की बात करता हूं मान्यवर। मैं समझना चाहता हूं मान्यवर, आपसे कहना चाहता हूं और विश्वासपूर्वक कहना चाहता हूं कि आग लगायी गयी है, साम्प्रदायिकता भड़काई गयी है, झूठी बातें कही गयी हैं। मान्यवर, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो गुनाह की फसल उगायी गयी है। मान्यवर, ये हिन्दू मुसलमानों की लाशें नहीं, ये किसी एक पार्टी को जो एक नकली लाल किला बनवाकर सत्ता में आना चाहते हैं, उनके गुनाहों की फसल उगायी गयी है। अब नकली लाल किला कौन बनवा रहा है, आप अच्छी तरह जानते हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इसको बहुत जिम्मेदारी के साथ देखें तो सत्ता पक्ष को भी एक चीज का ध्यान देना चाहिये कि ये पंचायतें क्यों हुयीं। पंचायतें नहीं होने

देनी चाहिये थीं और अगर पंचायतें हुयीं, भड़काऊ भाषण हुये तो उन पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिये थी। मान्यवर, इन अधिकारियों को तत्काल नहीं हटाना चाहिये था, वो अधिकारी वहां पर बने रहते और उनके ऊपर सुपरविजन के लिये दूसरे अधिकारी भेज दिये जाते तो वो ज्यादा उचित होता। मान्यवर, मैं आपसे बहुत साफ और बहुत ही विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं कि इन दंगों में नेता नहीं मारे जाते, अमीर नहीं मारे जाते, गरीब, मजदूर, मेहनतकश मारा जाता है और इतिहास रहा है इस देश का कि इस देश में एक ऐसी विचारधारा है। मैं विचारधारा की बात कर रहा हूं मान्यवर। एक ऐसी विचारधारा है, उसका चूल्हा तब तक नहीं जलता, जब तक उसमें कुछ हिन्दू मुलसमानों की लाशों की लकड़ियां नहीं लगायी जातीं। मान्यवर, ये वो विचारधारा है जिस विचारधारा के सहारे कुछ लोग सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं।

(कतिपय भाजपा सदस्यों द्वारा एक साथ बीच में बोलने का प्रयास करने पर)

मान्यवर, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसे कराती है। आप क्यों इसकी जिम्मेदारी ले रहे हो, क्यों ले रहे हो। मान्यवर, मैं आपसे बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं और एक बात कहकर मैं समाप्त करूंगा मान्यवर। मा0 मुख्य मंत्री जी आपके शासन में जिनकी लापरवाही हुयी, उनके खिलाफ कड़े कदम उठाइये लेकिन आपसे इतना भी जरूर कह देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भाईचारा बनाया है, उन लोगों को सम्मानित भी कीजिये। उसी मुजफ्फरनगर और उसके आसपास आपको ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जायेंगे कि हिन्दुओं ने मुसलमानों की जान अपनी जान पर खेलकर बचायी है, मुसलमानों ने हिन्दुओं को बचाया है, उनको भी सम्मानित करिये लेकिन तीसरा चाहे दुनिया बदल जाये, ये ट्रेलर था, अभी फिल्म बाकी है। ये फिल्म दिखायेंगे, इनकी फिल्म अगर रोकनी है तो ट्रेलर दिखाने वालों के खिलाफ टेरर दिखाइये। इनके खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई कीजिये कि ये दोबारा हिम्मत न कर सकें। मान्यवर, उठाइये मजबूत कदम और एक बात विनम्रतापूर्वक कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि संविधान की सिर्फ दो लाइनें पढ़ दूंगा। मान्यवर, यहां जो बंटवारा हुआ था, आदरणीय उमा जी ने कहा जाति और धर्म पर जिन लोगों ने कोशिश की हो, की हो लेकिन क्या इस देश का इतिहास साक्षी नहीं है मान्यवर, जब कश्मीर जाने लगा हमारे हाथ से तो अगर मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपना लहू बहाया था तो जनरल उस्मान ने भी अपना लहू बहाकर कश्मीर की हिफाजत की थी। इस देश की यह साझा संस्कृति है। हवलदार अब्दुल हमीद हमारे उत्तर प्रदेश का था। उसने अगर न बचाया होता तो शायद हिन्दुस्तान का यह नक्शा न होता। माफ कीजिए,.... सत्ता पाने का कोई और रास्ता ढूंढ लीजिए, मैं आप सब से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के कई मा0 सदस्यों एक साथ खड़े होकर विरोध करने लगे)

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

सत्ता में आने के लिए आप हिन्दू-मुसलमानों को लड़ना बंद करो। मैं आप से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि अगर सत्ता में आना है तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढो, ये दंगे कराना, फसाद कराना, ये हिन्दू-मुसलमानों की लाशों पर सत्ता का महल बनाना बंद करो।

(अन्य मा0 सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक मिनट बोलने दें। एक मिनट....

श्री अध्यक्ष-

अब और क्या बोलेंगे ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, 1992 में भी किया था। कई जिलों में कर्फ्यू लगा था। आपने यही नफरत की आंधी चलाई थी। आपके हाथों से तो उत्तर प्रदेश भी चला गया था, मध्य प्रदेश भी चला गया था, राजस्थान भी चला गया था। आपने जो यह आग लगाई है। याद रखना हिन्दुस्तान के ख्वाब तो भूल जाओ, गुजरात भी तुम्हारे हाथ से चला जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 तिवारी जी, अब आप बैठ जाइये।

(भारतीय जनता पार्टी के कई मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होकर विरोध करने पर व्यवधान की स्थिति)

श्री प्रमोद तिवारी-

हम उत्तर प्रदेश को मान्यवर, गुजरात नहीं बनने देंगे। मैं इन शब्दों के साथ आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि सख्ती दिखाओ और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आग बुझाओ, नफरत की आग मत लगाओ (भारतीय जनता पार्टी की तरफ इंगित करते हुए)।

(कई मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने की स्थिति में)

श्री अध्यक्ष-

अब यह समय समाप्त हो गया है, या तो आप लोग सदन से समय बढ़वाइये।

(श्री राजेन्द्र सिंह राणा के खड़े होने पर)

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, एक मिनट बोलने दें। मान्यवर, एक मिनट.....

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग बैठ जाएं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बोलने दें। आप मंत्री हैं, और कम से कम एक मर्यादा का तो पालन करिए आप लोग।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, एक मिनट बोलने दें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप क्या एक मिनट बोलना चाहते हैं। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी आप इनको समझाएंगे क्या आप ? इसके बाद वह संगीत सोम जी हैं, राणा जी हैं, उनके क्षेत्र का मामला है, क्या वह नहीं बोलेंगे। अब आप लोग बैठिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, आज का दिन दुःख का दिन है, विचार करने का दिन है और खुद अपने गिरेबानों में मुंह डालकर अपने गुनाहों को तलाश करने का दिन है। मान्यवर, जो भाषण हुए हैं सदन में अगर यही विचार, यही सोच, यही जज्बा, उन सभी लोगों को उस वक्त रहा होता जब बड़ी बेदर्दी से इंसानियत का कत्ल हो रहा होता, तो शायद पूरी दुनिया में हिन्दुस्तान को इस कलंक का सामना करना नहीं पड़ता। हम हिन्दू में बंटे, मुसमान में, सिख में, ईसाई में और यहां तक बंटे कि मुल्क बंट गया और धर्म की बुनियाद पर बंटने वाले मुल्कों की तकदीर यह हुई कि हिन्दुस्तान के अलावा जो मुल्क, बकौल हमारी बहन के मुताबिक जो मुल्क मजहब के नाम पर बंटा वह मुल्क मजहब के नाम पर एक नहीं रह सका। उस मजहब के नाम के मुल्क के भी दो टुकड़े हो गए एक पाकिस्तान हुआ और एक बंग्लादेश हुआ। लेकिन हिन्दुस्तान ने अहद लिया कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होंगे और यह तस्वीर जो आपके ऊपर लगी है। इन्होंने वायदा किया था हिन्दुस्तान में बचे हुए तमाम लोगों से, न कोई धर्म, न कोई जात, न पूरब, न पश्चिम, न महिला, न पुरुष, सबका हिन्दुस्तान होगा। सरहदें खुली हुई थीं, सभी को जाने की इजाजत थी, लेकिन नहीं गये लोग, बहुत थोड़ी-सी तादाद धर्म के नाम पर बनने वाले मुल्क के साथ गई और मेरे पूर्वज मैं नहीं पैदा हुआ था, उस समय जब मुल्क बंटा था। मैं जानना चाहता हूं कि मेरा और मेरी औलादों का और ऐसी करोड़ों हिन्दुस्तान में रहने वाली औलादों का गुनाह क्या है, उनका क्या कसूर है। ये जो मारे गए हैं, ये मारने वालों की फसलें उगाते थे, उनके खेतों में अपने खून का पसीना डालते थे। उनके घरों के लिए रोशनी और खुशियां लाते थे। उनकी बेटियों का दहेज बनता था उससे, दुलहनों की चूड़ियां और मांग में लगने वाला सिन्दूर आता था उनकी मेहनत की कमाई से यह उनका हुक्का भरते थे उनके खिद्मतगार थे क्योंकि यही इनकी तकदीर थी। यह कमजोर थे, लाचार थे, जाहिल थे भूखे थे, नंगे थे इनके पास न रहने का मकान था न खाने को रोटी, इसीलिए तो यह मारे गये, कोई बलवान नहीं मरा, कोई भी धनवान कोई भी ताकतवाला नहीं मरा सिर्फ कमजोर और लाचार लोग मरे लेकिन मारने वाले लोग, ऊंची ऊंची बाते करने वाले लोग कौन थे ? नेता प्रतिपक्ष ने जहां से बात शुरू की वह बात अच्छी नहीं लगी। आपने अशफाक उल्ला खां का नाम तो लिया आपने यह बताया कि हिन्दोस्तान की आजादी में किन लोगों को हिस्सा है उसमें एक अशफाक उल्ला खां का नाम लिया आपने। लेकिन जब आपने समाज को बांटा, आपने जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देकर ठगा लोगों को, लोगों के जज्बात को ठगा आपने लेकिन जब जिले बनाये आपने तो जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का एक नाम भी दिया आपने। एक अकबरपुर नाम की तहसील थी वह भी खत्म कर दी आपने। वह जिसके नाम से एतिहासिक तौर पर सेक्यूलरिज्म पहचाना गया था, मैं तो खुलकर कहता हूं और मैंने कहा है इस सदन में कि इस्लामी शरीयत के एतबार से गैर मुस्लिम औरत के पेट से पैदा होने वाली औलाद तर्के की हिस्सेदार नहीं हो सकती लेकिन हिन्दोस्तान की अखलाक और हिन्दू मुसलमान के रिश्तो को यह नतीजा था कि जोधाबाई के पेट से पैदा होने वाली औलाद हिन्दोस्तान के तख्तोताज की वारिस बनी थी और मुसलमानों ने उसे तसलीम किया था। यह थे हमारे रिश्ते जिन्हें आग लगाई है। कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद का गुम्बद टूटा था। 30 अक्तूबर, 1990 को जो इस प्रदेश के मुखिया थे उन्होंने दुनिया के इतिहास में अपने सेकुलर होने की मोहर लगा दी थी आपसे उनके सेकुलर होने का सर्टीफिकेट नहीं

चाहिए लेकिन हां इतना जरूर कहना चाहते हैं कि याद आई है आज आपको बाबरी मस्जिद। मैंने इस सदन में इस इतिहास को भी दोहराया है कि आपके नेता ने जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, जो नहीं हैं इस दुनिया में उन्होंने कहा था कि अगर मुझे इस मसले को हल करने का हक दिया जाय [x x x]

(बहुजन समाज पार्टी की ओर से [x x x] की आवाजे आने पर)

नहीं है [x x x] नहीं है [x x x]। मैं कभी [x x x] नहीं बोलता मान्यवर, मैं कभी [x x x] नहीं बोलता, नहीं सही है यह।

श्री अध्यक्ष-

शांत हो जायें, शांत हो जाये। माननीय मौर्य जी बैठो, आप कह चुके हैं सब आप तो बोले हैं सब, आप बैठें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, हम पर यह इल्जाम लगाया आपने कि हमारी दोस्ती हैं, सरकारें बनाये आप, राखी बंधवायें आप और समझौता हमारा है। गुजरात में चुनाव लड़ाने जाये आप और आपकी बहन जी हिन्दी में भाषण इसलिए नहीं करेंगी कि इसे हिन्दू और मुसलमान सुन रहे हैं गुजराती भाषा में जाकर आप वोट मांगेगे और समझौता हमारा है ? इसलिए मान्यवर, आज जिस माहौल की जरूरत थी उसकी शुरूआत जिस तरह होना चाहिए थी माननीय नेता प्रतिपक्ष के भाषण से उस तरह नहीं हुई। नेता प्रतिपक्ष का भाषण आज फिर उन कमजोर लोगों को ठगने वाला था। जिनके मासूमों की लाशें थानों के सामने टांग दी गयी और यह कहा गया कि न इसकी हत्या हुयी है और न इसका बलात्कार हुआ है। आज भी राजनैतिक ठगी का सिलसिला जारी है, मुसलमान मरा, हिन्दू मरा, इंसान मरा। आपकी नजर में मैं बहुत विवादित व्यक्ति हूं। आज ही एक टी0वी0 चैनल पर एक खबर भी चली है मुझसे मुताल्लिक और मैनें कहा है कि वह चैनल खुद जांच करा ले। मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, किसी जिले में अगर मेरा कोई टेलीफोन गया हो, तो मैं अपने लिये खुद सजा तज़वीज करूंगा। खुद सजा दूंगा। मेरा ये इतिहास ही नहीं है मेरा यह पास्ट नहीं है यह मेरे विचारों का अपमान है जो कहा है टी0वी0 ने और जिन्हें हम चौथा स्तम्भ कहते हैं, मान्यवर, कहां लिये जा रहे हैं देश को, एक कैमरा और एक व्यक्ति पूरे देश में आग लगा देगा और कोई देखने वाला नहीं होगा। (शेम-शेम की आवाजें)

क्या होगा फिर, विचार यह होना चाहिये था कि ताकत किसके हाथ में होगी, इस सदन में बैठे हुये लोगों के हाथ में, पार्लियामेंट में बैठे हुये लोगों के हाथ में या कैमरे के हाथ में। हम अभिव्यक्ति की आजादी, उसका कितना फायदा उठायेंगे। मेरी बहन बैठी हैं, क्या कुम्भ और अर्द्ध कुम्भ में हमारी नीयत साबित नहीं हो गयी, कौन सा सुबूत चाहिये आपको हिन्दुस्तानी मुसलमानों से। उनकी वफा का कौन सा सुबूत चाहिये। कब तक चाहिये, साठ बरस से ज्यादा हो गये, यह इम्तिहान देते हुये, और आज तक इम्तिहान का पर्चा जवाब नहीं दे सका। मान्यवर, इन नफरतों की खेती से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। प्रमोद तिवारी जी ने जो कहा, डा0 साहब ने कहा, खुद हुकुम सिंह जी ने कहा, अरे हमारे जैसे सादादिल इंसान आज पूरे सदन से कहना चाहते हैं और कहें हुकुम सिंह जी खड़े होकर, क्या हम आपसे मुहब्बत नहीं करते, क्या हमने अपनी आखिरी मुलाकात तक में आपसे यह

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नहीं कहा कि हुकुम सिंह जी आप वहां अच्छे नहीं लगते, हमारे साथ आइये। इसे उस तरह मत लीजिये, मेरे जज़्बात समझिये, मैनें कहा कि मैं किसी भी तरह आपको नेताजी से टिकट दिलवाऊंगा, आपका चुनाव लड़ाने आऊंगा, आप मेरे जज़्बात समझिये, मैं किसी दल पर यह कहकर कि मैं आपका कोई साथी छीनना चाहता हूं, यह नहीं, मैं हुकुम सिंह जी का और यह हमारे बहुत पुराने साथी हैं। मैं इसलिये आज यह वाकया दर्ज कर रहा हूं कि जब आपके बारे में यह सुना कि आपने ऐसा भाषण दिया और जब आपके बारे में यह पढ़ा वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट में, कि आपने ऐसा किया तो पूरे माहौल में एक सन्नाटा था, एक मायूसी थी कि अगर हुकुम सिंह भी बेगुनाहों के कातिल हो सकते हैं तो फिर रह क्या गया। यह है वह परेशानी। यह है दर्द दिल का।

श्री हुकुम सिंह-

मैं सदन के सामने आपसे यह कह रहा हूं कि मेरा भाषण डेढ़-दो मिनट का जो भी है, उसमें एक पंक्ति या एक शब्द भी अगर उसमें आपत्तिजनक मिल जाये, भड़काने वाला तो छोड़ दीजिये, उसमें हिन्दू मुस्लिम का अगर जिक्र भी आ जाये तो मैं आज ही इस सदन को छोड़कर चला जाऊंगा और जेल में खुद चला जाऊंगा मान्यवर, यह मैं आपसे कह रहा हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं। यहां हमारे दोनों विधायक बैठे हैं, सुन लीजिये सबकी बात।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं हुकुम सिंह जी, आपकी अपनी एक शख्सियत है। आपका कद सिर्फ लम्बा ही नहीं है, आपके अंदर यह सलाहियत थी कि आप कंट्रोल कर सकते थे और आपने आज यह जुमला कहकर, कि उस सभा में जाने के बाद वही कहना पड़ता जो सभा चाहती थी, यह कहकर आपने अपने व्यक्तित्व को छोटा किया है। भीड़ हमारी नेता नहीं हो सकती और जिस नेता की भीड़ नेता होती है वह जिन्दगी में कभी नेता नहीं कहलाया जा सकता। हम जब भीड़ के आगे चलेंगे तो नेता हम हैं। या तो भीड़ हमारी मानेगी या हम भीड़ से अलग हो जायेंगे। आप उस भीड़ में रहे और आपने पूरे सदन में यह कबूल किया कि आपकी मजबूरी थी कि जो भीड़ अराजक थी, आप उसे समझाने की हैसियत में नहीं थे। इसलिए मान्यवर, कोई सरकार, मैं आपको भी कहता हूं जब आप सत्ता में थे और आपको भी कहता हूं कि कोई सरकार यह नहीं चाहेगी कि उसका सजा हुआ गुलशन उजड़ जाए। पश्चिम में जो कुछ हुआ है उसमें जो गैर मामूली रिश्तों को नुकसान हुआ है 80 मरे या 20 मरे, इंसान मरे हैं। डॉक्टर साहब जिस ईमान को आप मानते हो, जिस कुरान को मानते हो उसे मैं भी मानता हूं वह अलहम दुलिल्लाह-ए-रब्बुल मुसलमीन का मजहब नहीं है, वह मजहब है उन इंसानों का जिसका मालिक सिर्फ अल्लाह है वह अलहम दुलिल्लाह-ए-रब्बुल आलमीन का मजहब है, वह रब्बुल आलमीन का मजहब है वह आलमों का रब है। यह जो मरे हैं वह हिन्दू थे, मुसलमान थे, वह जानवर थे, परिन्दे थे, वह अल्लाह के मखलूक थे और यह गुनाह-ए-अजीम हुआ है। हिन्दू मारे गये हैं वह गुनाह-ए-अजीम हुआ है, मुसलमान मारे गये हैं वह गुनाह-ए-अजीम हुआ है लेकिन मुसलमान वहां बहुत कमजोर हैं उनका मारा जाना, मैं बहुसंख्यक समाज से कहना चाहता हूं कि उनकी शान को नहीं बढ़ाता, उनके माथे को ऊंचा नहीं करता। आज हजारों लोग कैम्प में पड़े हैं, इस इलाके की शान यह है सहारनपुर से लियाकत अली खां का कि मुन्तकिल हुए पाकिस्तान गये और पाकिस्तान के पहले

वजीर-ए-आज़म बने। यह शान हिन्दुस्तान की थी कि एक वक्त में तीन मुल्कों के वजीर-ए-आज़म हिन्दुस्तानी और उत्तर प्रदेश के थे। हिन्दुस्तान के वजीर-ए-आज़म पंडित जवाहर लाल नेहरू बंटवारे के बाद पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म सहारनपुर के लियाकत अली खां। क्या हमें इस इतिहास पर फख्र नहीं होना चाहिए था, क्या हमें रिश्तों की इस धरोहर को संभालकर नहीं रखना चाहिए था ? नहीं रखा गया और वह जगह जहां से बहुत कम लोग पाकिस्तान गये थे और जहां शरणार्थी कैम्प नहीं लगे थे 1947 में, जब दिल बंट गये, देश बंट गया, गलियां बंट गई, राज्यों के लोग बंट गये, फौजें बंट गई, उस वक्त भी नहीं बंटा था लेकिन आजादी के तकरीबन 60 वर्ष बाद आज इतनी बड़ी तादाद में वहां लोग कैम्पों में रह रहे हैं। आप विचार करें, अपने ज़मीर से सवाल करें, एक मुसलमान नहीं बोल रहा है, तुम्हारे बीच का एक भाई बोल रहा है, मेरे पूर्वज कौन थे, कहां से आये थे, किसलिए आये थे, कहां जाने दोगे हमें, किस तरफ सरहदें खुलवाने में आप सक्षम हो सकते हैं बताएं आज, नेपाल की, श्रीलंका की, पाकिस्तान की, अगर लोग जाना चाहें तो कहां जायेंगे और अगर नहीं जा सकते तो फिर एक नया सवाल मत खड़ा कीजिए। आप लोग नफरतों की खेतियां उगाने वाले लोग हिन्दुस्तान को एक खतरनाक सवाल की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश को गुजरात बनायेंगे, हिन्दुस्तान की बादशाहत का ख्वाब देखने वाले लोग, हिन्दुस्तान में रहने वाले अपने ही छोटे भाइयों और बच्चों को पिल्ला कहते हैं। ऐसे देश चलेगा, देश की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में दी जायेगी। क्या ऐसे सपने देखे जायेंगे, ख्वाब देखने के लिए भी ज़ेहन चाहिए, रात को अगर आवारगी के ख्यालात ज़ेहन में हों तो ख्वाब भी बदमाशी का नजर आयेगा और सोते वक्त अगर ख्यालात पाक हों तो ख्वाब भी पाक नजर आयेगा अगर जिन्दगी का अमल नापाक है तो ख्वाब पाक नहीं दिख सकता। इसलिए मान्यवर, सरकार ने तो अपनी करनी में कोई कसर उठाकर नहीं रखी थी, हां लेकिन दहशत से काम नहीं लिया था। यह एक सुझाव आया है प्रमोद तिवारी जी का, सुनने में वह बहुत सख्त लगा है लेकिन अगर उत्तर प्रदेश को शांत रखना है, रिश्तों को अच्छा रखना है तो प्रशासनिक कार्यवाही तो अपनी जगह है, लेकिन जब तक यह सदन यह तय नहीं करेगा कि कौन बैठेगा दिल्ली की गद्दी पर, किसका होगा साम्राज्य, लेकिन इन्सानियत का राज रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि हिन्दुस्तान का कल आज बहुत खतरे में है। मैंने इसी सदन में कहा था कि किसी दिन टांग दीजिए हिन्दुस्तान का नक्शा सामने और जहां-जहां आग लगी है वहां-वहां लाल स्याही से आग उगलती हुई दिखाईये तो पूरा सदन जलते हुए हिन्दुस्तान को देखकर डरने लगेगा। यही सपना देखा था बापू ने ? देखे थे हमने जो वो हंसी ख्वाब, कहां गये वो लोग यह कहने वाले कि ''न तेरा है, न मेरा है यह हिन्दुस्तान सबका है, नहीं समझी गयी यह बात तो नुकसान सबका है।'' कहां गये वो लोग ? यह कहने वाला कोई मुसलमान व्यक्ति नहीं था। वह जिन्दा हैं, लेकिन रिश्तों को बनाने की जरूरत है। प्रशासनिक व्यवस्था तभी दुरुस्त हो सकती है जब इंसान, इंसान बन करके रहे, भेड़ियों के लिए कोई कानून नहीं होता। इंसान के दुश्मनों के लिए कोई कानून नहीं होता और जो यह तय कर लेता है कि हमें किसी को मारना है तो चाहे वह मिसेज इन्दिरा गांधी हों या राजीव गांधी हों मार देता है। जो समाज को मारने को तय कर चुके हैं उनका हाथ कौन सा कानून रोकेगा, यह विचार करने की जरूरत है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत देर हो चुकी, बहुत लड़ चुके, बहुत नफरत कर लिये एक-दूसरे से, एक लम्बा अरसा गुजर गया और ये तजुर्बा नाकाम हो गये, इस तजुर्बे से हम कुछ हासिल नहीं कर सके। एक तजुर्बा और है मोहब्बत का तजुर्बा, रिश्तों का। निकाह की रात और फेरों के बाद अगर दो

अजनबी जिस्म के दिल नहीं मिल सकते तो घर नहीं हो सकता। पैदा होने वाली औलाद अगर बाप से नहीं है तो जायज नहीं कह लायेगी और तर्का की हकदार नहीं होगी यह कल तो साबित नहीं हो सकता था लेकिन आज की साइंस साबित करती है। लिहाजा रिश्तों को जायज रखिये और मोहब्बत पैदा कीजिए और एक बार मोहब्बत करके तो देखिये। इतिहास तो देखिये कि कारगिल की पहाड़ियों पर नारा-ए-तकदीर लगाकर, किसने नारा-ए-तकदीर वालों को कत्ल करके हिन्दुस्तान की पहाड़ियां वापस दिलायी थी। उस इतिहास को याद कीजिए। भरोसे के रिश्ते इतने न तोड़िये कि वारिसी मुमकिन न हो सके क्योंकि यह नुकसान किसी एक व्यक्ति का एक जाति, एक धर्म का नहीं, एक सौ पच्चीस करोड़ के हिन्दुस्तान का नुकसान होगा। मुहब्बतों का दावत देना चाहता हूं और अगर हमारे आपसी रिश्ते अच्छे हो जायेंगे और यहां से सरकारें बनने का संदेश नहीं, इंसानियत का एक लाल किला बने, एक इंसानियत का पार्लियामेण्ट बने वो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा समाप्त हुई।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री शंख लाल मांझी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

जनपद मुजफ्फरनगर स्थित गांव कबाल/मलिकुपुरा में दिनांक 27-8-2013 को घटित घटना के उपरान्त मुजफ्फरनगर सहित निकटवर्ती जनपदों में हुयी आगजनी एवं हत्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-56 के अन्तर्गत दो घण्टे की चर्चा (क्रमागत)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हम समस्या का समाधान चाहते थे, हमें जानकारी यह होनी चाहिए थी कि सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठा रही है ? कुछ सुझाव हमने दिये थे उस सुझावों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इधर से भी भाषण हो गये, उधर से भी भाषण हो गये। सरकार की तरफ से कोई योजना आज सदन के सामने आनी चाहिए थी कि प्रदेश में शांति व्यवस्था कैसी होगी ? जिन लोगों के मन में सरकार के प्रति एक अविश्वास का भाव पैदा है उस विश्वास को कैसे पैदा किया जायेगा। उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा गया। आज समाज में जो तनाव है उस तनाव का एक मात्र कारण सरकार की अपनी नीति है। सरकार के अपने कार्यक्रम हैं। सरकार को आज बताना चाहिए था कि हम उस नीति को बदलेंगे और पूरे समाज में एकरूपता का संदेश देंगे उस संदेश का पूर्ण अभाव रहा है इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

हुकुम सिंह जी हमारे रिश्ते अच्छे होंगे तो सरकारों के फैसले भी अच्छे होंगे हम दरो-दीवार नहीं हैं। रुक जाइए मत जाइए हुकुम सिंह जी रुकिए मत वाक आउट कीजिए मैंने यही कहा था कि

सारी बुनियाद हमारे रिश्तों की है। अगर हमारी बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत भी मजबूत होगी। हम कह तो रहे हैं आपसे कि पहले रिश्तों की तो शुरुआत कीजिए। अच्छे रिश्ते कीजिए।

श्री हुकुम सिंह-

हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अच्छे रिश्ते बनाइए। अच्छी सरकारें होंगी ।

श्री हुकुम सिंह-

शुरुआत तो आप कीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं कह तो रहा हूं बार-बार कह रहा हूं नेता सदन की मौजूदगी में।

श्री हुकुम सिंह-

हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप कहेंगे तो हम वहां भी जाएंगे और लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत तो आप करेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपके वाक आउट से तो नुकसान होगा। संदेश यह जाएगा कि आप अलग संदेश दे रहे हैं। आप चले जाएंगे तब भी सदन चलेगा आप बैठेंगे तब भी चलेगा। लेकिन आपके चले जाने से मन भारी होकर सदन चलेगा आपके बैठे रहने से अच्छा सदन चलेगा।

श्री हुकुम सिंह-

कुछ कहो तो सही ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नेता सदन मौजूद हैं सरकार कानून से ऊपर उठकर और कानून से नीचे रहकर किसी के साथ ज्यादती, किसी के साथ नाइंसाफी और किसी का पक्ष हरगिज नहीं लेगी। इससे ज्यादा आश्वासन न मैं दे सकता हूं न मुख्य मंत्री जी दे सकते हैं।

श्री हुकुम सिंह-

जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है वह स्वागत योग्य है लेकिन उसका अमल भी हो जाय। आपका आश्वासन स्वागत योग्य है लेकिन उस पर अमल भी हो जाए। अमल हो जाएगा तो सुख-शांति होगी।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी आप विधेयक पर संशोधन रखेंगे अब बात तो हो गई हम तो किसी से कुछ कहलवा नहीं सकते।

श्री हुकुम सिंह-

हमारे प्रदेश के जनजीवन से जुड़ा हुआ मामला हमारे समाज के जनजीवन से जुड़ा हुआ मामला है। एक अच्छा उन्होंने सुझाव दिया है लेकिन उसका अमल धरातल पर हो जाए निर्दोश लोग

भी पकड़े जा रहे हैं सताए जा रहे हैं कुछ ऐसी बात हो जाए आज ही यहां से आदेश हो जाए कि बिना जांच के कोई गिरफ्तारी नहीं होगी यह आदेश आज ही हो जाए।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर विषय पर चर्चा हुई है और सभी दलों के माननीय नेताओं ने अपनी-अपनी बातें रखी हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बी0जे0पी0 के माननीय नेता कांग्रेस, माननीय उमा भारती जी ने, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो अभी नहीं हैं और हमारे दल के भी माननीय मंत्री राम गोबिन्द चौधरी जी ने अपनी बात रखी जो चर्चा खत्म हुई है वह हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री माननीय आजम खां साहब के आखिरी भाषण के बाद खत्म हुई है। जहां तक मुजफ्फरनगर का सवाल है जो दंगा हुआ है या जो पीड़ित हैं या जिनकी जान गई है उनके प्रति सबकी संवेदना है, अच्छी भावना है सभी दल यहां जो बैठे हुए हैं वह चाहते हैं कि अच्छा माहौल हो आपस में जिस भाईचारा से लोग बैठते थे काम करते थे जिस संस्कृति के साथ वह रहते थे वह वापस लौटे। सरकार की तरफ से आश्वासन जरूर होगा लेकिन इस बात को मैं जरूर रखना चाहता हूं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कि जो मुजफ्फरनगर में हुआ है वह कहीं न कहीं सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है कई मामले ऐसे हैं जहां मैं उदाहरण दे सकता हूं कि एक राजनीतिक दल ने उसका लाभ लिया है, साम्प्रदायिक सद्भावना खराब करने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, आप तो बीजेपी के नेता हैं। झांसी में एक मंदिर है, झांसी के हमारे साथी बैठे हैं, आपके दल के भी होंगें। झांसी में महाकालेश्वर मंदिर है। उस मंदिर के अंदर एक मुस्लिम परिवार और एक हिन्दु परिवार आजादी के पहले से रह रहे थे और लगातार रह रहे थे इस मंदिर के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि आखिकार कौन सी वजह थी जो आपने आन्दोलन शुरू कर दिया। कार्यवाही की हम लोगों ने। इनके एक बड़े नेता जा रहे थे उनको ट्रेन से लेकर गिरफ्तार करना पड़ा सरकार को। क्योंकि जिस भावना से जा रहे थे, जिस नीयत से जा रहे थे, जिस मंशा से जा रहे थे वह ठीक नहीं थी। और जिस तरह से एम0एम0एस0 भेजे गये हैं जो वीडियो फिल्म बनी, किस देश की थी, कहां की थी यू-टयूब पर चलाई गई। सोशल मीडिया की बात करते हैं यह लोग और सोशल मीडिया पर जो अपना लिंक छोड़ा गया, क्या शब्द लिखे गये उस पर और मोबाइल पर मैसेज किये गये। क्या यह दंगा भड़काने के लिये आप लोगों ने नहीं किया ? शामली में जहां आप रहते हैं, एक लड़की और एक लड़के के साथ जो घटना हुई मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। क्या उस घटना को आपने हिन्दु मुसलमान का नाम नहीं दिया। उस घटना को आपने किस रूप में देखा, मैं जानता हूं। हमारे क्षेत्र में एक घटना हुई गोसांईगंज थाने में। एक किसान की जमीन वर्षों से वह उसको जोत रहा था और बात कुछ ऐसी हुई कि कुछ लोगों ने विरोध किया। उस गरीब ने उस जमीन को केवल बचाने के लिये एक झंडा लगा लिया गेरूआ झंडा और उस पर आन्दोलन छेड़ दिया। क्या इस पर बीजेपी और बी0एस0पी0 लोगों ने आन्दोलन नहीं छेड़ा ? हमारी साइकिल से टकरा गये कुछ लोग। आगरा में भी आप जानते हैं ऐसी घटना हुई। साइकिल से टकरा गये दो लोग और उसे हिन्दु मुसलमान बना दिया। आखिरकार मैं गया वहां। यह सही है कि मैंने बहुत राजनैतिक दौरे नहीं किये मुज्जफरनगर में। मैं कवाल भी गया हूं और मुस्लिम परिवार के यहां बैठा हूं। हिन्दु परिवार के गांव भी गया हूं। मैंने दोनों की बातें सुनी हैं। लेकिन क्या वहां की घटना का आपने राजनीतिक लाभ नहीं लेना

चाहा ? अभी माननीय हुकुम सिंह जी कह रहे थे कि वह लोग खेल का सामान लेकर गये थे। आप तो सभा में थे, वह क्या खेल का सामान था उनके हाथों में ? क्या आपने अभी अपने भाषण में नहीं कहा कि वह लोग खेल का सामान लेकर निकले थे अपने हाथों में। (व्यवधान) नहीं आपने अभी कहा है अपने भाषण में। आपने कहा है, सदन में अपने भाषण में कहा है। यह [x x x] बोलते हैं यहां पर।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आप कार्यवाही निकलवाकर देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

अभी मैं कार्यवाही निकालकर देख लूंगा।

श्री हुकुम सिंह-

नहीं मान्यवर, यह आरोप है। मैं कहता हूं कि मैंने बिल्कुल नहीं कहा।

श्री अखिलेश यादव-

नहीं गलत बात है। आपने कहा है। आप सीनियर सदस्य हैं। आपने कहा है कि खेल का सामान लेकर गये।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बैठिये। देख लेंगे निकलवाकर।

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, अन्याय नहीं होगा। कानून अपना काम करेगा लेकिन जिन लोगों ने दंगा फैलाया है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का माहौल खराब किया है, जिन्होंने राजनैतिक लाभ लेने की बात की है। आप कहते हैं कि गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश में यह मामला हो गया। आप ही कहते थे कि यह शुरूआत है हमारी राजनीति की। यह सही है कि शुरूआत है लेकिन अगर यह घटना हो गई तो यह हमेशा हमारे साथ जुड़ेगी यह याद रखना हम जानते हैं। इसलिये सरकार निष्पक्ष होकर सरकार कार्यवाही करेगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। यही आप चाहते हैं ना। क्योंकि जब मैं गया उस गांव में, जिस परिवार में आग लगाई गई वहां मैंने पूछा कितने दिन से यह परिवार रहता था साथ तो बोले बचपन से ही रहते थे, बहुत अच्छा साथ था। मैंने पूछा कैसे रिश्ते थे, बोले अच्छा रिश्ता था। सब तरफ हिन्दू रहते हैं बीच में एक मुस्लिम परिवार का घर था, वह बहुत छोटा परिवार था, बहुत गरीब और उसके घर में आग लगा दी। मैंने वहां पर जो उस समुदाय के लोग थे उनसे भी पूछा, बाहुल्य लोगों से भी पूछा। एक बुजुर्ग सामने आ गये मैंने पूछा कि यह तो आपके साथ काम करते थे, आपकी मदद करते थे आपके खेत में सहयोग करते थे आपने इनको क्यों भगा दिया ? उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वह जानते थे कि किसने यह अन्याय किया है। जिन्होंने यह अन्याय किया है, इस समाज को बांटने का काम किया है। बेघर लोग

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

हैं, कैम्प में लोग रह रहे हैं कैसे घर लौटेंगे जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है अगर सरकार की जिम्मेदारी है तो आपकी भी जिम्मेदारी है भरोसा कैसे आएगा उनको कि वह वहां पर सुरक्षित रहेंगे, सरकार तो पुलिस दे रही है और भी सुविधा देगी, घर जो टूट गए हैं, जल गए हैं, उनकी मदद करेगी लेकिन क्या गारन्टी है कि आप लोग फिर नहीं वही शुरू कर दोगे, क्या गारन्टी है कि वह माहौल फिर नहीं बना देंगे आप ? क्योंकि चुनाव आने वाला है मैं नहीं कहना चाहता कि बी0जे0पी0 का कौन प्रत्याशी है, क्या है, लेकिन यह बहुत माहिर हैं प्रचार करने में, कट इन पेस्ट में, इन्होंने जिस तरीके से एम0एम0एस0 कटिंग पेस्ट की, उसी तरह से 'आज तक' जो चेनल चला है उसमें भी कट इन पेस्ट की सी0डी0 है वह जानते हैं कि बहस होने जा रही है सदन में, किस पर बहस होगी, किस पर आरोप लगेंगे, स्टिंग आपरेशन कहा, वह स्टिंग आपरेशन नहीं था वह सोची समझी रणनीति के तहत था, आपकी अपनी सुविधा के हिसाब से जो हैं वह अधिकारी अच्छे हो गए, जहां आपकी आइडियालॉजी सूट नहीं करती है वह अधिकारी खराब हैं आपको कोई अधिकारी राजनैतिक लाभ दे रहा है तो वह अधिकारी अच्छा है यह आपका कौन सा तरीका है। अधिकारी इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि वह आपकी आइडियालॉजी से सूट नहीं करता है। (मेजें थपथपाई गईं।)

और अधिकारी इसलिए अच्छा है कि वह आपको पॉलिटिकल लाभ दे रहा है अगर अधिकारी दोषी होंगे और दंगा फैलाने में अगर कहीं उनकी भी साजिश होगी, अधिकारी कोई बना रहे उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

(मेजें थपथपाई गईं।)

चाहे किसी पद पर बैठा रहा हो क्योंकि हम जानते हैं कि दोपहर से लेकर तीन दिन कैसे गुजरे हैं। जब घटना हुई है मैं जानता हूं मेरे सामने पत्रकार था, एक सीनियर जर्नलिस्ट पत्रकार थे उनसे इण्टरव्यू चल रहा था मेरा और उन्होंने जो लेख लिखा है पूरा इण्टरव्यू में आया है, लेख में आया है कि उस वक्त हम लोग क्या-क्या कर रहे थे पूरा का पूरा अखबार में निकला है रात से लेकर अगले दिन तक जैसे ही मुझे सूचना मिली मैंने तुरन्त अपने अधिकारियों से राय मश्विरा किया , नेता जी भी थे कि क्या करें, फौज लगा दें उन्होंने कहा कि तुरन्त फौज लगा दो, किसी फैसले में अगर एक सेकेन्ड भी सोचा हो अगर आप यह कह रहे थे कि गांव में जल रहे थे, हमने सुना है हम लोगों से बात हुई है कि कैसे भी निकालो, हम जानते हैं कि मौके पर पुलिस क्यों नहीं जा रही है क्या आप सच्चाई नहीं जानते हैं कि मौके पर पुलिस गांव में क्यों नहीं घुसी, मुझसे सच्चाई मत बुलवाईए, लेकिन जो मा0 सदस्य कह रहे हैं वह जानते हैं कि मौके पर पुलिस क्यों नहीं घुसी, क्या सच्चाई नहीं जानते हैं, अगर हम भरोसा कर रहे हैं तो क्या आप हमारे भरोसे को तोड़ेंगे, अगर हम भरोसा करके किसी को पोज कर दें तुम अपने घर के पास पहुंच जाओ, हमारी मदद करोगे न्याय दिलाओगे, आप उस गांव में नहीं घुसोगे, मदद नहीं करोगे क्योंकि वह मुसलमान हैं। इसलिए कहीं न कहीं हम लोगों को भी यह सोचना पड़ेगा कि कहां-कहां बुराईयां घुसी हैं, किन लोगों ने जाति में बांटा धर्म में बांटा हम आज भी कहते हैं समाजवादी लोग, हम लोगों के सामने बहुत मुश्किल समय है जो लोग साम्प्रदायिक सद्भावना खराब करना चाहते हैं उनके लिए बहुत आसान है। कम्युनल लड़ाई को आगे बढ़ाना बहुत आसान है लेकिन जब सेक्यूलर लड़ाई होगी तो हम लोग कैसे मुकाबला करेंगे। सेक्यूलर लड़ाई के साथ-साथ समाजवादी विचारधारा बची रहे यह हमारे सामने चुनौती है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अन्याय

नहीं होगा लेकिन दंगा कराने वाले जहां कहीं भी होंगे जिन लोगों ने कराया है उनके खिलाफ कार्यवाही होगी।

(मेजें थपथपाई गईं।)

अधिकारी जो लोग हैं कमीशन बिठाई है हमने, जांच चल रही है, अधिकारी जिन्होंने सरकार का साथ नहीं दिया है हम उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। एक एस0डी0एम0 को हम लोगों ने हटा दिया पता लगा, वह चैनल पर क्या-क्या चल रहा है देश में एस0डी0एम0 हटते हैं जाने कितनों को कहां-कहां सजा मिली किस देश में सजा मिली और प्रदेश में सजा मिली, वह कभी चेनल पर दिखाई नहीं देता है सरकार ने एक एस0डी0एम0 हटा दिया उस पर साजिश की, षडयंत्र किया सब अपने विचार दे रहे थे। सरकार कार्यवाही कर दे तो आप अपने विचार दे देते हैं, इसलिए मैं इस सदन में मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार ने मदद की है और मदद करेगी सरकार के सामने बड़ी चुनौती भी है कि उनका भरोसा कैसे जीतें और उनके घर, उनके गांव में कैसे पहुंचायें इसलिए मैं समझता हूं कि पूरा सदन एक हो करके मैं अपील भी कर रहा हूं और निवेदन भी कर रहा हूं पूरा सदन अगर एक होकर उन लोगों से अपील करेगा उन लोगों से, जो लोग वहां परेशान हैं घर छोड़कर आए हैं तो कहीं न कहीं वह घर वापस जाएंगे और इसमें पूरी की पूरी सरकार ईमानदारी से उन परिवारों की मदद करेगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी अपना प्रस्ताव रखें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव रख देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, जो कार्य-स्थगन बचे हुए हैं, उन्हें तो ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

वह बाकी आज सब अस्वीकृत है, समय नहीं बचा है।

[3.55] उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013 (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी, आप बोलिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, दो बातें हम विशेष रूप से कहना चाहते हैं। जो विधेयक आज सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है, उसकी मूल भावना के खिलाफ मैं नहीं हूं। उनकी सुरक्षा होनी चाहिए और जो दण्ड का प्राविधान किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी नहीं हूं लेकिन दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। चिकित्सा सेवाएं इमरजेंसी सेवाएं हैं, मान्यवर, लेकिन होता यह है कि अस्पतालों में जब दवाएं मरीजों को नहीं मिलती हैं, उनके एक्सरे या सी0टी0 स्कैन का ठीक से प्राविजन नहीं होता, डाक्टर उपलब्ध नहीं होते, तब कहीं-कहीं पर यह स्थिति पैदा होती है। चूंकि बहुमत है, इसलिए उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, जिस लिए यह विधेयक लाया गया है लेकिन मान्यवर, बार-बार उधर से यह कहा गया कि अस्पतालों में हर प्रकार की दवायें उपलब्ध हैं। अगर आप किसी भी जनपद में दिखवा लें, ज्यादातर तो मैं शाहजहांपुर की जानता हूं। मान्यवर, केवल गुलूकोज की बोलत के अलावा और हर मरीज को एक पर्ची दे दी जाती है कि यह दवा बाहर से मंगवा लो। मैं विशेष रूप से इस बात पर बल देना चाहता हूं कि जब सरकार बार-बार इस बात की घोषणा करती है, बजट में इस बात का पर्याप्त प्राविजन किया गया तो जिला अस्पताल में दवा का न रहना, यह अपने आप में तमाम प्रश्नचिह्न लगाता है। मैं विशेष रूप से शाहजहांपुर के सम्बन्ध में आग्रह करना चाहता हूं कि शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में 90 परसेंट लोगों को दवा बाहर से मंगानी पड़ती है। दवा बाहर से मंगाना एक बहुत बड़ी पीड़ा है, रोज हर तरीके से डाक्टरों से कहना पड़ता है, कभी लोकल परचेज के लिए कहना पड़ता है तो उस पर हीला-हवाली भी होती है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से कहना चाहते हैं कि जब यह सरकार घोषणा करती है तो अस्पतालों में पर्याप्त रूप से दवाओं की व्यवस्था कराई जाए और 90-95 परसेंट मरीजों को दवा उपलब्ध कराई जाए। दूसरी बात, यह बात सदन में पहले भी आई है कि सी0टी0 स्कैन की मशीन नहीं है। सी0टी0 स्कैन की मशीन का न होना और डाक्टरों की अनुपलब्धता, अगर किसी अस्पताल में 30 डाक्टरों की आवश्यकता है तो उसमें 30 परसेंट डाक्टरों की कमी है, इसका मान्यवर संज्ञान लें। इसके साथ ही मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, आप कुछ कहेंगे या मैं प्रश्न उपस्थित करूं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंख लाल मांझी)-

मान्यवर, अभी हमारे वरिष्ठ सदस्य दवा के बारे कह रहे थे। चूंकि यह विरोध में बैठे हैं तो विरोध करना इनका धर्म है इसलिए विरोध कर रहे हैं। सपा सरकार बनने के पहले के पांच साल में स्वास्थ्य विभाग पटरी से बेपटरी हो गया था यह सच्चाई है कि पूरे प्रदेश में दवाओं की खरीदारी के नाम पर जो लूट थी करोड़ों रुपये की दवाओं को कागज पर खरीदकर कागज पर ही डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। और उसका यह असर हो गया था कि पूरे प्रदेश में जब डाक्टर के पास मरीज जाता था तो उनके पास दवा न रहने पर वह बाहर की पर्चियां लिखता था और उस पर भी भारी कमीशन लेता था। सरकार बनने के तीन दिन के भीतर ही पूरे प्रदेश के अधिकारियों को बुलाकर यह सख्त निर्देश दिया गया था कि जिस भी डाक्टर के द्वारा बाहर से दवा खरीदने की पर्ची पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और निलम्बन तक की कार्यवाही की जाएगी और कई डाक्टरों के खिलाफ यह कार्रवाई अब तक की जा चुकी है। दूसरी बात जो खन्ना जी सी0टी0 स्कैन की बात कर रहे थे

पूरे प्रदेश में पिछले पांच सालों में जो स्थिति थी उसको आपने देखा है और समझा है। अभी हमने अब तक कुल 22 सी0टी0 स्कैन की व्यवस्था की है और 07 और सी0टी0 स्कैन के लिए प्रावधान किया गया है। जैसे-जैसे वित्तीय व्यवस्थायें हो रही हैं उसी हिसाब से हम यह व्यवस्था भी दे रहे हैं। माननीय खन्ना जी को यह जानकारी देना चाहता हूं कि आज का जो प्रश्न था उसके बारे में पूरा डिटेल इसमें है। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको अलग से भी दे देंगे कि विगत कार्यकाल में क्या हो रहा था और हम क्या कर रहे हैं। अब अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं और उस अच्छे काम को भी अगर आप बुरे नजर से ही देखेंगे विरोध की नजर से देखेंगे तो हमें कुछ नहीं कहना है। बाकी हमने दवाओं पर सुधार किया है अस्पतालों में दवायें मिल रही हैं। (इस समय 4 बजकर 2 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मदन चौहान पीठासीन हुए।) मैंने खुद भी दौरा किया है और वहां पर देखा है। प्रदेश में कई जनपदों में भी निरीक्षण किया है। और जिन डाक्टरों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। आपकी शिकायतों को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर हम पूरे प्रदेश में मशीनों की और अधिक व्यवस्था देंगे। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

श्री सुरेश खन्ना जी, आप प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रस्ताव कैसे वापस ले लें। न तो वहां से कोई आश्वासन मिला। आवश्यक आवश्यकता जो इमरजेंसी सर्विसेज में आती है उसकी व्यवस्था आज जिला शाहजहांपुर के अस्पताल में नहीं है। 90 प्रतिशत लोगों को दवा बाहर से मंगानी पड़ रही है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 अधिष्ठाता जी, यह जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है और मा0 खन्ना जी ने दवाइयों की बात उठायी मा0 मंत्री जी ने विस्तार से उसका उत्तर दे दिया। दवा और उपकरण पर यह विधेयक है नहीं। खन्ना जी ने यह देखा होगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस बिल की मूल भावना से मैं सहमत हूं। आप कार्यवाही देख लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

अरे डॉटिये नहीं। मा0 अधिष्ठाता जी, यह इसकी मूल भावना नहीं बल्कि यह कहें कि हम इस विधेयक से सहमत हैं। दवाइयों की उनकी बात उठ गयी उनकी शंका का समाधान हो गया। अपना प्रश्न वह वापस ले लें। क्योंकि इस विधेयक में दवाइयों के वितरण का कोई मामला है नहीं और यह मूल भावना से नहीं, पूरे विधेयक से सहमत हैं, इसलिए यह औपचारिक तौर पर खाली अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता-

खन्ना जी, प्रस्ताव वापस नहीं ले रहे हैं, अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से 7 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013

चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी के प्रति हिंसा और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थाओं की सम्पत्ति की क्षति के निवारण एवं उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

चूँकि राज्य में चिकित्सा सेवा कर्मियों के जीवन को क्षति और खतरा तथा चिकित्सा सेवा संस्थाओं की सम्पत्ति को हानि पहुँचाने वाले हिंसात्मक कृत्य हो रहे हैं जिससे चिकित्सा परिचर्या व्यवसायियों में असंतोष पैदा हो रहा है और परिणामतः राज्य में ऐसी सेवायें गंभीर रूप से बाधित हो रही हैं;

और चूँकि उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसे हिंसक कृत्यों को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाते हुए उन्हें रोकना आवश्यक हो गया है;

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम, 2013 कहा जायेगा।

(2) यह 20 मई, 2013 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2-जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में ;-

(क) "चिकित्सा परिचर्या सेवा" का तात्पर्य, शिशु जन्म से संबंधित प्रसवपूर्व और प्रसवोपरान्त देखभाल या उससे संबंधित कोई भी बात, या किसी बीमारी, चोट या अंग शैथिल्य, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, से ग्रस्त व्यक्तियों को किसी भी रूप में परिचर्या एवं देखरेख को सम्मिलित करते हुए चिकित्सीय उपचार और देखभाल उपलब्ध कराने के कृत्य से है;

(ख) ''चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था'' का तात्पर्य मेडिकल कालेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में किसी चिकित्सालय, चाहे जिस भी नाम से पुकारा जाय, या लोगों को चिकित्सा परिचर्या सेवा उपलब्ध कराने वाली ऐसी अन्य संस्थाओं ंसे है, जो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम, क्लीनिक और प्रसूति केन्द्र द्वारा स्थापित और प्रबन्धित हो या नियंत्रणाधीन हो और उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से पंजीकृत हो;

(ग) चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान के संबंध में "चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी" का तात्पर्य अनन्तिम पंजीकरण धारक को सम्मिलित करते हुए किसी पंजीकृत चिकित्सक, पंजीकृत नर्स, चिकित्सा विद्यार्थी, नर्सिंग विद्यार्थी और अर्द्ध चिकित्सीय कर्मकार से है और इसमें ऐसी संस्था में नियोजित और कार्यरत कोई व्यक्ति भी सम्मिलित है;

(घ) "हिंसा" का तात्पर्य ऐसे क्रिया कलापों से है जो चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था में या उसके बाहर कर्तव्य का निर्वहन करने वाले किसी भी चिकित्सा परिचर्या कर्मी को कोई हानि पहुँचाने, क्षति पहुँचाने या उसके जीवन को संकटापन्न करने या उसको अभित्रास, अवरोध या बाधा पहुँचाने वाले हों;

(ङ) "सम्पत्ति" का तात्पर्य किसी सम्पत्ति, स्थावर हो या जंगम, चिकित्सा उपस्कर या चिकित्सा यन्त्र सामग्री से है जो किसी चिकित्सा सेवा कर्मी या चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान के नियंत्रण में हो;

(च) "आपात चिकित्सा परिवहन सेवा" का तात्पर्य सभी सचल चिकित्सा इकाइयों एवं चिकित्सा उपस्करों से युक्त चिकित्सा वाहन से है, जिसका उपयोग चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने में किया जाय।

चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी के विरुद्ध हिंसा और सम्पत्ति की क्षति

3-कोई भी जो,-

(क) किसी चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी के विरुद्ध हिंसात्मक कृत्य करे;

या

(ख) चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाए, ऐसे अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

अपराध का संज्ञान

4-धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानती होगा।

सम्पत्ति को पहुँचाई गयी क्षति की वसूली

5-(1) धारा 3 के अधीन उपबन्धित दण्ड के अतिरिक्त न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय यह आदेश दिया जायेगा कि आरोपित व्यक्ति क्षतिग्रस्त चिकित्सीय उपस्कर के क्रय मूल्य की धनराशि और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था की सम्पत्ति को हुई हानि के दोगुने की शास्ति के लिए दायी होगा।

(2) यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) के अधीन शास्तिक क्षतिपूर्ति का संदाय नहीं किया जाता है, तो उसकी वसूली उत्तर प्रदेश भू.राजस्व अधिनियम, 1950 की बकाया के रूप में की जायेगी।

अधिनियम का किसी भी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना

6-इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

निरसन एवं अपवाद

7–(1) यह उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2013 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6, सन् 2013

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-7 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंखलाल मांझी)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013

लघु सिंचाई तथा पशुधन मंत्री (श्री राजकिशोर सिंह)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

(प्रस्तावक का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 अधिष्ठाता जी, प्रस्तावक के द्वारा कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं रखा गया है।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, मैं अगला प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1999 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जाएगा।

2-यह 6 जून, 2013 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1999 की धारा 4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1999 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है की धारा 4 में,-

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

''(क) सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन विभाग. पदेन सदस्य

(ख) उपधारा (2) में शब्द ''उपाध्यक्ष'' के स्थान पर शब्द ''अध्यक्ष और उपाध्यक्ष'' रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2013

3-(1) उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2013 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान् उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

लघु सिंचाई तथा पशुधन मंत्री (श्री राजकिशोर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-13 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या.5 सन् 2008 की धारा 13 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 13 में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, सारणी में, क्रम संख्या.3 पर दी गयी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

क्रम संख्या	शर्तें	इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि की सीमा
(1)	(2)	(3)
3	यदि क्रय किये गये माल,- (एक) विक्रय के परिणाम से भिन्न राज्य के बाहर अन्तरित या पारेषित किये जाएं; या (दो) गैर.वैट माल के सिवाय किसी कराधेय माल के विनिर्माण में प्रयोग किए जायें और ऐसे विनिर्मित माल को, विक्रय के परिणाम से भिन्न, राज्य के बाहर अन्तरित या पारेषित किया जाए;	इनपुट टैक्स की आंशिक धनराशि जो केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन विहित दर से अधिक है, जिस पर व्यवहारी ने रजिस्ट्रीऔत विक्रेता व्यवहारी या राज्य सरकार को कर का भुगतान किया है।

धारा 20 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 20 में, उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :-

''(5) प्रत्येक व्यवहारी जिसके पास आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन आवंटित स्थायी खाता संख्या हो, यथास्थिति, आवर्त और कर की प्रत्येक मासिक या त्रैमासिक विवरणी पर ऐसी संख्या का उल्लेख करेगा और इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा जब भी माँग की जाए, ऐसी संख्या को प्रस्तुत करेगा।''

धारा 21 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

''(7-क) उपधारा (4), (6) तथा (7) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल तथ्य के होते हुये भी, कमिश्नर उस वेबसाइट को विज्ञापित कर सकते हैं जिसमें उपधारा (4) में निर्दिष्ट ट्रांसपोर्ट मेमो में निहित किये जाने वाले विहित विवरण को उनके द्वारा विज्ञापित की जाने वाली किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी की वस्तुओं या किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी के व्यवहारियों या किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी के संव्यवहारों के प्रतिफलन के परिप्रेक्ष्य में प्रविष्ट किया जायेगा। यदि कमिश्नर ऐसी वेबसाइट को विज्ञापित करता है, तो पंजीऔत व्यापारी, जो कमिश्नर द्वारा यथा विज्ञापित किसी वस्तु या किसी श्रेणी की वस्तुओं का परेषण या वितरण करता है, विहित विवरण की विज्ञापित वेबसाइट में प्रविष्ट करेगा और वेबसाइट में ऐसे विवरणों के प्रविष्ट किये जाने का प्रमाण कमिश्नर द्वारा विहित रीति से ऐसी वस्तुओं के परिवहन के समय ऐसी वस्तुओं के साथ ले जाया जायेगा।''

धारा 24 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 24 में, उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :-

''(7) कर भुगतान के लिये ऐसा दायी व्यवहारी जिसने किसी आंशिक निर्धारण वर्ष के दौरान कारोबार किया हो सहित प्रत्येक व्यवहारी, यथास्थिति, ऐसे निर्धारण वर्ष या ऐसे आंशिक निर्धारण वर्ष के लिये, समेकित विवरणों के अनुलग्नक ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्रपत्र और रीति में, जैसा कि निर्धारित किया जाएं, प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण :-इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु शब्द ''समेकित विवरणों के अनुलग्नक'' का तात्पर्य ऐसे अनुलग्नक से होगा जिसमें क्रय और विक्रय तथा करदेयता की गणना व्यवहारी द्वारा संबंधित कर निर्धारण वर्ष के लिये स्वीकार की गयी क्रय और विक्रय के विवरणों में समाहित हो तथा जिसमें व्यवहारी द्वारा उस कर निर्धारण वर्ष के लिये किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे तथा ऐसे व्यवहारी द्वारा स्वयं या उसके लिये जमा किये गये कर के विवरण एवं ऐसे अन्य विवरण जो विहित किये जायं समाहित हों।''

धारा 25 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 25 में उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :-

''(2) व्यवहारी द्वारा समेकित विवरणों के अनुलग्नक प्रस्तुत करने के पश्चात् और जहाँ व्यवहारी द्वारा ऐसे अनुलग्नक कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या बढ़ाए गये समय के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो, वहाँ ऐसे समय की समाप्ति के पश्चात् किसी कर निर्धारण वर्ष की किसी कर अवधि के लिये उपधारा (1) के अधीन कर निर्धारण का कोई अनन्तिम आदेश नहीं दिया जाएगा।''

धारा 27 का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 27 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात् :-

''27(1) धारा 28 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रत्येक ऐसे व्यवहारी, जिसने अंतिम कर अवधि की विवरणी तथा समेकित विवरणों के अनुलग्नक विहित प्रपत्र और रीति में दाखिल कर दी है, के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि उसका स्व कर निर्धारण कर की ऐसी धनराशि तक हो चुका है जो, यथास्थिति, प्रकटित क्रय या विक्रय या दोनों के आवर्त पर स्वीऔत रूप से देय हो और इनपुट टैक्स क्रेडिट की ऐसी धनराशि तक हो चुका है जिसे ऐसे अनुलग्नकों में अनुमन्य प्रदर्शित किया गया है।

(2) इस अधिनियम और तदधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन सभी प्रयोजनों के लिये :

(क) व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये समेकित विवरणों के अनुलग्नक को कर निर्धारण आदेश समझा जायेगा और ऐसे अनुलग्नक में प्रकटित तथ्यों या उल्लिखित अंकों को ऐसे कर निर्धारण आदेश का भाग समझा जाएगा; और

(ख) कर निर्धारण वर्ष, जिसमें समेकित विवरणों के अनुलग्नक दाखिल करने का निर्धारित दिनांक पड़ता है, के उत्तरवर्ती कर निर्धारण वर्ष के अन्तिम दिनांक को ऐसे कर निर्धारण आदेश का दिनांक समझा जाएगा।''

धारा 28 का संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा 28 में,-

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में,-

(एक) उपखण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाएगा,

अर्थात् :-

"(एक) ऐसा व्यवहारी जिसने आवर्त और कर के समेकित विवरणों के अनुलग्नक या संशोधित समेकित विवरणों के अनुलग्नक को निर्धारित या बढ़ायी गयी अवधि के भीतर प्रस्तुत न किया हो; या ऐसे समेकित विवरणों के अनुलग्नक में दोषपूर्ण या गलत विवरण निहित है या करमुक्त अथवा कर की दर में कमी के लिये संबंधित घोषणा-पत्र या प्रमाण.पत्र संलग्न नहीं किये गये हैं, या''

(दो) उपखण्ड (चार) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

''(चार) ऐसा व्यवहारी जिसके मामले में अभिलेखों में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, यदि कर निर्धारण अधिकारी का यह समधान हो जाता है कि समेकित विवरणों के अनुलग्नक में व्यवहारी द्वारा प्रदर्शित देय कर की धनराशि प्रत्यय योग्य नहीं है अथवा इन अनुलग्नकों में देय कर व्यवहारी द्वारा जमा नहीं किया गया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट की दावाऔत धनराशि दोषपूर्ण है या देय कर की प्रदर्शित धनराशि गलत है, या''

(ख) उपधारा (3) में खण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

''(एक) से अपेक्षा की जाएगी कि वह समेकित विवरणों के अनुलग्नक, यदि उसने ऐसे अनुलग्नक प्रस्तुत नहीं किये हैं, प्रस्तुत कर दें,''

(ग) उपधारा (11) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :-

''(11) उपधारा (9) के अधीन व्यवहारियों से समेकित विवरणों के अनुलग्नक प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और ऐसे व्यवहारियों के मामलों में, कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही उपधारा (9) के अधीन कर निर्धारण किया जा सकता है।''

धारा 40 का संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 40 में, उपधारा (5) में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(क) ने न तो समस्त कर अवधियों के लिये आवर्त और कर की विवरणी प्रस्तुत की हो और न ही निर्धारण वर्ष, जिसमें विक्रय किया गया, के लिये समेकित विवरणों के अनुलग्नक प्रस्तुत किये हों, और''

धारा 44 का संशोधन

10-मूल अधिनियम की धारा 44 में,-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :-

''(1) व्यवहारी या व्यवहारियों के वर्ग द्वारा दाखिल किये गये विवरण.पत्र या विवरण.पत्रों तथा समेकित विवरणों के अनुलग्नक की सत्यता का परीक्षण करने के उद्देश्य से तथा व्यवहारी या व्यवहारियों के वर्ग द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट सहित विभिन्न दावों की स्वीऔति की सत्यता प्रमाणित करने हेतु उतनी संख्या के व्यवहारियों, जितना विहित किया जाये, की कर सम्परीक्षा की जायेगी।''

(ख) उपधारा (3) में, शब्द तथा अंक ''उपधारा (1)'' के स्थान पर शब्द तथा अंक ''उपधारा (2)'' रख दिये जायेंगे।

धारा 50 का संशोधन

11-मूल अधिनियम की धारा 50 में,-

(क) उपधारा (1) में, विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

''अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि कमिश्नर उस वेबसाइट को विज्ञापित कर सकते हैं जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा पत्र में निहित किये जाने वाले विहित विवरण को उनके द्वारा विज्ञापित की जाने वाली किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी की वस्तुओं या किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी के व्यवहारियों या किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी के संव्यवहारों के प्रतिफलन के परिप्रेक्ष्य में प्रविष्ट किया जाएगा। यदि कमिश्नर ऐसी वेबसाइट को विज्ञापित करता है तो उन वस्तुओं, जिनका परिवहन किसी वाहन के द्वारा किया जाता है, का स्वामी या प्रभारी विहित विवरण को विज्ञापित वेबसाइट में प्रविष्ट करेगा और ऐसे वेबसाइट में विवरणों के प्रविष्ट किये जाने का प्रमाण कमिश्नर द्वारा विहित रीति से इस धारा के अन्तर्गत तलाशी या निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।''

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

''(3-क) उपधारा (2) या उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल तथ्य के होते हुए भी, जहॉ किसी वाहन द्वारा परिवहन की जा रही वस्तुओं का स्वामी या प्रभारी उपर्युक्त विवरणों को विज्ञापित वेबसाइट में प्रविष्ट कर देता है तथा ऐसे वेबसाइट में इस प्रकार प्रविष्ट किये जाने का प्रमाण इस धारा के अधीन तलाशी या निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष कमिश्नर द्वारा विहित रीति से प्रस्तुत कर देता है, वहाँ ऐसा अधिकारी उपधारा (4) में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अधीन ऐसे वाहन को जाने की अनुमति प्रदान कर सकता है।''

धारा 51 का संशोधन

12-मूल अधिनियम की धारा 51 में,-

(क) उपधारा (1) में, विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

''अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि कमिश्नर उस वेबसाइट को विज्ञापित कर सकते हैं जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणापत्र में निहित किये जाने वाले विहित विवरण को उनके द्वारा विज्ञापित की जाने वाली किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी की वस्तुओं या किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी के व्यवहारियों या किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी के संव्यवहारों के प्रतिफलन के परिप्रेक्ष्य में प्रविष्ट किया जाएगा। यदि कमिश्नर ऐसी वेबसाइट को विज्ञापित करता है, तो उन वस्तुओं जिनका परिवहन रेल, वायुमार्ग, डाक, नदी या रज्जु मार्ग के द्वारा किया जाता है, का स्वामी या प्रभारी उपर्युक्त विवरण को विज्ञापित वेबसाइट में प्रविष्ट करेगा और ऐसे वेबसाइट में विवरणों के प्रविष्ट किए जाने का प्रमाण कमिश्नर द्वारा विहित रीति से इस धारा के अन्तर्गत तलाशी या निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।''

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

''(3-क) उपधारा (2) या उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल तथ्य के होते हुए भी, जहॉ रेल, वायुमार्ग, डाक, नदी या रज्जु मार्ग के द्वारा परिवहन की जा रही वस्तुओं का स्वामी या प्रभारी उपर्युक्त विवरणों को विज्ञापित वेबसाइट में प्रविष्ट कर देता है तथा ऐसे वेबसाइट में विवरणों के प्रविष्ट किये जाने का प्रमाण इस धारा के अधीन तलाशी या निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष कमिश्नर द्वारा विहित रीति से प्रस्तुत कर देता है वहॉ ऐसा अधिकारी उपधारा (4) में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अधीन ऐसे वाहन को जाने की अनुमति प्रदान कर सकता है।''

नई धारा 58-क का बढ़ाया जाना

13-मूल अधिनियम में धारा 58 के उपरान्त निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

''58-क (1) कमिश्नर राज्य सरकार के अनुमोदन से समय.समय पर इस अधिनियम के

अपील या पुनरीक्षण दायर किये जाने की मौद्रिक सीमा

अधीन वाणिज्य कर प्राधिकारियों द्वारा धारा 57 के अधीन अपील या धारा 58 के अधीन पुनरीक्षण दायर करने को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ मौद्रिक सीमा नियत करने के सम्बन्ध में आदेश, अनुदेश या निर्देश इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों को निर्गत कर सकते हैं।

(2) जहां किसी वाणिज्य कर प्राधिकारी ने उपधारा (1) के अधीन निर्गत आदेशों, अनुदेशों या निर्देशों के अनुसरण में किसी कर निर्धारण वर्ष के लिये किसी निर्धारिती के मामले में किसी बिन्दु पर धारा-57 के अधीन कोई अपील या धारा-58 के अधीन पुनरीक्षण दायर नहीं किया है वहॉ यह ऐसे प्राधिकारी को उक्त बिन्दु पर धारा-57 के अधीन कोई अपील या धारा-58 के अधीन पुनरीक्षण हेतु निम्नलिखित के मामले में बाधित नहीं करेगाः-

(क) किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष हेतु उसी निर्धारिती के मामले में, या

(ख) उसी अथवा अन्य कर निर्धारण वर्ष हेतु किसी अन्य निर्धारिती के मामले में।

(3) इस तथ्य के होते हुये भी कि किसी वाणिज्य कर प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन निर्गत आदेशों या अनुदेशों या निर्देशों के अनुसरण में धारा-57 के अधीन कोई अपील या धारा-58 के अधीन पुनरीक्षण दायर नहीं किया

गया है, किसी निर्धारिती, जो ऐसी धारा-57 के अधीन किसी अपील या धारा-58 के अधीन पुनरीक्षण की पार्टी है, के लिए विधिसम्मत नहीं होगा कि वह यह प्रतिवाद कर सके कि वाणिज्य कर प्राधिकारी ने धारा-57 के अधीन कोई अपील या धारा-58 के अधीन पुनरीक्षण दायर न करने के कारण निर्णय में विवादित बिन्दु को स्वीकार कर लिया है।

(4) ऐसी अपील या पुनरीक्षण की सुनवाई करने वाला अधिकरण या उच्च न्यायालय उपधारा(1) के अधीन निर्गत आदेश, अनुदेश या निर्देश तथा उन परिस्थितियों का, जिनके अन्तर्गत किसी वाद के संबंध में धारा-57 के अधीन ऐसी अपील या धारा-58 के अधीन ऐसा पुनरीक्षण दायर किया गया है अथवा दायर नहीं किया गया है, का ध्यान रखेंगे।''

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2013

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2013

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जायेगा।

(2) यह 19 जुलाई, 2013 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2-उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में,- उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-17, सन् 1976 की धारा-3 का संशोधन

(क) उपधारा (8) में, परन्तुक में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

''(क) अध्यक्ष के मामले में सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो; और''

(ख) उपधारा (8-क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी अर्थात् :-

''(8-ख) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा यथा संशोधित उपधारा (8) के उपबन्ध उक्त अधिनियम के प्रारम्भ पर अध्यक्ष का पद धारण करने वाले पर भी लागू होंगे।''

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-9, सन् 2013 निरसन एवं अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2013 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[4.18] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

निमय-51 में आज दिनांक 18-09-2013 को कुल 66 सूचनायें प्राप्त हुई जिसमें से पहली सूचना श्री राधे लाल रावत की बाराबंकी के थाना जहांगीराबाद के ग्राम लोहरवा निवासी श्री हरनाम वर्मा की पुत्री का दिनांक 22-06-2013 को हुये अपहरण के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत है। दूसरी

सूचना श्री कमाल यूसुफ मलिक की जनपद सिद्धार्थनगर के थाना गौल्हौरा में बढते अपराध पर पुलिस द्वारा नियंत्रण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत है। तीसरी सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद-बलिया में बैरिया क्षेत्रान्तर्गत घाघरा एवं गंगा नदी की कटान से कतिपय ग्रामों को बचाए जाने हेतु बंधे एवं ठोकरों का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, चौथी सूचना श्री मनोज कुमार सिंह की जनपद चन्दौली में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सा हेतु मूलभूत सुविधायें उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत है।

(इस समय 4 बजकर 16 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री अध्यक्ष-

पांचवी सूचना प0 सुदेश शर्मा की जनपद हापुड़ की विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के ग्राम अतरौली के निर्दोष बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं पर दिनांक 20-08-2013 को श्री अमित नागर, सी0ओ0 पिलखुवां द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत है। छठी सूचना श्रीमती अनुप्रिया पटेल की जनपद बाराबंकी के त्रिवेदीगंज ब्लाक के ग्राम सभा जौरास निवासी क्षेत्र पंचायत सदस्य राम मनोरथ वर्मा की हत्या के नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत है। सातवीं सूचना श्री रवीन्द्र जायसवाल की जनपद वाराणसी में गंगा व वरूणा में आई भयंकर बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को राहत राशि दिये जाने के सम्बन्ध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। आठवीं सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की जनपद गोरखपुर में इंसेफलाइटिस महामारी के रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। नौवीं सूचना श्री जगपाल सिंह की सहारनपुर के किसानों के गन्ने के मूल्य का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। दसवीं सूचना श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी की जनपद-बस्ती में संचालित बस्ती चीनी मिल को बंद किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। ग्यारहवीं सूचना श्री सुल्तान बेग की शहीद फौजी मो0 कासिद खान निवासी-कंजादासपुर जनपद-बरेली को आर्थिक मदद दिलाए जाने के सम्बन्ध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। बारहवीं सूचना श्री सुधाकर सिंह की बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में उत्पन्न अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। तेरहवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की मथुरा में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के गतिशील न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गई-

1-श्री जय प्रकाश निषाद, 2-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, 3-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, 4-श्री जलील अहमद, 5-श्री मो0 इरफान, 6-श्री मुकेश श्रीवास्तव, 7-डा0 रीता बहुगुणा जोशी, 8-श्री रामचन्द्र यादव, 9-श्री विजय बहादुर यादव, 10-श्री राज कुमार रावत, 11-श्री पूरन प्रकाश, 12-ठा0 दलवीर सिंह, 13-श्री बावन सिंह, 14-श्री बब्बन सिंह चौहान, 15-श्री कालीचरन सुमन, 16-श्री बंशी सिंह पहाड़िया, 17-श्री अजय मिश्र टेनी, 18-श्री प्रमोद तिवारी, 19-श्री सुरेश बंसल, 20-श्री प्रदीप चौधरी, 21-श्री सन्त प्रसाद, 22-श्री श्यामदेव राय चौधरी, 23-श्री पं0 अमर पाल शर्मा, 24-श्री राधेश्याम जायसवाल, 25-श्री गेंदा लाल चौधरी, 26-श्री राजनरायण बुधौलिया, 27-श्री गुलाब

चन्द सरोज, 28-डा0 अरूण कुमार, 29-श्री रविदास मेहरोत्रा, 30-श्री आशीष कुमार यादव, विनय तिवारी व अन्य, 31-श्री अनीसुर्रहमान, 32-श्री उमेश पाण्डेय, 33-डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, 34-श्री दीपक पटेल एडवोकेट, 35-श्री अगयश राम सरन वर्मा, 36-श्री सुरेश कुमार खन्ना, 37-श्री सुदेश शर्मा, 38-श्री भीम प्रसाद सोनकर, 39-श्री राधेश्याम, 40-श्री बाला प्रसाद अवस्थी, 41-श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा, 42-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, 43-श्री छोटेलाल वर्मा, 44-श्री रमेश प्रसाद कुशवाहा, 45-श्री संत प्रसाद, 46-श्री ओम कुमार, 47-श्री संजय कपूर, 48-श्री रामहेत भारती, 49-श्री शमशेर बहादुर, 50-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, 51-श्री उमाशंकर सिंह, 52-डा0 धर्म सिंह सैनी, 53-श्री धर्मपाल सिंह।

जनपद बलिया को जनहित में वाराणसी मण्डल में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में श्री जियाउद्दीन रिजवी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी इसे पढ़ दें।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्री जियाउद्दीन रिजवी मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा.....

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाते हुए अवगत कराया गया है कि जनपद बलिया पिछले चार दशकों से वाराणसी मण्डल में था। जब आजमगढ़ मण्डल बना तो बलिया जनपद को आजमगढ़ मण्डल में सम्मिलित कर लिया गया। इस निर्णय से जनपद की जनता बहुत ही मरमाहत हुई थी और स्वर्गीय विक्रमादित्य पाण्डेय के नेतृत्व में कई माह तक वाराणसी मण्डल में बने रहने के लिये आन्दोलन भी चला। बलिया जनपद का एक ऐतिहासिक महत्व है। बलिया जनपद की वाराणसी मण्डल से दूरी कम है। आवागमन के साथ पूरी तरह से उपलब्ध है। समय से बसें एवं ट्रेनें भी जनपद को दो रेलवे स्टेशनों बलिया एवं बेल्थरा रोड से उपलब्ध है। बलिया से आजमगढ़ के लिये आवागमन से बेहद कठिनाई का सामना सम्पूर्ण जनपद वासियों को करना पड़ता है और न ही आजमगढ़ में कोई चिकित्सा सुविधा है। वाराणसी में चिकित्सा सुविधाओं से लेकर उच्च शिक्षा के सभी संस्थान बलिया जनपद के विद्यालयों से सम्बद्ध हैं। इसलिए बलिया जनपद को जनहित में वाराणसी मण्डल में सम्मिलित कराना अति आवश्यक है। यह सम्पूर्ण जनपद की प्रमुख मांग है।

मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से पुनः बलिया जनपद को वाराणसी मण्डल में सम्मिलित किये जाने हेतु वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-प्रश्नगत प्रकरण में आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् एवं जिलाधिकारी, बलिया के द्वारा अवगत कराया गया है कि आजमगढ़ मण्डल के सृजन के पूर्व जनपद बलिया वाराणसी मण्डल में सम्मिलित था, किन्तु आजमगढ़ मण्डल के सृजन के फलस्वरूप जनपद बलिया को आजमगढ़ मण्डल में सम्मिलित किया गया। आजमगढ़ मण्डल में जनपद बलिया के साथ ही जनपद आजमगढ़ व मऊ भी सम्मिलित हैं, **जनपद बलिया से आजमगढ़ मण्डल की दूरी लगभग 110 कि0मी0 है जबकि वाराणसी की दूरी 140 कि0मी0 है। जनपद बलिया से आजमगढ़ आवागमन हेतु सुविधाजनक रूप से रेल व बस सेवा उपलब्ध है।** बलिया जिले के आजमगढ़ मण्डल में सम्मिलित रहते हुए भी चिकित्सा एवं उपचार हेतु वाराणसी जाने में कोई कठिनाई नहीं है। इसके अतिरिक्त आजमगढ़ मण्डल अब विधिवत् सुस्थापित हो चुका है। अतएव उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में जनपद बलिया को वाराणसी मण्डल में सम्मिलित किया जाना जनहित में समीचीन नहीं होगा।]

श्री अध्यक्ष-

इसमें आपको कुछ पूछना है

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि बलिया जनपद पहले बनारस...

श्री अध्यक्ष-

अरे आप इसे एक साथ बैठकर दिखवा देते। यहां क्या.....

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

अध्यक्ष जी, एक मिनट सुन लें, आप हमारे संरक्षक हैं। आप हमारे संरक्षक भी हैं और हमारे बहुत पुराने सोशलिस्ट नेता हैं।

श्री अध्यक्ष-

बहुत बदले-बदले, नजर आ रहे हैं।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मा0 अध्यक्ष जी, बलिया जनपद बनारस से जुड़ा रहा है। एक बनारस की संस्कृति रही है। बलिया जनपद के तमाम लोगों को बनारस नजदीक पड़ने की वजह से वहां जाने में सुविधा होती है। मेडिकल से, पढ़ाई-लिखाई से पूरे बलिया की जनता इस पर आंदोलन किये है। हमारी मांग है कि बलिया जनपद को बनारस मण्डल में जोड़ा जाए यह पूरे जिले की जनता मांग करती है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। यह जवाब अधूरा है।

श्री अध्यक्ष-

यह मा0 मंत्री जी से पूछ लें न। ठीक है, यह हो गया।

जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला क्षेत्रान्तर्गत टी0टी0एस0पी0 टंकियों के अधूरे निर्माण को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश बाबू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

श्री राकेश बाबू हैं नहीं, इनका केवल वक्तव्य है। मंत्री जी इसे पढ़ दीजिए।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 20-03-13.....

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया है कि विधान सभा क्षेत्र टूण्डला में टी0टी0एस0पी0 टंकियों का निर्माण कराया गया है जिनमें निम्नलिखित योजना में कार्य अधूरा छोड़ने के कारण जनता को पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है :-

1-नगला आम ग्राम सभा-धीरपुरा, ब्लाक-टूण्डला।

2-नगला महादेव जाटव धर्मशाला, ब्लाक-टूण्डला।

3-नगला महादेव जाटव बस्ती, ब्लाक-टूण्डला।

4-नगला रामकुमार जाटव बस्ती, ब्लाक-नारकी।

5-जाटव बस्ती जाटव, ब्लाक-नारकी।

6-जाटव बस्ती धरमपुर, ब्लाक-टूण्डला।

7-जाटव बस्ती, आनन्दपुर, ब्लाक-टूण्डला।

8-जाटव बस्ती सखावतपुर, ब्लाक-नारकी।

9-ग्राम खिरिया (हजरतपुर), ब्लाक-टूण्डला।

10-जाटव बस्ती बांसदानी ग्राम सभा धीरपुरा, ब्लाक-टूण्डला (10 के0वी0 ट्रांसफार्मर की कमी से अधूरा)

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपर्युक्त अंकित सूचना में उल्लिखित जनपद-फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र टूण्डला में स्थित 10 टी0टी0एस0पी0 टंकियों से स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की सुविधा निर्बाध रूप से ग्रामवासियों को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम को निर्देशित कर दिया गया है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, दिनांक 19-09-2013 को अपराह्न 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 04 बजकर 20 मिनट पर दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 18 सितम्बर, 2013

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पी0एस0यू0पी0-एल0 197 विधान सभा (373)-09-01-2014-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।